षष्ठम् ला, खंड 9, अंक 21 बुधवार, 14 दिसम्बर, 1977/23 अग्रहायण, 1899 (शक)

Sixth series, Vol. IX, No. 21 Wednesday, December 14,1977/Agrahayana 23,1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र / Third Session]





[खंड 9 में अंक 21 से 27 तक हैं / Vol, 9 contains Nos. 21 to 27]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 27, शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 1977/2 पौष, 1899 (शक)

No. 27, *Friday, December* 23, 1977/*Pausa* 2, 1899 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	PAGES
सभा के कार्यक्रम के बारे में	*Re:* Business of the House	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**Oral Answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 530 से 535	Starred Questions Nos. 530 to 535 .	2—18
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 8	Short Notice Qn. No. 8	18—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**Written Answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 536 से 550	Starred Questions Nos. 536 to 550 . .	21—179
अतारांकित प्रश्न संख्या 4895 से 5094	Unstarred Questions Nos. 4895 to 5094	
स्थगन प्रस्ताव—	Motion for Adjournment—	
उत्तर प्रदेश और बिहार के हाल ही के उपचुनावों में हरिजनों और अन्य मतदाताओं को संरक्षण देने और चुनावों में बड़े पैमाने पर की गई हेराफेरी को रोकने में सरकार की कथित असफलता	Alleged failure of Government to give protection to Harijans and other voters during the recent bye-elections in U.P. and Bihar and large scale rigging of elections	179—82, 250—62
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	250—51, 261—62
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra .	251—52
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen . .	252-53
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chaterjee	253
श्री गौरी शंकर राय	Shri Gauri Shankar Rai . .	253—54
श्री के० ए० राजन	Shri K. A. Rajan .	254
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe .	254—60
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta . .	260

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicates that the question was asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	260
श्री शान्ति भूषण	Shri Shanti Bhushan . .	261
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	182–93
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from the sittings of the House—	
कार्यवाही सारांश	Minutes	193
याचिका समिति—	Committee on Petitions—	
कार्यवाही सारांश	Minutes	194
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on the Private Members Bills and Resolutions—	
कार्यवाही सारांश	Minutes	194
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	
अध्ययन दलों का प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Report of Study Tours and Minutes . .	194
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha . .	195
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
प्रतिवेदन	Reports	195-96
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
पहले से आठवां प्रतिवेदन	First to Eighth Reports . . .	196-97
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	
तीसरा और ग्यारहवां प्रतिवेदन	Third and Eleventh Reports . . .	197
अलीबाग, महाराष्ट्र के तट पर उर्वरक पैट्रो रसायन के प्रस्तावित कारखाने के बारे में याचिका	Petition Re. Proposed Fertilizer and Petro-Chemical Complex on the coast of Alibag, Maharashtra	197
औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य—	Statement on Industrial Policy— .	198–233
श्री जार्ज फर्नान्डीज	Shri George Fernandes . . .	198—209
गन्ने, गुड़ और खांडसारी के बारे में वक्तव्य—	Statement *Re.* Sugarcane, Gur and Khandsari—	
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala .	233—35
काफी बोर्ड के बारे में वक्तव्य—	Statement *Re.* Coffee Board—	
श्री आरिफ बेग	Shri Arif Beg . . .	235—36

विषय	SUBJECT	PAGES
निदेश 115 के अधीन वक्तव्य—केरल को वित्तीय सहायता	Statement under Direction 115—Financial Assistance to Kerala	237—39
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member	239—40
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill—Introduced	240—44, 263—64
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव—	Motion to introduce—	
श्री एस० डी० पाटिल	Shri S. D. Patil	240, 244, 263—64
श्री सी० के चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	241
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	241—42
श्री राम जेठमलानी	Shri Ram Jethmalani	242
श्री एम० कल्याणसुन्दरम	Shri M. Kalyanasundaram	242
श्री ओ० वी० अलगेसन	Shri O. V. Alagesan	243
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	243
श्री दिनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	243—44
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	244
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	244
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
दसवां प्रतिवेदन	Tenth Report	244—45
अर्थ व्यवस्था के सुधार करने और आय की असमानतायें दूर करने आदि के लिए कदम उठाने के बारे में संकल्प—	Resolution *Re.* Steps to improve Economy and to reduce inequalities of Income, etc.	245—49
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	245—46
श्री श्याम सुन्दर दास	Shri S. S. Das	247
श्री गौरी शंकर राय	Shri Gauri Shankar Rai	247
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur	247—48
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	248
संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम का निरसन और आसुका को वापस लिए जाने के बारे में संकल्प—	Resolution *Re.* Repeal of Constitution (Forty-second Amendment) Act and Withdrawal of MISA—	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	249

विषय	Subject	Pages
सभा का अवमान	Contempt of the House	264—65
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	Resignation by Member	265
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	266
हाल ही की तोड़फोड़ की घटनाओं के बारे में वक्तव्य	Statement *Re.* recent incidents of Sabotage—	
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	266
नियम 377 के अधीन मामले	Matters Under Rule 377	267—69
गन्ने के मूल्य के बारे में किसानों में व्याप्त असन्तोष और चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में चर्चा	Discussion *Re.* Policy in Sugar Industry and Dissatisfaction among farmers on price of Sugarcane	269—79
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	Dr. Laxminarayan Pandeya	269—70
श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य	Shri Shyamaprasanna Bhattacharyya.	270
श्री रामधारी शास्त्री	Shri Ram Dhari Shastri	270
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur	271
श्री गौरी शंकर राय	Shri Gauri Shankar Rai	271
श्री रमापति सिंह	Shri Ramapati Singh	271—72
श्री के० सूर्य नारायण	Shri K. Suryanarayana	272
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	272—73
श्रीमती चन्द्रावती	Shrimati Chandravati	273
श्री रामनरेश कुशवाहा	Shri Ram Naresh Kushwaha	273
श्री फिरंगी प्रसाद	Shri Phirangi Prasad	273
श्री बृज भूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari	274
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	274
श्री राम मूर्ति	Shri Ram Murti	274
श्री भारत भूषण	Shri Bharat Bhushan	274—75
श्री युवराज	Shri Yuvraj	275
श्री चन्दन सिंह	Shri Chandan Singh	275
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	Shri Balwant Singh Ramoowalia	275—76
श्री महो लाल	Shri Mahi Lal	276
श्री कल्याण जैन	Shri Kalyan Jain	276
श्री श्री कृष्ण सिंह	Shri Shrikrishna Singh	276
श्री सुशील कुमार धारा	Shri Sushil Kumar Dhara	277
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjet Singh Barnala	277—79

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 1977/2 पौष 1899 (शक)

Friday December 23, 1977/Pausa 2, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा के कार्य के बारे में

RE. BUSINESS OF THE HOME

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि आज प्रातः कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया है कि गन्ने के क्रय मूल्य के संदर्भ में किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में चीनी उद्योग की नीति पर आज 6.30 म० प० से 8.30 म० प० तक चर्चा होगी । यदि अन्य मदों पर चर्चा पहले समाप्त हो जाती है, तो यह चर्चा पहले भी हो सकती है ।

श्री केशव राव घोंडगें (नादेड़) : प्रश्न संख्या 530 ।

कुछ माननीय सदस्य : उत्तर देने के लिए मंत्री जी मौजूद नहीं हैं ।

श्री के० गोपाल (करूर) : आपके मंत्री महोदय को इस बारे में निदेश देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मुझे खेद है कि मंत्री जी मौजूद नहीं हैं और उन्होंने सूचना भी नहीं दी है । उन्हें सभा से क्षमायाचना करनी होगी ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : क्षमा याचना काफी नहीं है। सभा का अवमान किया गया है । आप सभा को स्थगित कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मंत्री उपस्थित नहीं हैं । मैं उन्हें निदेश देता हूं कि वह अपनी अनुपस्थिति का कारण बतायें और सभा से क्षमायाचना करें । मंत्री जी आ गये हैं । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है । उन्हें सभासे क्षमायाचना करनी चाहिये ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): यातायात की रुकावट के कारण मैं नहीं आ सका । मैं सभा से क्षमायाचना करता हूं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Safety of Air Passengers

*530. **Shri Kashav Rao Dhondge:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether employees of the Air Organisations and the people have made a damend to the Government to make effective arrangements immediately for the safety of air passengers and also for taking stringent action against hijackers of the planes keeping in view the increasing incidents of hijacking of planes; and

(b) if so, the safety measures being taken by Government in this regard and the nature thereof?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) and (b). A statement containing the requests information is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The International Federation of Airline Pilots Association, had decided on a world-wide cessation of commercial take-offs for a period of 48 hours from 1200 hours GMT on October 25, 1977. They made a demand for convening of an urgent session of the UN Assembly to discuss the enforcement of the Convention for Prevention of hijacking. The UN General Assembly in its session held on the 9th September, 1977 *adopted unanimously a Resolution, a copy of which is enclosed.* In view of this Resolution the proposed cessation of commercial take-offs did not take place.

The cabin crew of Air India resorted to 24 hour lightening strike from the midnight of October 25/26 ostensibly to protest against the practice of permitting arms and ammunitions of passengers on board the plan in the safe custoday of the cabin crew.

(b) The measures to guard against hijacking such as control of access points to operational areas, frisking of persons, search of hand-baggage, stamping of boarding cards, guarding of perimeters etc. have been tightened up.

The arms and ammunitions, if carried by passengers are taken from them and kept in the cargo hold and handed over to them at their destination.

RESOLUTION

The General Assembly,

Recognizing that the orderly functioning of international civil air travel under conditions guaranteeing the safety of its operations is in the interest of all peoples and promotes and preserves friendly relations among States,

Recalling its Resolution 2645 (XXV) of 25 November, 1970, in which it recognized that acts of aerial hijacking or other wrongful interference with civil air travel jeopardize the life and safety of passengers and crew and constitute a violation of their human rights,

Recalling also its earlier Resolution 2551 (XXIV) of 12 December, 1969, as well as Security Council Resolution 286 (1970) of 9 September, 1970, and the Security Council Decision of 20 June, 1972.

1. Reiterates and reaffirms its condemnation of acts of aerial hijacking or other interference with civil air travel through the threat or use of force, and all acts of violence which may be directed against passengers, crew and aircraft, whether committed by individuals or States.

2. Calls upon all States to take all necessary steps, taking into account the relevant recommendations of the United Nations and the International Civil Aviation Organisation, to prevent acts of the nature referred to in paragraph 1 above, including the improvement of security arrangements at airports or by airlines as well as the exchange of relevant information, and to this end to take joint and separate action, subject to respect for the purpose and principles of the Charter and relevant United Nations Declarations, Convenants and Resolutions, and without prejudice to the sovereignty or territorial integrity of any State, in cooperations, with the United Nations and the International Civil Aviation Organisation to ensure that passengers, crew and aircraft engaged in civil aviation are not used as a means of extorting advantage of any kind.

3. Appeals to all States, which have not yet become parties, to give urgent consideration to ratifying or acceding to the Convention on offences and certain other acts committed on board aircraft signed at Tokyo on 14th September, 1963, the Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft signed at the Hague on 16 December, 1970, and the Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation signed at Montreal on 23 September, 1971.

4. Calls upon the International Civil Aviation Organisation to undertake urgently further efforts with a view to ensuring the security of air travel and preventing the recurrence of acts of the nature referred to in paragrah 1 above, including the reinforcement of annex 17 to the Convention on International Civil Aviation.

5. Appeals to all Government to make serious studies of the abnormal situation related to hijacking.

Shri Kashav Rao Dhondge: I want to know when the demand was made by the Air Organisations and the people for making safety arrangements? I want to know the reasons as to why the Cabin Crew of Air India resorted to 24 hours strike 25/26 October, 1977 even after adopting a Resolution by UN general Assembly?

Shri Purshottam Kaushik: Formerly the arms carried by passengers were kept with the pilots. Their demand was that the arms should be kept with other cargo. This demand had been accepted and there was no strike thereafter.

Shri Keshav Rao Dhondge: I want to know whether the safety measures were being taken since past or whether these measures have been started recently and whether arrangements for metal detectors have been made?

Shri Purushottam Kaushik: The safety measures are being taken since long. Ever since the incident of the hijacking of the Japanese aircraft the measures have been further tightened so that such incident may not happen in future.

Shrimati Ahilya Rangnekar. At the time of the strike by the crew lock out was declared by the management of Air India. I want to know the position in this regard whether the management has withdrawn the lock out.

Shri Purushottam Kaushik: An agreement has been reached between the employees and the management and in view of that agreement the management has dropped the idea of lock out.

विदेशों में नियुक्त एयर इण्डिया के उच्च अधिकारियों द्वारा मनोरंजन व्यय

*531. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में एयर इण्डिया के क्षेत्रीय निदेशक, उच्च बिक्री तथा वाणिज्यिक कार्यकारी अधिकारी किन-किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं जो "व्यापार संवर्धन" के नाम पर मनोरंजन आदि पर विदेशी मुद्रा में खर्च कर सकते हैं और प्रत्येक मामले में निर्धारित की गई अधिकतम राशि क्या है;

(ख) इस व्यय के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है और क्या वह 30 जून, 1977 को समाप्त हुये वर्ष के दौरान विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की जानकारी देंगे ; और

(ग) विशेष रूप से अब, जब कि शराब देना बन्द कर दिया गया है, इस व्यय में कमी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): A statement is laid on the Table.

Statement

(a) In Air-India the Controlling Officers who are empowered to authorise entertainment expenditure being incurred abroad are the Regional Directors/Re-

gional Managers. Locations of the Regional Directors/Regional Managers and the geographical territory covered by these officers are given below:—

Controlling Officer	Territory covered	Located in
Regional Director	U.S.A. and Canada	New York
Regional Director	United Kingdom	London
Regional Director	Middle-East	Dubai
Regional Director	East Africa	Nariobi
Regional Director	East Asia	Hong Kong
Regional Manager	Continental Europe	Geneva
Regional Manager	Australia and South-East Asia	Sydney

In addition, the Manager, Moscow, who covers the territory of U. S. S. R. is also authorised to incur such expenditure.

The region-wise budgetallotments for 1977-78 are as follows:—

Territory	Budget 1977-78
	(Rs. in lakhs)
USA and Canada	12·55
United Kingdom	22·00
Europe	36·96
Middle-East	31·91
East Africa	10·48
Far-East Asia	16·77
South-East Asia and Australia	15·05
U.S.S.R.	0·42
TOTAL	146·14

(b) The misuse of this expenditure is sought to be prevented by means of

(i) prior sanction before incurring the expenditure and post-scrutiny of the expenditure incurred by subordinate officers by a superior officer at the time of approval of expenditure.

(ii) Overall control on cumulative expenditure to ensure that the budget allocation is not exceeded, without prior approval of the Board.

(iii) Constant review of revenue earned against the targets and corelating the expenditure against revenue to ensure that the expenditure as a percentage of revenue is kept under control.

(iv) Scrutiny of the expenditure by internal audit during the course of examination of the accounts of the foreign stations.

Air-India's financial year ends on 31st March, The actual expenditure incurred on entertainment abroad territory-wise during the financial year 1976-77 is as under:—

	(Rs. in lakhs)
USA and Canada . . .	23·63
United Kingdom	11·53
Europe . . .	33·34
Middle East . .	26·29
East Africa .	7·09
Far East Asia . . .	17·48
South East Asia and Australia . .	15·19
U.S.S.R.	0·25
TOTAL . . .	134·80

(c) Strict budgetary control measures are operated coupled with periodical reporting by the subordinate officers to Controlling Officers viz. Regional Directors who in turn report to the Headquarters. In this manner the expenditure is kept under control and it is ensured that the expenditure is judiciously incurred and is commensurate with the revenue earnings.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का सभापति हूं और हमने एयर इण्डिया की जांच करने का निर्णय किया है । मैं कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहता ।

श्री आर वी० स्वामीनाथन : प्रश्न के भाग (ग) में पूछा गया है:

"विशेष रूप से अब, जब कि शराब देना बन्द कर दिया गया है, इस व्यय में कमी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?"

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चूंकि सरकार ने निदेश दिया है कि एयर इण्डिया के विमानों में शराब देना बन्द किया जाय, क्या शराब देना केवल भारत की सीमा में बन्द किया गया है अथवा विदेशों में भी ?

Shri Purushottam Kaushik: The decision of the Government on prohibition will be implemented in phasis. It is difficult to say at the present stage as to how this will be implemented. After a decision being taken by the Government that liquor will not be served in Air India planes abroad action will be taken accordingly. So far this has not been done.

डा० कर्ण सिंह : इस सभा में गत सप्ताह मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट रूप से इस बात से इंकार किया था कि शराब देना बन्द कादिया गया है। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता । एयर इण्डिया को कड़ी प्रतियोगिता करनी होती है । यदि आप कोई ऐसी कार्यवाही करते हैं जिससे यात्रियों विशेषतया विदेशी यात्रियों की संख्या कम हो जाय, तो इसका एयर इण्डिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उसकी आय पर प्रतिकूल प्रभावपड़ेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहता हं कि घरेलू नीति चाहे जो हो, कम से कम एयर इण्डिया के मामले में कोई ऐसी कार्यवाही न की जाये जिससे उस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

Shri Purushottam Kaushik: Mr. Speaker, Sir, as I have submitted just now no decision has so far been taken to stop serving of liquor on foreign flights of Air India. But decision will be taken on the merits of all other matters

श्री के० लकप्पा : एयर इण्डिया के उच्चाधिकारियों के मनोरंजन व्यय में भारी वृद्धि हो रही है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वास्तव में कितना व्यय हुआ है? एयर इण्डिया के लिये अधिक कारबार प्राप्त करने तथा यात्रियों की संख्या में वृद्धि प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है । सरकार इस संदर्भ में क्या कार्यवाही कर रही है ? विदेशों में नियुक्त उच्चाधिकारियों द्वारा मनोरंजन तथा अन्य बातों पर भारी खर्च किया जा रहा है। इस से कई मामलों में घाटा हो रहा है ।

हमें भी कभी कभी नुकसान होता है क्योंकि युरोप और अन्य स्थानों में काफी प्रतिस्पर्धा है साथ ही, ऐसे यात्री हैं जिन्हें सहायता दी जानी है और जो एयरइंडिया से यात्रा करते हैं ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस खर्चे के बावजूद हमारे अधिकारियों ने एयर-इण्डिया का कितना कारबार किया ?

Shri Purushottam Kaushik: There is great competition in foreign countries in air-services and they incur a lot of expenditure on entertainment advertisements etc., for their sales promotion. Our business has definitely increased this year. Our income has gone up from Rs. 139 crores in 1976-77 to Rs. 141 crores this year. However, we are incurring comparatively less expenditure on sales promotion this year, which works out to even less than one percent of the gross revenue.

प्याज और आलू का निर्यात

***532. श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री सभा पटल पर यह दर्शाने वाला विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कम्पनियं तथा फर्मों के नाम और पते क्या हैं जिन्होंने गत चार महीनों में 100 टन से अधिक प्याज और आलू का निर्यात किया;

(ख) प्रत्येक फर्म अथवा कम्पनी ने कितनी मात्रा में निर्यात किया;

(ग) गत चार महीनों में निर्यात की गई अन्य आवश्यक वस्तुओं के नाम क्या हैं और उनका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में आवश्यक वस्तुओं का निर्यात न करने सम्बन्धी अपनी नीति बदलने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तथा (ख). आलू तथा प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई है । पिछलेचार महीनों में आलू का कोई निर्यात नहीं किया गया है ? रोक से पहले की गई वचनबद्धताओं को पूरा करने तथा साथ ही मित्र देशों की तत्काल मांगों को पूरा करने की दृष्टि से अगस्त—नवम्बर, 1977 के दौरान मार्गीकरन एजेंसी (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडेरेशन) द्वारा 4279 मी० टन प्याज का निर्यात किया गया था ।

(ग) तथा (घ). पिछले चार महीनों के वस्तुवार निर्यात आंकड़े अभी संकलित नहीं किए गए हैं । सरकार की नीति अत्यावश्यक आम खपत की वस्तुओं के निर्यातों को इस तरीके से रोकने अथवा विनियमित करने की रही है कि घरेलू उपलब्धता अथवा कीमतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । इन वस्तुओं के निर्यातों की अनुमति दी जाती हैं यदि अत्यावश्यक घरेलू आवश्यकताओं से ऊपर बेशी माल हो ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि पिछले चार महीनों के वस्तुवार निर्यात आंकड़े अभी संकलित नहीं किए गए है । लेकिन वह अन्य वस्तुओं के नाम तो दे सकते थे ।

However, following restrictions on the export, the prices of potatoes and onions have come down considerably. Potato is selling at the rate of Rs. ½ per kg. and the onion at Rs. 1.40 per kg. For this, the Honble Minister deserve congratulations.

But the growers are not getting adequate return. What steps are being taken by Government to ensure adequate return to the growers and to unify the rates of essential commodities at all places? He had also mentioned about opening of fair price shops and cooperatives. What has he done about them?

श्री मोहन धारिया : मैंने सभा को बताया था कि सरकार की यह नीति है कि उत्पादक को उचित और लाभप्रद मूल्य मिले और साथ ही उपभोक्ता का भी ध्यान रखा जाये। इसीलिए हम उत्पादकोंकी और उपभोक्ताओंकी भी सहकारी समितिओंको प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta: Government has so far been following an *ad-hoc* policy. When production increases, they allow export and when production decreases, they stop export. May I know the figures of production of these two items in the country *vis-a-vis* their requirement and whether some permanent policy is proposed to be laid down in this regard?

You have reduced 20 percent excise duty on sugar. But the consumer has not been benefited thereby. All its benefit has gone to the mill owners. Growers have also not been benefited because you have not increased the prices of sugarcanes. What have you to say in this regard.

अध्यक्ष महोदय : हमें आलू को चीनी के साथ नहीं मिलाना चाहिये ।

श्री मोहन धारिया: हम आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के बारे में एक समेकित नीति बनाने कीकोशिश कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री वी० अरुणाचलम : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने सरकार से चीनी मिलों को 20 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क में छूट देने के लिए कहा था । उस छूट का लाभ न तो उपभोक्ता को मिला है और न ही उत्पादक को ।

श्री मोहन धारिया: सरकार ने राज्य व्यापार निगम से 50,000 टन चीनी देने का फैसला किया है । इस चीनी की नीलामी होगी और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि देश भर में चीनी सहकरी दुकानों के जरिए, 3.90 रुपए की दर से उपलब्ध हो। हम देखेंगे कि इस छूट का लाभ सभी को मिले ।

श्री डी० बी० पाटिल :मंत्री जी ने बताया कि सरकारकी नीति आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने की है । तो क्या वह इसके लिएबिचौलियों को समाप्त करने को तैयार है ?

श्री मोहन धारिया : विचौलिये भारी मुनाफाखोरी करते हैं इसके लिए सरकार चिन्तित है। सहकारी दुकानें आदि के जरिये एक हम अपनी वितरण प्रणाली को आरम्भ करेंगे तो इस प्रकारकी मुनाफाखोरी काफी हद तक कम हो जाएगी ।

Shri Parmanandji Govindjiwala: The Hon'ble Minister has stated that the export of onions and potatoes has been stopped. Had he received any representation from the Onion and Potato Growers in this regard?. An impression is gaining ground in the rural areas that they are not being paid fair price as the Government is interested in safeguarding the interests of the urban areas. What action is being taken to ensure payment of remunerative price to the areas?

Shri Mohan Dharia:. We have received representation from the onion and potatoe growers. We have given suitable instructions to the State Governments. I agree with the Hon'ble Member that farmers must be paid the remunerative price.

श्री एम० एस० संजीवी राव :जलरहित प्याज और आलू का निर्यात बहुत से उद्योग करते हैं और उससे उन्हें काफी लाभ होता है सरकार ने इस वर्ष उन्हें काफी रियायतें भी दी हैं। क्या सरकार कोई दीर्घकालीन योजना बना रही है ताकि उद्योगपति इस लाभप्रद उद्योग का विस्तार कर सकें ?

श्री बशीर अहमद : देश के कुछ भागों में नमक और सरसों का तेल भी नहीं मिल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है । अगला प्रश्न ।

चीनी प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा

***533. श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **वाणीज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने चीनियों को भारत आने और स्वयं यह निश्चित करने का निमंत्रण दिया है कि वे भारत से किन इंजीनियरी तथा अन्य निर्मित वस्तुओं का आयात कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो चीन की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या चीन का कोई प्रतिनिधिमंडल भारत आया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके आने का क्या परिणाम निकला?

वाणिज्य तथा नागरकि पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 42वें कैंटन व्यापार मेले में जिन चार सरकारी क्षेत्र के संगठनों ने भाग लिया, जिनमें भारतीय राज्य व्यापार निगम भी एक है, उन्होंने भारत आने के लिए पांच महत्वपूर्ण चीनी व्यापार निगमों को संयुक्त रूप से आमंत्रित किया ताकि वे व्यापार बढ़ाने की दृष्टि से हमारी विनिर्माण क्षमता देख सकें ।

(ख) चीनी निगमों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : राज्य व्यापार निगम के अलावा किन-किन संगठनों ने चीन के व्यापार निगमों को आमंत्रित किया और चीन के उन व्यापार निगमों के नाम क्या-क्या हैं ? हमारे निगमों ने उन्हें क्यों आमंत्रित किया था? औपचारिक निमंत्रण चीन के व्यापार निगमों के पास कब भेजे गये ?

Shri Arif Beg: The names of those organisation's which participated in 42nd Canton Trade Fair, are: State Trading Corporation of India, Association of Indian Engineering Industries and Basic Chemicals, Pharmaceuticals and Cosmetics and Export Promotion Council and these organisations had invited the following Chinese organisations (1) China National Light Industrial Products Import and Export Corporation; (2) China National Metals and Minerals Import and Export Corporation; (3) China National Machinery Import and Export Corporation; (4) China National Chemicals Imort and Export Corporation; (5) China National Technical Import Corporation and (6) China National Cereals, Oils and Food stuffs Export Promotion Corporation.

The response from Chinese side is still awaited.

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : निमंत्रण 17 दिसम्बर को भेजा गया था । इसमें कोई ग़लतफहमी नहीं होनी चाहिए । कैन्टन मेला नवम्बर में हुआ था । हमारे प्रतिनिधिमण्डलों के वापस आने के बाद हमने 17 दिसम्बर को निमंत्रण भेजा है जिसका उत्तर आयेगा ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता: इनचीन के निगमों को किन-किन औद्योगिक एककों और व्यापार संगठनों में ले जाया जायेगा और क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है जिसे उन्होंने निमंत्रण के साथ ही भेजा था ।

श्री मोहन धारिया: फरवरी में हमारे इंजीनियरी उद्योग का मेला होगा । आशा है चीन का प्रतिनिधिमण्डल उस समय आयेगा । तब वे देख सकेंगे कि हमारे देश में कौन-कौन से उत्पाद बन रहे हैं । हम चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर: मुझे खुशी है कि मंत्री ने हमें बताया कि निमंत्रण 17 दिसम्बर को भेजा गया था । विदेश मंत्री श्री वाजपेयी ने संसद् और सार्वजनिक रूप से अनेकों बार कहा है कि चीनसेहमारे सम्बन्ध धीरेधीरे सामान्य हो रहे हैं । इस दृष्टि से क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार चीन से अच्छे व्यापारिक सम्बन्ध बनाने की दिशा में सक्रिय कदम उठा रही है ? यदि हां, तो सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में वाणिज्य मंत्री, श्री मोहन धारिया क्या ठोस कदम उठा रहे हैं ?

श्री मोहन धारिया: विदेश और वाणिज्य मंत्रालय समन्वय से काम करते हैं । इसलिए जो कुछ भी होता है व ह हमारा दोनों का समन्वित प्रयास होता है ।

रेपसीड घोंटाला

***534. श्री डी० जी० गवई** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 27 सितम्बर, 1977 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'रेपसीड स्कैंडल व्लर्स इंडियन इमेज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और दोषी व्यापारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) 13 पार्टियों के मामले विस्तृत जांच तथा समुचित कार्यवाही के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गये थे । इन में से 6पार्टियों के मामले विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत जांच के लिये प्रवर्त्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय को भी भेजे गये थे । इनमामलोंमें से 12 की

जांच पूरी हो गई है, परन्तु जांच के दौरान कोई भी प्रतिकूल बात सामने नहीं आई । एक मामले में जांच अभी भी चल रही है । आयात व्यापार नियंत्रण विनियमन के अन्तर्गत क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा उन कई फर्मों के खिलाफ भी कार्यवाही आरम्भ की गयी थी, जिनके खिलाफ कदाचार के प्रथम दृष्टया मामले थे । इन मामलों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में अभी रिपोर्ट आनी हैं ।

Shri D. G. Gawai: Minister has informed that 12 cases have been thoroughly examined. Value of the licences given to these 12 parties? Whether whole of the goods have arrived India? If not whether they have returned their licences or they have disposed them off in the foreign countries or they have sold out the goods?

Shri Arif Baig: As has been answered no specific case have come into light against these parties. They are given licences worth about Rs. 500 crores and goods worth Rs. 50 crores came to the country.

Shri D. G. Gawai: What are the names of those 12 parties who were examined? The names of firms being examined under Import Trade Control Regulations? The time by which enquiry will be completed? Whether their name will be added in the black list so that they may not be given any licence in future?

Shri Arif Baig: The list is as under ...

अध्यक्ष महोदय : यह एक लम्बी सूची है और उसे सभा पटल पर रखा जाये ।

श्री आरिफ बेग : सूची सभा पटल पर रखी जा चुकी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केवल 50 प्रतियां बांटी गई हैं जो बहुत अपर्याप्त हैं । इसके अभाव में हम प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ?

Shri Hukam Chand Kachwai: Hon. Minister has informed that licences worth Rs. 500 crores were issued and goods worth only Rs. 50 crores have come. I want to know the time by which the goods were expected to come and also what were those goods? What is the reason of delay in getting the goods in time?

Whether it is correct that they have sold out the goods in foreign countries on premium? If so the parties who have done this?

Shri Mohan Dharia: This matter has been discussed in detail. 2143 parties were given licences of more than Rs. 500 crores. The licences of 2,000 parties were cancelled on account of not importing the goods with the time limit of 3 months. Complaints have been sent to C.B.I. They have informed us that except one none was found guilty.

Upto July only oil worth Rs. 40 crores was imported. After that we issued licences only to the firms who commit to import the goods and oil was imported accordingly.

Shri Hukam Chand Kachwai: Hon. Minister has not informed about the goods to be imported, the goods actually imported and goods which were not imported.

अध्यक्ष महोदय : आप एक साथ कई प्रश्न पूछ रहे हैं ।

Shri Bhanu Kumar Shastri: I want to have one assurance from the Minister that whether the firms responsible for malpractices. like Godrej Company will be given licence or not? Whether the companies who have imported rapeseed in past will be given licence? Secondly I want to know the rate it is being imported and the rate it is being sold here?

Shri Mohan Dharia: I have given all this information to the House. After getting clearance from C.B.I. regarding Godrej and other companies the licence kept in abeyance were granted to them. It is not right to say that one is culprit unless it is otherwise proved.

I may inform the House that most of the oil is imported through S.T.C.

Shrimati Ahilya P. Rangnekar: The Minister has informed that 13 cases were sent to C.B.I. for inquiry. Out of them 6 cases were sent to Directorate of Enforcement, Ministry of Finance for enquiry and some of them were sent to Regional Licencing Authority. Out of these 13 cases 12 have been declared innocent. I want to know whether the licence of these parties who are found innocent by the C.B.I. under Foreign Exchange Regulation Act but found guilty of malpractices, will be cancelled.

Shri Mohan Dharia: Who so ever will be found guilty of malpractices will not be granted licence.

Smt. Ahilya P. Rangnekar: Which authority has declared them innocent?

Shri Hukam Chand Kachwai: The Minister has not informed about the purchase and selling price?

Shri Mohan Dharia: Government is selling rapeseed oil at the rate of Rs. 7.50 in the country. It is not possible for me to tell about the profit being earned.

Dr. Ramji Singh: Whether Government will blacklist those firms who did not import the oil, and who will be found guilty of malpractices?

Shri Mohan Dharia: We have cancelled about two thousand licences. Those are guilty of malpractices will not be given licences. Government have to give subsidy for selling rapeseed oil at the rate of Rs. 7.50. We purchase at the rate of Rs. 6,000 or Rs. 6,500 per tonne. We have to spend on transportation and refining it. We have to make rapeseed oil available at the rate of Rs. 7.50 because we cannot provide mustard oil to all.

रबड़ के न्यूनतम मूल्य में और वृद्धि

*535. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री के० ए० राजन :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रबड़ उत्पादकों ने रबड़ के न्यूनतम मूल्यों में और वृद्धि करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख). सरकार द्वारा अधिसूचित रबड़ की न्यूनतम कीमतों में और आगे संशोधन करने के लिए रबड़ उपजकर्त्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उपजकर्त्ताओं ने रबड़ के आर०एम०ए०-1 ग्रेड के लिए कम से कम 800 रुपये प्रति क्विंटल कीमत की मांग की है।

सरकार ने 6-8-77 से अन्य ग्रेडों के रबड़ के लिए भिन्न-भिन्न कीमतों सहित रबड़ की आर० एम० ए०-1 ग्रेड के रबड़ की न्यूनतम कीमत 520 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 655 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। यह संशोधन 31-3-1978 तक वैध है और फिलहाल इसकी समीक्षा करने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

श्री के० ए० राजन : सरकार ने 1970 में प्राकृतिक रबड़ का मूल्य 520 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया था। यह 1968-69 में प्रशुल्क आयोग द्वारा उत्पादन लागत का विस्तृत अध्ययन करके निश्चित किया गया था। 1977 में 7 वर्ष बाद सरकार ने इसका मूल्य 655 रुपये प्रति क्विंटल तय किया। रबर बोर्ड ने भी 1976 में उत्पादन लागत का अध्ययन किया और 820 रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की। इस प्रकार बहुत से किसान हानि उठा रहे हैं। केरल सरकार ने भी इस वृद्धि की मांग की है। क्या मंत्री महोदय अधिकतम स्तर पर मूल्य निश्चित करने की मांग स्वीकार करेंगे ?

Shri Arif Baig: We fix prices after consulting Price Commission and Rubber Board. Price was increased for Rs. 520 to Rs. 655. While increasing price we have to see that it may not increase the prices of the articles of daily use. It is, therefore, not possible to increase the price further.

श्री के० ए० राजन : मूल्यों के निर्धारण के पीछे कोई औचित्य होना चाहिए। क्या उत्पादन लागत और किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया। प्रशुल्क आयोग और कृषि मूल्य आयोग के अनुसार मूल्य अधिक निश्चित किया जाना चाहिए था। मूल्यों का निर्धारण करते समय किन बातों को ध्यान में रखा गया और क्या सरकार इस सम्बन्ध में और अधिक सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाएगी ?

श्री मोहन धारिया : सरकार कृषि मूल्य आयोग और बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करती है। रबड़ का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य देश में विद्यमान मूल्य से बहुत कम है। अतः इस पर भी विचार किया जाता है। यह मूल्य 31 मार्च, 1978 तक के लिए निश्चित किया है और यदि आवश्यक हुआ तो स्थिति पर फिर से विचार किया जाएगा। कोई आश्वासन इस सम्बन्ध में मैं नहीं दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री डनलप, गुडईयर आदि अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों को पसन्द करते हैं या नहीं। ये रबड़ का एक बड़े भाग का उपयोग करती हैं तथा चप्पल आदि जन साधारण की वस्तुएं इस्तेमाल किए रबड़ से बनती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का पता वे कैसे लगाते हैं ? क्या कृषि मूल्य आयोग अथवा किसी आर्थिक संस्था से यह पता लगाने का प्रयत्न किया गया है कि उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य क्या है ?

श्री मोहन धारिया: अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का पता हमारे दूतावासों और अधिकारियों से लगता है। वे बाजार में जा कर इसका पता लगाते हैं। इस प्रकार आन्तरिक मूल्य स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर मूल्य निश्चित किए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनकी समीक्षा की जाएगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने पूछा था कि कृषि मूल्य आयोग या किसी अन्य संस्था से लाभकारी मूल्य क्या हो यह पूछा गया ?

श्री मोहन धारिया: सरकार ने इनकी सिफारिशों से भी आगे बढ़ कर विचार किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैं आंकड़े चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास आंकडे नहीं हैं।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर: क्या सरकार ने रबड़ के मूल्य की सिफारिश के लिए कोई आयोग नियुक्त किया है? क्या आर्थिक सैल नेइसकी जांच की और उन्होंने किसी मूल्य की सिफारिश की? यदि हां,तो उन्होंने क्या मूल्य सुझाया और वास्तव में क्या मूल्य निश्चित किया गया? क्या सरकार ने प्राकृतिक रबड़ का मूल्य निश्चित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य को ध्यान में रखा ?

श्री मोहन धारिया: मैं बता चुका हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य देश में विद्यमान मूल्य से बहुत कम है।

Shri Hukam Deo Narayan Yadav (Madhubani): To day is the birthday of Home Minister, Shri Charan Singh. He should be congratulated.

श्री सौगत राय : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री राजनारायण, श्री चरणसिंह के चित्र वाला एक बिल्ला लगाए हैं, क्या नियमोंमेंइसकी अनुमति है ..... **(व्यवधान)**

श्री के० लक्कप्पा: मैं यह बात आपकी जानकारी में पहले ही ला चुका हूं। यह बड़ा भद्दा लगता है और इससे सदन की गरिमा को धक्का लगता है। मैं आप का निर्णय चाहता हूं ..... **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसी व्यवस्था है कि सदन में किसी दल विशेष सम्बन्धी बिल्ला आदि लगा करनहीं आ सकते। परन्तु श्री राजनारायण ने केवलएकसमारोहसम्बन्धी बिल्ला ...

कुछ माननीय सदस्य : एक मंत्री का चित्र है।

श्री के० लक्कप्पा : मैंश्री चरणसिंह के जन्म दिन पर उन्हें शुभकामना देता हूं और चाहता हूं कि सभीकिसानों को यहां ले आया जाए .....

Shri Gauri Shankar Rai: The deliberations of the House should be conducted in a matured fashion not childishly.

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नियमहै कि कोई सदस्य सदन में बिल्ला लगाकर नहीं आ सकता। यहनिर्देश ..... **(व्यवधान)**

श्री दरूर पुल्य्या (अनन्तपुर) : अध्यक्ष के निर्णय को लागू किया जाना चाहिए । परन्तु उसे लागू नहीं ..... **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : यदिमंत्री महोदय आपके निर्णय का पालन नहीं करते तो वे सदन से बाहर चले जाएं ।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय * .....

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में शामिल न किया जाए । ..... **(व्यवधान)*** यदि सदन में शान्ति नहीं होती तो मुझे सदन को स्थगित करना होगा ..... **(व्यवधान)**

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । पहले भी हम रेड क्रास का बिल्ला पहनते रहे हैं । क्या अध्यक्ष हमें उसे लगाने से रोकना चाहते हैं ? प्रो० समर गुहा यहां हैं जो हमेशा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का बिल्ला पहने रहते हैं, क्या इन्हें कभी इसे न पहनने को कहा गया है ?

तात्पर्य यह है कि किसी को आपत्तिजनक बिल्ले नही पहनने चाहिये । अध्यक्षपीठ ने किसी समय इस प्रकार के बिल्ले को ध्यान में रखते हुये सम्भवत: कोई निदेश दिया हो । बिल्ले का स्वरुप राजनैतिक नही होना चाहिये ।

मैं अपने माननीय मित्रो को एक बात की याद दिलाना चाहता हूं। इस बारे उन्हे अनुचित दृष्टिकोण नही अपनाना चाहिये । जब कभी भी यहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ हो, तो हम इस सदन में अनेक बार बैज पहन कर आये। दिल्ली में जब कभी भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई तो हमने इन बिल्लों को कोट व कुर्ते से लगाये रखा ।

हमारे माननीय मित्र श्री राजनारायण ने आज किसान बैज पहन रखा है। देश भर में किसान दिवस मनाया जा रहा है । किसान यहां पर भी अभूतपूर्व संख्या में आये हैं ।

मैं अपने मित्रों की उस ईर्षा की भावना को समझता हूं जिससे वे आपत्ति करने के लिये प्रेरित हुये हैं । आज दिल्ली में किसानों की एक अभूतपूर्व भीड़ है । अब किसान दलीय सम्बन्धों को तोड़ कर दिवस मना रहे हैं ।

अत: इस बारे हम पर रोक लगाने के लिये कोई नियम नहीं है । निदेश नियम के अन्तर्गत ही होना चाहिये, यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कल्पना कीजिये कोई तंग में धारण करने वाला सेवा निवृत सेना कर्मचारी इस सभा के लिये चुना जाये तो भी क्या आप आपत्ति करेंगे ? क्या आप उन्हे उसे उतारने के लिये कहेंगे ।

और अंत में, अध्यक्ष महोदय, हमारी वेशभूषा या जो कुछ भी हम पहनते हैं के बारे अध्यक्षपीठ द्वारा हस्तक्षेप करने का काम नही है । सदन तथा प्रत्येक सदस्य के अपने अपने अधिकार हैं । अध्यक्षपीठ को तब तक इन बातों में नही जानना चाहिये जब तक कि कोई बात भद्दी या चोट करने वाली न हो । अध्यक्षपीठ उसी दशा में हस्ताक्षेप कर सकती है

*कार्यवाही में शामिल न किया जाय ।
*Not recorded.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी समझ में यह नही आता कि आपने निर्देशिका को क्यों उद्धृत किया है। इसे किसी अधिकार से उद्धृत नही किया जा सकता है आप निर्देशिका की प्रस्तावना पढ़। निर्देशिक का उद्देश्य संसदीय मामलो में लोक सभा सदस्यों का मार्गदर्शन करना है। आप इससे कैसे उद्धृत कर रहे हैं ?

अब मैं व्यवस्था के प्रश्न पर आ रहा हूं। श्री वसंत साठे को इस बारे चिंता नही करनी चाहिये। **(व्यवधान)**। मैं नियम 349 को उद्धत कर रहा हूं। ये कहते हैं कि बधंक मज़दूर बंधक मज़दूरी से मुक्त हो गये हैं। उन्ह अपने आपको श्रीमती गांधी से मुक्त करना चाहिये। नियम 349 (vii) में आप यह पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे पढ़ चुका हूं। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हर जगह अव्यवस्था का प्रश्न रहता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 349 (vii) के अन्तर्गत जब सभा का अधिवेशन चल रहा हो तो सदस्य अपनी सीट पर रहेगा। क्या श्री साटे बोलते समय अपनी सीट पर हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस बारे काफी चर्चा हो चूकी है।

श्री गौरी शंकर राय : ये क्या कर रहे हैं? **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुये **(व्यवधान)**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: मैं एक पूर्वोदाहरण देना चाहता हूं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं नियम पढ़ चुका हूं। 20 मई 1976 को अध्यक्ष ने एक आदेश दिया था। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते समय कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री शाहनवाज़ खां एक सफेद फूलों का बिल्ला पहने थे। अध्यक्ष ने उनका ध्यान आकृष्ट करते हुये कहा:—

> "मेरे विचार में मंत्री महोदय किसी अधिवेशन से आये हैं। वे बिल्ला उतारना भूल गये। सदस्यों के कहने के बाद इसे उतारा जाना चाहिये था। श्री दीनेन भट्टाचार्य क्या सभा के अन्दर बिल्ला पहनने की अनुमति है।"

....**(व्यवधान)** आपके अन्दर सुनने का सामर्थ्य नही है। मैं कुछ और नही कह रहा। यहां कोई व्यवस्था नहीं है और आपके अंदर मुझे सुनने का सामर्थ्य नहीं है। **(व्यवधान)**

अब मैं अल्पसूचना प्रश्न लूंगा। श्री ओ० वी० अलगेसन, आप जो कुछ कहना चाहते हैं, उसे पूरा करें **(व्यवधान)**

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं आपको आश्वासन देता हूं **(व्यवधान)**

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह सब एकतरफा नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: मैं एकतरफा बात नहीं कर रहा। मैं यह सबके लिये कह रहा हूं। यह चर्चा का विषय नहीं है। मैं वही पढ़ रहा हूं जो पहले अध्यक्ष ने कहा है। अध्यक्ष ने कहा था कि व

उसे पीछे छोड़ना भूल गये । उसके बाद मंत्री ने क्षमा मांगी और बिल्ला उतार दिया । अब हम अल्पसूचना प्रश्न को लेते हैं ।

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): I am prepared to obey your direction. I respect you. The day I disobey your orders, I will leave the House in the interest of the nation. I would at the same time point out that a number of Members in the House are wearing black badges, red caps etc. etc. We are obeying your orders because it is not proper to demonstrate that here. Congress party is feeling jealous to see the crowd of 20 lakh people. I am taking it away while obeying your orders.

Shri Mani Ram Bagri (Mathura): ..... **

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अनुमति नहीं देता । अल्पसूचना प्रश्न ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

मिजोरम में फसल खराब होना

8. **डा० आर० रोथुआम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिजोरम में थिंगटम अकाल के कारण व्यापक क्षेत्र में फसल खराब होने के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त है ;

(ख) यदि हां, तो उस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं जिससे खाद्यान्न के लिये दंगों और भुखमरी को टाला जा सके, और

(ग) ऐसे दूर स्थस्थानों पर, जहां पैदल चलने के अतिरिक्त संचार का अन्य कोई साधन नहीं है, खाद्यान्न की कमी दूर करने के लिए क्या निश्चित कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) मिजोरम प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार थिंगटम के कारण मिजोरम के कुछ भागों में फसलों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है ।

(ख) (1) परिस्थिति का जायजा लेने तथा तकनीकी सलाह प्रदान करने के लिए इस वर्ष केन्द्र की ओर से विशेषज्ञों के 2 दल भेजे गए थे । प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत चालू वर्ष के बजट में पहले ही प्रदान किए गए 66.00 लाख रु० की रकम के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा 15.00 लाख रु० की रकम नियुक्त कर दी गई है ।

(2) वर्ष 1977–78 के दौरान कृन्तक समस्या का सामना करने हेतु 100 प्रतिशत के आधार पर वित्तीय सहायता के लिए मिजोरम सरकार के लिए 8.13 लाख रु० की एक केन्द्रीय योजना को स्वीकृति दी गई है । योजना के अंतर्गत 4.07 लाख रु० की अग्रिम धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
** Not recorded.

(3) चूहों का विनाश करने के लिए मिजोरम प्रशासन ने बड़े पैमाने पर उपाय किए हैं जिनमें चूहे मारने की दवाइयों का निःशुल्क वितरण, और उन्हें पकड़ने की सामग्री तथा चूहे मारने के लिए नकद पुरस्कार प्रदान करना शामिल है।

(ग) (1) खाद्यान्नों के बारे में मिजोरम प्रशासन की आवश्यकताओं को भारत सरकार द्वारा पूर्णरूपेण पूरा किया जा रहा है।

(2) स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पर्याप्त खाद्य सामग्री की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं। दूरस्थ स्थानों पर आवश्यक जिंसें पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।

डा० आर० रोथुआम : 1959 में हमें अन्न संकट का एक कटु अनुभव हुआ। उस समय की सरकारी रिपोर्टों से प्रतीत होता था कि अन्न की स्थिति अच्छी थी। इस समय भी मैंने इस मामले को अतारांकित प्रश्न द्वारा उठाया है जिसका उत्तर तथ्य से बहुत दूर है। दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों से मिली रिपोर्टों से पता लगा है कि अब भी अन्न संकट 1959 की तरह ही है। 1959 में दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के पास खाने के लिये कुछ नहीं और उन्होंने एक मिज़ो अकाल फ्रंट का गठन किया जिसका नेताओं ने शोषण किया और इस फ्रंट को मिज़ो राष्ट्रीय फ्रंट नाम देकर एक राजनैतिक संगठन में परिवर्तित किया गया। अतः उस समय की राजनैतिक उथल पुथल तत्कालीन सरकार के कुप्रबन्ध का परिणाम था। अब भी राज्य सरकार के कर्मचारियों ने जो रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं, वे स्थानीय लोगों द्वारा मुझे दी गयी रिपोर्टों से भिन्न नही है। दूरदराज के स्थानों में, जहां गाड़ियां नहीं जा सकती, अन्न नही है। मेरे भय का कारण यह है कि अब भी सरकारी रिपोर्टों के अनुसार अन्न की स्थिति अच्छी है लेकिन यह तथ्य से बहुत दूर हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्री सभा को आश्वासन देंगे कि वे उन क्षेत्रों जहां गाड़ियां नही जा सकती, में जहाज़ द्वारा खाद्यान्न गिराने के लिये निश्चित कदम उठायेंगे ताकि कोई भी भूख से न मरे और वहां रहने वाले समाज तथा राष्ट्रविरोधी तत्व, स्थिति का पुरुस्योग न करें?

श्री सुरजीत सिंह बरनाल: देश के उस भाग की स्थिति विचित्र है क्योंकि वहां पर हर 50 वर्ष के बाद चूहों की आबादी बांस में फूल आने पर तेज़ी से बढ़ती है। इस वर्ष भी इनकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। एक केन्द्रीय टीम तथा कुछ वैज्ञानिक भी वहां गये थे और उन्हें पता लगा कि चूहों की आबादी कई गुणा बढ़ रही है। सरकार के परामर्श से अनेक कदम उठाये गये। जैसे कि मेरे मित्र ने कहा कुछ क्षेत्रों में तो फसल बुरी तरह से नष्ट हुई है। उदाहरण के लिये लुंगलि क्षेत्र में तो फसल पूरी तरह से नष्ट हुई है। अर्थात् अगायी धान फसल 98 प्रतिशत तक नष्ट हुई है। बादकी धान की फसल भी 95 प्रतिशत तक नष्ट हुई है। सेहा और अजावल में भी ऐसा ही नुकसान हुआ है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैंने कहा कि फसलों पर प्रभाव पड़ा है और हम राज्य सरकार की सभी ज़रूरी मांगें पूरी कर रहे हैं। इन्होंने हवाई जहाज़ द्वारा अन्न गिराने की बात कही है। मैं अपने उत्तर में कह चुका हूं कि दूरदराज के इलाकों को अनिवार्य वस्तुयें भेजने के लिये उचित प्रबन्ध किये जा चुके हैं और यदि मेरे माननीय मित्र किसी ऐसे विशेष स्थान का नाम बताये जहां अन्न नहीं भेजा गया तो हम वहां भी अन्न भेजने की व्यवस्था करेंगे।

डा० आर० रोथुअम : जहां जहां अनाज नहीं भजा गया, मैं उन क्षेत्रों के नाम दूंगा, जैसे कि कृषि मंत्री ने कहा है । एजावल जिले के पश्चिमी भाग में, जहां जीप भी नहीं जा सकती, लोगोंके पास पर्याप्त खाद्यान्न नहीं है । चूंकि उन क्षत्रोंमें कोई सड़क नहीं, इसलिए लोगों को 20 मील दूर चल कर चावलकेकोंटे के लिये आना पड़ता है । चिमुतईपुई और लुंगाले जिलों के दूर दराज के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था बहुत विकट है ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है : क्या मंत्री महोदय इन गरीब लोगों को जो चावल नहीं खरीद सकत अकाल राहत अनुदान स्वीकृत करन के लिये ठोस कदम उठायेंगे ? सरकार अनाज भी उपलब्ध करे तो भी ये लोग खरीदने की सार्मथ्य नहीं रखते ।

क्या मंत्री महोदय बांस फूलने के कारणों का पता लगाने के लिये कोई वैज्ञानिक जांच शुरू करानेके लियेतैयारहैं? हर 50वर्षके बाद बांस फूलतेहैं । अगला अवसर 2001 तक आ सकता है। क या सरकारबांस फूलन के कारणों का पता लगान के लिए वैज्ञानिक जांच करने के लिये निश्चित कदम उठायेगी ताकि इसका स्थायी समाधान हो सके ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जैसा कि मैं कह चुका हूं एक केन्द्रीय टीम वहां गई थी । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने भी डा० ईश्वर प्रसाद नामक एक विशेषज्ञ को वहां भेजा है । उन्होंने वहां की स्थिति का अध्ययन किया उसके बाद श्री प्रसाद नामक एक अन्य वैज्ञानिक को भी समस्या का अध्ययन करने के लिये मिज़ोरम भेजा गया ।उन्होंने समस्या का अध्ययन किया। इस बारे में वैज्ञानिक जांच चल रही है क्योंकि यह बार बार हो रहा है । इसका इतिहास 1881 से चलता है । हर 50 वर्ष के वाद यह समस्या पैदा होती है और 18 वर्ष के बाद "मौतम" नामक एक अन्य इससे छोटी समस्या पैदा होतीहै और इससे बड़ी समस्या को "थिंगतुम" कहा जाताहै । हम इस समस्या का अध्ययन कर रहे हैं जैसे कि मेरे मित्र ने कहा एजावल ज़िले के कुछ क्षेत्रों में गाड़ियां नहीं जातीं । इनकी तथा लुंगलि जिले की समस्याओं पर विचार किया जा रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मिज़ोरमके लोगों का दुख उसी दिन शुरू हुआ जब देश का विभाजन हुआ था जिसके फलस्वरूप मिज़ोरम के लोग कट क देश से दूरहो गये । वहांकोईबाहर की दुनिया के साथ एक तरह से संचार कीकोईभी व्यवस्था नहीं है । साक्षरता प्रतिशत अधिक होने के कारण वहां बरोज़गारी की समस्या अधिक जटिल है । "थिंगतुम" नाम की समस्या हर 18 वर्ष के बाद पैदा होती है । इसी कारण 1959 में वहां अकाल की स्थिति पैदा हुई मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रीमहोदय इस बारे में क्या करने का विचार कर रहे हैं । वे निस्संदेह समूचो सरकार के मंत्री हैं । वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

MR. DEPUTY SPEAKER

क्या मिज़ोरम के प्रभावित क्षेत्रों को एक ही पेस्ट राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने तथा मिज़ोरम के अन्य क्षत्रोंमें "फूड फार वर्क प्रोग्राम" शुरू करने पर वे गम्भीरता से विचार कर रहे हैं ? इसके वाद ही समस्या का शीघ्र समाधान हो सकेगा ।

श्री सुरजित सिंह बरनाला : राज्य सरकार के अनुरोध पर मांगी गयी अन्न की यात्रा भेजी जा सक्ती है। जहां तक संचार व्यवस्था का प्रश्न है हमारी नीति देश के हर दूरदराज क्षेत्र में संचार व्यवस्था उपलब्ध करने की है। इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रो में सड़क निर्माण के लिये 20 करोड़ रुपये रख गये हैं। इस राशि में से मिज़ोरम के लिये भी राशि रखी गयी है। चूहों सम्बन्धी कार्यक्रम भी लागू किया जा रहा है जो सफल भी सिद्ध हुआ है। मुझे बताया गया है कि चूहों की आबादी कम हुई है और दस लाख पच्चीस हज़ार चूहे मारे गये हैं और लोगों को तीन लाख रुपये तक इनाम मिले हैं।

श्री चित्त बसु : मिज़ोरम क्षेत्र में अब तक हवाई जहाज़ द्वारा खाद्यान्न की कितनी मात्रा गिरायी गयी ? क्या सरकार को इस बात का पता है कि मिज़ोरम के लोगों के पास क्रय क्षमता नहीं है। इसबात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार एक ऐसा राहत कार्यक्रम चलाना चाहती है जिसके द्वारा लोगों को निःशुल्क अन्न उपलब्ध हो सके ताकि गरीब लोग भूख से न मरें।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: मांग प्राप्त न होने के कारण कोई भी खाद्यान्न हवाई जहाज़ द्वारा नहीं गिराया गया है। नुकसान के बारे में माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने 14000 टन चावल के नुकसान का अनुमान लगाया है। हम मिज़ोरम को 30000 टन चावल भेजते रहे हैं। लेकिन इस वर्ष हम 42000 टन चावल भेज रहे हैं।

श्री सौगत राय : मिजोरम में नौकरशाही ही राहत कार्य कर रही है। क्या सरकार वहां यथाशीघ्र लोकप्रिय सरकार स्थापित करने पर विचार कर रही है ताकि वह सरकार अकाल की स्थिति का समाधान अधिक अच्छे ढंग से कर सके ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: हमें अभी तक खाद्यान्न वितरण के बारे में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

लोह-अयस्क के निर्यात-लक्ष्य को कम करना

*536. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोह-अयस्क के निर्यात का लक्ष्य कम कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) निर्यात लक्ष्य में कमी करने का मुख्य कारण विश्व इस्पात उद्योग में भारी मंदी रही है।

लन्दन में भारतीय चाय की नीलामी पर प्रतिबन्ध

*537. **श्री शंकर सिंह जी० वाघेला :**
श्री अनन्त दवें :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय को विदेशी मुद्रा का विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार चाय की नीलामी की अनुमति केवल भारत में देने और भारतीय चाय की लन्दन में नीलामी पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्तावों की क्रियान्विति के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (ग). माननीय सदस्य का आशय संभवतः लोक लेखा समिति द्वारा कस्टम्स तथा प्राप्ति 77–78 के संबंध में उनकी 15वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश से है जिसमें पैरा 1.95 में समिति ने मंत्रालय से सिफारिश की है कि चाय को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के क्षेत्र में लाने के प्रश्न पर विचार किया जाये जिससे विदेशी मुद्रा की किसी हानि की गुंजाइश न रहे। यह रिपोर्ट अभी हाल में ही प्राप्त हुई है तथा संबंधित मंत्रालयों की सलाह से इसपर विचार किया जा रहा है । रिपोर्ट में, अन्य मामलों के साथ-साथ, लन्दन में नीलामी द्वारा भारतीय चाय की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की गई है । चाय के विपणन तथा अन्य संबंधित मामलों से संबंधित विभिन्न सिफारिशों पर विचार करने के लिये सरकार शीघ्र ही एक समिति नियुक्त करने जा रही है ।

एग्रीएक्सपो–77 में मंडप लगाने के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता

*538. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एग्रीएक्सपो–77 में मंडप लगाने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) जिन राज्यों ने अपने मंडप नहीं लगाए हैं, उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में क्या कारण बताये गये हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने मंडप लगाने के संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया था; यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी ?

वाणिज्य तथा नागरकि पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) जी हां । तदनुसार 16 राज्यों तथा 5 संघ राज्य क्षेत्रों ने इस मेले में भाग लिया ।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को अथवा संघ राज्य क्षेत्रों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई ।

विवरण

(क) 22 राज्यों तथा 9 संघ राज्य क्षेत्रों में से 16 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा 5संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप, गोआ, दीव तथा दमन, लक्षद्वीप, मिजोरम, पांडिचेरी ने एग्री-एक्सपो 77 में भाग लिया ।

(ख) भाग न लेने वाले 6 राज्य असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्म् तथा काश्मीर और त्रिपुरा थे तथा जिन चारसंघ राज्य क्षेत्रों ने भाग नहीं लिया वे थे, अरुणाचल, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा तथा नगर हवेली ।

बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश ने वित्तीय तथा बजट सम्बन्धी कठिनाइयों की वजह से भाग लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। दिल्ली प्रशासन ने बताया कि वह इसलिए भाग नहीं ले सका क्योंकि उसने अपने सभी साधन बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को ठीक करने की ओर लगा दिये थे । चंडीगढ़ प्रशासन ने कृषि के क्षेत्र में बहुत सीमित रूप से अन्तर्ग्रस्त होने की वजह से भाग लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त की । दादरा तथा नगर हवेली प्रशासन ने बताया कि वे इसलिये भाग नहीं ले सके क्योंकि वह एक छोटा राज्य क्षेत्र है। असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्म् तथा काश्मीर की सरकारों ने भाग लेने में अपनी असमर्थता के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताए ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में औद्योगिक कम्पनियों में किया गया पूंजी निवेश

*539. **श्री के० मालन्ना : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्री द्वारा हाल ही में कोई ऐसा वक्तव्य दिया गया था कि विदेशी कम्पनियों ने भारत में औद्योगिक एककों में 1800 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई है और प्रतिवर्ष वे लाभ के रूप में 90 करोड़ रुपय की विदेशी मुद्रा का प्रत्यावर्तन कर रही है ; और

(ख) क्या सरकार इन विदेशी कम्पनियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार के अन्तिम निर्णय की घोषणा कब तक की जायगी?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) जी, हां। 31 मार्च, 1973 की स्थिति के अनुसार देश में गर-सरकारी क्षेत्र में किए गए निजी निवेश की बकाया राशि 1800 करोड़ रुपए थी और वर्ष 1970–71 से 1974–75 तक प्रतिवर्ष विदेशी कम्पनियों द्वारा भेजी गई रकमों का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिखाया गया है। भेजी गई रकमों में न केवल लाभ और लाभांशों की रकमें शामिल हैं बल्कि उनमें सहयोग करारों के अन्तर्गत रायल्टी और तकनीकी जानकारी की फीस और विदेशी ऋणों पर ब्याज की रकमें भी शामिल हैं।

(ख) वर्तमान कम्पनियों (अर्थात् 31–12–1973 की स्थिति के अनुसार) के संबंध में निदेश ज़ारी किए गए हैं जिनमें कहा गया है कि वे विदेशी शेयरधारिता के स्तर को 40 प्रतिशत या 51 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत तक कम करें। यह स्तर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 के प्रशासन के लिए जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत उनके क्रियाकलाप के स्वरूप और किस्म पर निर्भर होगा। शेयरधारिता को कम करने की प्रक्रिया पर प्रगति हो रही है। विदेशी कम्पनियों द्वारा नए पूंजी निवेश के संबंध में सरकार की नीति चयनात्मक है और इसकी अनुमति राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर दी जाती है। इस प्रकार के पूंजी निवेश की अनुमति केवल उन क्षेत्रों में दी जाती है जिनमें उत्कृष्ट प्रोद्योगिक की जरूरत है अथवा प्रमुखरूप से निर्यात प्रधान-उद्यमों के लिए दी जाती है।

विवरण

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा 1970–71 से 1974–75 की अवधि के दौरान लाभों, लाभांशों रायल्टियों, तकनीकी जानकारी और ब्याज अदायगी के कारण भेजी गई रकमें —

लाख रुपए

	1970–71	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75
लाभ †	1312	994	1554	2191	719
लाभांश †	4348	3887	3908	3751	1846
रायल्टियां	523	586	733	621	846
तकनीकी जानकारी	2063	1390	1133	1408	1256
गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा ब्याज की अदायगी	1280	1213	1560	1627	3670

† तेल कम्पनियों की दशा में सम्मिलित रकमों का सबंद्ध प्रेषणायोग्य राशियों से है, वास्तविक रूप में प्रेषित राशियों से नहीं।

Sterilisation of Employees in the Ministry of Commerce and its subordinate Offices and Departments

*540. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that employees working in his Ministry, its subordinate offices and Departments were induced for undergoing seterilisation operations during the emergency;

(b) the number of employees who underwent sterilisation operations during this period; and

(c) whether Government will conduct an enquiry into the fact that official pressure was also exercised on the employees for undergoing such operations?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) No evidence is available to that effect.

(b) 23.

(c) Does not arise.

उड़ीसा राज्य में विदेशी पर्यटकों का आगमन

*541. **श्री के० प्रधानी:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में विदेशी पर्यटन यातायात में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भारत पर्यटन विकास निगम ने राज्य में अधिक सुविधायें देने के लिये कोई प्रस्ताव तैयार किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) पर्यटकों के आंकड़े राज्यवार अथवा स्थान वार आधार पर नहीं रखे जाते हैं । इ सलिय उड़ीसा की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या की जानकारी नह हैं । तथापि 1972–73 में किये गये सैम्पल सर्वे से पता लगता है कि भारत की यात्रा करने वाले कुल विदेशी पर्यटकों में से 1.4% ने पुरी की यात्रा की । कोणार्क की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक तो 1% से भी कम होंगे । 1976–77 के "विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण" के निष्कर्षों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है । इसके प्राप्त हो जाने पर यह ज्ञात होगा कि पुरी और कोणार्क की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है अथवा घटी है

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम ने भुवनेश वर में यात्री लाज के विस्तार पर पहले ही कार्य शुरू कर दिया है जिससे वतमान 12 कमरों (24 शय्याओं) में 24 और कमरों (48 शय्याओं) की वृद्धि हो जायगी । इसके अतिरिक्त भारत पर्यटन विकास निगम भुवनेश्वर में एक परिवहन यनिट का भी परिचालन कर रही है जिसमेंएक लग्ज़री कार, दोएम्बैसेडर कारें और एक बड़ी कोच शामिल है ।

निधियों के उपलब्ध होने और व्यवाहार्यता अध्ययन के सन्तोषजनक होने की स्थिति में भारत पर्यटन विकास निगम का अगली पंचवर्षीय योजना में पुरी में एक होटल बनाने का प्रस्ताव है ।

टाटा तथा बिरला फर्म समूहों पर कर की बकाया राशि

*542. **श्री कचरूमल हेमराज जैन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) टाटा फर्म—समूह तथा (दो) बिरला फर्म—समूह पर आयकर, धनकर आदि की कितनी राशि बकाया है ;

(ख) उन पर ये कर कब से बकाया है ;

(ग) उन्हें वसूल न करने के क्या कारण है ; और

(घ) उनसे ये कर कब वसूल किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) बिरला समूह की 65 कम्पनियों से 31 अक्तूबर, 1977 को सकल आयकर की 791 लाख 98 हजार रुपये की मांगें बकाया थी। तदनुरूपी शुद्ध बकाया की रकम 161 लाख 39 हजार रुपये थी।

जहां तक टाटा समूह का सम्बन्ध है, सभी कम्पनियों के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1 दिसम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार 9 कम्पनियों से सकल आयकर की 87 लाख 86 हजार रुपये की मांग बकाया थी। तदनुरूपी शुद्ध बकाया की रकम "कुछ नहीं" थी।

30 सितम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक मामले में 25,000 रुपये से अधिक की धनकर की बकाया के सम्बन्ध में इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिरला समूह की एक कम्पनी की तरफ 61,000 रूपये की धनकर की मांग बकाया थी। 30 सितम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार टाटा घराने से सम्बन्धित कसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान की तरफ 25,000 रुपये से अधिक की धनकर की मांग बकाया नहीं थी। 30 सितम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार इन दोनों घरानों से सम्बन्धित किसी भी अव्यवपारिक प्रतिष्ठान की तरफ 25,000 रुपये से अधिक की दान कर की मांग बकाया नहीं थी।

(ख) जिन तारीखों से ये कर बकाया है उनके सम्बन्ध में ठीक-ठीक सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) : मांग अदा नहीं किए जाने के कुछ मुख्य कारण ये थे :

(i) अपील में विवादग्रस्त करो की वसूली के विरुद्ध स्थगन आदेश की मंजूरी;

(ii) उपयुक्त मामलो में कर की अदायगी के लिए किस्तों की मंजूरी और

(iii) परिसमपनाधीन कुछ कम्पनियों के मामले में परिसमापक के समक्ष दावों का अनिर्णीत पड़ा रहना।

दूसरे मामलों में, प्रत्येक मामले की वस्तुस्थिति पर निर्भर करते हुए आयकर की शीघ्रता से वसूली करने के लिए सम्बन्धित आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार समय-समय पर उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात लक्ष्य में कमी

*543. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने इस वर्ष के निर्यात लक्ष्योंमेंकमी कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

जी हां । चालू वर्ष के लिये निर्यात लक्ष्य मूल बजट में रखे गये 785 करोड़ रु० से घटा कर संशोधित बजट में 667 करोड़ रु० कर दिया गया है जो कि पिछले वर्ष के वास्तविक लक्ष्यों के बराबर है। जिन मुख्य मदों में लक्ष्य कम किये गये हैं, वे हैं : चीनी, चांदी, सीमेंट, सिलेसिलायें परिधान, चपड़ा तथा आर्मी साफ्टवेयर ।

चीनी के मामले में, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के बहुत कम होने से सरकार द्वारा उसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण तथा साथ ही घरेलू खपत के लिये अधिक मात्रा में चीनी उपलब्ध करने के लिए भी लक्ष्य में संशोधन करके उसे कम कर दिया गया है ।

घरेलू उपलब्धता में सुधार करने के लिये सीमेंट के निर्यात पर जो प्रतिबन्ध सरकार ने लगाया है, उसे ध्यान में रखते हुए राज्य व्यापार निगम ने सीमेंट के निर्यात के लक्ष्य में कमी की है ।

चांदी, सिलेसिलाये परिधान, आर्मी साफ्टवेयर तथा चमड़े के निर्यात लक्ष्योंमें अनेक कारणों से मामूली कमी की गई है जैसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के कोटा प्रतिबंध सिलेसिलाये परिधानों के संबंध में अधिक खरीद की स्थिति, तथा आर्मी साफ्टवेयर के मामले में मध्य-पूर्व में संश्लिष्ट वैकल्पिक वस्तुओं से कड़ी प्रतियोगिता और चमड़े के मामले में थाइलैंड द्वारा लाखदाने का आयात निर्यात ।

उपरोक्त मदों के लक्ष्यों में कमी करने के बावजूद निगम को आशा है कि वह काफी, पटसन माल, अरण्डी के तेल आदि के संबंध में लक्ष्य बढ़ाकर तथा टेपिओका चिप्स, शुष्क खुम्भी आदि जैसी नई मदों के निर्यात आरम्भ करके पिछले वर्ष के निर्यातस्तर को प्राप्त कर लेगा । निर्यात निष्पादन की क्वालिटी पिछले वर्ष की अपेक्षा बेहतर होगी क्योंकि ऐसी योजना है कि गैर-मार्गीकरण मदों के निर्यात बढ़ा कर 1977–78 में 250 करोड़ रु० कर दिए जायें जबकि 1976–77 में इनके निर्यात 160 करोड़ रु० के हुए थे ।

Supply of Literature to Passengers in Aeroplanes in Languages other than English

*544. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the literature given to the passengers in the aeroplanes is in English and the persons speaking other languages are deprived of it; and

(b) if so, the scheme of Government to ensure that all the passengers make use of the literature equally?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) and (b). No, Sir. Besides literature in English, Air-India and Indian Airlines provide on board literature in other foreign and Indian languages also.

Expansion of banking facilities in backward regions of Madhya Pradesh

*545. **Shri Surya Narain Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government are formulating a scheme regarding expansion of banking facilities in backward regions particularly in Madhya Pradesh;

(b) if so, the details thereof; and

(c) when the scheme is likely to be implemented?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a), (b) & (c). While no specific scheme as such has been formulated for expansion of banking facilities in backward regions, banks have been advised to ensure that each of the unbanked Community Development Blocks in the country is provided with at least one bank branch by June 1978. Banks have also been advised to give priority to the opening of branches at unbanked block headquarters and at unbanked rural centres in districts which do not have adequate rural and semi-urban branches in relation to the population to be served. This approach is expected to lead to expansion of banking facilities in backward regions.

In Madhya Pradesh there were, as at the end of November 1977, 86 unbanked blocks. Licences in respect of 67 blocks have been issued to the banks. The question of opening branches in the remaining 19 blocks is being pursued by the Reserve Bank of India with the banks.

पेंशनरों को राहत

*546. **श्री अमृत कासर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1973 और 1 नवम्बर, 1977 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था ;

(ख) 1 अप्रैल, 1973 से 1 नवम्बर, 1977 की अवधि में लागत सूचकांक में 16 अंकों की वृद्धि के आधार पर पेंशनरों को राहत की कितनी किश्तें देय हो गई ;

(ग) अब तक राहत की कितनी किश्तें अदा की जा चुकी हैं और यदि देय हों तो कितनी अदा किए जाने का विचार है ; और

(घ) राहत की और किस्तों के भुगतान के लिए यदि कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) मार्च, 1973 के अन्त में अखिल भारतीय कर्मचारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) 216 था और बारह महीने का औसत 206.66 था। नवम्बर, 1977 के सूचकांक अभी उपलब्ध नहीं है। अक्तूबर, 1977 को समाप्त होने वाले महीने के नवीनतम आंकड़े 330 हैं और बारह महीने का औसत 317.08 है।

(ख) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार औसत सूचकांक में प्रत्येक 16 अंकों की वृद्धि के लिए राहत की एक किस्त के आधार पर पेंशनरों को 1-4-73 से 1-11-77 तक की अवधि में राहत की सात किस्तें देय हो गई है ?

(ग) पेंशनरों को देय राहत की सभी सात किस्तें मंजूर कर दी गई है

(घ) सवाल नहीं उठता ।

उद्योगों को ऋण मंजूर करने के लिए वित्तीय संस्थानों लिए नये मार्गदर्शी सिद्धान्त

*547. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को उद्योगों को ऋण मंजूर करने के लिए नए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). सरकार ने वर्ष 1977-78 के लिये, अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं के आन्तरिक उपयोग के लिये संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त यह सुनिश्चित करने के वास्ते जारी किये है कि परियोजनाओं के निमित्त मंजूर की गयी वित्तीय सहायता, समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं ।

मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें जिससे कि उद्योगों के बीच प्राथमिकता का भी पता चलता है, निम्नलिखित हैं :—

(1) वित्तीय संस्थाओं को नयी परियोजनाओं अथवा परियोजनाओं के विस्तार के लिये सहायता मंजूर करते समय वित्तपोषित परियोजनाओं में रोजगार की सम्भावनाओं पर अनिवार्य रूप से विचार करना चाहिए तथा ऐसी परियोजनाओं में रोजगार बढ़ाने, स्वचालित और पूंजी बहुल प्रक्रियाओं के स्थान पर श्रमिक बहुल प्रक्रियाओं को स्थापित करने की सम्भावना पर अनिवार्यतया ध्यान देना चाहिए ।

(2) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काफी मात्रा में ऋण ग्रामीण तथा ग्राम उद्योगों तथा उन परियोजनाओं के विकास के लिए उपलब्ध कराया जाये जहां लाभ का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों को जाता हो ।

(3) घरेलू लागतों तथा मूल्यों को कम करने की आवश्यकता को देखते हुए, वित्तीय संस्थाओं को उत्पादन की लागत की तुलना, उन्हीं वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से करनी चाहिए तथा गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, घाटे की तथा ऊंची लागत वाली क्षमताओं को स्थापित होने से रोकना चाहिये ।

भारतीय वाणिज्यिक प्लाईवुड का निर्यात

*548. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बाजार में मांग में कमी होने के कारण वर्ष 1977-78 के दौरान भारतीय वाणिज्यिक प्लाईवुड के निर्यात में वृद्धि की सम्भावना को बड़ा धक्का पहुंचा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). वाणिज्यिक एवं सजावटी दोनों प्रकार के प्लाईवुड के निर्यातों में अप्रैल से अक्टूबर तक के चालू वित्तीय वर्ष के पहले 7 महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है । फिर भी, वाणिज्यिक प्लाईवुड के निर्यात इस अवधि के दौरान कोरिया गणराज्य, ताईवान, मलेयेशिया, सिंगापुर तथा जिनकी कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं, से कड़ी प्रतियोगिता के कारण कम हुए हैं ।

2. अतः यह प्रतीत होगा कि निर्यातों में कमी का कारण मांग में मंदी नहीं है, बल्कि इसका कारण अन्य स्रोतों से प्रतियोगिता है ।

Demand for Indian Crude Drugs and Herbs in Foreign Countries

*549. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether there is a great demand for Indian crude drugs and herbs in various foreign countries;

(b) if so, the name of those countries; and

(c) the names of the exportable herbs and crude drugs?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) Yes, Sir. The exports have gone up from Rs. 3.63 crores in 1963-64 to Rs. 28.8 crores during 1976-77.

(b) United States of America, West Germany, Japan, France, Switzerland and United Kingdom are the major importers of Indian crude drugs and medicinal herbs.

(c) Isapgol, Senna leaves and pods, Vinca Rosea (Catharanthus roseus), Tukmaria and Zedovary are the major items of export from India.

Development of Chakarbhatha Aerodrome in Madhya Pradesh

*550. **Shri Govind Ram Miri:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether there is a scheme to develop Chakarbhatha aerodrome of an important place of Madhya Pradesh such as Bilaspur and extend Delhi-Raipur air services up to Bilaspur;

(b) if so, by what time; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There has been no request for scheduled or non-scheduled operation to Bilaspur either by Indian Airlines or by any non-scheduled operator.

विश्व बाजार में सिले-सिलाये वस्त्रों की मांग में कमी

4895. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बाजार में सिले-सिलाये वस्त्रों की मांग में कमी हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने सिले-सिलाये वस्त्र कारखानों में नियुक्त कर्मचारियों की ओर ध्यान दिया है जिनके कारण कुशल कर्मचारियों ने भी कारखानों में, विशेषकर दिल्ली में उचित रुचि नहीं दिखाई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने भारत में निर्मित सिले-सिलाये वस्त्रों को लोकप्रिय बनाने और कारखानों में नियुक्त कर्मचारियों की दैनिक मजूरी में सुधार करने के लिये क्या प्रयास किये हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). सरकार सिले-सिलाये परिधानों के व्यापार की प्रवृत्तियों के विषय में जागरूक है तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बदलते हुए फैशनों, प्रवृतियों, डिज़ाइनों के सम्बन्ध में जानकारी देकर तथा विशिष्ट वस्त्रों तथा पहनावों सम्बन्धी मेलों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेकर निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा भारतीय सिले-सिलाए परिधानों को लोकप्रिय बनाने के लिये इस सम्बन्ध में सभा में 15 दिसम्बर, 1977 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4161 के उत्तर में संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री द्वारा दिल्ली में सिले-सिलाए परिधानों की फैक्टरियों के कर्मचारियों की समस्याओं पर दिये गये विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

सरसों के तेल का वसूली मूल्य

4896. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली वनस्पति तेल व्यापारी एसोसियेशन ने सरसों के तेल का वसूली मूल्य निर्धारित करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) जी नहीं । इसके विपरीत, दिल्ली वनस्पति तेल व्यापारी एसोसियेशन ने एक अभिवेदन में कहा था कि सरकार द्वारा सरसों के तेल का नियत किया गया मूल्य ढुलाई अन्तर राज्य बिक्री कर तथा दूसरे खर्चों के कारण शायद खपत केन्द्रों के लिए व्यवहार्य नहीं होगा ।

सरसों के तेल का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य करों को मिला कर परन्तु टीन के मूल्य को छोड़ कर 10 रुपये प्रति किलोग्राम नियत करते समय सभी आवश्यक बातों को ध्यान में रखा गया था। उच्चतम न्यायालय ने भी 30-9-77 के सरसों का तेल (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1977 की वैधता का अनुमोदन किया है ।

जीवन बीमा निगम के यूनिट एम्पायर आफ इंडिया द्वारा दिये गये ऋण की वसूली

4897. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम्पायर आफ इण्डिया, जो अब जीवन बीमा निगम का यूनिट है, ने वर्ष 1952-53 में श्री चात्तू राम भादानी को लगभग 4.5 लाख रुपये का ऋण दिया था;

(ख) क्या बम्बई और पटना उच्च न्यायालयों के इन आदेशों के बावजूद कि ऋण वापिस किया जाय और ऐसा न किये जाने की स्थितिमें उसकी सम्पत्ति कुर्क की जाये, उसने अभी तक ऋण नहीं लौटाया है;

(ग) क्या न्यायालयों के आदेश के अनुसरण में झुमरीतलैय्या में एक मकान की सार्वजनिक नीलामी की गईथी और स्वयं जीवनबीमा निगम ने उसे वर्ष 1965 में ले लिया था;

(घ) क्या न्यायालयों के आदेशों का आज तक पालन नहीं हुआ है और न जीवन बीमा निगम ने उक्त मकान को अपने कब्जे में लिया है और न सम्बन्धित व्यक्ति के दांव पेंच के कारण यह ऋण वसूल किया जा सका है;

(ङ) क्या श्री चात्तू राम तथा अन्य लोग बिना किराया दिये अभी भी वहां रह रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) झुमरीतलैय्या के अभ्रक व्यापारी श्री चात्तू राम भादानी को एम्पायर आफ इंडिया यूनिट द्वारा अप्रैल/मई 1950 में 2,40,000 रुपए का बंधक ऋण दिया गया था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) न्यायालय के आदेश के अनुसार सम्पत्ति की आम नीलामी की गई थी और जब बाहर किसी व्यक्ति ने बोली नहीं लगाई तो 1966 में स्वयं जीवन बीमा निगम ने इसे खरीद लिया ।

(घ) नीलामी बिक्री के अनुसरण में जीवन बीमा निगम द्वारा हजारी बाग अदालत के सामने शुरू की गई निष्पादन कार्रवाई में निर्णीत ऋणदाता द्वारा विभिन्न कानूनी मुद्दे उठा कर रुकावट खड़ी

की गई। जब हजारी बाग अदालत ने कब्ज का आदेश पास कर दिया जो निर्णीत ऋणदाता ने पटना उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। जब अपील का फैसला 1974 में जीवन बीमा निगम के पक्ष में हो गया तो निर्णीत ऋणदाता ने जीवन बीमा निगम द्वारा सम्पत्ति का कब्जा लिए जाने में अड़चनें पैदा कर दी। अतः कब्जा लेने में अदालत की सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन से जीवन बीमा निगम ने हजारी बाग अदालत से प्रार्थना की। अदालत ने सशस्त्र पुलिस दल के साथ निष्पादन मजिस्ट्रेट और अदालती नाजर की तैनाती की। इनके साथ जीवन बीमा निगम के स्थानीय कार्यालय के वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक और सहायक शाखा प्रबन्धक तथा जीवन बीमा निगम के अन्य कर्मचारी 29 जुलाई 1977 को सम्पत्ति का कब्जा लेने के लिए गये लेकिन उन्हें निर्णीत ऋणदाता के लोगों की बड़ी भीड़ द्वारा की गई हिंसात्मक कार्रवाई को देखते हुए वापस आना पड़ा। जीवन बीमा निगम ने एक बार फिर हजारीबाग अदालत में याचिका दी है जिसमें अदालत को और सहायता देने और इस मामले में आदेश देने की प्रार्थना की गई है। निष्पादन कार्रवाई बहुत लम्बी हो जाने के कारण ण की वसूली अभी तक निलम्बित है।

(ङ) जी, हां।

(च) जीवन बीमा निगम सम्पत्ति का कब्जा लेने के प्रयोजन से नए आदेश जारी कराने के लिए हजारीबाग अदालत द्वारा कार्रवाई किये जाने के लिए कदम उठा रहा है। जीवन बीमा निगम ने इस मामले में आवश्यक सहायता के लिए 9 दिसम्बर, 1977 को बिहार सरकार को भी लिखा है।

पूरी और कोणार्क को पर्यटन केन्द्र घोषित करना

4898. **श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पुरी और कोणार्क प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जो न केवल भारतीय अपितु विदेशों के पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष विदेशों के कितने यात्री पुरी और कोणार्क गाड़ी और सड़क परिवहन से जाते हैं; और

(ग) सरकार पुरी और कोणार्क को पर्यटन केन्द्रों के रूप में कब घोषणा करना चाहती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) 1972–73 में किये गये विदेशी पर्यटकों के "सेम्पल सर्वे" से पता लगता है कि भारत यात्रा करने वाले कुल विदेशी पर्यटकों में से 1.4 प्रतिशत ने पुरी की यात्रा की। कोणार्क की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक तो 1 प्रतिशत से भी कम होंगे। 1976–77 के "विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण" के निष्कर्षों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। इसके प्राप्त हो जाने पर यह ज्ञात होगा कि पुरी और कोणार्क की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है अथवा घटी है। इस बात के आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं कि कितने पर्यटक पुरी की सड़क और रेल से यात्रा करते हैं और कितने सड़क कोणार्क जाते हैं।

(ग) ऐसी कोई पद्धति नहीं है जिसके द्वारा स्थानों का पर्यटक केन्द्र घोषित किया जाता है। इनके विकास के लिये चयन इन बातों पर आधारित होता है, जैसे उनका पर्यटकों के लिये आकर्षण,

वहां के लिये वर्तमान पर्यटक यातायात, उनकी पर्यटकों को आकर्षित करने की सम्भावनाएं, उन तक पहुंचने की सुविधा, क्या व पर्यटक यात्रा सर्किट पर स्थित हैं, क्या वहां आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं इत्यादि । पुरी और कोणार्क पहले से ही सुप्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र हैं ।

'कोफपोसा' के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति

4899. **श्री एस० एम० सोमानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'कोफपोसा' के अधीन इस समय कुछ व्यक्ति गिरफ्तार हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उनकी संख्या क्या है; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति आपात-स्थिति के दौरान गिरफ्तार किये गये थे और कितने आपात स्थिति के बाद ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) जी, हां । 17-12-77 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अन्तर्गत, विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये नजरबन्दी आदेशों के अनुसरण में, 182 व्यक्ति वस्तुतः नजरबन्द थे । राज्य-वार स्थिति निम्नानुसार है:—

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या
1.	दिल्ली	3
2.	गोआ, दमण और दीव.	8
3.	गुजरात	85
4.	जम्मू और कश्मीर	1
5.	कर्नाटक	18
6.	महाराष्ट्र	35
7.	पंजाब	4
8.	तमिलनाडु	12
9.	उत्तर प्रदेश	8
10.	पश्चिमबंगाल	7
11.	केन्द्रीय सरकार	1
		182

(ग) 17 दिसम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार वस्तुतः नजरबन्द 182 व्यक्तियों में से 79 व्यक्ति, आपात स्थिति (अर्थात् 25 जून, 1975 से 20 मार्च 1977) के दौरान नजरबन्द किये गये थे और 103 आपात स्थिति उठा लिये जाने के बाद नजरबन्द किये गये थे ।

अंतर्राष्ट्रीय एजन्सियों से प्राप्त सहायता में राज्यों का अंश

4900. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों और अन्य देशों से विशिष्ट परियोजनाओं के लिये प्राप्त सहायता का 25 प्रतिशत अंश राज्य सरकारों को दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं में उपयोग करने हेतु समूची सहायता राज्य सरकारों को क्यों नहीं दी जाती;

(ग) क्या परियोजना की 75 प्रतिशत लागत राज्य सरकार को सामान्य योजना निधियों से पूरी करनी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों/अन्य देशों द्वारा वित्त पोषित बहुत सी परियोजनाओं को धन के अभाव में उचित रूप से निष्पादित नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अपनी नीति में परिवर्तन करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां । राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और अन्य विदेशी अभिकरणों से प्राप्त वित्तीय सहायता का 25 प्रतिशत भाग राज्यों की योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में निर्धारित किया जाता है ।

(ख) चूंकि विदेशी अभिकरणों से प्राप्त साधन समूची अर्थ व्यवस्था के लाभ के लिए होते हैं, इसलिए विदेशी सहायता साधनों के केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत आती है, लेकिन चूंकि अन्य बातों के साथ साथ, राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं अपेक्षाकृत कम समय में पूरी करनी होती हैं, इस लिए जैसा कि उपर्युक्त पराग्राफ (क) में बताया गया है, उन्हें अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने का फैसला किया गया ।

(ग) जिन परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता का प्रस्ताव होता है उनका स्थान आम तौर से राज्यों की अपनी प्राथमिकताओं में काफी ऊंचा होता है और इसलिए सामान्यतया उनका वित्त प्रबन्ध राज्यों के सामान्य आयोजना साधनोंमें से किया जाना चाहिए लेकिन पैरा (ख) के उत्तर में बताई गई स्थिति को देखते हुए, भारत सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय किया है ।

(घ) परियोजनाओं के लिए विदेशी वित्तीय सहायता, रकम खर्च देने और उसके लिए दावा पेश किए जाने के बाद ही प्राप्त होती है। यद्यपि इनमें से कुछ परियोजनाओं की प्रगति कार्यक्रम के अनुसार नहीं है लेकिन इसके बहुत से कारण हो सकते हैं जिनमें राज्यों द्वारा कभी कभी बजट में अपर्याप्त रकम की व्यवस्था किया जाना भी एक है ।

(ङ) इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कि राज्य सरकारें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में पूरा पूरा सहयोग दें और विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा अन्य विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को निश्चित अवधि में पूरा करने के कार्यक्रम के लिए व्यवस्था करने के काम में राज्य सरकारोंके बजट सम्बन्धी साधनों पर कम दबाव पड़े, यह निश्चय किया गया है कि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता वर्तमान स्तर से बढ़ा कर 70 प्रतिशत तक कर दी जाए ।यह व्यवस्था चालू और नई दोनों किस्म की परियोजनाओं के लिए केवल 1978–79 के लिए लागू होगी और उसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी ।

विभिन्न करों की राज्यों सेएकत्र की गई और उन्हें दी गई कुल राशि

4901. **श्री चित्ता बसु:** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य से आय की कुलकितनी राशि एकत्रकी गई और उन्हें कितनी राशि लौटाई गई;

(ख) प्रत्येक राज्य से अन्य नियमित करों की कुल कितनी राशि एकत्र की गई और उसमें से राज्यों को कितनी राशि दी गई; और

(ग) गत पांच वर्षों केदौरान प्रत्येक राज्य से धन कर की कुल कितनी राशि एकत्र की गई और प्रत्येक राज्य को कितनी राशि लौटाई गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) :(क) और (ख) वसूल किये गये आयकर की रकम के सम्बन्ध में सूचना आय कर विभाग द्वारा राज्यवार नहीं रखी जाती है, लेकिन, इस प्रकार की सूचना आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों के अनुसार उपलब्ध है गत पांच वर्षों में अर्थात् 1972–73, 1973–74, 1974–75, 1975–76 और 1976–77 के दौरान आयकर की अधिकार क्षेत्रवार वसूलियां, जिसमें निगम-कर भी शामिल है, अनुबन्ध 'क' में दी गई हैं। उक्त वित्तीय वर्षों के दौरान आय-कर के राज्यों को दिये गये हिस्से की रकमें अनुबन्ध 'ख' में दी गई हैं । निगम-कर राज्यों को नहीं दिया जाता है ।

(ग) वसूल किये गये धन-कर के सम्बन्ध में सूचना आय कर विभाग द्वारा राज्यवार नहीं रखी जाती है ।लेकिन, इस प्रकार की सूचना धन-कर आयुक्त के अधिकार क्षेत्रों के अनुसार उपलब्ध है । गत 5 वित्तीय वर्षों में अर्थात 1972–73, 1973–74, 1974–75, 1975–76 और 1976-77 केदौरान,धन-करकी अधिकार क्षेत्र-वार वसूलियां अनुबन्ध 'ग'में दी गई हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सख्या एल० टी० 1451/71] धन-कर राज्यों को नहीं दिया जाता है ।

चिदम्बरन की पर्यटन क्षमता

4902. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में चिदम्बरम की पर्यटन-क्षमता में सुधार करने के लिए क्या ठोस उपाय किये गये हैजो नटराज के सर्वोत्कृष्ट मन्दिर के लिए प्रसिद्ध है; और

(ख) वहां पर्यटन सुविधायें देने के लिए अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और अग्रेक्षतर पूंजी-निवेश के लिए क्या भावी योजनाहै ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कोशिक) : (क) और (ख) तमिलनाडु में चिदम्बरम में पर्यटक सुविधाओं के विकास पर केन्द्रीय सैक्टर में कोई व्यय नहीं किया गया है क्योंकि केन्द्रीय सैक्टर में अब तक मद्रास, महाबलिपुरम,मदुरै, तिरुचिरापल्ली, तनजौर कांचीपुरम, रामेश्वरम, कन्या कुमारी, कोडैकनाल तथा ऊटाकमण्ड में पर्यटकों के लिये सुविधाओं के विकास पर बल दिया जाता रहा है ।

दिल्ली स्थित चेफयेर के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल

4903. **श्री माधवराव सिंधिया:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित चेफेयर के कर्मचारियों ने प्रबन्धकों तथा सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी मांगें क्या है;

(ग) क्या दिल्ली स्थित चेफ्येर के कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों का समाधान करवाने के लिए 10 नवम्बर, 1977 से भूख हड़ताल आरम्भ की है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में प्रबन्धकों और भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) :(क) जी, हां ।

(ख) यूनियन कीये मांगें है:--

(i) दो प्रात:, दो उत्तराहण, दो रात और एक साप्ताहिक अवकाश की वर्तमान कार्य प्रणाली के स्थान पर दो प्रात:, दो उत्तराहण और दो रात और दो अवकाश (एक रात्रि अवकाश और एकअतिरिक्त साप्ताहिक अवकाश) की "शिफ्ट प्रणाली" पर कार्य ।

(ii) भर्ती और पदोन्नति के नियमों को लागू करना ।

(iii) दिवाली त्यौहार के लिये "शिफ्ट कूपन" जारी करना ।

(iv) (गाड़ी चालकों) (vehicle drivers) और प्रिसैटिंग स्टाफ presetting staff के लिये उचित और समतुल्य ग्रेड वेतन लागू करना ।

(v) डेली वेज स्टाफ (daily wage staff) का नियमित करना और समान कार्य के लिए समान वेतन की अदायगी ।

(vi) कर्मचारियों के वेतनढांचे व अनुषंगी लाभों का पुनरीक्षण ।

(vii) शेफेयर, दिल्ली के प्रबन्ध में कार्मिकों (workers) द्वारा साझेदारी की प्रणाली चालू करना ।

(ग) जी, हां । यूनियन ने 11 नवम्बर, 1977 से "बारी बारी से भूख हड़ताल" शुरू कर दी और 11 दिसम्बर, 1977 तक, जब तक कोई समझौता नहीं हो गया, जारी रखी ।

(घ) प्रबन्धक वर्ग और एयर इण्डिया होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया एम्प्लाईज़ यूनियन के बीच 11 दिसम्बर, 1977 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें यूनियन की सब मांगें शामिल थीं सिवाय दिवाली त्यौहार के गिफ्ट कूपनों की मांग (जो यूनियन ने छोड़दी) और वेतनढांचे और अनुषंगी लाभों के पुनरीक्षण की मांग वर्तमान और नए समझौते मई, 1979 तक वैध होंगे । परन्तु, शिफ्ट ढांचे पर कार्य संचालन के बारे में 1 जनवरी, 1978 तक से दो वर्ष की अवधि के लिये सहमति हुई है।

सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा विदेशी पूंजी निवेश

4904. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितनी विदेशी पूंजी का निवेश किया और निवेश की वर्तमान नीति क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार अपनी विदेशी पूंजी निवेश नीति में कोई परिवर्तन करने का है और यदि हां, तो वे क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1973 (सबसे नवीनतम अवधि जिसके लिए पक्के अनुमान उपलब्ध है) को गैर-सरकारी विदेशी पूंजी निवेश का कुल बकाया रकम लगभग 1800 करोड़ रुपए थी । विदेशी पूंजी की निवेश के सम्बन्ध में सरकार की नीति चयनात्मक है । विदेशी पूंजी निवेश का विनियमन इस प्रकार किया जाता है ताकि वह बड़े राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं की पूर्ति कर सके । साधारण तौर पर इस को उन क्षेत्रों में अनुमति दी जाती है जिन का सम्बन्ध उच्च प्रौद्योगिकी और निर्यात प्रधान उद्यमों से है ।

विदेशी सहयता का देश में आना और राष्ट्रीय संसाधनों का देश से बाहर जाना

4905. **श्री ए० के० राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में कितनी विदेशी सहायता आई है और ब्याज, लाभांश तथा पुनः अदायगी के रूप में कितने राष्ट्रीय संसाधन देश से बाहर गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि स्वदेशी जानकारी को प्रोत्साहन देकर अधिकांश विदेशी सहायता को टाला जा सकता था; और

(ग) देश कब तक पूरी तरह से विदेशी सहायता लेना बन्द कर देगा और आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, जिसमें 1971–72 से 1975-76 के दौरान प्राप्त विदेशी सहायता के आंकड़े, और ब्याज, लाभांशों और वापसी अदायगी के रूप में बाहर भेजे गए राष्ट्रीय संसाधनों के आंकड़े दिए गए है ।

(ख) जी, नहीं । विदेशी सहायता, कम साधन वाली अर्थव्यवस्था में साधन उपलब्ध कराती है, जो घरेलू साधनों की अनुपूर्ति करते है । यदि हमारे पास तकनीकी जानकारी हो तो भी हम उसका उपयोग संसाधनों के अभाव में नहीं कर सकते ।

(ग) नई योजना में, जो अब बनाई जा रही है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के हमारे उद्देश्य को पुनः परिभाषित किया जाएगा ।

विवरण

(करोड़ रुपए)

	विदेशी सहायता का संवितरण		ऋण परिशोधन	निजी क्षेत्र में विदेशी निवेश पर लाभांश और ब्याज	
		वापसी अदायगियां	ब्याज की अदायगी	लाभांश	ब्याज
1971--72	834.1	299.3	180.0	38.87	12.18
1972–73	666.2	327.00	180.4	39.08	15.60
1973--74	999.3	399.9	195.9	37.51	16.27
1974–75	1337.4	411.0	215.0	18.46	36.70
1975–76	1839.0	462.7	223.6	12.60 (अप्रैल-सितम्बर, 1975)	13.69 (अप्रैल-सितम्बर 1975)

Raids in Delhi During Emergency

4906. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether action in respect of all the premises in Delhi raided during the emergency has since been completed;

(b) whether cases in respect of some premises are still pending in the Ministry or in its respective Departments;

(c) whether Government have made their policy clear in respect of raids conducted on the premises of some persons without any reason during the emergency; and

(d) the time by which the pending cases are likely to be disposed of?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) to (d). Action in respect of all the premises raided in Delhi during the emergency is yet to be completed. Every effort is being made to expedite completion of the action expeditiously and for the disposal of the pending cases as soon as possible. Powers to authorise searches under the various acts implemented in this Ministry have been vested in officers of sufficiently high levels to ensure that this power is exercised judiciously, and where found necessary, instructions are issued to see that searches are not under taken indiscriminately.

बिहार में पूर्णिया जिले के पोठिया ब्लाक केमुख्यालय में स्टेट बैंक की शाखा खोलना

4907. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पूर्णिया जिले का पोठिया ब्लाक मुख्यालय एक बड़ा व्यापार केन्द्र हैऔर उक्त स्थान से काफी आय प्राप्त होती है;

(ख) क्या स्टेट बैंक आफइण्डियाकाविचारवहां स्थित अपने वेतन कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर शाखा कार्यालय करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और वह अपना कार्य कब से आरम्भ करने लगेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) (ख) और (ग). बिहार के पूर्णिया जिले में सामुदायिक विकास खण्ड का मुख्यालय, पोठिया बैंक रहित सूचित किया गया है । परन्तु भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इसका एक उप-कार्यालय [अदायगी कार्यालय (पे आफिस) नहीं] इसी नाम के एक दूसरे स्थान पर है जो पहले पूर्णिया जिले में था परन्तु अब कटिहार जिले मे है । बैंक ने यह भी सूचित किया है कि इसके वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार इस स्थान के बैंकिंग आवश्यकतायें इसके उप-कार्यालय द्वारा पर्याप्त रूप से पूरी की जा रही हैं और इस उप-कार्यालय को शीघ्र पूर्णशाखा में परिवर्तित करने का उसका कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आई० टी० सी०, ग्लैक्सो और रैकेट्ट कोलमैन को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी ट्रेड मार्क का प्रयोग जारी रखने की अनुमति

4908. **श्री भारत सिंह चौहान:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्याआई० टी० सी०, ग्लैक्सो और रैकेटट कोलमैन ने भारत मेंऐसी कम्पनियों को इक्विटी शेयर जारी किये हैं जिनके कार्यालय विदेशों में हैं ताकि उनके ट्रेड मार्क का प्रयोग किया जा सके ;

(ख) क्या उन्होंने विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत विदेशी ट्रेड मार्क का प्रयोग किया जा सके; जारी रखने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या निकले ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) आई० टी० सी० और रैकेट्ट कोलमैनने ट्रेड मार्कों के प्रयोग के लिए प्रधान कम्पनियों (प्रिंसिपल्स) को कोई शेयर जारी नहीं कियेहैं । ग्लैक्सो लैबोरेटेरीज़ लिमिटेड ने अपनी यूनाइटेड किंगडम स्थित प्रधान कम्पनी को पहली मार्च, 1947 को 1.5 करोड़ रुपए के मूल्य के शेयर जारी किये हैं । उस समय न तो धनराशि प्रेषित करने के लिए और न ही अनिवासियों को शेयर जारी करने के लिए सरकार की अनुमति लेने की जरूरत थी ।

(ख) और(ग). विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा 28 के उपबन्ध लागू नहीं होते क्योंकि ट्रेड मार्क पर स्वामित्वाधिकार होता है और यह ग्लैक्सो लैबोरेटेरीज़ लिमिटेड के स्वामित्व में है ।

विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन सहायता के बारे में समाचार पत्रों के लिये सामग्री हेतु सम्पादकों तथा पत्रकारों के दल का दौरा

4909. **श्री राजकेशर सिंह** :क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, यूरोप, आस्ट्रेलिया तथा जापान के कुछ प्रमुख समाचार-पत्रों के सम्पादकों एवं वरिष्ठ पत्रकारों के विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित एक दल ने भारत को मिलने वाली विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन सहायता की मात्रा तथा उसके कार्यक्षेत्रों और भारत द्वारा प्रदर्शित आत्मसहायता के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समाचारपत्रों में प्रकाशनार्थ सामग्री एकत्रित करने हेतु हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां,तो उक्त दल ने सिंचाई, कृषि, ग्रामीण विकास, लघु तथा कुटीर उद्योगों एवं नगरीय विकास के क्षेत्र में किन-किन परियोजनाओं का दौरा किया; और

(ग) उक्त दल की इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) दल ने कृषि क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश की नागार्जुनसागर परियोजना, कर्नाटक डेरी विकास, और कृषि तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कर्नाटक राज्य की कर्नाटक कृषि बिपणन परियोजनाओं, पश्चिम बंगाल राज्य के कलकत्ता में कलकत्ता महानगरीय विकास परियोजनाओं और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में तमिलनाडु राज्य के मद्रास में मद्रास महानगरीय विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत योजनाओं को देखा । इसके अतिरिक्त इस दल ने कलकत्ता, मद्रास और हरियाणा राज्य मेंपानीपत में छोट और कुटीर उद्योग एककों का भी दौरा किया । कर्नाटक राज्य में बंगलौर के निकट रेशमी वस्त्र फार्म और कृषि ऋण समिति तथा हरियाणा राज्य के करनाल में गोबर गैस संयंत्र को भी इस दल ने देखा ।

(ग) इस दौरे से दल के सदस्यों को यह जानने का मौका मिला कि विश्व बैंक/ अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है और भारत स्वयं पर कितना निर्भर करता है । आशा है कि दल के सदस्य लेख प्रकाशित करके अपने देशों के पाठकों को बतायें कि विकास सहायता कार्यों का भारत में कितना प्रभाव पड़ा है । अतः लेख प्रकाशित होने पर ही प्रतिक्रिया मालूम हो सकेगी ।

Construction of Rope-way in Nainital

4910. **Shri Bharat Bhushan**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the provision for expenditure to be incurred on the construction of the proposed rope-way in Nainital and the reasons for delay in starting the construction work thereon?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): The Central Department of Tourism has no proposal for the construction of rope-way in Nainital, hence, the question of provision of expenditure or delay in starting the construction work does not arise.

It is understood that the construction of a ropeway in Nainital is being taken up by the Kumaon Development Corporation which has initiated action on a technical survey of the ropeway project. The Government of Uttar Pradesh has sanctioned a loan of Rs. 1 crore to the Corporation for this project.

P.M.'s Visit to Soviet Union

4911 **Shri O. P. Tyagi**:. Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether during Prime Minister's visit of Soviet Union, he has had some talks on trade also; and

(b) if so, the decisions taken mainly in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Beg): (a) and (b). During his visit to USSR in October, 1977, the Prime Minister did not have talks on trade with Soviet leadership. However, the questions of Indo-Soviet trade exchanges and economic cooperation were discussed at the level of officials and the gist thereof is contained in

paragraphs 16, 18. 19 and 20, in the Joint Declaration issued at the conclusion of the visit. The Joint Declaration was placed on the Table of the House on 14th November, 1977.

राजस्व विभाग को केन्द्रीय राजभाषा सेवा के संयुक्त संवर्ग से अलग करना

4912. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय के चार विभागों में से राजस्व विभाग को, निहित स्वार्थों के कहने पर, केन्द्रीय राजभाषा सेवा के प्रस्तावित संयुक्त संवर्ग से बाहर निकाला जा रहा है हालांकि उक्त निर्णय से प्रभावित होने वाले कर्मचारी उक्त सेवा में शामिल होने के पक्ष में हैं तथा यह कहा जाता है कि इस विभाग ने उक्त सेवा में शामिल न होने का निर्णय आपात स्थिति के दौरान और सम्बन्धित कर्मचारियों से सलाह लिए बिना एवम् उनके हितों का कोई भी ध्यान रखे बिना ही किया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय के क्या कारण थे और अब इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) मामले पर अभी भी विचार किया जा रहा है ।

(ख) वह प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा ग्रामीण नल-जल सप्लाई योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम से मांगा गया ऋण

4913. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने 1872 लाख रुपए की लागत वाली सभी 584 ग्रामीण नल-जल सप्लाई योजनाओं के लिए अगस्त, 1977 में जीवन बीमा निगम से ऋण मांगा है ;

(ख) इसके लिए राज्य सरकार को कितने ऋण की जरूरत है ;

(ग) क्या इन योजनाओं की प्रगति मुख्यत: इस बात पर निर्भर करती है कि जीवन बीमा निगम कितना शीघ्र उक्त ऋण प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी देता है ; और

(घ) उक्त मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी,हां। इन 584 योजनाओं पर कुल 3108 लाख रुपए के खर्च का अनुमान है ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने इन योजनाओं के लिए 936 लाख रुपये के ऋणों की मांग की है । इन योजनाओं के लिए कुल 1554 लाख रुपए के ऋण की आवश्यकता होगी ।

(ग) और (घ): चालू वर्ष के दौरान जीवन बीमा निगम ने महाराष्ट्र राज्य में जल पूर्ति और मलनिकासी योजनाओं के लिए अपने बजट में 800 लाख रुपए की व्यवस्था की है। इस 800 लाख रुपए में से 449 लाख रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और चालू योजनाओं के लिए लगभग 150 लाख रुपए के ऋण के संवितरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। जीवन बीमा निगम ने शेष 200 लाख रुपए नई योजनाओं पर खर्च करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए निगम ने राज्य सरकार को अपेक्षित सूचना देने का अनुरोध किया है।

चालू और नई योजनाओं के लिए ऋणों की मंजूरी देते समय जीवन बीमा निगम उन चालू योजनाओं को तरजीह देता है, जिनके लिए निगम पहले ही ऋण दे चुका हो, ताकि चल रही इन योजनाओं पर कोई बुरा असर न पड़े और ये योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो जाएं।

सहकारी समितियों के राज्यस्तरीय संगठन के निर्वाचित प्रबन्धक बोर्ड का अधिक्रमण किया जाना

4914. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति, और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी समितियों के राज्यस्तरीय संगठन के निर्वाचित प्रबन्धक बोर्ड का व्यापक अधिक्रमण किया गया है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी सहकारी समितियों का अधिक्रमण किया गया ;

(ग) उनका अधिक्रमण करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) ऐसी समितियों के विकास और कार्य पर उनका अधिक्रमण किए जाने का क्या प्रभाव पड़ा ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (घ). राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Construction of Civil Aerodrome in Gangtok (Sikkim)

4915. **Shri Raghavji:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that none of the places in Sikkim finds place in the air-map of India;

(b) if so, whether Government propose to provide facilities of air-travel to the passengers by constructing a civil aerodrome in Gangtok or in any place there and the time by which this facility would be made; and

(c) what are the hurdles in making an early provision therefor and the steps being made by Government to remove these hurdles?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. There is no proposal at present to construct an aerodrome in Gangtok or elsewhere in Sikkim.

(c) Construction of an aerodrome involves investment of a few crores of rupees and such investment should be justifiable in the context of traffic potential.

Export of Wheat Bran

4916. **Shri H. L. P. Sinha:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been pressing demand from a larger number of exporters for release of ceiling for the export wheat bran;

(b) whether such exporters have produced valid evidence of firm contract/ Letters of Credit for the orders from the buyers abroad;

(c) whether the Government are aware of the large stocks of wheat bran lying unlibted particularly in South India and the damage/loss being caused thereto due to long term stocking;

(d) whether it is fact that by the delay in releasing the ceiling there is a chance for heavy loss in foreign exchange earnings apart from hardship to the exporters/stockists; and

(e) whether Government will take immediate steps to release at least 10 to 15 thousand tonnes of wheat bran for export?

The Minister of state in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) & (b). Certain exporters have been asking for release of an additional quota of wheat bran and some of them had also produced evidence in support of demand from abroad.

(c) and (d). Some of Roller Flour Mills and their Associations have represented about accumulation of socks of wheat bran which could be exported.

(e) Export quota is authorised after due consideration of relevant factors like availability of export surplus, the internal price level etc. No decision has yet been taken about the release of an additional quota of wheat bran for export.

बैंक आफ बड़ौदा द्वारा स्वीकृत कृषि सम्बन्धी प्रस्ताव

4917. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बैंक आफ बड़ौदा ने एक लाख और एक लाख रुपए से अधिक कीमत के कितने कृषि सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीकृति दी ;

(ख) बैंक को गत तीन वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों से सम्बन्धित एक लाख और पांच लाख रुपये से अधिक कीमत के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये और उनका भविष्य क्या है ;

(ग) कार्य कर पूंजी, रहन, कच्चे माल की गिरवी आदि के लिए धनराशि देने हेतु क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं ; और

(घ) कितने मामलों में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के मार्गदर्शीय सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया और किन किन परिस्थितियों में ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जिस रूप में सूचना मांगी गयी है बैंक उस ढंग से सूचना नहीं रखता है ।

(ग) बैंक आफ बड़ौदा द्वारा कृषि विषयक अग्रिमों के लिये कार्यकारीपूंजी सम्बन्धी ऋण प्रदान करने के सम्बन्ध में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नलिखित है :—

	दृष्टि बन्धक रखकर	गिरवी रखकर
(+) मार्जिन	25%	25%
(+) मंजूर सीमा (लिमिट) तक ब्याज दर 10,000 रुपये तक	11% वार्षिक	11% वार्षिक
10,001 रुपये से 50,000 तक	13.½% वार्षिक	13.½% वार्षिक
50,000 रुपये से अधिक	15%	15%

(+) वस्तुओं पर चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन निहित निदेशों के अध्याधीन और दोनों में जो भी अधिक हो ।

छोटे/सीमांतिक किसान विभेदी ब्याज दर (डी आर आई) योजना के अन्तर्गत 4 प्रतिशत पर ऋण पाने के पात्र है ।

(घ) बैंक ने अपनी शाखा को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये जिन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कडाई से अनुपालन करने के आदेश दिये हैं और अब तक किस तरह के उल्लंघन की सूचना नहीं मिली है ।

SC./ST. Employees working in International Airport Authority, New Delhi Office.

4918. **Shri Mahi Lal**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the total strength of employees, category-wise and postrevise in the New Delhi Office of the International Airport Authority of India and the number, among them, of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees separately category-wise and post-wise;

(b) whether the quota reserved for these castes has been completed in all the categories and if not, the reasons therefor and the special steps being taken to complete the same and the number of reserved posts against which employees of other castes Hindus are working;

(c) whether it is a fact that scheduled caste and scheduled tribe employees there are being victimised and harassed in many ways and when there are chances of promotion, their confidential reports are spoiled or the period of their probation is extended; and

(d) the number of sases of such victimisation and the remedial action being taken by Government?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) A statement showing the total strength of SC/ST employees, categorywise and post-wise in the Headquarters Office of the International Airports Authority of India is enclosed (Annexure I). [*Placed in the Library. See* No. LT—1452/77].

(b) There is shortfall in the quota of representation of SC/ST candidates due to the fact that when the Authority was created in 1972, most of the posts were filled by Government employees on deputation, who were later absorbed in the International Airports Authority of India. The International Airports Authority of India are taking steps to make up the shortfall of Scheduled Tribe candidates in all Classes of posts and of Scheduled Caste candidates in Classes I, II and III posts. There is no shortfall in the representation of Scheduled Castes in Class IV posts. At present, 43 posts at the Headquarters Office, reserved for SC/ST candidates are lying vacant. Out of these, 9 posts have been filled on ad hoc basis by others.

SC/ST candidates are geing given relaxation in respect of age, experience, etc. while making recruitment and promotions.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

बैंक आफ बड़ौदा के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक की विदेश यात्रा

4919. **श्री गोविन्द मुण्डा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बैंक आफ बड़ौदा के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक ने कितनी बार विदेश यात्रा की ; उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या था और यह बैंक के विकास तथा प्रगति से कहां तक सहायक हुई ; और

(ख) क्या यह सच है कि वह आपात स्थिति के दौरान किन्हीं उच्च अधिकारियों के कहने पर विदेश गये थे ; यदि हां, तो उनकी यात्रा की ब्यौरेवार पृष्ठभूमि क्या है ; उनकी यात्रा के दौरान उन्हें क्या सुविधायें प्रदान की गई और उसके परिणास्वरूप कौनसी योजनायें स्वीकार की गई ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान (22 दिसम्बर, 1977 तक) बैंक आफ बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने 6 बार विदेश यात्रा की। बैंक ने सूचित किया है कि उनकी ये यात्रायें निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये थीं:—

(1) यूनाइटेड किंगडम में कावेन्ट्री और इलफोर्ड, यूनाइटेड अरब अमीरात में शरजाह, ओमन में मुत्रा और बेलि जयमा में ब्रूसेल्स में बैंक की विदेशी शाखायें खोलने के लिये,

(2) बैंक की विदेशी शाखाओं के कारोबार के बारे में विदेशी मौद्रिक प्राधिकारियों, सम्वाददाताओं और महत्वपूर्ण ग्राहकों से विचार विमर्श,

(3) भारतीय रिजर्व बैंक और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के औपचारिक समूह की, स्टर्लिंग टी कम्पनियों विषयक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिये, इस समूह से भाग लेने के वास्ते, और

(4) भूतपूर्व राजस्व और बैंकिंग मंत्री की अध्यक्षता में कुवैत, दुबई और आबूधाबी को जाने वाले भारतीय शिष्ट मंडल के साथ जाना ।

2. इस बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा विदेश यात्री बैंक के कारोबारी हितों को बढ़ावा देने के प्रयोजन से की गई थीं और बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ये उद्देश्य पूर्णतया सफल रहा। सरकार को इस बात का कोई पता नहीं है कि इस अधिकारी की इस प्रकार की यात्राओं के बारे में किन्हीं उच्च पदस्थ व्यक्तियों ने प्रेरणा दी थी और इन प्रयोजनों के लिये जो सुविधाएं सामान्यत: दी जाती हैं, उनसे अधिक कोई सुविधाएं प्रदान की गयी थीं ।

संगठित क्षेत्र से बैंक आफ बड़ौदा को वित्त के लिए प्राप्त प्रस्ताव

4920. **श्री नटवर लाल बी० परमार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में संगठित क्षेत्र से बैंक आफ बड़ौदा को वित्त के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये ;

(ख) इनवर्षों के लिए औद्योगिक रुप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए इस बैंक ने कितने वित्त का नियतन किया और उदयमकर्त्ताओं को वस्तुत: कितना वित्त उपलब्ध किया गया ;

(ग) इस अवधि के दौरान बैंक की प्राप्त ऋण आवेदनपत्रों का ब्यौरा क्या है, उन पर क्या कार्यवाही की गई, कितने आवेदनपत्रों को अन्तिम रूप दिया गया, कितने मामलों में वित्त में कमी की गई, उसके क्या कारण थे और अनिर्णीत मामलों की क्या स्थिति है ; और

(घ) कार्यकारीपूंजी, सांविधिक ऋण और बन्धकीकरण से प्राप्त ऋण के लिए वे ब्याज की क्या दर वसूल कर रहे हैं और औद्योगिकदृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए ब्याज की दर से इसकी क्या तुलनात्मक स्थिति हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : आंकड़े सूचित करने की वर्तमान प्रणाली में उस प्रकार की सूचना की व्यवस्था नहीं है जिसे माननीय सदस्य ने मांगी है ।

(ग) और (घ) : यथा सम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

पूंजीगत वस्तुओं के आयात को उदार बनाने का निर्णय

4921. **श्री वयालार रवि :**
श्री डी० अमात :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूंजीगत वस्तुओं के आयात को उदार बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस प्रकार के निर्णय का सरकारी क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफबेग) : (क) तथा (ख) : उत्पादन तथा निर्यात के हित में पूंजीगत माल के आयातों को उदार बनाने के लिये कुछ उपाय चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पहले ही घोषित कर दिये गये है । उदार बनाने के लिये और उपाय विचाराधीन हैं ।

(ग) जी नहीं ।

आयकर विभाग में अतिलंघित हेड क्लर्क

4922. **डा० बल्देव प्रकाश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) आयकर आयुक्त, पटियाला, रोहतक, जालन्धर और अमृतसर के नियंत्रण में आयकर विभाग के कुल कितने हैड क्लर्कों को जून, 1977 में शिमले में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैक द्वारा अतिलंघन किया गया ;

(ख) विभागीय पदोन्नति समिति को बैठक शिमले में करने के क्या कारण हैं ;

(ग) अतिलंघित किये गये हैड क्लर्कों के नाम क्या हैं और क्षेत्र के विकल्प के अनुसार उनको क्रमांक संख्या कितनी हैं और अपने वरिष्ठ सहयोगियों को छोड़ कर बिना पारी के सुपरवाइजर के पद के लिये स्वीकृत/नियुक्त हुए व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(घ) पदोन्नति के विरुद्ध श्रेणीवार कुल कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए और क्या आयकर विभाग संघ ने भी अभियान किया है; और उन के अभ्यावेदनों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार विभागीय पदोन्नति समिति को गठन प्रणाली को समाप्त करने का है?

वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) और (ख) : एक विवरण पत्र (अनुबन्ध—1) संलग्न है जिसमें उन 61 प्रधान लिपिकों के नामों का वरिष्ठता के क्रम में उल्लेख है जिन पर पर्यवेक्षक (ग्रेड—II) के पदों पर पदोन्नति के लिए चयन हेतु जून, 1977 में शिमला में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति में विचार किया गया था । विभागीय पदोन्नति समिति

द्वारा किए गए योग्यतानुसार क्रमाकरण (मेरिट ग्रेडिंग) के आधार पर, समिति द्वारा 29 प्रधान लिपिकों की एक चयन सूची तैयार की गई थी । चयन सूची में शामिल किये गये प्रधान लिपिकों में से शुरू के 27 प्रधान लिपिकों की अब पदोन्नति कर दी गई है और उनके नामों का एक विवरण पत्र (अनुबन्ध–II) भी संलग्न है । उन के नाम उसी क्रम में हैं जिसमें उनका, अपनी योग्यतानुसार क्रमीकरण के आधार पर, पदोन्नति के लिये चयन किया गया था । चयन सूची के शेष भाग को अभी गोपनीय समझा जाना है और यह अनुभव किया जाएगा कि जब तक विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हो जाती है, ऐसा इसे प्रकट करना लोकहित में वांछनीय नहीं होगा ।

(ख) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शिमला में हुई थी क्योंकि चार सदस्यों में से तीन सदस्यों ने, जिनमें समिति का अध्यक्ष भी शामिल है, शिमला के दौरे पहले से ही तय कर रखे थे जो, अन्य सरकारी कार्य करने के लिए उनके अपने क्षेत्राधिकारों के अन्तर्गत आता था । दूसरे सदस्य अर्थात् आयकर आयुक्त, अमृतसर को अपने सरकारी कार्यों के सम्बन्ध में अम्बाला आना ही था ।

(घ) सामान्य श्रेणी के छः प्रधान लिपिकों और अनुसूचित जाति के दो प्रधान लिपिकों ने आयकर आयुक्तों को अभ्यावेदन दिये थे । इन अभ्यावेदनों पर अब सावधानीपूर्वक विचार कर लिया गया है और आयुक्तों ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया है । पंजाब, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, पटियाला के आयकर श्रेणी–III कर्मचारी संघ ने इस मामले में कोई अभ्यावेदन नहीं किया है ।

(ङ) जी, नहीं । योग्य अधिकारियों के सेवा रिकार्डों द्वारा यथाप्रदर्शित कार्यों के वस्तुगत निर्धारण के आधार पर विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार कि गयी सिफारिशों के अनुसार पदोन्नति के लिए अधिकारियों के चयन का मौजूदा ढंग न्यायोचित और माकूल समझा जाता है ।

विवरण 1

पर्यवेक्षक (ग्रेड–II) के पदों पर पदोन्नति करने के संबंध में चयन करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा जिन प्रधान लिपिकों के नामों पर विचार किया गया था उनके नामों को वरिष्ठता के अनुसार दर्शाने वाला विवरण पत्र :

क्र०सं०	नाम	क्र०सं०	नाम
1	श्री शेख गुलाम अहमद	8.	श्री रखा राम
2.	श्री गुरदीप सिंह	9.	श्री मोहिन्द्र सिंह
3.	श्री ओम प्रकाश	10.	श्री हरभजन सिंह
4.	श्री बोध राज	11.	श्री एम० एल० कोहली
5.	श्री सी० एल० अग्रवाल	12.	श्री एन० एस० सरन
6.	श्री आर० पी० सहौर	13.	श्री रत्तन सिंह
7.	श्री सूरज मणि	14.	श्री देश राज जैन

क्र०सं०	नाम	क्र०सं०	नाम
15.	श्री एम० एल० नायर	39.	श्री राम दास
16.	श्री लाल चन्द	40.	श्री जनक राज धीर
17.	श्री रणबीर सिंह	41.	श्री दौलत सिंह
18.	श्री जयनारायण गुप्ता	42.	श्री आर० एन० डोगरा
19.	श्री जोगिन्द्र सिंह	43.	श्री हरदयाल सिंह
20.	श्री शक्ति चन्द्र	44.	श्री बी० एल० भाटिया
21.	श्री बी० आर० कालिया	45.	श्री शम्शेर सिंह
22.	श्री जी० सी० कपूर	46.	श्री उपकार सिंह
23.	श्री मस्तू सिंह	47.	श्री मथुरा दास
24.	श्री विशम्भर दास	48.	श्री जगत राम
25.	श्री वकील सिंह	49.	श्री गुरबचन सिंह
26.	श्री जी० पी० चावला	50.	श्री मेवाराम
27.	श्री हवा सिंह	51.	श्री गुरदेव सिंह
28.	श्री पी० एन० कपूर	52.	श्री सुखदेव सिंह
29.	श्री पूरन सिंह चौधरी	53.	श्री गिरधारी लाल
30.	श्री जुगल किशोर	54.	श्री बी० आर० एल० निरोला
31.	श्री एस० पी० भाटिया	55.	श्री जोगिन्द्र सिंह
32.	श्री करतार सिंह खादम	56.	श्री पी० वेः० पुरी
33.	श्री वासदेव	57.	श्री चमनलाल
34.	श्री आर० पी० महाजन	58.	श्री रुस्तम सिंह
35.	श्री उज्जल सिंह	59.	श्री दुरदास राम
36.	श्री प्रद्युम्न सिंह	60.	श्री रूपलाल सबोत्रा
37.	श्री बलदेव सिंह	61.	श्री ओ० पी० वैद
38.	श्री चूनी लाल		

विवरण–II

29 प्रधान लिपिकों में से, पदोन्नति के लिए चयन करने की दृष्टि से सम्बन्धित व्यक्ति की योग्यता के अनुसार स्थान के आधार पर चयन सूची में शामिल किये गये प्रथम 27 प्रधान लिपिकों के नामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

चयन सूची में क्रम संख्या	नाम	विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष विचार के लिए रखी गई सूची में क्रम सं०
1	2	3
1.	श्री सूरज मणि	7
2.	श्री रखा राम	8
3.	श्रीएन० एस० सरन	12
4.	श्रीएम० एल० नायर	15
5.	श्री बी० आर० कालिया	21
6.	श्रीज्ञान चन्द कपूर	22
7.	श्रीजी० पी० चावला	26
8	श्रीपी० एन० कपूर	28
9.	श्री करतार सिंहखादम	32
10.	श्री जनक राज धीर	40
11.	श्री आर० एन० डोगरा	42
12.	श्रीबी० एल० भाटिया	44
13.	श्री ओंकार सिंह	46
14.	श्री जगत राम	48
15.	श्री जोगिन्द्र सिंह	55
16.	श्री पी० के० पुरी	56
17.	श्री रुस्तम सिंह	58
18.	श्री शेख गुलाम अहमद	1

1	2	3
19.	श्री गुरदीप सिंह	2
20.	श्री ओम प्रकाश	3
21.	श्री बोध राज	4
22.	श्री सी० एल० अग्रवाल	5
23.	श्री आर० पी० सहार	6
24.	श्री हर भजन सिंह	10
25.	श्री एम० एल० कोहली	11
26.	श्री रतन सिंह	13
27.	श्री देश राज जैन	14

अनुशासनहीनता के कारण इंडियन एयरलाइन्स को हानि तथा इसकी उड़ानों में विलम्ब

4923. **श्री के० लक्कप्पा:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एयरलाइन्स में व्याप्त अनुशासनहीनता के क्या कारण हैं जिसके कारण उसे हानियां हो रही हैं और उड़ानों मे विलम्बहो रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): यह कहना सही नहीं है कि इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों में सामान्यतया अनुशासनहीनता व्याप्त है । तथापि कर्मचारियों के कुछ वर्गों में श्रमिक असन्तोष के कुछ मामले रहे हैं । असन्तोष के मुख्य कारण ये हैं :—

1. एयर कारपोरेशन यूनियन में, जो 10,000 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा;
2. पेमेंट आफ बोनस एक्ट, 1965 के उपबंधों के अनुसार परिकलित न्यूनतम 8.33 प्रतिशत के विपरीत 20 प्रतिशत एक्सग्रेसिया बोनस की अदायगी की मांग;
3. दो तकनीशियनों के मुअत्तिली के आदेशों को वापस लेने की मांग;
4. वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी को, जिसने एक चपरासी को कारपोरेशन की कुछ खान-पान सामग्री के साथ पकड़ा था, इस आधार पर मुअत्तिल करने की मांग, कि उसने चपरासी को मारा था;
5. समयोपरि भत्ते के बदले छुट्टी के संबंध में कुछ परिवर्तन, और अधिक स्टाफ, बचाव वस्त्र तथा अन्य छोटीमोटी समस्याओं के बारे में मांग, तथा
6. शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या को बनाए रखने की मांग ।

Sudden Decision to purchase of Air Buses

4924. **Shri Ram Naresh Kushwah:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news item appearing under the caption "Teen Air Bus Kharidne Ka faisla achanak hua" (decision to purchase three Air Buses made all of a sudden) on page 9 or Nav Bharat Times dated the 3rd April, 1977; and

(b) if so, the facts in that regard?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) Yes, Sir.

(b) The press report is factually incorrect. The proposal submitted by Indian Airlines was approved by Government is accordance with the prescribed procedures which include consultation with the Ministry of Finance and the Planning Commission and after discussion by the Public Investment Board.

सिंडीकेट बैंक द्वारा साज-सज्जा कार्य के लिये मैसर्स वी०एन०एण्ड कम्पनी को ठेके

4925. **श्री एस० ननजाश गौडा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंडीकेट बैंक ने मैसर्स वी० एन० एण्ड कम्पनी नामक अन्तरंग साज-सज्जा करने वाली एक फर्म का कुछ समय पूर्व साज-सज्जा कार्य के लिये बड़े ठेके दिये थे; यदि हां, तो सिंडीकेट बैंक ने उक्त फर्म को कुल कितनी राशि के ऐसे सब ठेके/कार्य दिये; और

(ख) क्या श्रीमती वसन्ती माजश्वर मैसर्स वी० एन० एण्ड कम्पनी से उसके मालिक/साझीदार के रूप में सम्बद्ध थी और क्या सिंडीकेट बैंक ने उचित टैंडर आमन्त्रित किये बिना उक्त फर्म को ठेके दिये थे ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) सिंडीकेट बैंक ने सूचित किया है कि एक फर्निशर्स और इंटीरियर डिकोरेटर्स मैसर्स वी० एन० एण्ड कम्पनी को बैंक की विभिन्न शाखाओं की सजावट करने का ठेका दिया गया था। इसके द्वारा 1967–70 की अवधि के दौरान 17.80 लाख रुपये मूल्य के आदेश पूरे किये गये थे।

(ख) श्रीमती वसन्ती मन्जश्वर इस वी० एन० एण्ड कम्पनी की मालिक (प्रोप्राइटर) थीं। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उस समय ऐसे काम के लिए टैंडर मंगाने की उसके यहां प्रथा नहीं थी। अलबत्ता, बैंक के अनुसार, फर्म को मंजूर की गयी दरें उस प्रचलित दरों की तुलना में काफी प्रतिस्पर्धात्मक थीं।

भारत में स्थित सम्पत्तियों तथा अन्य स्रोतों से आगा खां की वार्षिक आय

4926. **श्री डी० डी० देसाई:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में स्थित सम्पत्तियों तथा अन्य स्रोतों से आगा खां की वार्षिक आय कितनी है और इसमें से कितनी आय विदेश में उनको भेजने की अनुमति दी जाती है; यदि नहीं, तो कैसे

और कितनी राशि का अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है और क्या गत वर्ष के दौरान उक्त राशि के किसी भाग का उपयोग किसी दल के लिये राजनीतिक चन्दे के रूप में किया गया है ; और

(ख) क्या आगा खां का आगामी जनवरी में भारत आने का कार्यक्रम है ; क्या वह सरकारी अतिथि के रूप में आ रहे हैं और यदि हां, तो उन्हें उक्त नियंत्रण देने की क्या कसौटी है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) सूचना उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) आगा खां का जनवरी, 1978 में निजी दौरे पर भारत आने का कार्यक्रम है । उनके दिल्ली में ठहरने के दौरान वे विगत परिपाटी के अनुसार, भारत सरकार के अतिथि होंगे ।

मोकालबाड़ी कनोई टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा भारी धनराशि का अन्तरण

4927. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मोकालबाड़ी कनोई टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता तथा इसकी कम्पनियों के समूह ने निदेसकों सहित बिना किसी वैध प्राधिकरण के और लन्दन स्थित अपने नीलामी एजेन्ट की सांठ-गांठ से भारी धन राशि का विदेशों को प्रत्यावर्तन किया;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्धारण कर लिया गया है कि देश के कानूनों का उल्लंघन करके कुल कितनी धनराशि का प्रत्यावर्तन हुआ;

(ग) क्या निदेशक तथा उनके परिवारों के सदस्य एक्सचेंज परमिट के बिना काफी समय से विदेशों में रह रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो मामले की जांच करने और कानून तोड़ने वालों को दण्ड दिलाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) कलकत्ता की मोकालबाड़ी कनोई टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड तथा इसके कम्पनी समूह और निदेशकों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियन अधिनियम के उपबन्धों का कथित उल्लंघन किये जाने के बारे में प्रवर्तन निदेशालय को अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) मामले की जांच की जा रही है ।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के पश्चिम बंगाल के एकक के श्रमिकों को भविष्य निधि का भुगतान करने के लिए एकत्र किये गये 2 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किये जाने की जांच

4928. **श्री मोहम्मद हयात अली:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के अधीन पश्चिम बगाल के एकक के श्रमिकों को भविष्य निधि का भुगतान करने के लिए एकत्र किए गए 2 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किये जाने की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और जांच कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क)(ख) और (ग). केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने कहा है कि यद्यपि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा सहायता प्राप्त अनेक एककों को सांविधिक भविष्य निधि देयों को जमा कराने के मामले में बकायादार पाया गया है, परन्तु इन निधियों के गलत प्रयोग को साबित करने के लिए पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अभी तक कोई जांच गहराई से नहीं की है । अलबत्ता, कर्मचारी भविष्य निधि विषयक पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय समिति ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (आई० आर० सी० आई०) द्वारा सहायता प्राप्त एककों से, कर्मचरी भविष्य निधि देशों की बकाया की जल्दी से जल्दी वसूली के मामले पर, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के साथ विचार करने के लिए एक उप-समिति स्थापित की है ।

आयुर्वेदिक औषधियों के आयात में घोटाले के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच

4929. **श्री विमल चन्द्र जैन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि वर्ष 1974 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने लगभग 2 करोड़ रुपए की आयुर्वेदिक औषधियों के आयात के घोटाले के बारे म जांच की थी और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मत्री श्रीपी० सी० सेठी ने स्वयं इस मामले को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिए भेजा था;

(ख) जांच के क्या परिणाम निकले और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

(ग) किन व्यक्तियों पर इसमें अन्तर्ग्रस्त होने का आरोप लगाया गया है ; और

(घ) क्या उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा और यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) अगस्त, 1974 में मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार (गृह मंत्रालय) से अनुरोध किया था

कि वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कहें कि वह इन्दौर के कुछ आयुर्वेदिक एककों द्वारा आयात कोट के दुरुपयोग के कतिपय मामलों की जांच अपने हाथ में ले लें ।

(ख) तथा (घ). नवम्बर, 1975 मेंकेन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 19 मामले दर्ज किये जिनमें 227 आयुर्वेदिक एकक तथा लगभग एक करोड़ सड़सट लाख रुपए मूल्य के आयात लाइसेंस अन्तर्ग्रस्त थें । सभी मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। इन में 12 मामले, 14 शिकायतें तथा 3 चार्ज-शीट इन्दौर तथा बम्बई स्थित न्यायालयों में दायर की गई हैं । चार औ मामलों में मुकदमा चलाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है और मामले केवल न्यायालय मैं दायर किये जान हैं ।तीन अन्य मामलों पर जांच चल रही हैं ।

(ग) जांच के परिणामस्वरूप जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

उन अभियुक्त व्यक्तियों की सूची जिन पर अब तक आयुर्वेदिक मामलों में मुकदमें चलाये गये है ।

आर० सी० नं० 10/75	1. बल राम कुमार अग्रवाल, प्रोप० मै० आर्यन आयुर्वेदिक, इन्दौर ।
आर० सी० नं० 11/75 .	1. रमेश चन्द अग्रवाल, सुपुत्र श्री घनश्याम अग्रवाल, नि० 17/2, लोधीपुरा नं० 2, इन्दौर ।
	2. नन्द किशोर उपाध्याय—नन्दू सुपुत्र श्री गनपत प्रसाद उपाध्याय नि० 16/1, अला पुरा जूनी, इन्दौर ।
आर० सी० नं० 14/75	1. प्रमानन्द सोनी, प्रो० मै० अजय फार्मा, इन्दौर ।
आर० सी० नं० 12/75	1. महश मित्तल, 6/1, उषा गज, इन्दौर ।
	2. सुरेन्द्र अग्रवाल, 6/1, उषा गंज, इन्दौर ।
	3. श्रीमती सन्तोष पत्नी महश मित्तल, 6/1, उषा गंज इन्दौर ।
	4. सुभाष चडढा, 71, प्रकाश नगर, इन्दौर ।
	5. अविनाश शर्मा, 151, आर० एन० टैगोर मार्ग, इन्दौर ।
	6. सत्यनारायण विश्वाकर्मा, 10/4, मौराई मोहल्ला, इन्दौर ।
	7. बाबूलाल शिशोदिया, 151, आर० एन० टैगोर मार्ग, इन्दौर ।
	8. श्रीमती चन्द्रकान्ता शिशोदिया पत्नी बाबूलाल शिशोदिया, 151, आर० एन० टैगोर मार्ग, इन्दौर ।

आर० सी० न० 13/75	1. बाल मुकुन्द सुपुत्र परमानन्द पंचाल, प्रो० मै० सुप्रीम इन्डस्ट्रीज, 36, नन्दलाल पुरा, इन्दौर ।
	2. महश कुमार पचाल, 34, नन्दलाल पुरा, इन्दौर ।
	3. रमेश चन्द्र पंचाल, प्रो० मै० लावा इण्डस्ट्रियल कार्पो० नन्दलाल पुरा, इन्दौर ।
	4. नरेन्द्र कुमार कपाड़िया सुपुत्र बाल राम कपाड़िया, 8, प्रिंस यशवन्त रोड, इन्दौर ।
	5. भारत कुमार कपाड़िया सुपुत्र बाल राम कपाड़िया, 8, प्रिंस यशवन्त रोड, इन्दौर ।
	6. रामेश्वर सुपुत्र नन्द राम पंचाल, 14, कोयला भाखल, इन्दौर ।
	7. ललित कुमार पंचाल सुपुत्र नन्द किशोर पंचाल, 51, रूपमनगर, इन्दौर ।
	8. रजीत सिंह, प्रो० मै० आहूजा आटो, 51, नन्दलाल पुरा, इन्दौर ।
	9. रमेश चन्द्र हेडा सुपुत्र मलीधर हेडा, 33, बारा शराफा, इन्दौर ।
आर० सी० न० 15/75	1. महेश गोस्वामी सुपुत्र कमल गिरी गोस्वामी नि० 2/5, छोटीगवाल टोली, इन्दौर ।
	2. सत्य नारायन विश्वकर्मा नि० जमुना प्रसाद विश्वाकर्मा, नि० 10/4, मोराय मोहल्ला, सयोगिका गंज, इन्दौर ।
	3. त्रिलोक चन्द जैन, त्रिलोक चन्द्र काशीवाल नि० 83, जावरा कम्पाउन्ड, इन्दौर ।
	4. धर्मदास वोहरा, प्रो० मै० नित्यानन्द ट्रडर्स, 333, कथा बाजार, बम्बई, नि० नगर दास पार्क, ओल्ड नगर दास रोड, बम्बई–69
आर सी० न० 16/75	1. भगवान दास दुब नि० 461/28, नन्द नगर, इन्दौर ।
	2. श्रीमती लीला महेता, प्रो० मै० महालक्ष्मी आयुर्वेदिक रसायनशाला, इन्दौर ।
	3. श्री सुन्दर लाल कंसवा, प्रो० मै० श्री महिला रसायन-शाला, इन्दौर ।
आर० सी० न० 20/75	1. श्री श्याम अजमेरा, प्रो० मै० अजमेरा फार्मास्यूटिकल्स 8/9, बी–94, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, इन्दौर ।
	2. विनोद कुमार अनेजा, प्रो० मै० विनोद कुमार श्याम सुन्दर न० 227, साम्यूल स्ट्रीट, बम्बई ।

आर० सी० न० 21/75	1. नरेन्द्र कुमार पांडे, प्रो० मै० नेशनल आयुर्वेदिक ड्रग्स क०, 3/5, पारसयी मोहल्ला, इन्दौर ।
	2. विनोद कुमार अनेजा, प्रो० मै० विनोद कुमार श्याम सुन्दर बम्बई ।
आर० सी० न० 23/75	1. निदेश शाह डी० डी० शाह, प्रो० मै० आयुर्वेदिक एन्ड यूनानी प्रोडक्टस, 10–ए, राजेन्द्र नगर, इन्दौर ।
	2. गोवर्धन भाई पटेल नि० 11, यशवन्त रोड, इन्दौर ।
आर० सी० न० 24/75	1. एस० आर० नागवानी, प्रो० मै० केमी लेबोरेट्रिज, 955, कर्थीवाला टैंक, भारथी कालोनी, इन्दौर ।
	2. गिरधारी लाल वर्मा, पार्टनर मै० केमी लेब० 955, कथीवाला टैंक, भारथी कालोनी, इन्दौर ।
	3. गोत्तम चन्द, पार्टनर मै० कैमी लेब० 955, कथीवाला टैंक, भारथी कालोनी, इन्दौर ।
	4. एल० एन० वर्मा, पार्टनर मै० केमी लेब०, 955, कथीवाला टैंक, भारथी कालोनी, इन्दौर ।
आर० सी० न० 25/75	1. बी० ए० पटेल, प्रो० मै० प्लाजमा लेबोरेट्रिज 31, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, इन्दौर ।
	2. मै० प्लाजमा लेबोरेट्रिज, 31, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, इन्दौर ।

पश्चिम बंगाल को विदेशी सहायता की पेशकश

4930. श्री आर० बी० स्वामीनाथन :
श्री सौगत राय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मत्री ने बताया है कि छः देशों ने पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया गया है;

(ग) क्या कोई भी राज्य विदेशों से सहायता स्वीकार कर सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

राष्ट्रीय ऋण समिति का गठन

4931. **श्री आर० राजगोपाल नायडू** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री ने 13 अक्तूबर, 1977 को यह सुझाव दिया था कि कृषि छोटे और सीमान्त किसानों की आवश्यकताओं के बारे में निर्णय लेने के लिय एक राष्ट्रीय ऋण समिति का गठन किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) जी, नहीं । राज्य वित्त मंत्री ने 13 अक्तूबर, 1977 को हैदराबाद में सिंडीकेट बैंक की शाखा का उद्घाटन करते समय 1967 में भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में स्थापित राष्ट्रीय ऋण समिति (नेशनल क्रडिट काउसिल) का केवल उल्लेख किया था ।

(ख) इस समय राष्ट्रीय ऋण समिति (नेशनल क्रेडिट काउसिल) की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

राज्य व्यापार निगम के ड्राइवरों और चपरासियों की आय

4932. **श्री बलबीर सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के ड्राइवरों और चपरासियों की आय आयकर अधिकारी, मजिस्ट्रेट और मंत्रालय के अनुभाग अधिकारियों से भी अधिक है ;

(ख) क्या यह सच है कि गत वित्तीय वर्ष 1976–77 और वर्ष 1975–76 के दौरान राज्य व्यापार निगम के एक ड्राइवर ने एक वर्ष में वेतन, भत्ते, समयोपरि भत्ते और अन्य लाभों को शामिल कर के 30,000 रु० से अधिक राशि अर्जित की है ; और

(ग) भारत सरकार के विभागोंकी तुलना में राज्य व्यापार निगम के ड्राइवरों और चपरासियों को इतनी अधिक राशि दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग): राज्य व्यापार निगम में ड्राइवरों तथा चपरासियों के वेतनमान सामान्यत: अन्य सरकारी उद्यमों के वेतनमानों के बराबर हैं । राज्य व्यापार निगम के चपरासियों तथा ड्राइवरों की परिलब्धियां आयकर अधिकारियों, न्यायिक मजिस्ट्रेटों और मंत्रालय के अनुभाग अधिकारियों की परिलब्धियों से कम हैं । तथापि, राज्य व्यापार निगम के एक ड्राइवर को वित्तीय वर्ष 1975–76 में 21,238 रु० तथा वित्तीय वर्ष 1976–77 में 25,720 रु० वेतन, भत्तों तथा अन्य भुगतानों के रूप में किये गये ।

कलकत्ता से बरास्ता रांची दिल्ली की उड़ान का मार्ग बदलना

4933. **श्री वसन्त साठे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स की कलकत्ता से बरास्ता दिल्ली की यात्री उड़ान का मार्ग अंतिम अवसर पर बदल कर उसे कलकत्ता से सीधा दिल्ली लाया गया जिससे केन्द्रीय कृषि मंत्री उसमें आ सकें ,

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और एयरलाइन्स को इससे कितनी हानि हुई क्योंकि रांची के लिये यात्रियों को इंडियन एयरलाइंस के खर्चे पर रात्रि के लिए कलकत्ता के एक भव्य होटल में ठहराया गया था ,

(ख) यदि हां, तो उसके कारण एवं औचित्य क्या हैं ; और

(घ) सार्वजनिक धनराशि के उक्त दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं। 15 अक्तूबर 1977 की इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आई सी-410 (कलकत्ता-रांची-पटना-लखनऊ-दिल्ली) में परिचालनात्मक कारणों से 3 घंटे 25 मिनट का विलम्ब हुआ। रांची में विमान का निर्धारित रुकना रद्द कर दिया गया क्योंकि वहां पर रात के समय विमानों के उतरने की सुविधा नहीं है।

(ख) रांची जाने वाले यात्रियों सहित, 95 यात्रियों को 1150/- रुपए की लागत से एयरपोर्ट रेस्टोरेंट में "लंच" मुहैया कराया गया था। रांची जाने वाले 25 यात्रियों में से केवल एक यात्री को करीब 200/- रुपए की लागत से भारत पर्यटन विकास निगम के एयरपोर्ट होटल में होटल आवास मुहैया कराया गया था। रांची जाने वाले 20 यात्रियों ने अपने टिकट रद्द करा दिये तथा चार यात्री किसी और दिन के लिये बुक कर दिये गये थे।

(ग) विलम्ब होने अथवा उड़ानों के रद्द होने की स्थिति में जहां भी आवश्यक हो जलपान एवं होटल आवास मुहैया कराना एयरलाइनों की एक सामान्य प्रक्रिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Advancing of loans by Nationalised Banks during Emergency.

4934. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether loans amounting to more than rupees three hundred crores were advanced in irregular manner by the nationalised banks during the Emergency;

(b) whether Chairman of nationalised banks who opposed the grant of such loans were removed from service;

(c) whether the Chairman, State Bank of India, was forced to submit his resignation; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to ascertain the facts?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) and (b). Neither the Central Government nor the Reserve Bank is aware of the basis on which it has been stated that loans amounting to more than Rs. 300 crores were advanced in irregular manner by the nationalised banks during the Emergency and that the Chairmen of the banks who opposed the granting of such loans were removed from service.

(c) The term of appointment of the then Chairman of the State Bank of India Shri R. K. Talwar was due to expire on February 28, 1977. Shri Talwar applied for leave from August 4, 1976 till February 28, 1977 which was granted to him. Shri Talwar did not submit his resignation.

(d) In the absence of specific details, the question of Government taking further steps to ascertain facts does not arise.

जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों से अभ्यावेदन

4935. **डा० मुरली मनोहर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने हाल में उनसे भेंट की थी और उन्हें यह अभ्यावेदन दिया था कि वर्ष 1961 में जिस द्विवर्षीय कार्य प्रणालियों पर सहमति हुई थी उसे बहाल किया जाये और उस समझौते को समाप्त करने के बारे में वर्ष 1976 में जारी सरकार के आदेशों को वापिस ले लिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

Amount Civil to big Companies by Chairman, Punjab National Bank.

4936. Shri Mrityunjay Prasad: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank of India carries out regular and timely inspection of accounts and working of the nationalised banks;

(b) if so, whether the bank had come to know that Shri Tuli, Chairman, Punjab National Bank had given huge amounts to several big companies against the rules without examining their balance sheets and statements of profit and loss and without verifying whether the said companies have sufficient property for propoer security of the loans advance to them or whether they actually possessed the said property or these were only on paper and whether these companies were capable of repaying the loans; and

(c) if so, details of the cases involving loans of more than rupees five lakhs and the action taken by the Reserve Bank in respect thereof?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) All functioning commercial banks including nationalised banks are inspected periodically by the Reserve Bank to make an assessment of their investment and lending policies, the state

of their assets, their earing capacity, the quality of their management, and compliance with the relevant provisions of law. This is a statutory function of the Reserve Bank under the provisions of the Banking Regulation Act.

(b) and (c). The Reserve Bank have reported that an inspection of the Punjab National Bank was conducted by them under Section 35 of the Banking Regulation Act with particular reference to the bank's position as on December 31, 1975. The inspection report is under preparation. Very recently, certain specific allegations made against Shri Tuli have been scrutinised by the Reserve Bank. These included cases of advances and credit facilities granted to M/s Maruti Ltd., M/s Puri Construction Ltd., M/s Associated Journals Ltd., M/s. Atherton West & Co., M/s. Ellora Silk Mills, M/s. Swadeshi Cotton Mills. Government is looking into the findings of the Reserve Bank.

आपात स्थिति के दौरान सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों की हुई हानि

4937. **श्री सुशील कुमार धारा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1975 में आपात स्थिति के दौरान सामान्य बीमा निगम और उसके सहायक कार्यालयों के कर्मचारियों को हुई हानि के बारे में राष्ट्रीय सामान्य बीमा सहाय महासंघ (नेशनल कनफेडरेशन आफ जनरल इन्शोरेंस) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों को हुई हानि और परेशानियों का निराकरण करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). शायद माननीय सदस्य का आशय राष्ट्रीय साधारण बीमा कर्मचारी महासंघ द्वारा सरकार को विभिन्न मांगों के संबध में दिए गए अभ्यावेदन से है ।

यदि ऐसा है तो साधारण बीमा निगम, सरकारी क्षेत्र के ऐसे ही अन्य कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांज और सेवा की अन्य शर्तों को ध्यान में रखते हुए सरकार के साथ परामर्श करके महासंघ द्वारा दिए गए अभ्यावेदन में उल्लिखित मांगों पर विचार कर रहा है ।

राज्य व्यापार निगम की औषध मदों के मूल्य

4938. **श्री नरेन्द्र पी० नथवानी:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम की औषध मदों के मूल्य किस आधार पर मंजूर किये जाते हैं ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम को मूल्यों की मंजूरी के अधीन स्वीकृत प्रभार राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये वास्तविक व्यय से बहुत अधिक हैं, गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय, मंजूरी व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम विदेशी कम्पनियों को बिना समुचित आधार के भारी मात्रा में कच्चा माल देता रहा है जबकि लघु एककों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ता रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) औषधियों तथा भेषजीय पदार्थों की गोदाम से निकलते समय की कीमतें औद्योगिक लागत तथा कीमत ब्यूरो तथा औषधि कीमत समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक के फार्मूले पर आधारित हैं ।

(ख) जीनहीं । रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय उस अधिकाधिक लाभ को ध्यान में रखता है जो अन्तिम प्रयोक्ताओं को प्राप्त होना चाहिए । एक विवरण संलग्न हैजिसमें वर्ष 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 के सम्बन्ध में भारतीय राज्य व्यापार निगम/राज्य रसायन तथा भेषजीय पदार्थ निगम को स्वीकृत प्रभार दर्शाए गये हैं ।

(ग) भारतीय राज्य व्यापार निगम/राज्य रसायन तथा भेषजीय निगम विदेशी कम्पनियों/ तकनीकी विकास के महानिदेशालय के एककों तथा लघु एककों में भेद नहीं करना है । सभी एककों को मात्राएं, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर हिसाब लगाई गई उनकी हकदारियों के अनुसार रिलीज की जाती हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

वर्ष 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान औषधि की कीमतें निर्धारित करते समय शामिल किये जाने वाले प्रभार ।

	1974–75	1975–76	1976–77
एल/सी प्रारम्भिक प्रभार समुद्र यात्रा ब्याज	2 प्रतिशत	2 प्रतिशत	2 प्रतिशत
–लागत बीमा भाड़े पर आधारित निकासी प्रभार	2.5 प्रतिशत	2.5 प्रतिशत	2.5 प्रतिशत
–उतरते समय की लागत पर आधारित वितरण प्रभार	6.5 प्रतिशत	6.5 प्रतिशत	6.5 प्रतिशत
–लागत बीमा भाड़ा लागत पर आधारित राज्य रसायन तथा भेषजीय निगम का मार्जिन ।	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत	4 प्रतिशत

राज्य व्यापार निगम द्वारा सरकारी माध्यम से आयातित औषधियां

4939. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा गत तीन वर्षों में सरकारी माध्यम से आयात की गई औषधियों की मात्रा क्या थी, लागत बीमा भाड़ा मूल्य क्या थे और उन्होंने वह किस मूल्य पर बेचीं ; और

(ख) सरकार की ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं की सहायता के लिये क्या उपाय करने का विचार है जहां पर राज्य व्यापार निगम ने बहुत अधिक मूल्य लगाये और राज्य व्यापार निगम में अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :
(क) दो विवरण संलग्न किये गये हैं :—

1. विगत तीन वर्षों के दौरान आयात की गई मार्गीकृत औषधियों की मात्राएं तथा भारित औसत लागत बीमा भाड़ा कीमत दर्शाने वाला विवरण ; और
2. गोदाम से निकलते समय की कीमतें, जिन पर ये अंतिम प्रयोक्ताओं को रिलीज की गई, दर्शाने वाला विवरण। [**ग्रन्थालय में रखा गया** देखिए संख्या एल० टी०–1453/77]।

(ख) सभी भेषजीय मदों की बिक्री आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत फार्मूले और मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कीमतों के आधार पर की गई हैं।

आई० बी० एम० द्वारा अपनी गतिविधियों का समापन

4940. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० बी० एम० ने 6 मास के भीतर भारत में अपनी गतिविधियों का समापन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या किसी अन्य कंपनी को कहा गया है कि वह इस कंपनी द्वारा भारत में किये जा रहे कार्य को अपने हाथ में ले ;

(ङ) इस कंपनी के समापन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले अन्तर को भरने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(च) भारत सरकार द्वारा और कितनी कंपनियों को भारत में अपनी गतिविधियों का समापन करने को कहा गया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) जी, हां ।

(ख) अपनी विश्व व्यापी निगम नीति के अनुसार, आई० बी० एम० ने भारतीय इक्विटी शेयर की साझेदारी से देश में कार्य करने के लिए अपने आप को असमर्थ पाया ।

(ग) भारत में आई० बी० एम० द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए, कंपनी अनिवासियों के शेयर 40 प्रतिशत से कम लाकर और भारतीय कंपनी के रूप में अपने आप को बदल कर कार्य कर सकती थी । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आई० बी० एम० की निगम नीति निवासियों के साथ किसी साझेदारी की मंजूरी नहीं देती जबकि बहुत सी अन्य कंपनियों के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के निदेशों के अनुसार कार्य करना संभव हो गया है ।

(घ) और (ङ). देश में आई० बी० एम० के क्रियाकलापों के बंद होने से कोई शून्यता की स्थिति पैदा नहीं होगी । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक प्रबंध किया जा रहा है कि रखरखाव आदि सेवाओं के संबंध में निर्विघ्न परिवर्तन हो सके ।

(च) आई० बी० एम० को देश में अपने क्रियाकलापों का समाप्त करने के लिए निर्देश नहीं दिए गए थे । समापन करने का निर्णय आई० बी० एम० ने अपनी विश्वव्यापी निगम नीति के अनुसरण में स्वय लिया था । लेकिन 30 अन्य कंपनियों को उनके क्रियाकलापों का समापन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं चूंकि वे शेयर दलाली, वास्तविक सम्पदा (रीयल एस्टेट्स) सिनेमा प्रदर्शन आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं । जहां विदेशी निवेश आवश्यक या वांछनीय नहीं समझा जाता ।

पूर्वी अफ्रीकी देशों को विमान सेवायें

4941. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्या और इसके अन्य पड़ौसी देशों के साथ द्विपक्षीय करार न होने की वजह से पूर्व अफ्रीकी देशों को विमान सेवाओं में वृद्धि करने में विलम्ब हो रहा है; और

(ख) इस बारे में द्विपक्षीय करार करने में क्या कठिनाइयां हैं और क्या सरकार ने बातचीत प्रारम्भ कर दी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुशोत्तम कौशिक): (क) जी, नहीं । केन्या के साथ हाल ही में सम्पन्न हुए करार में एयर इंडिया द्वारा भारत और केन्या के बीच सप्ताह में 4 सेवाओं के परिचालन की व्यवस्था है ; ये सेवाएं अफ्रीका में अन्य स्थानों को भी छू सकती हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

4942. **श्री मनीराम बागड़ी**: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, सितम्बर, तथा अक्तूबर 1977 के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो विगत वर्ष की तुलना में इस बार मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ;

(ग) क्या सरकार का विचार सरसों के तेल का आयात करने का है, यदि हां, तो किस देश से तथा कितनी मात्रा में ; और

(घ) क्या आयातित तेल को उचित दर की दुकानें/सहकारी स्टोरों के माध्यम से वितरित किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1977 में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में मिला जुला रुख रहा है, क्यों कि पिछले साल के इन्हीं महीनों की तुलना में कुछ आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों में वृद्धि हुई है और दूसरी वस्तुओं के मूल्य या तो स्थिर रहे हैं या कम हुए हैं। कुल मिलाकर चालू वर्ष के इन तीन महीनों में समस्त वस्तु थोक मूल्य सूचकांक में जुलाई, 1977 के सूचकांक के मुकाबले 1.9% की कमी हुई, जबकि वर्ष 1976 की इसी अवधि में सूचकांक स्थिर रहा था।

(ख) अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1977 में कई आवश्यक तथा आम खपत की वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष 1976 के इन्हीं महीनों की तुलना में हुये उतार-चढ़ाव का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) सरसों के तेल का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, रेपसीड तेल काफी मात्रा में आयात किया जा रहा है।

(घ) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात किया गया आयातित परिष्कृत रेपसीड तेल उचित दर की दुकानों/सहकारी भण्डारों के माध्यम से वितरित किया जाता रहेगा।

विवरण

अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1977 में आवश्यक तथा आम खपत की वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के सूचकांकों की तुलना में हुये उतार-चढ़ाव का प्रतिशत

क्र० सं०	वस्तु	उतार-चढ़ाव का प्रतिशत		
		अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर
1	2	3	4	5
1.	चावल	+6.4	+6.9	+5.6
2.	गेंहूं	+2.7	+3.7	+4.1
3.	ज्वार	—9.9	—6.9	—7.6
4.	बाजरा	+11.1	+15.2	+13.6

1 2	3	4	6
5. मक्का	+28.9	+27.3	+21.7
6. रागी	+14.4	+8.8	+1.0
7. चना	+35.3	+54.0	+61.5
8. अरहर	+89.8	+94.1	+84.3
9. मूंग	+26.2	39.1	+49.3
10. मसूर	+75.0	+94.9	+85.8
11. उड़द	+19.0	+16.6	+20.2
12. आलू	+15.2	+14.9	+19.1
13. प्याज	+176.9	+194.9	+121.6
14. सब्जियां	+4.4	+1.8	+8.2
15. केले	−9.9	+4.4	+7.0
16. दूध	+1.4	−1.2	−1.1
17. अण्डे	+5.8	−0.9	+0.1
18. मछली	+15.7	−6.8	+14.0
19. गोश्त	+18.7	+20.3	+13.8
20. काली मिर्च	+9.2	+10.9	+6.4
21. लालमिर्च	+16.4	+41.5	+32.0
22. चाय	+28.7	+26.5	+16.7
23. काफी	−2.0	−3.9	−5.4
24. कपास	−0.7	−5.7	−13.1
25. मिट्टी का तेल	स्थिर	स्थिर	स्थिर
26. डीजल	स्थिर	स्थिर	स्थिर
27. बिस्कुट	−1.4	−0.8	−0.8
28. डबल रोटी	−2.4	−1.2	स्थिर
29. चीनी	−10.0	−8.8	−10.7
30. खांडसारी	−21.3	−21.8	−28.2
31. गुड़	−21.8	−23.7	−19.4
32. वनस्पति	+15.3	+17.3	+16.8
33. मूंगफली का तेल	+35.3	+24.8	+5.6

1	2	3	4	5
34.	सरसों का तेल	+80.1	+80.1	+72.7
35.	गोले का तेल	—6.6	+2.6	+5.4
36.	जिजली का तेल	+41.5	+12.9	+1.5
37.	करंडी का तेल	+35.1	+33.9	+26.2
38.	बिनौले का तेल	+20.1	+10.7	—4.5
39.	नमक	+15.4	+20.3	+23.2
40.	सूती धागा	+11.0	+10.5	+3.4
41.	सूती कपड़ा मिलें	+7.7	+6.9	+6.8
42.	खादी का कपड़ा	+14.8	+14.8	+14.8
43.	हथकरघा तथा बिजली से चलने वाले करघों का कपड़ा	+27.8	+24.7	+20.2
44.	कागज	+4.3	+2.9	+4.6
45.	जूते	—5.4	—1.9	—5.4
46.	टायर	—0.3	—0.3	—0.3
47.	ट्यूबें	—1.3	—1.3	—1.3
48.	प्लास्टिक के जूते	स्थिर	स्थिर	स्थिर
49.	सोडा राख	+1.6	+1.6	+1.6
50.	साबुन	+0.5	+0.5	+0.5
51.	दियासलाईयां	स्थिर	स्थिर	स्थिर
52.	सीमेंट	स्थिर	स्थिर	+0.2
53.	हरीकेन लालटेन	+4.1	+5.4	+5.4
54.	रेजरब्लेड	स्थिर	+1.8	+1.8
55.	शुष्क सैल	+2.4	—2.2	—
56.	साईकिलें	—0.9	—0.1	—
57.	समस्त वस्तुएं	+5.4	+4.8	+4.2

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में खुला पत्तन (फ्री पोर्ट)

4943. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक खुले पत्तन की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनायी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है और यदि नहीं, तो उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग). निकोबार द्वीप समूह में एक मुक्त पत्तन की प्रस्थापना पर व्यापार विकास प्राधिकरण ने संभाव्यता अध्ययन किया था। इस पर विचार किया गया और यह विनिश्चय किया गया कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मुक्त पत्तन की प्रस्थापना के बारे में कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं।

नई दिल्ली में इण्डियन बैंक की डिफेंस कालोनी शाखा में प्राइवेट पार्टियों के लाकरों में चोरी

4944. **श्री बृजराज सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में इंडियन बैंक की डिफेंस कालोनी शाखा में प्राइवेट पार्टियों के लाकरों में जो चोरी सितम्बर, 1973 में हुई थी, उसका कोई सुराग मिला है और अपराधियों को पकड़ा गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं और क्या चोरी करने के तरीके के बारे में भी जांच-पड़ताल की गई है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या चुराये गये किन्हीं आभूषणों का पता चला है और वह उनके मालिकों को सौंप दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रभावित पार्टियों को सरकार का क्या राहत प्रदान करने का विचार है, जिनमें से कुछ लोग लाकरों में रखे आभूषणों के रूप में अपनी जिन्दगी भर की सारी बचत से हाथ धो बैठे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस ने जिसने डिफैंस कालोनी पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया था सूचना दी है कि इस मामले की खोजबीन संबंधी उनकी पूरी कोशिश के बावजूद चोरी के माल अथवा अपराधियों का कोई पता नहीं चल सका और इसलिये इस मामले को 12 मई, 1974 को "मामले का कुछ पता नहीं चल सका (अनट्रेस्ड)" के रूप में भेज दिया गया था। फिर भी दिल्ली

पुलिस ने सूचित किया है कि अपराधियों का अथवा चोरी के माल का जब और जैसे ही कोई सुराग मिलेगा, इस मामले को फिर से शुरू कर दिया जायेगा।

(ख) इस समय सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि उन पार्टियों को कोई सहायता प्रदान की जाये, जिनके लाकर्स में रखी गयी बचतों और आभूषणों की कथित हानि हुई है प्रभावित ग्राहकों को पर्याप्त सहायता मंजूर करने सहित और उपाय करने के लिये बैंकों से तभी कहा सकता था जब कि पुलिस जांच चोरी और साथ ही साथ इस चोरी में भी अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के बारे में कोई निश्चित निर्णय/सुराग बता पाती।

(ग) पुलिस द्वारा कोई आभूषण बरामद नहीं किये गये है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा मंत्रियों के बंगलों पर खर्च

4945. **डा० सुब्रह्मन्यम स्वामी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 22 नवम्बर, 1977 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार का पता है जिसमें ये आंकड़े दिये गये थे कि निर्माण और आवास मंत्रालय ने मंत्रियों के बंगलों के नवीकरण रख-रखाव और उनके फर्नीचर आदि पर मार्च, 1977 के बाद कितनी राशि खर्च की है; और

(ख) क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय ने इन शीर्षों के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त राशि खर्च की है और यदि हां, तो इस प्रकार कितनी राशि खर्च की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) जी हां।

(ख) बंगले के रियाहशी भाग पर इन मदों में पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा कोई भी खर्च नहीं किया गया है।

भारत में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

4946. **श्री एस० आर० रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976 के अन्त में भारत में कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्य कर रही थीं ;

(ख) उनका पूंजी निवेश कितना है ?

(ग) गत तीन वर्षों में उन्होंने विदेशों में अपनी मूल कंपनियां को वर्ष-वार कितनी राशियां भेजीं ; और

(घ) क्या सरकार की नीति उनके कार्य पर रोक लगाना है और ऐसा कितनी जल्दी किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) नवीनतम उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि भारत में विदेशी इक्विटी की अधिकता वाली कंपनियों की संख्या 171 और विदेशी कंपनियों की शाखाओं की संख्या 482 थी।

(ख) 31 मार्च 1973 को समाप्त अवधि के पक्के अनुमान उपलब्ध हैं और उक्त तारीख को बकाया विदेशी निवेश का अनुमान 1816 करोड़ रुपए लगाया गया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं। सरकार की नीति यह है कि उनके कार्य-व्यापार को इस प्रकार से विनियमित किया जाए ताकि प्राथमिक क्षेत्रों में अपना कार्य करें।

विवरण

(लाख रुपए)

वर्ष	लाभ	लाभांश	रायल्टी	तकनीकी जानकारी	ब्याज
1972-73 . .	1554	3908	733	1133	1560
1973-74 .	2191	3751	621	1408	1627
1974-75 . .	719	1846	846	1256	3670
1975-76 . . . (अप्रैल-सितम्बर)	708	1260	449	1275	1369

टिप्पणी : उपर्युक्त आंकड़े नवीनतम अवधि के हैं जिसके बारे में सूचना उपलब्ध है।

टाटा, बिरला तथा अन्य बड़े व्यापारिक गृहों की ओर बकाया कर राशि को बट्टे-खाते डाला जाना

4947. **श्री शिव सम्पत्ति राम**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) (1) बिरला, (2) टाटा और (3) अन्य बड़े व्यापारिक गृहों की ओर बकाया आय-कर, धन-कर तथा बिक्री-कर आदि की कितनी राशि गत तीन वर्षों में और वर्ष 1977 में 30 नवम्बर, 1977 तक बट्टे-खाते डाली गई ; और

(ख) प्रत्येक मामले में कर की राशि को बट्टे-खाते डालने के क्या विशेष कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जलफिकारउल्ला) : (क) तथा (ख). आय-कर (जिसमें निगम कर भी शामिल है) तथा धन-कर की बकाया को, यह पाये जाने के पश्चात् कि अनेक कारणों से उनकी वसूली नहीं की जा सकती है, बट्टे-खाते डाल दिया जाता है। इन कारणों में से कुछ कारण निम्न प्रकार से हैं :—

(i) निर्धारितियों की मृत्यु हो गयी हो और उनके नाम में कोई परिसम्पति नहीं हो;

(ii) निर्धारिती कम्पनियां परिसमाप्त हो गयी हों ;

(iii) निर्धारितियों का दिवाला निकल गया हो ;

(iv) निर्धारिती लापता हों ;

(v) निर्धारितियों ने देश को छोड़ दिया हो और उनके नाम में कोई परिसम्पति नहीं हो; और

(vi) निर्धारितियों के पास ऐसी कोई परिसम्पति नहीं हो, जिसका अधिग्रहण किया जा सकता हो।

बट्टे-खाते डाली गई रकमों आदि के बारे में माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। बिरला एवं टाटा गृहों सहित 'बड़े व्यापार गृहों' के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की संख्या कुछ हजारों में है और क्षेत्रीय संगठनों से अपेक्षित सूचना एकत्र करने में पर्याप्त समय तथा श्रम लगेगा। यदि माननीय सदस्य किन्हीं निर्धारिती विशेष के बारे में सूचना चाहते हों तो वह एकत्र करके प्रस्तुत की जायगी।

'रेपसीड' तेल के हाइड्रोसायनिक अम्ल की प्रतिशतता अधिक होने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट

4948. **श्री सौगत राय** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट मिली है कि पश्चिम बंगाल में राशन की दुकानों से सप्लाई किये जाने वाले आयातित रेपसीड तेल में हाइड्रोसायनिक अम्ल की प्रतिशतता अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्यतथानागरिक पूर्ति और सहकारितामंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Study regarding capital investment and profitability in public sector in India by U.N.O.

4949.Shri Daya Ram Shakva: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether a study has been made by the U.N.O. regarding assessment of capital investment and profitability in public sector in India; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) According to information available the United Nations Organisation, as such, has not made any study regarding capital investments and profitability of Public Sector in India.

(b) Does not arise.

देश में चाय की खपत

4950. **श्री ईश्वर चौधरी:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में देश में राज्य-वार चाय की कितनी खपत हुई ; और

(ख) ग्रामीण जनता को आसानी से चाय उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान देश में अनुमानत: क्रमश : 27.2 करोड़ कि०ग्रा० तथा 28.6 करोड़ कि०ग्रा० चाय की कुल खपत हुई । तथापि, आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(ख) देश में उपभोक्ता, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता भी शामिल हैं, चाय, खुली चाय के व्यापारियों, पैकेट-चाय के खुदरा व्यापारियों, सहकारी उपभोक्ता स्टोरों आदि जैसे सामान्य वितरण माध्यमों से लेते है। भारतीय चाय व्यापार निगम, एन० सी० सी० एफ० तथा नेफेड के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से भी चाय का वितरण करने के लिए हाल ही में उपाय किये गये हैं ?

केरल सरकार द्वारा मांगी गई सहायता

4951. **डा० हेनरी आस्टिन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य ने केन्द्रीय सरकार से कुल कितनी सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें से उसे कितनी सहायता राशि दे दी गई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय दल ने इस बारे में कोई प्राक्कलन किया है कि राज्य को कितनी सहायता की जरूरत है ;

(घ) यदि हां, तो राज्य को अब तक कितनी सहायता राशि उपलब्ध की गई है और अगले वर्ष कितनी सहायता राशि उपलब्ध की जायेगी ; और

(ङ) क्या राज्य की मांग पूर्ण रूप से मान ली गई है अथवा नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) से (ङ). केरल सरकार ने हाल ही के तूफान के कारण अपेक्षित राहत संबंधी कार्य के लिए 8.67 करोड़ रुपये (आयोजना भिन्न) की केन्द्रीय सहायता की मांग की है । भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 363.72 लाख रुपये की अग्रिम आयोजनागत सहायता की मंजूरी दे दी है जिसमें कि पहले दी गई 200 लाख रुपये की अग्रिम आयोजनागत सहायता भी शामिल है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने राज्य सरकार को निःशुल्क राहत के लिए 1250 टन गेहूं और 1250 टन चावल मुफ्त देने का अनुमोदन किया है । यह सहायता केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् दी गई है जिसने राज्य सरकार की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए हाल ही में केरल का दौरा किया था ।

Construction of civil aerodrome in Gorakhpur

4952. **Shri Ugrasen:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Gorakhpur aerodrome is temporary and belongs to Defence department and whether it is proposed to construct a civil aerodrome there;

(b) whether Government propose to make use of the air strip constructed in 1940 near Kushinagar (Kushinara) the nrivana spot of Mahatama Budha, for aircraft of the Indian Airlines; and

(c) the time by which arrangements will be made for introducing Boeing 336 flights in the Delhi-Kanpur-Gorakhpur air service?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri **Purushottam Kaushik**): (a) Gorakhpur aerodrome is a permanent one belonging to Defence Ministry. There is no proposal to construct a civil aerodrome at Gorakhpur.

(b) No, Sir.

(c) There is no proposal to operate Boeing 737 flights to Gorakhpur as the capacity provided by the thrice weekly F-27 service through Gorakhpur is adequate to meet the demand.

भूतपूर्व रियासतों में कार्य कर रही स्टेट बैंक की सहायक शाखाओं का दर्जा

4953. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत की भूतपूर्व रियायतों में कार्य कर रही स्टेट बैंक की सभी सहायक शाखाओं को, उन्हें भारतीय स्टेट बैंक के बराबर लाकर, पूर्ण दर्जा दिलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्रीएच० एम० पटेल): (क), (ख) और (ग) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन नहीं है ।

Legal action against smugglers

4954. **Shri Lalji Bhai:** Wil lthe Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of smugglers against whom legal action is being taken in the country, State-wise; and

(b) the names of the smugglers who have been exempted from legal action because of blessings of Shri Jayaprakash Narayan?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) Reports received by the Government show that as on 30-11-1977 prosecutions in

Courts have been launched against 5327 smugglers by the Customs authorities in the country. A statement showing State-wise number of smugglers against whom action is being taken is laid on the table of the House.

(b) No, Sir. Government have not given any exemption whatsoever to any smuggler from legal action. Presumably the question refers to the pledge taken by some smugglers before Shri Jayaprakash Narayan at Bombay in April, 1977 that they would abjure from smuggling and help the Government in its anti-smuggling efforts. They have not claimed any indulgence on the part of the Government in the matter of any legal action pending or to be taken against them.

Statement

S. No.	Name of State/ Union Territory	No. of smugglers against whom legal action is being taken
1	2	3
1.	Andhra Pradesh	28
2.	Assam	8
3.	Bihar	418
4.	Chandigarh (U.T.)	1
5.	Delhi (U.T.)	463
6.	Goa, Daman & Diu (U.T.)	305
7.	Gujarat	907
8.	Haryana	19
9.	Himachal Pradesh	2
10.	Jammu & Kashmir	13
11.	Karnataka	186
12.	Kerala	127
13.	Madhya Pradesh	30
14.	Maharashtra	1364
15.	Meghalaya	1
16.	Mizoram	6
17.	Manipur	2
18.	Pondicherry (U.T.)	1
19.	Tripura	12
20.	Orissa	12
21.	Punjab	56

1	2	3
22.	Rajasthan	96
23.	Tamilnadu . . .	300
24.	Uttar Pradesh . .	228
25.	West Bengal	742
	TOTAL . .	5327

Development of Agra Airport as international Airport

4955. **Shri Ramji Lal Suman:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Government propose to develop Agra airport into an international Airport with a view to avoid rush at Palam Airport; and

(b) the time by which it would be finalised?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

इस्पात का आयात

4956. **श्री अहमद एम० पटल :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात का आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान इस्पात की किस किस्म का तथा कितनी मात्रा में आयात किया गया तथा किस किस देश से किया गया ; और

(ग) उक्त आयात पर कितनी राशि खर्च हुई ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। परन्तु आयात इस्पात की उन क्वालिटियों तक सीमित है जिनका इस देश में उत्पादन नहीं होता। अन्य मामलों में उतना ही आयात करने की अनुमति दी जाती है जितना कि उत्पादन तथा मांग के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए आवश्यक समझा जाता है।

(ख) तथा (ग). 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान आयातित इस्पात की मात्रा तथा मूल्य इस प्रकार थे :—

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1975–76 .	497,446	205.82
1976–77 . . .	355,955	138.83

जापान, ब्रिटेन, सं० राज्य अमरीका, सोवियत संघ, पोलैंड, बेल्जियम चैकोस्लोवाकिया, फ्रांस तथा जर्मन संघीय गणराज्य मुख्य देश थ, जिनसे आयात किये गये।

एयर इंडिया द्वारा भारतीय व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात

4957. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक प्रमुख अमरीकी कम्पनी के सहयोग से एयर इंडिया द्वारा भारतीय व्यापरिक वस्तुओं, विशेषकर उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के बारे में सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न वस्तुओं के निर्यात की स्थिति

4958. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे:** क्या **वाणिज्यतथानागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गतदो वर्षों की तुलना में इस वर्ष रुपयों तथा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा में विभिन्न वस्तुओं के निर्यात की स्थिति कैसी रही ;

(ख) किन किन वस्तुओं में निर्यात व्यापार कम रहा और निर्यात में अपेक्षाकृत कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह वर्ष व्यापार अधिशेष के साथ समाप्त होगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस वर्ष के अन्त तक कितना व्यापार अधिशेष होने की आशा है ?

वाणिज्य तथा नागरकि पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग):

(क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) वे प्रमुख मदें जिनके निर्यातों में अप्रैल-जून, 1977 के दौरान पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में हानि हुई, उनमें चीनी, लोहा तथा इस्पात, चांदी सूती परिधान, पटसन निर्मित्त वस्तुएं तथा चमड़ा निर्मित्त वस्तुएं शामिल हैं। प्रथम तीन मदों में गिरावट का कारण या तो घरेलू मांग में वृद्धि होना अथवा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आना है। विकसित देशों द्वारा लागू किये गये प्रतिबंधों से परिधानों के निर्यातों पर प्रभाव पड़ा जबकि चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित्त वस्तुओंपर मुख्य रूप से यूरोपीयटेनरोंके पास बड़ी मात्रा में माल होने के कारण प्रभाव पड़ा।

(ग) तथा (घ). सरकार की उदार आयात नीति के कारण, वर्ष के दौरान कुल आयात पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक होने की संभावना है। इस अवस्था में व्यापार का अनुमान इतनी जल्दी रूप से नहीं लगाया जा सकता।

विवरण

भारत की प्रमुख मदों के निर्यात (मूल्य लाख रु० में)

क्रमांक	वस्तु	1975–76	1976–77	अप्रैल- जून	
				1976–77	1977–78
1	2	3	4	5	6
1	चाय	23692	29287	3630	9381
2	काफी	6665	11405	3217	6482
3	तम्बाकू, अनिर्मित	9313	9662	4882	6178
4	चीनी	47233	14812	5976	1053
5	काजू गिरी	9614	10599	3422	5122
6	खली	9645	22381	3942	6551
7	मूंगफली	6291	6524	2892	47
8	मसाले	7152	7292	1153	2552
9	मछली	12718	18025	3875	4079
10	लौह अयस्क	21393	23849	5709	6471
11	मैंगनाज अयस्क	1764	1910	300	181
12	अभ्रक	1466	1737	475	465

1	2	3	4	5	6
13	पटसन निर्मित माल	25089	20083	4549	3836
14	सूती थान (मिल निर्मित)	12159	20079	3669	4039
15	सूती थान (हथकरघा)	3965	5317	705	1862
16	सूती एपेरल	14640	25700	7341	5649
17	क्यर तथा क्यर निर्मित माल	1902	2403	611	456
18	चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित्त माल जूते आदि को छोड़ कर ।	20148	26349	6977	6574
19	चमड़े तथा केनवस के बने जूते आदि	2131	2882	637	525
20	इंजीनियरी सामान	41297	55443	11805	13773
21	लोहा तथा इस्पात	6818	28299	6623	5462
22	हस्तशिल्प की बस्तुएं	25199	40240	5054	8484
	(क) मोती, तराशे तथा बिना तराशे मूल्यवान तथा अर्ध-मूल्यवान रत्न	14851	24243	2200	5349
23	रसायन तथा संबद्ध उत्पाद	8532	10910	2038	2805
24	चांदी	17407	15143†	1085	107†
	निर्यातों का कुल योग	403626	498101	110885	122468
	(पुनर्निर्यात सहित)	40428‡	514334‡		

†चांदी के लिए अप्रैल-मई के आंकड़े हैं ।

‡संशोधित आंकड़े जिनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

स्त्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता ।

"मौनेक्स 77" और "मौनेक्स 79" की प्रगति

4959. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "मानेक्स 77" और "मौनेक्स 79" के नाम से विदित मानसून की जांच सम्बन्धी कार्यक्रम की प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परीक्षण के जरिए उपलब्ध होने वाला लाभ क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) :(क) "मानसून 77" प्रयोग 23 मई, 1977 को प्रारंभ किया गया था और 19 अगस्त, 1977 को पूरा किया गया था। "मौनेक्स 79" 1 मई 1979 से सितम्बर, 1979 तक आयोजित किया जायेगा।

(ख) "मानसून 77" भारत और यू एस एस आर के बीच एक संयुक्त प्रयोगात्मक कार्यक्रम था। भारतीय नौ सेना के दो जहाजों और चार सोवियत अनुसन्धान पोतों ने दक्षिणपश्चिमी मानसून के प्रारंभ एवं घनीभूत होने के दौरान तथा बंगाल की खाड़ी में "डिप्रशन" के बनने के दौरान अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा भूमध्य रखीय हिंद महासागर के ऊपर व्यापक परिणाम पर मौसम वैज्ञानिक एवं समुद्र वैज्ञानिक आंकड़े एकत्रित किये इनके अलावा, भूमि पर मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों के प्रेक्षण सम्बन्धी समय-सारणी में तीव्रता लाई गयी। "मोनेक्स 79" प्रथम "सी ए आर पी ग्लोबल एक्सपरिमैंट" का एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है जिसका "विश्व मौसम संगठन" द्वारा आयोजन किया जा रहा है। यह एक अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम है तथा इसके अन्तर्गत भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 अक्षांश तक के उष्णदेशीय क्षेत्र के ऊपर गहन प्रक्षण किये जायेंगे, जिनमें जलपोतों, विमानों, उपग्रहों और गुबारों का प्रयोग किया जायेगा। इस कार्यक्रम में भारतीय जलपोत भी भाग लेंगे।

(ग) आशा है "मानेक्स 77" से एकत्रित किय गये आंकड़ों के अध्ययन से दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में जानकारी बढ़ेगी और दक्षिण पश्चिम मानसून केदौरान पूर्वानुमानों के क्षेत्र में भी विस्तार एवं सुधार होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के भर्ती-केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये अपनाया गया आरक्षण

4960. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न भर्ती-केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए अपनाये जाने वाला आरक्षण का प्रतिशत वही है जो उस राज्य/संघ क्षेत्र द्वारा अपनाया जाता है जहां वह स्थित हैं; और

(ख) यदि हां, तो आरक्षण का अखिल भारतीय स्तर न अपनाये जाने के क्या कारण हैं जब कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी सवाओं के लिए पूरे भारत से उम्मीदवार बुलाता है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह अखिल भारतीय आधार पर सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के बारे में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.1/2 प्रतिशत आरक्षण का अखिल भारतीय प्रतिशत अपनाता है। उसके विभिन्न कार्यालयों द्वारा अपने क्षेत्राधिकर के सम्बन्धित क्षेत्रों में क्षेत्रीय आधार पर भरती की जाती है, उनके मामले में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण के प्रतिशत का हिसाब ऐसे कार्यालयों के भर्ती-क्षेत्र में, इन जातियों की जन संख्या के अनुपात को ध्यान में रखकर लगाया जाता है। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विषयक समिति (5वीं लोक सभा) की 27वीं रिपोर्ट में कीगई सिफारिश संख्या 18 के अनुरूप है।

Amendment of Gold Control Act

4961. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the All India Sarafa Association, Delhi and other associations have submitted any memoranda between 1st August, 1977 to 31st October, 1977 requesting the repeal, amendment or simplification of the Gold Control Act;

(b) if so, the nature of the demands made therein; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government thereon; if action is proposed to be taken, when and how?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a), (b) and (c). Government have received representations from a number of organisations, associations (including All India Sarafa Association) and individual proposing either abolition of the Gold (Control) Act or significant amendment of it.

The gold control policy is under Government's review. Changes as deemed necessary will be made depending on the results of review.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को ब्याज-मुक्त ऋण

4962. **श्री रूद्रसेन चौधरी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और कारीगरों को अपने-अपने उद्योग बढ़ाने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों से ब्याज-मुक्त ऋण दिलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी साम्य पूंजी को कम न करने वाली विदेशी कम्पनियां

4963. **श्री मल्लिकार्जुन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कार्यरत ऐसी विदेशी कम्पनियां कौन कौन सी हैं जिन्होंने अपनी विदेशी साम्य पूंजी को अभी तक कम नहीं किया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : एक विवरण संलग्न है जिसमें उन कम्पनियों के नाम दिये गये हैं जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार अभी अपने अनिवासी हिताधिकारों में कमी करनी है । **[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये** संख्या एल० टी०-1454/77]

जनवरी-फरवरी, 1978 के दौरान उपभोक्ता तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की स्थिति

4964. **श्री समर गुह :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य ने की नवीनतम स्थिति का कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) जनवरी-फरवरी, 1978 के दौरान इन वस्तुओं के मूल्य की सम्भाव्य स्थिति क्या होगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां । 17 सितम्बर, 1977 और 3 दिसम्बर, 1977 के बीच की अवधि के बारे में आवश्यक और आम खपत की वस्तुओं के मूल्यों के रुख का अध्ययन किया गया है ।

(ख) 3 दिसम्बर, 1977 तक समाप्त 11 सप्ताहों के दौरान समस्त-वस्तु थोक मूल्य सूचकांक में 2.2 प्रतिशत की कमी हुई है। इस अवधि में बहुत सी वस्तुओं के थोक मूल्यों में उल्लेखनीय कमी हुई है । चावल के मूल्य में 9.2 प्रतिशत, प्याज के मूल्य में 22.2 प्रतिशत, दूध के मूल्य में 5.2 प्रतिशत, चाय के मूल्य में 28.5 प्रतिशत, काफी के मूल्य में 5.4 प्रतिशत, खाण्डसारी के मूल्य में 10.1 प्रतिशत, गुड़ के मूल्य में 12.1 प्रतिशत और मूंगफली के तेल के मूल्य में 13.1 प्रतिशत की कमी हुई है । ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है ।

(ग) आगामी दो महीनों की मूल्य स्थिति के बारे में पूर्व सूचना देना कठिन है । तथापि, यह कहा जा सकता है कि कुल मूल्य स्थिति के नियंत्रण में बने रहने की संभावना है ।

विवरण

17-9-77 को समाप्त होने वाले सप्ताह और 3-12-77 को समाप्त होने वाले सप्ताह की अवधि के दौरान आवश्यक और आम खपत की वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों के उतार-चढ़ाव का प्रतिशत

वस्तुएं	उतार चढ़ाव का प्रतिशत
चावल	−9.2
गेहू	+5.6
ज्वार	−2.5
बाजरा	+16.1
रागी	−0.1

वस्तुएं	उतार-चढ़ाव का प्रतिशत
चना	+13.4
अरहर	+14.1
मूंग	+19.9
मसूर	+17.3
उड़द	−9.7
सब्जियां	+1.8
आलू	+18.3
प्याज	−22.2
दूध	−5.2
मक्खन	−2.3
अण्ड	+9.9
मछली	+12.4
मांस	+1.0
काली मिर्च	स्थिर
मिर्च	+0.6
हल्दी	+9.8
अन्य मसाले और गर्म मसाले	+8.3
चाय	−28.5
काफी	−5.4
कपास	−2.9
मूंगफली	−6.4
रेपसीड और सरसों	−10.1
बिनौला	−16.1
जिंजली बीज	−4.6
अलसी	−7.4
खोपड़ा	20.7
तम्बाकू कच्चा	+1.4
कोयला	स्थिर
कोक	स्थिर
मैदा	−1.0

बस्तुएं	उतार चढ़ाव का प्रतिशत
आटा	−3.7
सूजी	−1.8
बिस्कुट	स्थिर
डबलरोटी	स्थिर
चीनी	−1.7
खांडसारी	−10.1
गुड़	−12.1
मिष्ठान	−4.3
वनस्पति घी	−4.8
मूंगफली का तेल	−13.1
सरसों का तेल	−16.3
नारियल का तेल	+15.9
जिंजली का तेल	−5.6
करडी तेल	−1.9
महुये का तेल	+3.0
बिनौले का तेल	−6.7
नमक	− .5
सिगरेट	−0.3
हथकरघे और पा रलम	+1.6
कागज	+2.7
टायर	+1.0
ट्यूबे	स्थिर
कास्टिक सोडा	स्थिर
सोडा राख	स्थिर
रेज़र ब्लेड	स्थिर
सीमेंट	स्थिर
दियासलाइयां	स्थिर
समस्त वस्तुएं	−2.2

Sub-Committee for Suggesting Measures to Control Prices

4965. **Shri Hargovind Verma:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state:

(a) whether a sub-committee of the Ministers has been constituted for suggesting measures to control the prices;

(b) if so, whether it has made any suggestion in this regard; and

(c) if not, when it is likely to make suggestions?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal): (a) No such formal sub-Committee of the Cabinet has been constituted.

(b) & (c). Do not arise.

Construction of Five Star Hotels with Foreign Collaboration

4966. **Shri Ravindra Pratap Singh:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to set up more five-star hotels with foreign collaboration and if so, the number of such hotels proposed to be set up and when these are likely to be set up;

(b) whether it is a fact that foreign tourists are not getting accommodation in hotels in big cities and if so, the arrangements made by Government in this regard; and

(c) whether cold meals are served in the hotels under the Indian Airlines, and the service is also not satisfactory there and if so, the steps taken by Government in this regard?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) No public sector hotel in the country has been put up with foreign collaboration nor is there any proposal for such collaboration at present.

(b) During the peak tourist season, there are reports of non-availability of hotel accommodation in some cities. To augment hotel accommodation in the country, besides undertaking construction of hotels in the public sector, the private sector is also encouraged to set up more hotels conforming to prescribed standards by given various incentives such as fiscal reliefs, financial assistance in the form of institutional loans, priority consideration for essential requirements, etc.

(c) The Indian Airlines do not own or operate any hotels.

उड़ीसा राज्य को रेपसीड तेल की सप्लाई

4967. **श्री जैना बेरागी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार को 1000 मीट्रिक टन रेपसीड तेल की सप्लाई का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किस आधार पर उड़ीसा सरकार को रेपसीड तेल की सप्लाई का आश्वासन दिया था ;

(ग) उसको उठाने का समय और अवधि क्या है ; और

(घ) कुल आश्वासन दिए गए रेपसीड में से 270 मीट्रिक टन की सप्लाई को उठाने के लिए सरकार द्वारा रोक लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सह कारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णकुमार गोयल) : (क) उड़ीसा राज्य सरकार ने नीचे लिखे अनुसार परिष्कृत रेपसीड तेल की सप्लाई करने के लिये कहा था :—

सितम्बर, 77	300
अक्तूबर, 77	था ;
नवम्बर, 77	
दिसम्बर, 77	रण हैं ?

केन्द्रीय सरकार तेल की सप्लाई आधार पर राज्य सरकार की मांग को पूरा करने के लि[illegible] चलन करती है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास राज्यों की [illegible] को पूरा करने के लिये स्टाक में पर्याप्त रेपसीड तेल है ।

(ग) राज्य सरकार को किये गये आवंटनों को उ[illegible] लिए कोई विशिष्ट समय अथवा अवधि निश्चित नहीं की जाती है । उनसे केवल आवंटित मात्रा को [illegible] से उठाने का अनुरोध किया जाता है ।

(घ) कोई रोक नहीं लगायी गई थी । गणेश फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर यूनिट को तेल परिष्करण क्षमता के आधार पर समय समय पर तेल की मात्रा दी जाती है । अगस्त-सितम्बर, 1977 में 270 मीटरी टन का आवंटन किया गया था । इस मात्रा में से राज्य सरकार अब तक 177.5 मीट्री टन तेल उठाया है । राज्य सरकार द्वारा शेष मात्रा उठाये जाने [illegible] उन्हें और तेल की मात्रा सप्लाई की जायेगी । उन्हें तेल शीघ्र उठाने के लिये कहा जा रहा है, ताकि नये आवंटन किये जा सकें ।

प्रवर्तन निदेशक की प्रतिनियुक्ति की अवधि का बढ़ाया जाना

4968. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की

(क) क्या यह सच है कि प्रवर्तन निदेशक की प्रतिनियुक्ति की अवधि को, प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि से अधिक जो कि अन्य अधिकारियों को सामान्य तौर पर दी जाती है, बढ़ाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछली सरकार द्वारा इस अधिकारी के साथ विशेष रूप से पक्षपात किए जाने के क्या कारण हैं और यह अनुचित पक्षपात किसने किया था और इसके कारण क्या थे ;

(ग) क्या इस प्रकार के पक्षपात वही लोग कर रहे हैं जिनका सम्बन्ध पिछली सरकार के 'चौगुटे' से था; और

(घ) यदि हां, तो जनता सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां। उन्होंने निदेशालय में पांच वर्ष की सामन्य समयावधि 6–10–76 को पूरी कर ली थी। 19 अक्तूबर, 1976 को, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने, उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि को, 31 जनवरी, 1978 तक के लिये बढ़ा दिया था।

(ख) उक्त अधिकारी के साथ विशेष रूप से कोई पक्षपात नहीं किया गया। उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि को मन्त्रिमंडल की नियुक्ति समिति की अनुमति से बढ़ाया गया था ताकि वह उस पद पर निरन्तर कार्य करते रह सकें।

(घ) और (ख) में दिये गये उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

4966. **Shri [illegible] Prasad:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

Master Plan for Kushinagar in Deoria District (U.P.)

(a) whether a Master Plan is being formulated for Kushinagar in Deoria district of Uttar Pradesh; and

(b) when the above plan will commence and when it is likely to be completed?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) The master plan of Kushinagar as drawn up is basically a land-use plan which broadly indicates the line of approach to the development of the area. Based on this master plan it is proposed to develop tourist facilities and take measures for environmental improvement of the area surrounding the monument. The tourist facilities proposed to be developed will include accommodation, cafetaria, camping site, car park etc.

(b) The implementation of the master plan of Kushinagar will be taken up as soon as detailed planning is completed and resources are made available. Its completion is likely to take 2 years from the date of commencing the execution of the developmental plan.

दार्जिलिंग के लिये जनता होटल

4970. **श्री के० बी० चेत्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता होटल के निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम में पर्वतीय स्थलों की गनी, दार्जिलिंग को शामिल किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग). मैट्रोपोलिटन शहरों दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास और अन्य चुनेहुए पर्यटन केन्द्रों पर सस्ते होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय क्षेत्र में बनाये जाने वाले ऐसे होटलों की संख्या तथा स्थान छठी पंचवर्षीय योजनाके दौरान जिस परियोजना आयोग के साथ बातचीत की जा रही है, इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध किए गए साधनोंपर निर्भर करेंगे ।

इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसियेशन द्वारा लगाया गया आरोप

4971. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि जोरहाट के निकट भारतीय वायु सेना के विमान की हाल ही की दुर्घटना के बारे में इण्डियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि आसाम घाटी में रात्रि परिचालन के दौरान कुछ, सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया गया था;

(ख) क्या यह आरोप सही है; और

(ग) यदि हां, तो विनियमों की ऐसी घोर उपेक्षा और उल्लघन के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क): आसाम में रात्रि परिचालन की कुछ सुरक्षात्मक पाबन्दियों की अवहेलना के बारे में भारतीय वाणिज्यिक पायलट एसोसियेशन से कोई पत्र नहीं मिला था; तथापि, एसोसियेशन द्वारा निकाला गया सम्पादक के नाम एक पत्र 21 नवम्बर, 1977के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि इस बात के बावजूद कि आसाम की घाटी रात्रि परिचालन के लिये सुरक्षित नहीं है, उस विमान की जिसमें प्रधान मंत्री सवारथे, उड़ानकी योजनाबनाई गई, विशेषकर जब किकोई युद्ध अथवा आक्रमण जैसी गम्भीर संकट कालीन स्थिति भी नहीं थी ।

(ख) रात्रि परिचालनों के बारे में सुरक्षा विषयक पाबन्दियों की अवहेलना नहीं हुई ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Alleged misuse of Import Licences by Shriram Rayons, Kota (Rajasthan)

4972. **Shri Harikesh Bahadur:**
Shri Ramapati Singh:
Shri Chandra Shekher Singh:
Shri Gauri Shankar Rai:

Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether the letter of one Shri Nageshwar Singh, Village Barhi. P. O. Ekaldiha, District Varanasi, dated the 13th October, 1976 addressed to the President has been forwarded by the President's Secretariat to the Finance Ministry for necessary action;

(b) if so, the action being taken by Government in regard to the charges of misuse of and bungling in the import licences by Shriram Rayons, Shri Ramnagar, Kota (Rajasthan), a concern of the Delhi Cloth and General Mills Limited;

(c) whether M/s. Shriram Rayons sold 48 drums of imported ethomeen C-25, to M/s. Dai Inchi Karkaria Private Limited, Bombay on the 26th April, 1973;

(d) whether M/s. Shriram Rayons sold 8460 K. G. of imported pulp on the 18th July, 1972 without Government's permission;

(e) whether this firm also sold on the 5th July, 1972 imported pulp to M/s. Nucham Plastic Limited, Faridabad; and

(f) if so, the action taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Beg): (a) A complaint dated 13th October, 1976 against M/s. Shriram Rayons Mills, Kota, Rajasthan, was addressed by Shri Nageshwar Singh, s/o Shri Rudra Prasad Singh of Distt., Varanasi (U.P.) to the President, with copy to the Prime Minister. Prime Minister's Secretariat passed on the complaint to the Ministry of Commerce on 5th November, 1976.

(b) to (f). The matter is still under investigation. Appropriate action against the firm will be taken, if called for, after the investigation is completed.

आयातित मूंगफली के तेल का उपयोग न किया जाना

4973. **श्री० के० टी० कोतरामः** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ महीने पूर्व तमिलनाडु सरकार द्वारा वितरण के लिए आयात किया गया लगभग 18,000 मीट्रिक टन मूंगफली का तेल बम्बई पत्तन में अप्रयुक्त पड़ा हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि कुछ और समय तक इस तेल को अशोधित रूप में रखा जाता है तो यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार शोधन और वितरण के लिए दक्षिणी राज्यों के मिल मालिकों तथा तेल शोधन शालाओं को यह तेल रिलीज करने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) (क) तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों को वितरित करने के लिए उनकी मांग का निर्धारण करने के बाद 17,300 मीटरीटन मूंगफली के तेल का आयात किया गया था। यह तेल बम्बई में राज्य व्यापार निगम के भंडार में है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस समय देशी मूंगफली के तेल के चालू भावों को देखते हुए, तमिलनाडु सरकार सहित राज्य सरकारें उतनी मात्रा में माल उठाना नहीं चाहती हैं, जितनी के लिए उन्होंने मूल रूप से मांग की थी । इस तेल का निपटान कैसे करना है इसके बारे में सरकार विचार कर रही है।

सिंडीकेट बैंक के अध्यक्ष के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किया जाना

4974. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :
श्रीमती शान्ति देवी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुतसी अनियमिततायें बरतने के लिए, जिसमें सिंडीकेट एग्रीकल्चरल फाउण्डेशन को भारी अनुदान दिया गया है जिसने भूतपूर्व उद्योग मंत्री, श्री टी० ए० पाई, के फार्म पर बड़ी धन-राशि खर्च की थी, सिंडीकेट बैंक के चेयरमैन श्री के० के० पाई के खिलाफ, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच लंबित है जैसा कि 27 अगस्त, 1977 के साप्ताहिक 'ब्लिट्ज' में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या श्री के० के० पाई, चेयरमैन ने 5 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किये थे जिसमें 2 करोड़ रुपए के ऋण वसूल नहीं किये जा सकते और उनके इस कार्य के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो इस बैंक के चेयरमैन के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है / करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार इस बात से अवगत है कि सिंडीकेट बैंक के अध्यक्ष श्री के० के० पै के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच चल रही है।

उनके विरूद्ध की जाने वाली जांच का सम्बन्ध एक विज्ञापनकर्त्ता प्रतिष्ठान की ओर से सिंडीकेट बैंक द्वारा जारी की गयी गारण्टियों के बारे में है न कि सिंडीकेट एग्रीकल्चरल फाउण्डेशन को बड़ी मात्रा में मजूरियां करने से ।

(ख), (ग) और (घ). 28 फरवरी, 1970 से सिंडीकेट बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्यरत श्री के० के० पै ने प्रबन्ध निदेशकों द्वारा प्रबन्ध निदेशक को प्रदत्त शक्तियों के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विभिन्न अग्रिम मंजूर किये हैं । सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रश्न में उल्लिखित 5 करोड़ रुपये इनमें से किन ऋणों का जोड़ है और जब तक ऋणकर्त्ताओं के नाम नहीं बताये जाते तब तक यह बताना सम्भव नहीं है कि ऋणों का कितना अंश वसूल नहीं किया जा सकता है । सिंडीकेट बैंक के अध्यक्ष द्वारा मंजूर किए गये ऋणों के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही । अब तक, सरकार को मिले विभिन्न आरोपों के आधार पर रिज़र्व बैंक इन आरोपों की जांच कर रहा है और उसके निष्कर्षों के आधार पर सरकार रिजर्व बैंक के परामर्श से आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय करेगी ।

Grade III and Grade IV Employees of Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi.

4975. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether the services of all the employees of the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi were transferred from Bihar State to the Central Government;

(b) whether Grade III and Grade IV employees so transferred have been given regular appointment in the Central Government w.e.f. 1st January, 1976 and whether post in Grade I has been down-graded;

(c) whether all the employees appointed after 1970 have so far been treated as *ad hoc* appointees and whether the services of a Head Clerk, appointed in accordance with the prescribed rules and under regular procedure, are being terminated; and

(d) whether Government propose to dispense with the services of Grade II and Grade IV employees?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Co-operation (Shri K. K. Goyal): (a) The Indian Institute of Legal Metrology was taken over by the Central Government from the Government of Bihar on 1st January, 1970. On the date of transfer there were 28 sanctioned posts, out of which 3 were vacant. Out of 25 incumbents in position on 31st December, 1969, 20 were temporary and 5 were permanent in other Departments of the Government of Bihar. The Government of Bihar agreed to lend the services of permanent staff initially, for a period of 2 years, on deputation without deputation allowance. They terminated the services of temporary staff with effect from 31st December, 1969, leaving it to the temporary staff to accept or not to accept the temporary appointment under the Government of India. The Central Government retained the temporary staff when the *incumbents* agreed to accept temporary appoinments on an *ad hoc* basis.

(b) & (c). It has been decided to appoint such staff on temporary basis subject to review in accordance with the Recruitment Rules which have since been finalised. Filling up of the posts in accordance with the Recruitment Rules is on hand. No post in Grade I has been down-graded. The post of Head Clerk-*cum*-Accountant (and not Head Clerk) was filled on a purely temporary *ad hoc* basis from among the candidates sponsored by the Employment Exchange on 1st November, 1974, for the period till the regular recruitment would be made in accordance with the Recruitment Rules for the post. The Recruitment Rules have since been finalised and the present incumbent does not satisfy the qualifications prescribed in recruitment rules. As the present incumbent is a permanent employee of the Government of Bihar, his services are being replaced at the disposal of the Government of Bihar.

(d) Services of those Grade II and Grade IV employees who were appointed on purely *ad hoc* basis will have to be replaced if they are not qualified and eligible in terms of the Recruitment Rules.

एल्यूमीनियम का आयात

4976. **श्री लक्ष्मणराव मानकर :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमीनियम के आयात करने की आवश्यकता देश में महसूस की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितनी मात्रा में एल्यूमीनियम का आयात किया गया और किस दर पर ;

(ग) क्या देश में एल्यूमीनियम के उत्पादन में गिरावट आई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ). देश की वर्तमान स्थापित क्षमता को यदि पूरी तरह प्रयोग में लाया जाये तो वह देश की एल्यूमीनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विभिन्न एल्यूमीनियम प्रगालकों को या तो बिजली की सप्लाई में देरी के कारण या बिजली में कटौती करने के कारण 1977 के आरम्भ से उत्पादन में गिरावट आई है। 5000 मे टन एल्यूमीनियम सिल्लियों (2000 मे० टन अमरीकी डालर 1105.70 प्रति मे० टन की दर से 99.7 प्रतिशत शुद्धता वाला और शष 3000 मे० टन अमरीकी डालर 1093.73 प्रति मे० टन की दरसे 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला, दोनों सी आई एफ कलकत्ता/बम्बई पत्तन, आयात शुल्क शामिल नहीं है) का आयात पहले ही कर लिया गया है और उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए 5000 मे० टन और एल्यूमीनियम सिल्लियों का आयात आ रहा है। यदि आवश्यक पाया गया तो और आयात किया जाएगा ।

दीर्घकालिक चीनी निर्यात नीति

4977. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में चीनी की मांग और उसके मूल्य में स्पष्ट वृद्धि का लाभ उठाने में राज्य व्यापार निगम की असमर्थता के कारण भारत को बहुत अधिक हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस त्रुटि के लिये राज्य व्यापार निगम के सम्बद्ध अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित करेगी ; और

(ग) क्या चीनी के निर्यात की दीर्घकालिक नीति निर्धारित की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं । निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा स्वदेशी बाजार की आवश्यकता, उपलब्ध देशी माल तथा विश्व बाजार में प्रचलित कीमतों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर निर्धारित की जाती है ।

राजस्व विभाग के मुख्यालय प्रतिष्ठान के तीन भागों में विभाजन के कारण अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च

4978. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या **वित्त** मंत्री राजस्व विंग द्वारा किये जाने वाले काय के विभाजन के बारे में 29 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5485 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व विभाग के मुख्यालय प्रतिष्ठान का तीन भागों में विभाजन से होने वाले अतिरिक्त प्रशासनिक खच की राशि का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना खर्च होने की संभावना है और इस विभाग को तीन भागों में विभाजित करने के फलस्वरूप विभिन्न संवर्गों में कितने अतिरिक्त पद बनाने का विचार है;

(ग) इन तीन विकेन्द्रीयकृत प्रशासनिक एककों में कर्मचारियों (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) पुराने ढांचे की तुलना में पुनर्गठित ढांचा सरकार के लिये किस रूप में अधिक लाभप्रद रहेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तीनों विकेन्द्रित प्रशासनिक एककों में कर्मचारियों की कुल संख्या नीचे दी गई है :

		केन्द्रीय प्रभाग	अप्रत्यक्ष कर प्रभाग	प्रत्यक्ष कर प्रभाग
राजपत्रित	255	62	120	73
अराजपत्रित	902	261	420	221

(घ) विभाग को तीन प्रभागों में विभाजित करने की इस योजना को अभी पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस योजना के अब तक के कार्यचालन-अनुभव को देखते हुए तथा कर्मचारियों से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की संगठनात्मक तथा प्रशासनिक व्यवस्था की जांच की जा रही है ।

पिल्ले समिति की सिफारिशें

1979. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों की परिलब्धियों और अन्य लाभों में समता लाने की आवश्यकता के बारे में पिल्ले समिति की क्या सिफारिशें हैं; और

(ख) सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). पिल्ले समिति ने, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों के ढांचे को विनियमित करने वाले सिद्धान्तों की जांच करने के पश्चात्, अधिकारियों के काडर की जिम्मेदारियों के सस्पष्ट स्तरों पर मोटे तौर पर आधारित सात वेतनमानों वाले मानक वेतनमान ढांचे की सिफारिश की है। उसने जिम्मेदारियों के प्रकार और किये जाने वाले कार्यों के आधार पर बैंकों के अधिकारियों की विभिन्न पदों के मूल्यांकन और सिफारिश किये गये ग्रेडों में से एक ग्रेड में उनका वर्गीकरण करने के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों का सुझाव भी दिया है। समिति ने महंगाई भत्ते और यात्रा भत्ते, मकान किराया भत्ते, चार्ज पूरक भत्ते जैसे अन्य भत्तों के मानकीकरण की भी सिफारिश की है। समिति ने उच्च स्तर के कर्मचारियों के अंतः बैंक तबादले की भी सिफारिश की है। सरकार द्वारा गठित बैंकरों के समूह द्वारा और उदार बनायी गयी इन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

बैंकरों के समूह द्वारा यथा संशोधित पिल्ले समिति की सिफारिशें सरकार स्वीकार कर चुकी है और बैंकों द्वारा अपनाये जाने के लिए उन्हें भेज दी गई हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।

अभ्रक उद्योग में कमियों को दूर किया जाना

4980. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में अभ्रक उद्योग में तेजी से गिरावट आई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस उद्योग के कार्यों की जांच की है तथा कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य का संकेत अभ्रक के निर्यातों में गिरावट की ओर है। साधित अभ्रक का निर्यात 1972–73 में भागीकृत किया गया था। साधित अभ्रक के निर्यात, मात्रा तथा मूल्य दोनों में, मार्गीकरण से एक वर्ष पूर्व, 1971–72 में हुए निर्यातों की तुलना में कभी अधिक रहे और कभी कम रहे। अतः यह कहना सही नहीं होगा कि हाल के वर्षों में साधित अभ्रक के निर्यातों में गिरावट आई है। साधित अभ्रक के निर्यात न बढ़ने के बहुत से कारण रहे हैं, जिसमें से मुख्य कारण है संश्लिष्ट स्थानापन्न वस्तुओं से प्रतियोगिता।

साधित रूप में अभ्रक के निर्यात की कोई खास गुंजाइश नहीं है और इस खनिज पदार्थ का भविष्य इसका विविधीकरण करने, जैसे कि विनिर्मित अभ्रक तथा विरंजित अभ्रक आदि पर निर्भर है।

इन अभ्रक उत्पादों के उत्पादन के लिए देश में अपेक्षित औद्योगिक क्षमता पैदा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

निर्धारित वस्तुओं का उत्पादन करने वाले नये औद्योगिक एककों को राहत देना

4981. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **वित्त** मंत्री नये औद्योगिक एककों को उत्पादन शुल्क से छूट के बारे में 1 जुलाई, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 297 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धारित वस्तुओं का उत्पादन करने वाले नये औद्योगिक एककों को 25 प्रतिशत उत्पादन शुल्क की छूट से अतिरिक्त अग्रेतर क्या राहत देने का सरकार का विचार है; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है और यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख). निर्दिष्ट माल का उत्पादन कर रहे नये औद्योगिक एककों को किसी प्रकार की राहत देने की आवश्यकता की जांच की जायेगी और सरकार की समग्र आर्थिक नीति के अन्तर्गत जो भी राहतें उपयुक्त समझी जायेंगी और जब कभी परिस्थितियां ऐसी कार्यवाही की मांग करेंगी वे अमल में लायी जायेंगी ।

आयात को उदार बनाने का विदेशी मुद्रा की आय पर प्रभाव

4982. **श्री धर्मवीर वशिष्ट :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम अप्रैल, 1977 से 31 अक्तूबर, 1977 तक की अवधि में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में भारत को विदेशी मुद्रा की आय में कितनी ठोस वृद्धि हुई; और

(ख) क्या आयात को उदार बनाने का विपरीत प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) पहली अप्रेल, 1977 से 31 अक्तूबर, 1977 तक की अवधि के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में 895.2 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 532.1 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी ।

(ख) जी, नहीं । विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में होने वाली घट-बढ़ देश के बाहरी लेन-देनों का वास्तविक परिणाम होती है । यद्यपि अनाज से भिन्न वस्तुओं के आयात में काफी वृद्धि हुई, परन्तु अनाज के आयात में कमी होने के कारण यह वृद्धि प्रतिसन्तुलित हो गई । तथापि निर्यात में लगातार वृद्धि और बाहर से लगातार रकमों की प्राप्ति जैसे अन्य अनुकूल कारणों से विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में अप्रैल-अक्तूबर 1977 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा काफी अधिक वृद्धि हुई ।

ग्रामीण और नगरीय घरेलू वस्तुओं पर केन्द्रीय और अप्रत्यक्ष कर

4983. **श्री परमानन्द गोविन्द जीवाला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण और नगरीय घरेलू वस्तुओं पर केन्द्रीय और अप्रत्यक्ष करों का व्यवस्थित अध्ययन आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह अध्ययन कब आरम्भ किया गया था तथा उस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) और (ख). अभी हाल ही में, सरकार ने देहाती और शहरी घरेलू वस्तुओं पर केन्द्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों के भार का कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया है। अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति ने हाल ही में विभिन्न व्यय समूहों में घरेलू वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष करों के भार के वितरण के प्रश्न की जांच की है। समिति की रिपोर्ट की फिलहाल जांच की जा रही है।

Qualifications prescribed for appointment in Bank in Rajasthan at different places

4984. **Shri Jagdish Prasad Mathur:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the reasons why different educational qualifications were prescribed for appointment at different places for the same post in different branches in the Bank of Rajasthan Ltd., advertised in 1977?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): Educational qualifications for appointment are the same at all places. It is reported that the Bank of Rajasthan had, in their advertisement issued in 1977, prescribed first division in Higher Secondary/Pre-University and 40 per cent marks for graduates and post-graduates as the minimum educational qualification for recruitment to clerical posts. Further, the bank is reported to have zone-wise approach for determining the number of candidates to be called for test, depending upon the number of applications received and the number of vacancies in each zone. Where the response to advertisements is over-whelming and disproportionate to the vacancies in each zone, the criteria for calling candidates in terms of marks in the University examinations are fixed by the bank at a higher level than the prescribed minimum, to restrict invitees to tests to manageable number and to give fair representation amongst its different zones.

निर्मित वस्तुओं के मूल्यों के लेबल लगाना

4985. **डा० बापू कालदाते:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माताओं ने और उनकी वस्तुएं बेचने वाले दुकानदारों ने निर्मित अथवा बेची जाने वाली वस्तुओं पर मूल्य छापना या लेबल लगाना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को छोड़ देने के क्या कारण हैं; और

(ग) जिन निर्माताओं अथवा दुकानदारों ने इन नियमों का उल्लंघन किया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) जी नहीं। पैकेज में रखी गई वस्तु (विनियमन आदेश), 1975, जिसके अंतर्गत विनिर्माता/पैकर को अन्य बातों के साथ-साथ, पैकेज पर वस्तु का मूल्य देना होता था, 25 सितम्बर, 1977 से लागू नहीं रहा क्योंकि यह आदेश भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम के अंतर्गत जारी किया गया था। इस आदेश के उन्हीं उपबन्धों को बाट और माप मानक (पैकेज में रखी गई वस्तु) नियम, 1977 में शामिल कर लिया गया है, जो 26 सितम्बर, 1977 को जारी तथा उसी तारीख से लागू किये गये हैं, ताकि पहले से चली आ रही प्रक्रिया जारी रहे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन नियमों की अपेक्षाओं का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इन में शामिल दंड उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में सचिव के पद का भरा जाना

4986. **श्री बालक राम** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में 1500–2000 रुपये के वेतनमान में सचिव का एक पद विद्यमान है;

(ख) क्या आरम्भ में यह पद बिना विज्ञापन दिये भरा गया था; और

(ग) क्या ऐसी नियुक्ति करने के उपरान्त इस पद के लिए विज्ञापन दिया गया था जिसमें वही अर्हताएं, आयु आदि निर्धारित की गई थीं जो सीधे नियुक्त किये गये व्यक्ति की हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सचिव पद के लिए विज्ञापन में की गई योग्यता, आयु आदि के बारे में सुझाव प्राधिकरण द्वारा दिया गया था और सरकार पद की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनको अनुमोदित किया था।

Smugglers Arrested during Emergency and Value of Goods Recovered

4987. **Shri Ram Lal Rahi:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of smugglers arrested and the value of goods recovered during the emergency;

(b) whether it is a fact that so far the Government have not been able to take any decision regarding disposal of smuggled goods and as a result thereof goods worth crores of rupees are roting in godowns; and

(c) if so, the method likely to be adopted for their disposal?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) During the emergency, 4979 smugglers were arrested under the Customs Act 1962 and goods worth about Rs. 64 crores were seized by the Customs authorities.

(b) and (c). No Sir. Some items, a list of which is enclosed, are being disposed of in accordance with the existing prescribed procedure. The Government is also examining ways and means of disposal of other confiscated items, other than by sale within the country. This would include possibility of re-export outside India. However, necessary precautions to prevent damage to or deterioration of the goods in stock are taken by the Customs authorities.

Statement

(a) Gold and silver;

(b) currency (Indian and foreign);

(c) trade goods;

(d) vessels and vehicles;

(e) precious and semi-precious stones other than diamonds;

(f) fire arms and ammunition;

(g) antiquities;

(h) goods of Indian origin;

(i) heterogeneous items seized in small lots in the confiscated baggage (other than those covered by the provisions of Chapter IVA and Section 123 of the Customs Act, 1962 and the notifications issued thereunder). These items may be disposed of through the retail shops run by the Department in the Custom House.

माधवनगर काटन मिल्स लिमिटेड, सांगली की ऋण की स्वीकृति

4988. **श्री बाबूसाहिब परूलेकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माधवनगर काटन मिल के एक भूतपूर्व अधिकारी और शेयरधारी श्री बी० डी० पटवर्धन ने वित्त मंत्री को 19 अगस्त, 1977 को एक याचिका प्रस्तुत की है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उक्त मिल ने बैंकों की स्वीकृति लिए बिना और बैंकों को गलत तथा भ्रामक विवरण देकर लाखों रुपयों की विभिन्न मशीनरी बेच कर बैंक आफ महाराष्ट्र (सांगली शाखा) और सांगली बैंक लिमिटेड, सांगली को धोखा दिया है; और

(ख) क्या उक्त याचिका पर कोई कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री० एच० एम० पटेल) : (क) सरकार को 19 अगस्त, 1977 का बिना हस्ताक्षर का पत्र मिला है जो माधवनगर काटन मिल्स लिमिटेड, सांगली के एक भूतपूर्व अधिकारी और शेयर होल्डर श्री बी० डी० पटवर्धन द्वारा लिखा गया था प्रतीत होता है ।

(ख) सरकार ने यह शिकायत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को भेज दी है जिसने इस मामले के बारे में कम्पनी के बैंकरोंसे लिखा पढ़ी की है ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक आफ इंडिया को प्राप्त आवेदन पत्र

4989. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 लागू होने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 29(2) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) ऐसे आवेदन पत्रों का स्वरूप और ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या आदेश दिए गए हैं;

(ग) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने उक्त अधिनियम की धारा 29(2)(ङ) के अन्तर्गत कोई आदेश दिए हैं; और

(घ) क्या रिजर्व बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 29(3) के अन्तर्गत कोई छूट दी है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2) (क) के अन्तर्गत कुल 877 आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।

(ख) सभी आवेदन पत्र उन कम्पनियों शाखाओं द्वारा देश में कारोबार जारी रखने के लिए हैं जो पहली जनवरी 1974 को स्थिति में थीं । अब तक रिजर्व बैंक ने 786 मामलों में अन्तिम निर्णय दिया है और इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) 29(3) धारा के अधीन बैंक ने दो मामलों में छूट दी थी ।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29(2) के अधीन अनेक पत्रों के निपटारे के संबंध में स्थिति ।

(क) अनिवासियों की शेयर पूंजी को घटा कर 40 प्रतिशत तक करना . .	62
(ख) अनुमोदित बशर्तें कि अनिवासियों की शेयर पूंजी को घटा कर 40 प्रतिशत तक कर दिया जाए . . .	221
(ग) अनुमोदित बशर्तें अनिवासियों की शेयरपूंजी को घटाकर 74 प्रतिशत तक कर दिया जाए . . .	111
(घ) अनिवासियों की शेयर पूंजी 40 प्रतिशत से अधिक होते हुए भी अनुमोदित (कम करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनिवासियों की शेयरपूंजी पहले ही 74 प्रतिशत अथवा उससे कम है) . .	112
(ङ) धारा 29(3) के अधीन दी गई छूट के अंतर्गत लाया गया . .	2
(च) अनुमोदित बशर्तें कि विदेशी शेयर धारिता शून्य हो . . .	1
(छ) अनिवासियों की शेयर पूंजी 100 प्रतिशत के साथ अनुमोदित .	1

(ज) विदेशों में निगमित कम्पनियों को भारतीय कम्पनियों में बदलने की शर्त पर जिनमें मौजूदा अनिवासियों के शेयर पहले ही 40 प्रतिशत से कम हैं	13
(झ) सीमित अवधि के लिए अथवा संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए स्वीकृति	9
(ञ) शिपिंग कम्पनियां/एयर लाइन कम्पनियां	37
(ट) वर्गीकृत संस्थाएं	4
(ठ) "न लाभ न हानि" के आधार पर अनुमोदित	7
(ड) अनुमोदित बशर्ते कि पूंजी और आय बाहर न भेजी जाए . .	6
(ढ) ऐसे मामले अनुमोदित जिनमें विदेशी इक्विटी 40 प्रतिशत से अधिक हो लेकिन कुल अनिवासियों की शेयरपूंजी 40प्रतिशत से कम हो .	2
(ण) सम्पर्क संबंधी विक्रयाकलाप वाले मामले अनुमोदित . .	44
(त) स्वैच्छिक समापन	52
(थ) जहां अनुमति लेना आवश्यक नहीं . . .	62
(द) सरकार द्वारा नियंत्रण में ली गई कम्पनियां	4
(ध) एकीकृत/वलीन कम्पनियां	30
(न) अस्वीकृत मामले	6
टिप्पणी: 31-10-77 की स्थिति के अनुसार जोड़ . .	786

अधिकारियों के निवासीय टेलीफोन

4990. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने खर्च में कमी करने की दृष्टि से किसी अधिकारी द्वारा, छुट्टी पर जाते समय, अपने निवासीय टेलीफोन को किसी निश्चित अवधि तक ही रख पाने सम्बन्धी कोई आदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Income Tax Arrears

4991. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of income-tax realised in 1975-76 and 1976-77 and the amount of arrears yet to be realised;

(b) whether Government have chalked out any policy for the realisation of income-tax arrears; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) The total amount of income-tax (including corporation tax) realised during the financial years 1975-76 and 1976-77, on the basis of Departmental figures, was Rs. 2031.52 crores and 2079.69 crores including collections of Rs. 199.24 crores and 33.42 crores respectively under the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Act, 1976.

The gross and net arrears of income-tax (including corporation tax) as on 30th September, 1977 were as under:—

Gross arrears	..... Rs. 1,047.24 crores
Net arrears	..... Rs. 719.78 crores

The figure of Rs. 1,047.24 crores includes a sum of Rs. 252.18 crores outstanding out of the demand raised during the period from 1st April, 1977 to 30th September, 1977.

(b) and (c). The phenomenon of tax arrears is a continuing one. Even though the tax outstanding at the beginning of a financial year is collected/reduced to a substantial extent by the year-end, the arrears again go up mainly because a part of the fresh tax demand raised during the course of the year is not fully collected by the end of the year due to various reasons.

Depending on the facts and circumstances of each case, suitable steps are taken from time to time by the Income-tax authorities concerned for recovery of tax arrears in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. These steps include:—

(a) levy of interest for delayed payment of tax;

(b) imposition of penalty for non-payment of tax;

(c) attachment of monies due to the defaulter; and

(d) attachment and sale of movable/immovable properties.

Administratively, the Income-tax Officers have been asked to pay special attention to the work of collection/reduction of income-tax arrears. The progress of collection/reduction in bigger cases is also supervised by the senior officers in the Department.

विदेशों में रह रहे भारतीयों को निवेश के लिए प्रोत्साहन

4992. **श्री एम० ए० हुनान अलहाज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत में पूंजी निवेश करने अथवा कम से कम, अपनी पूंजी को यहां जमा कराने के लिये कोई प्रोत्साहन देने का है;

(ख) क्या हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन भारतीयों को दी जाने वाली वह विशेष रियायत वापस ले ली है जिसके अधीन वे अपना पैसा विदेशी मुद्रा में जमा करा कर आवास का आवंटन प्राप्त कर सकते थे, और यदि हां, तो क्या ऐसा रवैया देश के लिये हितकर है; और

(ग) क्या सरकार का उन देशवासियों के प्रति विशेष दायित्व है जो अपनी जीविका कमाने विदेशों में गये और अब वापस अपनी मातृभूमि पर आना चाहते हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी विदेशों से देश में रकम भेजने को प्रोत्साहन देने के लिए पहले शुरू की गई योजनाओं की बराबर समीक्षा की जाती है, ताकि देखा जा सके कि क्या इनमें किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत है नई योजनायें शुरू की जानी चाहिएं।

(ख) निर्माण और आवास मंत्रालय के अनुसार गैर-निवासी भारतीयों द्वारा इस योजना का कोई खास स्वागत न किये जाने और दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास सीमित संख्या में फ्लैट उपलब्ध होने के कारण विदेशी मुद्रा में पूरी अदायगी करने पर फ्लैट अलाट करने की विशेष योजना वापस लेली गई है।

(ग) भारत सरकार ऐसे गैर-निवासी भारतीयों से, जो भारत वापस आना चाहते हैं सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करती है।

बिहार तथा उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं

4993. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के उन पर्यटन-स्थलों के नाम क्या हैं जिनका विकास केन्द्रीय सरकार के पर्यटन विभाग ने किया है ;और

(ख) इन दो राज्यों का दौरा करने वाले पर्यटकों को क्या विशेष सुविधायें दी गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बिहार

पर्यटन विभाग

(भाग I स्कीमें) *

क्र० सं०	स्कीम का नाम
1	बोधगया में विश्राम गृह की व्यवस्था।
2	गया, बोधगया, रांची और राजगीर में पर्यटक ब्यूरो।
3	डी० वी० सी० क्षेत्र में विश्राम गृह।
4	डी० वी० सी० क्षेत्र में परिवहन सुविधाएं।
5	बोधगया में महाबोधि मंदिर के चारों ओर के क्षेत्र का विकास।
6	राजगीर में चेयरलिफ्ट का संस्थापन।
7	पालामऊ नेशनल पार्क पर मिनी बस की व्यवस्था।
8	बोधगया में भूमि अभिग्रहण।

भाग II स्कीमें**

1	राजगीर में पर्यटक शाला।
2	बोधगया के पर्यटक बंगले (वर्ग I) में दो शय्याओं वाले कमरों का निर्माण।
3	राजगीर में एरियल रोपवे का संस्थापन।

भारत पर्यटन विकास निगम

1	पटना में स्वागत सेंटर-कम-मोटल।
2	बोधगया में यात्री लाज का नवीकरण।
3	पटना में ट्रान्सपोर्ट यूनिट।
4	बोधगया में ट्रान्सपोर्ट यूनिट।

उत्तर प्रदेश

पर्यटन विभाग

भाग I स्कीमें*

1	कैलाश मानसरोवर मार्ग पर धारा चुल्लखेरा, सोर्का, जिप्पी एवं मल्पा, काबीयांग बूंजी और कालापानी में विश्राम गृह।

1	2
2	उत्तर प्रदेश में पर्यटक व्यूरो।
3	कुशी नगर के विश्राम गृह की व्यवस्था ।
4	इलाहाबाद, लखनऊ, हरद्वार, पिपरी में टूरिस्ट बंगले का निर्माण, रुद्रप्रयाग में तीर्थयात्री सेड और वाराणसी एवं आगरा में टूरिस्ट बंगले का विस्तार ।
5	धिक्काला फारेस्ट रेस्ट हाउस का विद्युतन।
6	इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी के टूरिस्ट बंगले को सजाना ।
7	आगरा में ताज को जाने वाले मार्ग का निर्माण ।
8	आगरा में आगरा फोर्ट के पास के नाले का सुधार ।
9	वाराणसी में पर्यटक स्वागत केन्द्र।
10	आगरा में ताज के चारों ओर के क्षेत्र का विकास ।
11	नैनीताल में यूथ होस्टल ।
12	आगरा के टूरिस्ट गाइड, आगरा को कर्ज।
13	कार्बेट नेशनल पार्क का विकास ।
14	वाराणसी के बनारस टूर को कर्ज।
15	कोसी में कफेटेरिया ।
16	यू० पी० होटल्स और रेस्टोरेंन्टस लि० लखनऊ (होटल क्लार्कस, अवध) को कर्ज ।
17	कार्लटन होटल (पी) लि० लखनऊ को कर्ज।
18	नौर्दर्द इंडिया हाउस होटल्स लि०, आगरा को कर्ज।
19	कार्बेट नेशनल पार्क पर दो मिनी-बसों की व्यवस्था।
20	दुद्वा गेम सेन्चरी पर एक मिनी-बस की व्यवस्था।
21	नैनीताल में यूथ होस्टल ।
22	मे० होटल पिन्क सिटी, आगरा (मुमताज होटल) को कर्ज।
23	आगरा को सुन्दर बनाना ।

भाग II स्कीमें

1	आगरा में एल० आई० जी० रेस्ट हाउस।
2	वाराणसी में एल० आई० जी० रेस्ट हाउस ।

1	2
3	हिमालय के तीर्थयात्री मार्ग के साथ के रेस्ट हाउस का सुधार ।
4	बस्ती (सहेत-महेत) में विश्राम गृह यू० पी० सरकार द्वारा सहायता ।
5	रुद्रप्रयाग में तीर्थयात्री सेड ।
6	इलाहाबाद में एल० आई० जी० होस्टल ।
7	हरद्वार में एल० आई० जी० विश्राम गृह ।
8	आगरा में पर्यटक बंगला ।

भारत पर्यटन विकास निगम

1	वाराणसी में मोटल-कम-रिशेप्शन केन्द्र ।
2	कुशीनगर में यात्री लाज ।
3	आगरा में ताज रेस्टोरेंट ।
4	आगरा में परिवहन यूनिट ।
5	वाराणसी में परिवहन यूनिट ।
6	वाराणसी में वाराणसी होटल का निर्माण ।
7	आगरा में स्वागत सेन्टर-कम-होटल ।

*भाग I स्कीमें—जिनकी वित्त व्यवस्था संपूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा की गयी ।

**भाग II स्कीमें—जिनकी वित्त व्यवस्था 50:50 के आधार पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा की गयी ।

Re-Laying of Delhi Airport Runway

4994. **Shri Chaturbhuj**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Rs. 90 lakhs are proposed to be spent on the work of re-laying the main runway of Delhi airport and if so, the method and the details of the work and the number of years after which such work is undertaken; and

(b) whether an expert opinion was sought for finding out a cheaper method of re-laying runway and whether Government have looked into the matter with a view to find out an economical method for improving the runway of this airport?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) Yes, sir. The contract has been awarded through call of tenders for re-laying the main runway of Delhi airport at a cost of approximately Rupees 90 lakhs. The

main runway at Delhi Airport was extended and strengthened for the operation of Boeing 747 type aircraft during 1970-71. Normally, the life of bitumen overlays is 5 to 7 years and the provision of overlay on a runway surface after a certain period becomes inescapable as the aircraft movement causes considerable fatigue wear and tear on the surface which in turn can impair the safety of aircraft operation, if overlays are not provided in time.

(b) The International Airports Authority of India have enough expertise for the construction and maintenance of runways and, therefore, out side export opinion has not been taken.

जनउपयोग की वस्तुओं के समान मूल्य

4995. **श्री डी० अमात :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के नगरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जन उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों में समानता लाने के बारे में प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण गोयल): (क) जी नहीं । इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Development of Jaunpur as Tourist Centre

4996. **Shri Yadvendra Dutt:** Wil. the Minister of **Tourisem and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a scheme to develop Jaunpur, a historical place as a tourist centre; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) and (b). Due to limited resources necessitating a selective approach to the development of tourist centres, and the emphasis in the Central sector being on the development of tourist centres which stimulate international tourism, no schemes have been prepared in the Central Sector for the development of tourist facilities at Jaunpur.

शेफेयर के जनरल मैनेजर द्वारा विदेशों के दौरे

4997. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेफेयर के जनरल मैनेजर ने गत तीन वर्षों में अपने परिवार के साथ अथवा अन्यथा वायुयान द्वारा कितनी बार विदेश यात्राएं कीं;

(ख) प्रत्येक अवसर पर किस-किस देश में कुल कितना कितना व्यय किया गया और कितनी-कितनी अवधि के लिये वे वहां ठहरे ;

(ग) क्या ये दौरे आवश्यक थे और शेफेयर संगठन के किये आमतौर से और विशेषरूप से देश के लिये लाभदायक सिद्ध हुए ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) शेफेयर में दिल्ली में कोई जनरल मैनेजर नहीं है, बल्कि एक मैनेजर है । पिछले तीन वर्षों के दौरान उसने विदेशों के निम्नलिखित दौरे किये :—

1975–76	.	नेपाल
1976–77	.	नेपाल तथा श्रीलंका
1977–78	. .	फ्रैंक फर्ट, पेरिस तथा लंदन

(ख) प्रत्येक दौरे पर व्यय की गयी कुल राशि, उन देशों के नाम जहां दौरे किये तथा वहां ठहरने की अवधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

देश जहां दौरा किया	व्यय	ठहरने की अवधि
नेपाल का पहला दौरा . .	435 रुपए	2 दिन
नेपाल का दूसरा दौरा	771 रुपए	4 दिन
श्रीलंका . .	कुछ नहीं	8 दिन
फ्रैंक फर्ट . .	2655 रुपए	7 दिन
पेरिस . .	कुछ नहीं	2 दिन
लंदन . . .	कुछ नहीं	4 दिन

(ग) और (घ). जी, हां। दौरे शेफेयर तथा होटल कारपोरेशन आफ इंडिया के हित में आवश्यक थे ।

आयकर कानून

4998. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आयकर कानून कटौतियों और छूटों से इतने अव्यवस्थित हैं कि उनसे न केवल प्रशासन कठिन बन जाता है अपितु उनसे कर का दायत्व टालने और करो का अपबंचन करने तथा उन कानूनों से काला धन जमा करने की कमियां भी रह जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु नगरीय निगमित क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के नाम पर हालही में स्वीकृत कटौतियों और छूटों की लम्बी सूची से स्थिति और जटिल हो जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो कानून को क्रियान्वयन के लिए अधिक व्यापक, व्यवहार्य और सरल बना के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार यह अनुभव करती है कि आयकर अधिनियम, 1961 पिछले कुछ वर्षों से बहुत अधिक जटिल बन गया है । सरकार यह बात भी मानती है कि कानून में कर सम्बन्धी जिन रियायतों की व्यवस्था की गई है उनमें से कुछ रियायतों का कर निर्धारितियों द्वारा उस स्थिति में दुरुपयोग किया जा सकता है यदि इन उपबन्धों के प्रशासन में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाय ।

(ख) ग्रामीण विकास छूट से सम्बन्धित आयकर अधिनियम की धारा 35 गग में समुचित रक्षोपायों की व्यवस्था की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर सम्बन्धीइस रियायत का निर्धारितियों द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाता है । इस प्रकार, इस उपबन्ध के अधीन कटौती किये जाने की अनुमति केवल उसी मामले में दी जायगी जहां ग्राम विकास कार्यक्रम निर्धारित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया हो । इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के कार्यक्रमों पर किये गये खर्च के सम्बन्ध में कटौती की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक निर्धारिती, जिस कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में, इस प्रकार की कटौती का दावा किया जाता है, उस वर्ष के लिए दाखिल की जाने वाली विवरणी के साथ निर्धारित फार्म में इस प्रकार के खर्च का एक ऐसा विवरण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है जिस पर उसके विधिवत् हस्ताक्षर किये गये हों तथा जो चार्टर्ड लेखाकार द्वारा सत्यापित किया गया हो ।

(ग) प्रत्यक्षकर नियमों के सरलीकरण तथा उनको युक्ति संगत बनाने के लिए और अन्य बातों के साथ-साथ इन नियमों के प्रशासन में सुधार करने के तरीके और उपाय सुझाने के लिए सरकार ने पहले ही एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। उक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार आवश्यक कानून लाएगी तथा समुचित प्रशासनिक उपाय करेगी ।

सिगरेट कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में लगाया गया मूल पूंजी निवेश

4999. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत तथा उससे अधिक विदेशी ईक्विटी वाली सिगरेट निर्माता कम्पनियों द्वारा आरम्भ में विदेशी ईक्विटी की कितनी पूंजी लगाई गई थी;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार इनकम्पनियों ने अपने विदेशी शेयरधारियों को बोनस शेयर देने के लिए कितनीपूंजी का निर्माण किया ; और

(ग) उनका गत तीन वर्षोंमें लाभांश कितना था और गत तीन वर्षोंमेंउन्हें पूंजी निर्माण (केपिटेलाइजेशन) शीर्ष के अन्तर्गत कितनी राशि विदेश भेजने की अनुमति दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) , (ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें मांगी गई सूचना दी गई है ।

विवरण

सिगरेट कम्पनियों का विदेशी मुद्रा में मूल पूंजी निवेश

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	स्थापनामूल की तारीख	मूलइक्विटी पूंजी	पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कम्पनी द्वारा दी गई बोनस निर्गम की राशि		लाभांशों का प्रेषण
					रु०	
1.	वजीर सुल्तान तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड	10-11-1930	6,94,843	1975 1976 1977	शून्य ,, 2,26,20,000	1973–74 9.75 लाख 1974–75— 1975–76 11.70 लाख
2.	गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड	3-12-1936	3,30,060	1975 1976 1977	68,34,900 शून्य ,,	1973–74 14.51 लाख 1974-75 — 1975-76 6.42 लाख
3.	आई०टी०सी० लिमिटेड	24-8-1910	4,16,00,000	1975 1976 1977	शून्य	1973–74 — 1974–75 — 1975–76 59.04 लाख

ब्रांडवाले नामों के सम्बन्ध में पूंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाती ।

सरकारी उपक्रमों में हड़ताल और चोरी के कारण हानि

5000. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में बड़े सरकारी उपक्रमों में चोरी और हड़तालों से अलग-अलग कितनी हानि हुई; और

(ख) ऐसी हानि रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख). अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और यह सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दिये गये ऋण पर विनिमयता खंड को लागू करना

5001. **श्री के० लकप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के चेयरमैन से दिनांक 12 जुलाई, 1977 का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें सरकार को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से वही विनिमयता खण्ड की शर्तें को ऋण पर लागू करनेके लिए जो 1972 में उन पर लागू की गई थी, उसे परामर्श देने का विचार करने का अनुरोध किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और सरकारी वित्तीय संस्थाओं से भी परामर्श किया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से परामर्श किया है और यह मामला विचाराधीन है ।

शैफेयर के प्रबन्धक द्वारा मनोरंजन पर किया गया व्यय

5002. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, महीनेवार, दिल्ली स्थित शैफेयर के प्रबन्धक द्वारा मनोरंजन पर कुल कितना व्यय किया गया ;

(ख) क्या उक्त व्यय शैफेयर संगठन के लाभ के लिए उचित एवं आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) शैफेयर के प्रबन्धक द्वारा, जिसने 1 अक्तूबर, 1974 को कार्यभार संभाला स्वागत-सत्कार (enterainment) पर महीने वार किया गया व्यय इस प्रकार है :—

	1974–75	1975–76	1976–77
अप्रैल	—	607.00	543.99
मई	—	572.25	587.00
जून	—	231.80	616.18
जुलाई	—	412.60	754.30
अगस्त	—	1438.18	826.75
सितम्बर	—	604.15	510.35
अक्तूबर	—	791.69	946.50
नवम्बर	431.30	1364.57	792.80
दिसम्बर	370.50	496.81	1197.25
जनवरी	701.85	720.19	713.70
फरवरी	100.00	419.83	2019.87
मार्च . . .	477.70	774.20	708.55
कुल .	2081.35	8433.27	10217.24

(ख) और (ग). शैफेयर के व्यवसाय के हित में शैफेयर के प्रबन्धक द्वारा स्वागत-सत्कार पर व्यय करना आवश्यक है। स्वागत सत्कार पर व्यय, आय का एक मामूली सा ही प्रतिशत है। उदाहरणतया, 1976–77 में किया गया 10217.00 रुपये का व्यय अर्जित आय का केवल 0.10 प्रतिशत था और इससे पहले के दो वर्षों में यह व्यय क्रमशः 0.03 और 0.08 प्रतिशत था।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आरम्भ किया गया अनुसंधान कार्यक्रम

5003. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा हाल ही में आरम्भ किए गए अनुसंधान कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त संस्थान को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई ।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ख)

(आंकड़े कुल रुपयों में)

	1974–75	1975–76	1976–77
वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की ओर से आवर्ती सहायता अनुदान .	14,56,000	17,24,877	17,71,636
अन्य मंत्रालयों / विभागों आदि से सहायता अनुदान	7,92,455	11,55,118	14,61,646
कुल :	22,48,455	28,79,995	32,33,282

विवरण

क्रम संख्या	अनुसंधान कार्यक्रम का ब्यौरा
1	राजस्थान के पल्ली जिले में सुखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों सम्बन्धी कार्यक्रम का मूल्यांकन ।
2	सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों सम्बन्धी पर सटिप्पण ग्रंथसूची तैयार करना ।
3	मंत्रालयों /विभागों (राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली से मिल कर) में सांस्कृतिक तथा-संगठनात्मक संवेदनशीलता का सृजन करना ।
4	बसतर तथा चन्द्रपुर जिलों के लिए, ग्राम विद्युतीकरण पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए, क्षेत्रीय विकास अध्ययन ।
5	ग्राम विद्युतीकरण पर विशेषरूप से ध्यान देते हुए विकास कार्यक्रम तथा कार्य कलापों के लिए बहु-स्तरीय समन्वय ।
6	उत्तर प्रदेश के के० ए० बी० ए० एल० शहरों में निर्माण श्रम का सर्वेक्षण ।
7	बिहार के पलामऊ जिले में बंधक श्रमिकों की घटना ।
8	सरकारी स्टोरों के कुछ कार्यक्रम में एन० एस० आई० सी० की गतिविधियों का मूल्यांकन ।

9 खाद्य तेलोंके आयात के सम्बन्धित सभी पहलुओं का अध्ययन ।

10 महानगरों में आयोजन तथा विकास के लिए संगठनात्मक ढांचा ।

11 शहरी सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं–किसी भारतीय महानगर में उनका वितरण तथा अवकल स्थान ।

12 नगर आयोजनतथा विकास प्राधिकारियोंसे सम्बन्धित विधान का तुलनात्मक अध्ययन ।

13 भारत में विदेशी निजी पूंजी का अध्ययन ।

14 सूखे से प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के लिए जिला आयोजना कक्षा (3 जिलों के कक्षों क समन्वय भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा तथा अन्य 3 का सम्बन्धित राज्यों के स्थानीय संस्थानों द्वारा किया जाएगा)

15 गुड़गांव जिलेमें कृषि विकास कार्यक्रम के लिए प्रबन्ध सूचना पद्धति ।

16 दिल्ली नगर निगम के दक्षिण क्षेत्र के कार्यालय का सुधार ।

17 दिल्ली महानगर परिषद् के निर्वाचन का अध्ययन ।

18 सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रशासक के दृष्टिकोण पर परियोजना

19 केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर अध्ययन ।

20 निष्पादन बजट के लिए प्रतिमान तथा मानदण्ड ।

21 सावजनिकक्षेत्रके उपक्रमों तथा सरकारी विभागों में वास्तविक कार्य को लागू करना तथा वास्तविक कार्य पर आधारित बजट निष्पादन का अध्ययन ।

22 लाख के उत्पादन तथा इसकी अर्थव्यवस्था, जिसमें विपणन भी शामिल है, के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन ।

Branches of Nationalised Banks in Sarangarh, Madhya Pradesh

5004. **Shri Govind Ram Miri:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of the places in all the eight Legislative Assembly Constituencies of Sarangarh (reserved Lok Sabha constituency in Madhya Pradesh viz., (1) Pamgarh, (2) Malkharoda, (3) Chandrapur, (4) Sarangarh, (5) Sariya, (6) Bhatgaon, (7) Kasdol, (8) Palari where branches of nationalised banks are functioning indicating the number thereof and the names of such banks;

(b) whether the number of the nationalised banks is less vis-a-vis the targets set for the development of this backward area, predominantly inhabited by Harijans;

(c) whether additional branches of nationalised banks are proposed to be opened in this area in the near future; and

(d) if so, by what time and if not, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) Data relating to the location of bank branches is available districtwise only. As at the end of June 1977, the public sector banks, including the regional rural banks, had 57 branches in Bilaspur and 20 branches in Raigarh Districts, which cover the Sarangarh Lok Sabha Constituency in Madhya Pradesh. List of the centres where these branches are located is *annexed.*

(b), (c) and (d). To ensure that banks strengthen their branch network in unbanked/underbanked areas, they have been advised to provide at least one bank branch in each of the unbanked community development blocks by June 1978. Banks have also been advised to give priority to opening of branches at unbanked block headquarters and in the districts having fewer rural and semi-urban branches in relation to the population. The Districts of Bilaspur and Raigarh had 5 unbanked blocks as at the end of November 1977. Licences in respect of all the blocks have been obtained by banks for opening branches.

Statement

DISTRICT: BILASPUR

Name of the Bank	Name of Place
State Bank of India	Akaltara (1), Bilaspur (5), Janjigir (1), Korba (2), Mungeli (1), Sakli (1), Pendra Road (1), Banki Mogra (1), Kotghora (1), Palimar (1), Seori Narayan (1), Pandariya (1), Chakarbhala (1), Lormi (1), Ramgarh (1), Belghana (1), Champa (1).
Central Bank of India	Akaltara (1), Bilaspur (1), Korba (1) Champa (1), Kotakangi Road (1), Bilha (1), Takhatpur (1), Baraduar (1)
Allahabad Bank	Bilaspur (1), Dabhera (1).
Bank of Baroda	Bilaspur (1)
Bank of India	Bilaspur (1), Korba (1).
Bank of Maharashtra	Bilaspur (1)
Canara Bank	Bilaspur (1)
Punjab National Bank	Bilaspur (1), Korba (1), Mungeli (1), Ratanpur (1).
Syndicate Bank	Bilaspur (1)
United Commercial Bank	Bilaspur (1), Korba (1), Masturi (1).
Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank	Bilaspur (1), Belloda (1), Hamandih (1), Chhuri (1), Faguram (1), Kera (1), Kunda (1), Pandatasai(1), Pendra (1), Marwahi (1), Rahod(1), Jairam Nagar(1).

1	2
	DISTRICT : RAIGARH
State Bank of India	Jaspurnagar(1), Kharsia (1), Raigarh (2), Sarangarh (1), Dharam Jaigarh (1), Lailunga (1), Kunkuri (1), Sariya (1), Kansabel (1), Tapkera (1), Tamnar (1), Chakradharnagar (1), Ghardhoda (1).
Central Bank of India	. Kharsia (1), Raigarh (1), Pathalgaon (1), Gharghoda (1)
Allahabad Bank	. Raigarh (1)
Punjab National Bank	. Raigarh (1)

NOTE : The number in brackets indicate the number of offices of the Bank.

विदेशों की यात्रा में लगे प्रतिबन्धों पर छूट और आयात पर लगी रोक में ढील देने के कारण विदेशी मुद्रा राशि पर प्रभाव

5005. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशों की यात्रा और वहां अध्ययन पर लगे प्रतिबन्धों में छूट देने और आयात पर लगी रोक में ढील देने की नीति से बहुत लागत पर प्राप्त हुई आरक्षित विदेशी मुद्रा की जमा राशि का अकुशल प्रयोग हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आयात में दी गई इस ढील का देश के बाजार में अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि करने और विकास में तेजी लाने के लिए अपेक्षित सेवाओं में वृद्धि करने के लिए न कि अर्थ व्यवस्था को ठोस हानि पहुंचाकर निर्यात संवर्धन के लिए प्रयोग करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख). सरकार ने विदेश यात्राओं और विदेशों में अध्ययन पर पाबन्दी में ढ़ील प्रक्रिया को सरल बनाने और अनाचार रोकने के लिए दी है। इसी प्रकार देश के उद्योगों के हितों की रक्षा करते हुए, देश की आयातित माल की सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के विचार से आयात नीति को भी उदार बना दिया गया है। सरकार की यह नीति है कि कीमतों में स्थिरता बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था के समुचित विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया जाए। सरकार को मालूम है कि समाज की संचित विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि को, जो विकास में सहायता प्रदान करने वाले विदेशी साधनों की उपलब्धता की द्योतक है---उत्पादक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाना है न कि इस ढंग से कि जिससे अर्थव्यवस्था को अन्त में हानि पहुंचे। अलबत्ता उसका उपयोग खाने के तेलों आदि जैसी उन आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए किया जाएगा जिनकी किसी कारण से देश में कमी हो।

सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर जनता होटल

5006. **श्री यशवन्तबोरोले :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों पर जनताहोटल बनाने के कुछ प्रस्ताव सक्रिय रूप से उनके विचाराधीन हैं;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्र और राज्यों के बीच असंतोषजनक समन्वय के कारण बहुत से सुन्दर स्थल उपेक्षित रह जाते हैं, और

(ग) क्या ऐसे सुझाव देने के लिए जिनसे देश में पर्यटन मेंक्रान्तिकारी परिवर्तन किया जा सके, राज्यों तथा केन्द्र के अधिकारियों सहित कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की जाएगी?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री पुरूषोत्तम कौशिक) (क): दिल्ली, बम्बई कलकत्ता और मद्रास के महानगरों तथा देश के अन्य चुने हुए पर्यटन केन्द्रों में सस्ते होटल बनाने का प्रस्ताव है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अगली पंच वर्षीययोजना (1978—83) में पर्यटन विकास के लिए कितना धन उपलब्ध किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय योजनामें पर्यटन क्षेत्रको निम्न प्राथमिकता देने और उसके परिणामस्वरूप पर्यटन विकास के लिए समिति धन उपलब्ध किये जाने के कारण देश में बहुत से सुन्दर स्थलों तथा अन्य पर्यटनकेन्द्रों का विकास संभव नहीं हो सका है। तथापि उद्यमियों को निजी क्षेत्र में पर्यटन केन्द्रों पर सुविधाओं के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) सरकार ने पर्यटन पर एक राष्ट्रीय नीति की सिफारिश करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है। समिति के विचारणीय विषयों और गठन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

हवाई अड्डों में यात्रियों की विमान यात्रा छूटने के कारण

5007. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या "नियंत्रक विश्राम कक्षों" (होल्डिंग लाउन्जेज़) में सुरक्षा सम्बन्धी जांच आदि के लिये रोके जाने के कारण यात्रियों के विमान छूट जाने की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण एयर-लाइन्स समिति ने इस बारे में चिंता व्यक्त की है,

(ख) क्या यह सच है कि इन विकास कक्षों में घोषणाएं भी सुनाई नहीं देती ह,

और

(ग) यदि हां, तो क्या एसी कोई काम चलाऊ पद्धति निकाली जायगी जिससे यात्रियों के विमान यात्रा से न छूटने पायें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरूषोत्तम कौशिक) : (क) "एयरलाइंस आपरेटर्स कमेटी" ने शिकायत की है कि अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्टों पर यात्रियों की "कलीयरेंस" में देर लगती हैं। सुरक्षा जांच के परिणामस्वरुप यात्रियों की उड़ाने छुट गयी हों ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रत्यक्ष कराधान विधियों सम्बन्धी समिति का गठन और कार्य

5008. **श्री के० मालप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रत्यक्ष कराधान विधियों के सरलीकरण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों और कार्यों का ब्यौरा क्या है और इसका प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया है :—

1. श्री सी० सी० चोक्शी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, बम्बई	अध्यक्ष
2. श्री सनतभाई पी० मेहता, अधिवक्ता, बम्बई	सदस्य
3. श्री हरनाम शंकर भूतपूर्व अध्यक्ष, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
4. श्री सी० सी० गणपति, अध्यक्ष, समझौता आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
5. श्री टी० एस० आर० नरसिम्हन, आयकर आयुक्त, बम्बई	सदस्य-सचिव

यह समिति :—

(क) आयकर, अति-कर, धनकर, दानकर और सम्पदा शुल्क से सम्बन्धित कानूनों का सरलीकरण करने तथा उनको युक्तिसंगत बनाने और इन करों से सम्बन्धित कानूनों में इस दृष्टि से परिवर्तन करने के लिए, उपायों की सिफारिश करेगी कि वे करदाताओं के लिए सहज ही बोधगम्य बन सकें ताकि मुकदमेबाजी कम हो और राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का हित साधन हो सके;

(ख) उक्त कानूनों के प्रशासन में सुधार करने तथा उन कानूनों के अन्तर्गत किए जा रहे कर-निर्धारिण, अपीलीय कार्यवाही तथा अन्य कार्यवाही शीघ्रता से करने के लिए उपाय सुझायेगी;

(ग) आयकर, अतिकर, धनकर तथा दानकर से सम्बन्धित चार कानूनों को एक अधिनियम में समेकित करने के औचित्य की जांच करेगी;

(घ) संसद में पेश करने के लिए विधेयकों के प्रारूप तैयार करेगी ।

दिनांक 25 जून, 1977 के संकल्प के अनुसार, समिति को अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1977 तक पेश करना है। समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट 19 दिसम्बर, 1977 को पेश कर दी है। सरकार इसकी जांच कर रही है। सरकार को पता चला है कि समिति अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश करने के लिए संभवतः समय बढ़ावाने को कहेगी ।

सभी राज्यों के लिये समान सहकारिता अधिनियम

5009. **श्री पदमाचरण सामन्त सिन्हेराः** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लोकतांत्रिक सहकारिता चुनाव लड़ने के लिये दो अवधियों की पाबन्दी हटाने के साथ-साथ सभी राज्यों के लिये समान सहकारिता अधिनियम बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या प्रस्ताव हैं और इस कवतक तैयार किया जा रहा है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) तथा (ख) मई, 1976 में राज्य सहकारी कानूनों के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का एक सेट तैयार किया गया था और उसे राज्य सरकारों को भेजा गया था । मार्गदर्श क सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सहकारी कानूनों में संशोधन किए जायें, ताकि सहकारी समिति में पद धारण करने के सदस्य के कार्यकालों की संख्या पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके । इन के आधार पर कई राज्यों ने अपने सहकारी समिति अधिनियमों में संशोधन कर दिये हैं । राज्य सरकारों को इस उपबंध में संशोधन करने के लिए सुझाव देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की गई राशि

5010. **श्री पदमाचरण सामन्त सिन्हेराः** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल कितनी राशि जमा की गई है;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने (एक) छोटे किसानों, (दो) बड़े किसानों और (तीन) उद्योगपतियों को ऋण के रूप में कितनी राशि का निवेश किया है;

(ग) छोटे किसानों को अधिक ऋण देने का क्या प्रस्ताव है;

(घ) ऋणों की कुल कितनी राशि वसूल नहीं की गई ।

(ङ) प्रत्येक बैंक के 50,000 रुपये से अधिक राशि के ऋण लेने वाले कितने व्यक्तियों ने ऋण नहीं चुकाये हैं; और

(च) ऐसे ऋणों को शीघ्र वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमायें दिसम्बर, 1975 और 1976 के अन्त की स्थिति के अनुसार क्रमश: 120.93 करोड़ रुपये और 152.90 करोड़ रुपये की थीं ।

(ख) उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों का, दिसम्बर, 1975 के अन्त की स्थिति के अनुसार उपलब्ध क्षेत्रवार ब्यौरा यह प्रकट करता है कि 70.61 करोड़ रुपये के कुल बकाया ऋणों में से कृषि और इससे सम्बद्ध गतिविधियों के लिये ऋणों में 8.89 करोड़ रुपये, छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये 8.48 करोड़ रुपये और बड़े तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों के लिये 41.55 करोड़ रुपये बकाया थे । उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि ऋणों के जोतकार-वितरण के सम्बन्ध में सितम्बर 1976 के अन्त की स्थिति के अनुसार उपलब्ध आंकड़े यह प्रकट करते हैं कि 8.42 करोड़ रुपये के कुल बकाया प्रत्यक्ष ऋणों में से 5 एकड़ तक के जोत वाले किसानों की 5.14 करोड़ रुपये अर्थात् कुल का 61 प्रतिशत दिया गया था ।

(ग) छोटे किसानों की ऋण आवश्यकताओं को अधिकाधिक रूप से पूरा करने के लिये बैंकों को प्रोत्साहन देने के वास्ते, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि यह छोटे किसानों को 1 जनवरी 1973 के बाद से दिये गये ऋणों का 50 प्रतिशत तक पुनर्वित्त सहायता प्रदान करेगा ।

(घ), (ङ) और (च) : जून 1976 के अन्त की स्थिति के अनुसार प्रत्यक्ष कृषि ऋणों की वसूली सम्बन्धी उपलब्ध सूचना यह दिखाती है कि उसी तारीख को 5.15 करोड़ रुपये की कुल मांगों में से सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 2.20 करोड़ रुपये वसूल कर लिये थे और 2.95 करोड़ रुपये की राशि अतिदेय रह गई थी । ऋण सीमाओं (लिमिटों) के आकार के अनुसार इन आंकड़ों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

बैंक समय समय पर अतिदेय कृषि ऋणों की स्थिति की समीक्षा करते रहते हैं और उनकी वसूली के लिये यथावश्यक उपाय करते हैं । जिनमें जमानत का उगाहना, जमानतियों और गारंटरों से वसूली अथवा अदालतों में कानूनी कार्रवाई करना भी शामिल हैं ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 का क्रियान्वयन

5011. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28(3) के क्रियान्वयन के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त बना लिये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) इस धारा को लागू करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो उक्त कानून के अन्तर्गत कार्य नहीं कर रही हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां। लोक सभा के 22 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4492 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) और (ग). धारा 8 के उपबन्धों के लिए कोई समय सीमा नहीं है। देश में कार्यरत सभी कंपनियों को सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करना पड़े और ऐसा न करने पर उन्हें दंडित किया जायेगा।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28(1) (ग) के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त

5012. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 (1) (ग) के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रतिफल कैसे तय किया जायेगा?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 28(1) (ग) के प्रयोजनों के लिए "प्रत्यक्ष प्रतिफल" में ऐसी नकद राशियां शामिल होंगी जो ट्रेड मार्कों को प्राप्त करने और उनका इस्तेमाल करने के लिए रायल्टी, एक मुक्त रकम आदि के रूप में भेजी जाती हैं। "अप्रत्यक्ष प्रतिफल" का प्रयोग अधिनियम में इस बात की सुनिश्चित यवस्था करने के लिए किया गया है कि प्रत्याक्ष और असानी से पहचाने जाने वाले प्रतिफलों के स्वरुपों के अलावा, दूर वर्ती और कम स्पष्ट स्वरुपों वाल प्रतिफलों को अधिनियम की परिधि में शामिल कर लिया जाए। इसमें-विनिर्दिष्ट स्त्रोतों से स्वामित्व अधिकारों की खरीद जैसी स्थितियां भी शामिल होंगी यद्यपि सामान्यीकरण करना कठिन है, प्रत्येक मामले को, ट्रेड मार्कों के प्रयोग के करार से संबंधित समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए देखना होगा।

Share of various States out of Assistance given by World Bank

5013. **Dr. Lakminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to State:

(a) the share of Madhya Pradesh Rajasthan and Gujarat States out of the assistance to be given by the World Bank for the various development schemes;

(b) whether the States are able to get only 25 percent of the said assistance; and

(c) if so, the criteria of distributing the amount of assistance among the States?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) & (b). Since the transfer of resources from external agencies is a benefit which accrues to the economy as a whole, external assistance enters the Central pool of resources. However, 25 per cent of the financial assistance received from the World Bank/International Development Association and other external agencies on account of the projects executed by the States Goverments is being allocated as additional central assistance for State Plans. The assistance to be received by the States of Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat would, therefore, depend on the execution of externally assisted Projects by the State Governments. The Projects being executed with World Bank Group assistance by the Government of Madhya Pradesh

are, M. P. Dairy Development, Chembal Command Area Development, M.P., Forestry Technical Assistance and M. P. Agricultural Development Projects. In Rajasthan, Chambal Command Area Development, Rajasthan Command Area Development, Rajasthan Dairy Development and Rajasthan Agricultural Extension are being executed while in Gujarat a Fisheries Project is being executed.

(c) The share of financial assistance received by individual States would, depend on the number of externally assisted projects executed by the State Governments, their outlays, the pace of expenditure and the promptness of making claims. To ensure fuller participation of the States in the priority sectors and to obviate the strain on the budget resources of the State Governments in making provision for the tight implementation schedules involved in World Bank/IDA and other externally aided projects, a decision has been taken to increase the additional Central assistance from the existing level upto 70 per cent. This arrangement will be applicable only for 1978-79 for the both on-going and fresh projects after which the position will be reviewed.

Plan and non-Plan Expenditure on Drought Relief

†5014. **Dr. Laxminarayan Pandeya;**
Shri Krishna Chandra Halder:
Shri K. Pradhani:
Shri Parmanand Govindjiwala:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the plan and non-Plan expenditure incurred on drought relief operations during 1976-77 and the expenditure likely to be incurred thereon during 1977-78;

(b) the amount given and to be given to each State separately during 1976-77 for the purpose as also the amount to be allocated during 1977-78; and

(c) the amount sought by Madhya Pradesh and Rajasthan separately for the drought relief operations for 1977-78?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) The information is being collected from the State Governments concerned.

(b) In accordance with the existing policy regarding Central assistance based on the recommendations of the Sixth Finance Commission, the following amounts of advance Plan assistance were released during 1976-77 to various States for drought relief operations:

(Rs. crores)

1.	Karnataka	7.00
2.	Kerala	1.50
3.	Madhya Pradesh	5.00
4.	Orissa	5.10
5.	TamilNadu	15.70

As regards 1977-78, so far advance Plan assistance of Rs. 4.75 crores has been allocated and released to Karnataka for drought relief operations.

(c) No specific request has been received from either Madhya Pradesh or Rajasthan for advance Plan assistance on account of drought relief operations during 1977-78. However, the Madhya Pradesh Government have stated that the advance Plan assistance sanctioned for drought relief in 1976-77 was not commensurate with the need for such assistance and the State Government had to spend much more during 1976-77 and 1977-78 resulting in budgetary problem.

दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई से सीमा शुल्क के रूप में प्राप्त आय

5015. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई से अलग अलग, सीमा शुल्क के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ख) क्या ऐसे सीमा शुल्कों में छूट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिन्हें बाहर से आने वाले यात्रियों द्वारा टाला जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई सीमा शुल्क समाहर्तालयों में गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान शुद्ध सीमा शुल्क राजस्व वसूलियां नीचे दी गयी हैं:—

(हजार रुपयों में)

	1974-75	1975-76	1976-77
दिल्ली	52181	94202	180874
कलकत्ता	2686047	2780028	3051747
मद्रास	2590381	2635268	2654435
बम्बई	6855220	6886630	8033890

(ख) और (ग). सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम के शीर्षक 100.01 के अन्तर्गत यात्री असबाब में शुल्क लगने योग्य वस्तुओं पर कुछ अपवादों को छोड़कर 120 प्रतिशत की समान दर पर शुल्क लगता है। इस शुल्क को कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। असबाब नियमों और आवास अन्तरण नियमों के अन्तर्गत अवसबाब और घरेलू वास्तविक वस्तुओं को कतिपय शर्तों और मूल्य सीमाओं के अधीन रहते हुए, शुल्क की अदायगी से छूट प्राप्त है। सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों और उनके असबाब की शीघ्र निकासी के प्रश्न की जांच करने हेतु एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने असबाब नियमों में कतिपय ढीलें देने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में उधार जमा के अनुपात में कमी

5016. **श्री चित्त बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्पि वाणिज्यक और राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि में वृद्धि हो ही है उधार जमा के अनुपात में कमी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) विभिन्न राज्यों के गत पांच वर्षों के उधार और जमा राशि के ब्यौरे क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) बैंकिंग प्रणाली द्वारा होने वाले ऋण-प्रसार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समग्र आर्थिक एवं मौद्रिक-स्थिति और साथ ही साथ मांग तत्वों पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, नियंत्रित किया जाता है। 1977 के शुरु शुरु में रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई उच्चतर नकदी आवश्यकताओं सम्बन्धी शर्त और मांग-तत्वों के कम दबाव के कारण, चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण जमा अनुपात में गिरावट आई है।

आगे आने वाले महीनों के दौरान, उत्पादन और व्यापार की गति बनाये रखने के लिये कुछ ऋण प्रसार की आवश्यकता के संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बैंकों से कहा है कि उनकी नकदी सम्बन्धी स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रति सप्ताह नजर रखी जायेगी।

(ग) उपलब्ध आंकड़े अनुबंध में दिये गये हैं ? **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 1455/77]

Payment of Income Tax by Owners and Partners of Jam Textile Mills, Bombay

5017. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of Income-Tax paid by owners and partners of Jam Textile Mill, Bombay separately during the last three years, year-wise, and the amount of income-tax yet to be paid by them;

(b) whether the owners and partners of the said mill have invested huge amount of capital in some companies, firms and industries;

(c) if so, the names of such companies, firms and industries and the amount of capital invested therein and the dates on which capital has been invested in each of the companies etc. by each of them;

(d) whether some Directors have been changed during the last three yars; and

(e) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla): (a), (b), (c), (d)&(e). **The requisite information is being collected and will be laid on the** Table of the House as soon as possbile.

Payment of Income Tax by Phoenix Textile Mill No. 1, Bombay

5018. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of income-tax paid by the owners and the partners of the Phoenix Textile Mill No. 1, Bombay during the last three years; and

(b) the amount of income-tax yet to be paid by them and the time by which it is likely to be realised?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla): (a) & (b). The requisite information is not readily available; it is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Banks which have Advanced loan to Owners and Partners of Phoenix Textile Mill No. 1, Bombay.

5019. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of the banks which have given loans to the owners and the partners of the Phoenix Textile Mill No. 1, Bombay during the last three years and the amount of loan in each case;

(b) whether the mill is committing irregularities in the matter of repayment of loans to the banks; and

(c) if so, the number of times such irregularities committed and the action taken by Government thereon?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a), (b) & (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House to the extent available.

Payment of Income tax by Owner and Partners of Hope Textile Mill, Indore

5020. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of income tax paid by the owner and partners of the Hope Textile Mill, Indore (M.P.) separately during the last three years, year-wise, and the amount of income tax yet to be paid by them;

(b) whether the owner and the partners of the said company have invested capital in many companies, firms or institutes; and

(c) if so, the names of such companies, firms, or industries and when and how much capital has been invested by each of them?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla): (a), (b) &(c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवाओं का रद्द किया जाना उनमें विलम्ब में होना

5021. **श्री माधवराव सिंधिया:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छहमहीनों के दौरानइंडियन एयरलाइन्स के अधीन संचालित कुल कितनी निर्धारित विमान सेवाओं को रद्दकिया गया और उनमें विलम्ब हुआ तथा उसके क्या मुख्य कारण थे;

(ख) क्या विमान सेवाओं के रद्द किये जाने/उनमें विलम्ब होने के कारण यात्रियों को बहुत कठिनाई हुई है; और

(ग) यदि हां तो, इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवाओं में सुधार करने तथा इस प्रकार विमान सेवाओं को रद्द किये जाने/उनमें विलम्ब होने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) मई, 1977 से लेकर अक्तूबर, 1977 तक की कुल 43,534 उड़ानों में से 8, 342 देरी से हुई व रद्द की गई –1919 वाणिज्यक, परिचालनात्मक, इंजीनियरी कारणों से और 16,423 खराबमौसम, हवाई अड्डे की सुविधाओं, श्रमिक अशान्ति इत्यादि के कारणों से।

(ख) जी, हां।

(ग) विलंब तथा रद्द किए जाने की घटनाओं को रोकने तथा कम करने के लिए सभी स्तरों पर बैठकें की जाती हैं और देरी के मामलों की समीक्षा की जाती है और देरियों को रोकने/कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है। श्रमिक अशांति के मूल कारणों को, जो अक्तूबर, 1977 में देरी होने के कारण बने थे, द्विपक्षीय विचार-विमर्श द्वारा दूर कर लिया गया है।

कृषि ऋण के उद्देश्यों और नीति का पुनर्निधारण

5022. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि ऋण के उद्देश्यों और नीतियों के पुनर्निधारण का कोई प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) और (ख). भारतीय रिजर्वबैंक द्वारा हाल ही में घोषित ऋण-नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

(1) बैंकों को सलाहदी गयी है कि उनके द्वारा लघु सिंचाई तथा भूमि विकास के प्रयोजनों के लिये दिये गये 3 वर्ष की परिपक्वता वाले सावधिक ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर 10.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) विविधीकृत प्रयोजन जिनमें डेरी उद्योग, मुर्गीपालन, मछली पालन, बागवानी आदि शामिल हैं, के लिये दिये गये कम से कम तीन वर्ष की परिपक्वता वाले सावधिक ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर 11 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3) छोटे किसानों को 1 जनवरी, 1978 के बाद दिये गये 2500 रुपये तक के अत्यावधिक, मध्यावधिक, अथवा दीर्घावधिक सीधे अलग अलग ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से बैंक दर अर्थात् 2प्रतिशत दर पर पुनर्वित्त पाने के हकदार होंगे। बैंकों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे ऐसे ऋणो पर 11प्रतिशत से अधिक ब्याज दर न ले चाहे वे रिजर्वबैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करें या नहीं।

(5) पुनर्वित्त की सीमा उपर्युक्त (3) के अन्तर्गत सम्बन्धित बैंक द्वारा 1 जनवरी, 1978 के बाद संवितरित कुल अग्रिमों के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी।

लघु उद्योगों की स्थापना के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

5023. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक नई योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हरिजनों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिये ऋण देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रस्तावित योजना के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है और इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क), (ख) और (ग). उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में एक नयी योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य मार्जिन अथवा बीज राशि (सीड मनी) के रूप में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है ता कि वे छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये अपनी गतिविधियों को बढ़ा सकें। इस योजना के अन्तर्गत मार्जिन राशि की सहायता ऐसे एककों को दी जाती है जिनके संयंत्रों और मशीनों में किया जाने वाला निवेश एक लाख रुपये से अधिक न हो।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित उद्यमकर्त्ताओं के मामले में बीज राशि (सीड मनी) की सहायता कुल सावधिक पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत तक अथवा 20,000 रुपये, जो भी कम हो, होती है जबकि अन्य मामलों में, सीमा कुल निवेश की 10प्रतिशत है। यह आशा की जाती है कि इस योजना को राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित वित्तीय संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित करने से समुदाय के कमजोर वर्गों, विशेषकर हरिजनों को दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि होगी। भारत सरकार द्वारा 1977-78 के दौरान मार्जिन मनी योजना के अन्तगत 4 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

आगा खां द्वारा जुहू पर बंगले की खरीद

5024. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बम्बई से प्रकाशित होने वाली मासिक गुजराती पत्रिका "वालण्टियर" के अगस्त अंक में प्रकाशित समाचार के अनुसार आगा खां का विचार एक बंगला जुहू में खरीदने का है; और वह उसके मूल्य का भुगतान किसी व्यक्ति की पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में विदेश में विदेशी मुद्रा में करना चाहते हैं और क्या सरकार ने इस बारे में आवश्यक अनुमति दे दी है?

वित्त मंत्री (श्रीएच० एम० पटेल) : आगा खान विदेशी राष्ट्रिक हैं और भारत में बंगला लेने/खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 31 के अन्तर्गत उनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लेना जरूरी है। रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उन्होंने जुहू में बंगला खरीदने के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है। अतः सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

पेट्रोल की खपत पर उत्पादन शुल्क को घटाना

5025. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क घटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) पेट्रोल के उत्पादन शुल्क में गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कितनी वृद्धि हुई है ;

(घ) क्या लेवी की चीनी की तरह पेट्रोल की कीमत के बारे में दोहरी नीति लागू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) 3 नवम्बर, 1973 से प्रभावी, मोटर स्पिरिट पर, जिसमें पेट्रोल भी शामिल है, मूल तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क क्रमशः 2000 रु० और 81.55 रु० प्रति किलो लिटर 15° सी के दर से लगाया जाता था। 1-3-1975 से मूल उत्पाद शुल्क की दर बढ़ाकर 2,100 रु० कर दी गई। 16 दिसम्बर, 1977 से प्रभावी मोटर स्पिरिट को समूचे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट दे दी गई है लेकिन मूल उत्पाद शुल्क 2,146.55 रु० प्रति किलो लिटर 15° सी की दर से निर्धारित किया गया।

(घ) और (ङ). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं।

Inquiry into Complaints about the Keeping of Money by Former Prime Minister in Nationalised Banks.

5026. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether Government have conducted inquiry into the complaints about keeping in an illegal way money in the nationalised banks by the former Prime Minister and if not, the reasons therefore and if so, the outcome thereof?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): No complaints have been received that money has been kept with the public sector banks by the former Prime Minister in an illegal way. Enquiries were made on receipt of the notice of this question. Seventeen of the twenty two public sector banks, whose replies have been received, have intimated that they have no information of money having been kept in their offices in an illegal way by the former Prime Minister.

भूतपूर्व मंत्री और उच्च अधिकारियों की सेवा में राज्य व्यापार निगम के स्टाफ कार ड्राइवरों की सेवायें उपलब्ध किया जाना

5027. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम की स्टाफ कारें तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री चट्टोपाध्याय और वाणिज्य मंत्रालय के अन्य उच्च अधिकारियों की सेवा के लिये प्रस्तुत रहती थीं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : राज्य व्यापार निगम की एक डेलीगेशन कार (स्टाफ कार) वाणिज्य मंत्रालय/वाणिज्य मंत्री के प्रयोग के लिए मंत्री महोदय को उनके पास आने वाले अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों और प्रतिनिधिमंडलों के काम के लिए उपलब्ध कराई गई थी । यह कार एक आयातित कार थी और उसका प्रयोग भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री द्वारा अपनी स्टाफ कार के रूप में किया जाता था ।

राज्य व्यापार निगम में स्टाफ कारें

5028. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के प्रबन्धकों के पास स्टाफ कारोंके रूप में प्रयोग में लाने के लिये कितनी कारेंउपलब्ध हैं ;

(ख) गत चार वर्षों के दौरान प्रबन्धकोंऔर कर्मचारियों को सवारी भत्ते के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ; और

(ग) गत चार वर्षों के दौरान इन कारों की मरम्मत आदि पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) इस समय 17एम्बेसडर स्टाफ कारेंऔर 2 (आयातित) कारें प्रयोग में है। इन में प्रबन्धकों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए 4एम्बेसडर कारें, जनरल पूल में प्रयोग की जाने वाली 13 एम्बेसडर कारें, और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए 2 आयातित कारें शामिल हैं ।

(ख) गत चार वर्षों में प्रबन्धकों और कर्मचारियों को सवारी भत्ते के रूप में दी गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	धनराशि (लाख रु०)
1974–75	0.91
1975–76	0.92
1976–77	1.15
1977–78(30–9–77 तक)	0.45
योग	3.43

(ग) गत चार वर्षों में मरम्मत पर होने वाले व्यय का वर्षवार ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार रहा है :

वर्ष	धनराशि (लाख रु०)
1974–75	0.80
1975–76	0.63
1976–77	0.11
1977–78 (30-9-77 तक)	0.71
योग	3.25

यूनियन बैंक द्वारा "डाक्यूमेन्ट एगेन्स्ट एक्सैपटेन्स" बिल पर बट्टा

5029. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल बैंक ने (17 मई, 1975 को अथवा उसके लगभग) मसर्स बेनी प्रसाद सिद्धगोपाल के नाम 90,00,000 रु० का "डाक्यूमेंट एगेन्स्ट एक्सेपटेन्स" बिल बिना अदायगी के वापस कर दिया था और बाद में यूनियन बैंक ने उसे बट्टे पर पास कर दिया;

(ख) उस समय यूनियन बैंक के चेयरमैन कौन थे ; और

(ग) क्या इस प्रकार बट्टा लेना बैंक कार्य प्रणाली के विरुद्ध नहीं है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) यूनियन बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उसने मैसर्स बेनी प्रसाद सिद्धगोपाल के नाम लिखी किसी हुंडी का भुगतान नहीं किया है। सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने भी सूचित किया है कि उसके द्वारा भी उपर्युक्त पार्टी के नाम लिखे किसी डी०ए० बिल का भुगतान नहीं किया है।

(ख) 30 अप्रैल, 1975 तक श्री पी० एफ० गट्टा और उसके बाद श्री रघुराज यूनियन बैंक के अध्यक्ष थे।

(ग) यदि बैंकों को यह मालूम हो कि सम्बद्ध हुंडियों (बिलों) का पहले सम्बन्धित ऊपर वाले (ड्राई) ने ही आदरण नहीं किया है तो वे साधारणतया वस्तुओं की बिक्री से सम्बन्धित बिलों की खरीद/भुगतान नहीं करते है। यूनियन बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि वह ऐसे किसी भी बिल का भुगतान/खरीद नहीं करता है जो असंदत्त (अनपेड) लौटा दिये गये हों।

श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री यशपाल कपूर, श्री धवन, श्री किशन चन्द और श्री नवीन चावला के आयकर तथा धनकर के मामलों का पुनरीक्षण

5030. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उनके परिवार के सदस्यों, श्री यशपाल कपूर, श्री धवन तथा उनके परिवार के सदस्यों, दिल्ली के भूतपूर्व उप-राज्यपाल श्री किशन चन्द तथा श्री नवीन चावला के आयकर तथा धनकर मामलों का कोई पुनरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) उपरोक्त प्रत्येक व्यक्ति ने 1971 से प्रति वर्ष आय एवं धन के रूप में कितनी धन-राशि की घोषणा की और प्रत्येक मामले में निर्धारित आय एवं धन सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) उपरोक्त प्रत्येक व्यक्ति के आय के विभिन्न स्रोत क्या थे और निर्धारण-वर्ष 1977-78 में उनके धन का ब्यौरा क्या है और क्या उन स्रोतों की जांच कर ली गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) तथा (ख). श्री राजीव गांधी, श्री संजय गांधी तथा उनके परिवार के सदस्यों, श्री यशपाल कपूर, श्री आर० के० धवन, श्री के० एल० धवन तथा श्री एम० आर० धवन के मामलों का क्षेत्राधिकार, आयकर आयुक्त, दिल्ली (सैन्ट्रल) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले आयकर अधिकारियों को सौंपा गया है। इन मामलों में जांच-पड़ताल की जा रही है। शेष मामलों में अभी कोई 'समीक्षा' नहीं की गयी है।

(ग) तथा (घ). एक विवरण पत्र संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-1456/77]

श्री राजीव गांधी की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी को पूंजी निवेश की अनुमति दिया जाना

5031. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि श्री राजीव गांधी की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी ने, जो मारुति कम्पनियों की निदेशक और शेयरधारी है,अपनी राष्ट्रीयता "इटालियन" घोषित की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने भारतीय कम्पनियों का निदेशक बनने और भारत में पूंजी निवेश करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया अथवा अन्य सम्बंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर ली है;

(ग) क्या सरकार ने उनके द्वारा किये गये पूंजी निवेश के स्रोतों और उनके यहां ठहरने के दौरान देश से बाहर भेजे गये धन के बारे में जांच की है ; और

(घ) पूंजी निवेश आदि के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया से अनुमति न लेने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार श्रीमती सोनिया गांधी ने भारतीय कम्पनियों का निदेशक बनने के लिए धारा 30 के अन्तर्गत उसे कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है । न ही उन्होंने कोई रकम विदेश भेजने की अनुमति मांगी है । सूचना के लिए यह भी बता दिया जाए कि जहां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसार विदेशों को रकम भेजने की सुविधा अपेक्षित न हो वहां भारतीय कम्पनी का निदेशक बनने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति आवश्यक नहीं होती ।

उन्होंने मारुति समूह की कम्पनियों के शेयर धारण करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए भी भारतीय रिजर्व बैंक को कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है इसलिए उनके शेयरों के ब्यौरे और उनके द्वारा लगाई गई रकमों के स्रोत के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, जिनसे उन्होंने पूंजी लगाई हो ।

(घ) इस मामले में प्रवर्त्तन निदेशालय आवश्यक जांच पड़ताल कर रहा है और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

वाणिज्य मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

5032. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उच्च अधिकारियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर शिकायतों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य मंत्रालय में भारी फेर-बदल करने के बारे में निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष वाणिज्य मंत्रालय के मामलों की संख्या सर्वाधिक है ;

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) गत छः महीनों के दौरान इस मंत्रालय से कितने अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके बारे में कोई भी कार्यवाही न करने के क्या मुख्य कारण है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). 1976 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांचों की संख्या सब से अधिक नहीं है केन्द्रीय जांच ब्यूरो से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिसमें मंत्रालय (खास) में कार्य कर रहे किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश की गई हो ।

(घ) पिछले छः महीनों में 16 स्थानान्तरण हुए हैं । ये स्थानान्तरण अधिकारियों के उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्त्तन, विदेशी कार्यों पर विदेशों में नियुक्ति आदि जैसे कारणों से हुए हैं और ऐसा सतर्कता की दृष्टि से नहीं किया गया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Development of Opium Cultivation

5033. **Dr. Mabadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have not taken any steps so far for the development of opium cultivation; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) & (b). The Government have taken several steps to promote the production of opium in the country including increase in the area under poppy cultivaton. The area licensed for opium poppy cultivation and the quantity of opium produced therefrom during the last three years was as follows:—

Year	Area under poppy cultivation	quantity of opium produced at 90o consistency.
	(Hectares)	(Tonnes)
1974-75 .	43,713	1,033
1975-76 . .	51,587	1,177
1976-77 . . .	57,018	1,164

Research work is also being done at various centres so as to increase the per hectare yield of opium and its morphine content.

Licence for Opium Cultivation

5034. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the conditions required to be fulfilled in getting the licence for opium cultivation; and

(b) the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) & (b). Licensing Principles laying down the conditions for the grant of a licence for opium poppy cultivation are framed by the Government every year. A copy of the 'Licensing Principles' adopted for the 1977-78 poppy growing season is annexed.

Statement

Licensing Principles for 1977-78 Poppy Growing Season:

Subject to the notification issued in pursuance of clause (a) of Rule 2 of the Central Opium Rules, 1934 the following principles shall be observed for poppy cultivation during 1977-78 season.

I. *District/Tehsil/Pargana:*

Poppy cultivation may be licensed in any Tehsil/Pargana in which it was grown during 1976-77 poppy growing season and in such other district/Tehsil/Pargana as may be notified in this behalf by the Central Government subject to the codition that the area to be settled is not less han 30 hectares in a Tehsil/Pargana.

II. *Villages:*

Poppy cultivation may be licensed in any village in a Tehsil/Pargana mentioned above subject to the condition that area to be settled is not less than one hectare.

III. *A—Cultivators:*

The following categories of cultivators will be eligible for licensing during the crop season 1977-78.

(i) Cultivators whose appeals against refusal of licences have been admitted after the last date of settlement of the previous crop season.

(ii) Cultivators who had tendered yield of not less than 20 kg. of opium per hectare during 1976-77 crop season shall be licensed in the following order of performance.

Category (A) not less than 60 kg. per hectare.

Category (B) not less than 40 kg. per hectare.

Category (C) not less than 30 kg. per hectare.

Category (D) not less than 20 kg. per hectare.

NOTE:

1. [Cultivators who have tendered yield of less than 20 kg. per hectare shall not be licensed except the cultivators covered by sub-clause vi, vii, viii, ix, and x below.

2. For crop season 1978-79, it is the intention to increase the qualifying yield to 25 kg. per hectare, and therefore, a cultivator who tenders less than 25 kg. of opium per hectare during 1977-78 crop season, will not ordinarily be eligible for being considered for grant of licence for the crop season 1978-79.]

(iii) Cultivators who ploughed back their entire poppy cultivation during 1976-77 season provided the field was ploughed back under departmental supervision.

(iv) Cultivators who were eligible for a licence during 1976-77 crop season but who did not voluntarily obtain the licence for any reason, or cultivators who after having obtained the licences could not grow poppy for any reason.

(v) New cultivators in Parganas/Villages in which cultivation of opium poppy is permitted.

(vi) Cultivators in areas opened for poppy cultivation in 1976-77 crop season provided the opium tendered by them was not less than 10 kg. per hectare. Marginal cases of cultivators who tenedered less than 10 kg. per hectare may be decided by the Deputy Narcotics Commissioners on merit.

(vii) Cultivators who were delicensed in 1974-75 crop season or earlier due to low yield provided they had tendered not less than 15 kg. of opium per hectare in the year following which they were delicensed.

(viii) Cultivators who were delicensed in 1976-77 crop season on account of low yield, if improved adequate provision for irrigation of land has been made by providing new pucca wells tube wells etc., subject to spot verification by the Department and prior approval of the Deputy Narcotics Commissioners.

(ix) Cultivators in village where there was some damage to poppy crop during 1976-77 crop season due to pests etc./natural calamities and where such damage was duly reported by the cultivators/verified by the departmental officer provided they had tendered not less than 12 kg. of opium per hectare in the year 1976-77. For the purpose of this clause, the eligibility of each such village will be determined by the Deputy Narcotics Commissioners.

(x) Cultivators in village where there was wide spread damage to the poppy crop during 1976-77 crop season and the Narcotics Commissioner is satisfied about the damage may be licensed under orders of the Narcotics Commissioner irrespective of the yield tendered by them.

[Explanation:—

Quantities of opium mentioned above will be calculated at 70 degree consistence.]

III. B Cultivator falling in any one of the categories listed above will also have to satisfy the following conditions as may be applicable to him.

(a) that he did not deliberately exceed the area allotted to him for poppy cultivation.

(b) that he did not at any time resort to illicit cultivation or was not implicated in any offences under the opium laws,

(c) that during the season 1976-77 he had not violated any departmental instructions or had not deliberately adulterated his opium.

IV. These instructions for the issue of licences are without prejudice to the right of the Narcotics Department to withhold the licence from any one whenever it is thought proper to do so in accordance with the provisions of section 9 of the Opium Act, 1857.

Proposal to procure and store pulses and Oilseeds

5035 **Shri Rudra Sen Chaudhury:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to procure and store pulses and oilseeds;

(b) if so, the procurement price thereof; and

(c) the criteria for fixing the procurement price?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Co-operation (Shri K. K. Goyal): (a), (b) and (c). The Central Government has not decided to make statutory procurement of pulses and oilseeds. Government has, however, fixed the support prices for gram, groundnut, soyabean and sunflower-seed. Government has also asked National Agricultural Cooperative Marketing Federation (NAFED) and National Consumer Cooperative Federation (NCCF) to make some commercial purchases of pulses and groundnut to build up some buffer stocks. They are purchasing them at varying prices, on their commercial judgment, depending on the prevailing prices in the primary markets.

ईरान द्वारा चीनी की खरीद

5036. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या ईरान ने जिस चीनी की खरीद के लिए भारत से करार किया था उसे खरीदने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और ईरान द्वारा चीनी न खरीदने के क्या कारण बताये गये हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख). ईरान से जितनी चीनी खरीदने के लिए संविदा की थी, उस में से उसने किसी भी मात्रा को खरीदने से इन्कार नहीं किया है। भारत सरकार और ईरान की सरकार के बीच हस्ताक्षर हुए समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत दिसम्बर, 1977 तक ईरान को ऋण पर 1.20 लाख मे० टन चीनी सप्लाई की जानी थी। तथापि, बाद में ईरानियों ने चाहा कि उन्हें करार के अन्तर्गत रंग की दृष्टि से पेरिस ग्रेंड 6 के अनुरूप चीनी सप्लन्ई की जाये। चूंकि भारतीय चीनी पेरिस ग्रेंड 6 के अनुरूप नहीं है अत: ईरान ने यह चाहा कि उन्हें समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत, जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें चीनी के मूल्य के बराबर सीमेंट सप्लाई किया जाये। देश में सीमेंट की कमी को देखते हुए तीसरे देशों से खरीद करके ईरान को सीमेंट सप्लन्ई करने का प्रश्न दोनों सरकारों के बीच विचाराधीन है।

Hindi at Agri-Expo, 1977

5037. **Shri S. S. Somani: Will the Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a)whether the national language Hindi has not been given suitable in the Agri-Expo, 77 fair being held in Pragati Maidan;

(b) whether it is also a fact that in most of the pavilions it is only English which has been used and poor farmers are not able to get information in Hindi; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Baig): (a) to (c). The Hindi Language was extensively used in AGRIEXPO-77. Descriptions to exhibits were provided both in Hindi and English. Publicity material issued by the Trade Fair Authority of India was in Hindi and English as well as in some regional languages. The guides at the Fair were fluent in both Hindi and English and were capable of explaining the exhibits in both languages as well as in their own regional languages. Farmers had no problem in understanding the exhibits. In those cases where the exhibits were of a sophisticated nature, care was taken to explain such exhibits to the farmers.

Coffee Cultivation

5038. **Shri Natvarlal B. Parmar:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme, for increasing the areas under coffee cultivation; and

(b) whether no measures have been taken for coffee cultivation in Assam, Orissa, West Bengal and Andaman Island inspite of having favourable climate there and if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Baig): (a) Yes, Sir.

(b) Steps have been initiated for bringing in additional areas under coffee in both traditional and non-traditional areas including Assam, Orissa, West Bengal and Andamans.

Sale of Coffee Tin at high rate by Nescafe

5039. **Shri Natvarlal B. Parmar:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether Nescafe is selling 50 gram coffee tin at a very high price; and

(b) if so, whether Government propose to control the price thereof?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Baig): (a) & (b). The manufacturers of NESCAFE in India have not been marketing instant coffee in 50 gram tin packing for over two years. The question of sales of such tin packs of instant coffee at high prices does not arise.

It has been reported that the manufacturers of NESCAFE in India raised the retail price from Rs. 5.79 to Rs. 6.06 (i.e. by 27 paise) for 50 grams jar from 26th April, 1977. It is understood that this increase was due to the increase in the prices of packing material besides increases in other indirect expenses.

There is no proposal to control the price of instant coffee.

सहकारिता विभागों को ऋण

5040. **श्री के० मालन्ना :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के सहकारिता विभागों को चालू वित्तीय वर्ष के दौराद सहायता, अनुदान तथा ऋणों के रूप में कितनी धन राशि मंजूर की गई है; और

(ख) उक्त सहायता देने के लिए क्या कसौटी अपनाई गई ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को 38,58,943/- रु० ऋण के रूप में और 4,51,406/- रु० आर्थिक सहायता के रूप में मंजूर किये गये हैं ।

(ख) यह सहायता विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिमान के अनुसार दी जाती है ।

बैंकिंग उद्योग के ग्राहकों के अनिर्णीत दावों का जमा हो जाना

5041. **श्री के० राममूर्ति :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यहसच है कि बैंकिंग उद्योग में बैंकिंग कम्पनी एक्ट, 1881 में नामांकन की व्यवस्था न होने के कारण बड़ी संख्या में ग्राहकों के अनिर्णीत दावें जमा हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जब बीमा अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम आदि में नामांकन की व्यवस्था है, तो क्या सरकार बैंकिंग उद्योग में ग्राहकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए बकिंग कम्पनीज़ एक्ट, 1881 में भी नामांकन की व्यवस्था करने के लिए संशोधन करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में वाणिज्यिक बैंकों के पास अदावाकृत जमाओं की राशि दिसम्बर, 1955 के अन्त तक 12.77 करोड़ रुपये थी । यह सारी राशि अदावाकृत रहने का कारण जमाकर्ताओं के मामले में नामांकन की व्यवस्था का अभाव नहीं है । अलबत्ता, सरकार मृत खातेदारों के परिवारों/उत्तरजीवियों की कठिनाइयों से अवगत है ।

(ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तत्संबंधी उपबंधों में संशोधन का एक विधेयक लाने का सरकार का विचार है ताकि जमाकर्त्ता की मृत्यु हो जाने के मामले में, बैंक जमाकर्त्ता द्वारा नामांकन व्यक्ति को उसके चालू बचत अथवा मियादी जमा खातों की जमा की बकाया रकम अदा कर सकें अथवा बैंक के अभिरक्षण/लाकर में रखी वस्तुओं को लौटा सकें ।

उर्वरकों पर उत्पादन शुल्क

†5042. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उर्वरकों पर इस समय उत्पादन शुल्क की दरें क्या हैं ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उर्वरकों पर से उत्पादन शुल्क को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सभी उर्वरक, पशु या वनस्पति उर्वरकों को छोड़कर, यदि उन्हें रासायनिक तौर पर तैयार नहीं किया गया तो उन पर 15% शुल्क यथामूल्य लगेगा। तथापि, सिंगल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट उर्वरकों को $7\frac{1}{2}\%$ से अधिक शुल्क से छूट दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्युत की सहायता के बिना बनाये गये उर्वरकों तथा विद्युत की सहायता से बनाये गये मिश्रित उर्वरकों को शुल्क देय उर्वरकों में से पूरी तरह छूट दी जाती है। कतिपय विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाओं के लिए और कृषि फ्रिटेड ट्रेस एलीमेन्ट्स या माइक्रोन्यूट्रीएंट्स या सायल स्टैबिलाइजर के रूप में प्रयोग किये जाने वाले उर्वरकों को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई। शुल्क देय मूल उर्वरकों से बनाये गये उर्वरकों को ऐसे मूल उर्वरकों पर देय शुल्क के बराबर छूट दी गई है।

(ख) और (ग). निकट भविष्य में उर्वरकों पर शुल्क पूरी तरह समाप्त करने का सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

"हाई सीज" पर राज्य व्यापार निगम का कच्चा माल

5043. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम का कच्चा माल कितनी फर्मों को "हाई सीज" पर दिया गया ; नामों का तथा "हाई सीज" के आधार पर किए गये सौदों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) किन किन फर्मों को "हाईसी" के आधार पर कच्चे माल देने से इन्कार किया गया, उन फर्मों तथा वस्तुओं के नाम क्या है और राज्य व्यापार निगम द्वारा इन्कार करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम "हाई सी" आधार पर कच्चा माल देने सम्बन्धी निर्णय किन आधारों पर करता है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि प्रदर्शनी, 1977

5044 **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि प्रदर्शनी, 1977 अब तक कितने दर्शकों ने देखी है ;

(ख) उक्त प्रदर्शनी के आयोजन पर कितनी धनराशि खर्च हुई ;

(ग) प्रदर्शनी देखने के लिए आने वाले किसानों को क्या सुविधायें दी गई ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों से प्रदर्शनी में किसानों को लाने के लिए कोई वित्तीय सहायता अथवा अन्य कोई सहायतादी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) प्रदर्शनी की टिकटों की बिक्री से अब तक कितनी आय हुई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बग) :

(क) लगभग 16 लाख ।

(ख) 78.83 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

(ग) तथा (घ). एक विवरण संलग्न है ।

(ङ) 5.67 लाख रुपये ।

विवरण

(ग) एग्री-एक्स्पो मेला देखने आये किसानों को निम्नलिखित सुविधाएं दी गई थी :—

(I) राजघाट कोचिंग सेंटर, गुजरात समाज तथा अम्बेडकर भवन में प्रति दिन 1200 किसानों के लिए रहने की व्यवस्था की गई थी ।

(II) भोजन की सुविधाएं देने के लिए जलपान गृह खोला गया था ।

(III) किसानों को ठहरने की जगहों तथा मेला मैदान के बीच आने जाने के लिए बसें चलाई गई थीं ।

(IV) मेले में प्रवेश के लिए मानार्थ टिकट जारी किये गये थे ।

(घ) जी हां । केन्द्र की सहायता निम्नलिखित स्वरूप की थी :—

(I) किसानों (किसानों के प्रशिक्षण तथा शिक्षण की केन्द्रप्रायोजित योजना के 120 जिलों में से प्रत्येक के पांच किसानों) के दौरे पर व्यय भारत सरकार ने पूरा किया था।

(II) मेरठ, दिल्ली, गुड़गांव, रोहतक तथा करनाल में से प्रत्येक के 480 किसानों को आने जाने तथा भोजन की मुफ्त सुविधाएं दी गई थीं ।

(III) रेलवे बोर्ड ने मेला देखने वाले 5 किसानों के ग्रुप को आधे किराये की रियायत दी ।

Decline in National Revenue due to Export of Tubacco

5045. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether Government have not adopted a new policy in regard to export of tobacco as a result of which the national revenue earned from it has declined in 1976-77 as compared to that earned in 1975-76; and

(b) if not, the names of the countries with which agreements have been made in this regard under the new policy?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Baig): (a) No new policy has been adopted in regard to export of tobacco. The policy remains to allow exports freely subject to observance of minimum export prices. Revenue collected on exports of tobacco by way of export duty and cess increased from Rs. 5.52 crores in 1975-76 to Rs. 5.95 crores in 1976-77. (Figures rounded up to nearest lakh).

(b) Does not arise.

यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा पटसन की वस्तुओं के निर्बाध प्रवेश को अनुमति दिया जाना

5046. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1 जनवरी, 1978 से पटसन की वस्तुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इससे पटसन के निर्यातकों को क्या लाभ होंगे; और

(ग) क्या इस निर्णय से निर्यातकों को होने वाले लाभ में से सरकार अतिरिक्त राजस्व जुटाने में समर्थ हो सकेगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बग) : (क) भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच 7 दिसम्बर, 1977 को हस्ताक्षरित पटसन करार में यह व्यवस्था है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय को पटसन उत्पादों के निर्यात मात्रा सम्बन्धी कतिपय विहित सीमाओं के भीतर रखे जाएंगे। करार के अनुसार पटसन धागे तथा पटसन वस्तुओं की अन्य अनुबंधित श्रेणियों पर समुदाय के सामान्य सीमा शुल्क टैरिफ के शुल्क 1-1-77 से क्रमश: 100 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत कम कर दिये गए। करार में यह व्यवस्था है कि पटसन वस्तुओं की अन्य अनुबद्ध श्रेणियों पर शुल्क 1-7-78 को 100 प्रतिशत कम कर दिया जाएगा। लेकिन यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने 1-1-78 से ही 100 प्रतिशत की यह कटौती लागू करने के अपने निर्णय की सूचना दी है।

(ख) तथा (ग). टैरिफ में कटौती का पटसन वस्तुओं के निर्यात तथा विदेशी मुद्रा की आय पर अच्छा असर पड़ने की संभावना है।

स्टेट बैंक की ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेडमें हुई हानि

5947. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक को ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड में लगभग तीन करोड़ रुपये की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के तीन यूनिट थे अर्थात् वैगन डिवीजन, स्टील फाउंडरी डिवीजन और पेरेन्ट डिवीजन। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कम्पनी को उसकी चालू परिसम्पत्तियों को जमानत के रुप में रखकर तथा कुछ निदेशकों की गारन्टियों के बदले उसके पेरेन्ट डिवीजन के उपयोग के लिये कुछ नकद ऋण सुविधायें दी गयी थीं। साथ-साथ ही बैंक ने बाद में एक करोड़ रुपये तक की कम्पनी की अचल परिसम्पत्तियों को दूसरी गिरवी के रूप में रख लिया है जिसका पहला प्रभार (चार्ज) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पक्ष में जायेगा। कम्पनी ने भारी हानि होने के कारण 1970 के अंत में अपने पेरेन्ट डिवीजन को बन्द करने की घोषणा कर दी। बैंक का, पेरेन्ट डिवीजन के सम्बंध में, इस समय, सितम्बर, 1976 तक लगाये गये ब्याज सहित, 3.23 करोड़ रुपये का बकाया निकलता है।

बैंक ने सूचित किया है कि अपने हितों की रक्षा के लिये उसने कम्पनी तथा गारन्टरों के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया है और गिरवी मुकदमा भी दायर कर दिया है। ये मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन है और इनके शीघ्र निपटान के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

कम्पनी के पेरेन्ट डिवीजन के प्रबन्धको केन्द्रीय सरकार ने 1976 के आरम्भ में ही उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अपने हाथ में ले लिया था और मेसर्स वेस्टिंग हाऊस सेक्सबी फार्मर को जो कि राज्य सरकार का एक प्रतिष्ठान है, पांच वर्ष की अवधि के लिये प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिया गया था।

नेशनल ग्रिंडलेज बैंक के कर सम्बन्धी मामलों की जांच

5048. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल ग्रिंडलेज बैंक के गत सोलह वर्षों के कर सम्बन्धी मामलों की जांच करने के बारे में तथा भारत से बाहर धनराशि भेजे जाने के बारे में लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर उस बैंक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही पूरी की गई है ; और

(ख) उस बैंक के निदेशकों तथा कार्य-पालक अधिकारियों के विरुद्ध की गई दण्डात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) कर-निर्धारण वर्ष 1971–72 के लिए ग्रिण्डले बैंक (भूतपूर्व नेशनल एण्ड ग्रिण्डले बैंक) का कर-निर्धारण 4,13,00,050 रु० की कुल आय पर पूरा किया गया है जबकि आय की विवरणी में अंतिम रूप से दिखायी गयी रकम 3,22,85,660 रु० थी।

कर-निर्धारण वर्ष 1972–73 के लिए बैंक का कर-निर्धारण पूरा कर दिया गया है। किन्तु, कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारिती पर मांग-नोटिस तामील नहीं किया गया है।

कर-निर्धारण वर्ष 1974–75 के लिए भी बैंक का कर-निर्धारण 8,52,39,680 रु० की कुल आय पर पूरा किया गया है जबकि आय की विवरणी में अंतिम रूप से दिखायी गयी रकम 6,00,06,510 रु० थी।

कम्पनी द्वारा दायर की गयी रिट याचिकाओं पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की निषेधाज्ञा के परिणामस्वरूप जिसमें आयकर अधिकारी को कर निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही करने से रोक दिया गया है, कर-निर्धारण वर्ष 1958–59 से 1970–71, 1973–74 और 1975–76 के लिए कर-निर्धारण/पुनः कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही रोक दी गई है।

फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक को अदा की गयी तकनीकी सेवा सम्बन्धी फीस में से स्रोत पर कर नहीं काटे जाने के विरुद्ध आय कर अधिनियम 1961 की धारा 276–ख के अधीन 14 शिकायती याचिकाएं चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के समक्ष दायर की गई हैं।

2. रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया ने जिसका सम्बन्ध भारत से बाहर धन-राशि भेजे जाने से है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 के अन्तर्गत उक्त बैंक का निरीक्षण किया है। निरीक्षण-रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) बैंक के किसी भी निदेशक की आय का भारत में कर-निर्धारण नहीं किया जाता है।

2. भारत में बैंक के एक भूतपूर्व महाप्रबन्धक श्री डब्ल्यू०एम० बेनेट के मामले में, कर-निर्धारण वर्ष 1972–73 के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271(1)(ग) के अन्तर्गत अर्थ-दण्ड लगाया गया है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने इसकी पुष्टि की है। कर-निर्धारण वर्ष 1967–68 से 1971–72 तक के सम्बन्ध में आय को छिपाने के कारण उनके मामले में दाण्डिक कार्यवाही भी शुरू की गई है (ऐसी कार्यवाही को रोकने के लिये कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के कारण कर-निर्धारण के आदेश तामील नहीं किये गये हैं)।

3. बैंक के अनेक प्रशासकीय अधिकारियों के मामलों में कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही के दौरान विभिन्न परिलब्धियों के कारण रकमें बढ़ा दी गई हैं और आय को छिपाने के कारण दण्ड लगाने सम्बन्धी कार्यवाही शुरू की गई है।

जूट बैंचिंग तेल की काला बाजारी

5049. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूट बैंचिंग तेल की भारी कालाबाजारी है;

(ख) यदि हां, तो तत सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (ग). एक वर्ष से अधिक पहले यह आरोप लगाया गया था कि बम्बई में कुछ सिद्धान्तहीन पार्टियां जूट बैंचिंग तेल का प्रयोग अन्य स्नेहकों में मिलावट के रूप में करती है। भारतीय पटसन आयुक्त ने भारतीय पटसन निर्माता परिसंघ तथा वैयक्तिक पटसन मिलों के साथ इस मामले को उठाया था। जूट बैंचिंग तेल के विषय में और कोई शिकायत या काला बाजारी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का जमा राशियां जुटाने का अभियान

5050. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों और निजी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अत्यधिक जमा राशियां जुटाने का अभियान चलाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) क्या सरकार के पास भारतीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किये गये काले धन के कथित लेनदेन के बारे में, जिसे उन्होंने अपने खातों में दर्ज नहीं किया है, आंकड़े उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे लेन देन को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग). बैंकों ने बैंक रहित/कम बैंक वाले क्षेत्रों में अपना शाखा विस्तार करके तथा लोगों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिये अलग अलग जमा योजनायें बना कर तथा उन्हें पर्याप्त मात्रा में विस्थापित करके लोगों को बचत की प्रेरणा देकर, अपनी जमाओं की बढ़ाने के लिये बराबर प्रयास किया है और कर रहे हैं। बैंक द्वारा जुटाई गयी सभी जमाओं को बैंकों के खातों में विधिवत् दर्ज किया जाता है तथा सम्बन्धित ग्राहकों को ऋण प्रदान किया जाता है।

उपभोक्ता सामान के उद्योग क्षेत्र में क्रियाशील बहुराष्ट्रीय निगम

5051. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपभोक्ता सामान के उद्योग में क्रियाशील बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अर्थ-व्यवस्था को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपने उत्पादन का विविधीकरण और अन्तरण करने के बारे में सरकार ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए पूजी निवेश वातावरण को अधिक आकर्षक बनाने के लिए देश के वर्तमान नियमों में यदि सरकार का कोई परिवर्तन करने का विचार हो, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). विदेशी कम्पनियों के सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि उन्हें उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में अथवा निर्यात-प्रधान उद्यमों

में कार्यकरना चाहिये। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 के प्रशासन के लिए निर्धारित मार्ग निदेशों में उन कम्पनियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक विदेशी इक्विटी की व्यवस्था है जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में कार्यरत है अथवा विविधीकरण में लगी हुई है। लाइसेंसिंग नीति भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में विदेशी कम्पनियों या निर्यात प्रधान कम्पनियों के प्रवेश के हक में है यदि वे गैर-प्राथमिकता सूची वाले सामान का उत्पादन शुरू करने की इच्छुक है। इन नीतियों में विदेशी निवेशकों के लिए पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था है।

Expansion Scheme for Aerodromes

5052. Dr. Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether there is any expansion scheme for aerodromes; and

(b) if so, the outlines thereof?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) Yes, Sir.

(b): A statement containing outline of projects in hand and expected to be taken up in the current and next financial years is attached. [Placed in the *Library. See No. LT*—1457/77.]

Loans by Banks for Agriculture Development

5053. Shri Surya Narain Singh: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether some changes are being made in the loans given by the banks for the agriculture development;

(b) if so, the main attractions thereof;

(c) whether Government have fixed the amount of agriculture loan; and

(d) if so, the amount thereof?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) & (b). With a view to promote greater involvement of banks in the agricultural sector, the Reserve Bank of India has advised all scheduled banks to charge a rate of interest:

(i) not exceeding 10.5 pe rcent on term loans with maturity period of not less than 3 years granted to farmers for purposes of minor irrigation and land development; and

(ii) not exceeding 11 per cent on term loans with maturity period of not less than 3 years granted to farmers for diversified purposes which include dairy farming, poultry, fisheries, horticulture etc.

(iii) Direct individual loans to small farmers, not exceeding Rs. 2500 whether short, medium or long-trm, will become eligible for re-finance at 9 per cent from Reserve Bank of India. Banks have been advised not to charge more than 11 per cent on such loans irrespective of whether this refinance is obtained or not.

(c) &(d). No specific amount is earmarked by banks for being advanced to a particular sector. Government has, however, advised the banks to ensure that by March, 1979, 33.3 per cent of their total advances should be provided to the priority and neglected sectors, including agriculture.

सहकारी समितियों के लेखों की परीक्षा

5054. श्री अमृत कासर : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी समितियों के पंजीयक, दिल्ली द्वारा पंजीकृत सहकारी समितियों की संख्या कितनी हैं;

(ख) क्या सहकारी समिति विभाग के लेखा परीक्षकों को वर्ष में एक बार इन समितियों के लेखों की परीक्षा करनी होती है;

(ग) कितनी सहकारी समितियों के लेखों की परीक्षा एक वर्ष से अधिक समय से नहीं की गई है;

(घ) इन समितियों के लेखों की परीक्षा किये जाने में स्थिति कब से बिगड़ी ;

(ङ) क्या सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा यह तथ्य उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था; और

(च) यदि हां, तो कब और स्थिति में सुधार लाने के लिए तब से क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) :

(क) 3,552

(ख) जी हां ।

(ग) 2,227, जिनमें वे 674 समितियां भी शामिल है, जिनके बारे में परिसमापन कार्यवाही चल रही है ।

(घ) कई कारणों से, जिनमें कर्मचारियों की कमी भी शामिल है, हर समिति के लेखाओं की परीक्षा हर वर्ष नहीं की गई है ।

(ङ) जी हां ।

(च) दिल्ली के सहकारी समितियों के पंजीयक ने 23-5-1977 को अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की है । इस बीच बड़ी समितियों की लेखापरीक्षा का काम चार्टर्ड लेखाकारों को आवंटित किया जा रहा है, ताकि लेखा परीक्षा के बकाया काम को पूरा किया जा सके ।

भारतीय गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में पूंजी निर्माण का अध्ययन

5055. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में पंजी निर्माण के अध्ययन से हाल में पता चला है कि 1974–75 को समाप्त होने वाली 15 वर्ष की अवधि में पूंजी निवेश की दर में वास्तविक स्थिरता रही ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख). सम्भवत: यह हवाला टाटा आर्थिक सलाहकार सेवाओं द्वारा किए गए अध्ययन के सम्बन्ध में है। इस अध्ययन से प्राप्त प्रारम्भिक परिणाम, अगस्त, 1977 के अन्त में बम्बई में भारतीय वाणिज्य और उद्योग के संयुक्त मण्डलों द्वारा 'पंजी बाजार और औद्योगिक विकास" विषय पर आयोजित गोष्ठी में चर्चा का आधार बने । इस अध्ययन के परिणामों के अनुसार, 1974–75 के साथ समाप्त 15 वर्ष की अवधि में निजी निगम क्षेत्र में 5.2 प्रतिशत पूंजी का निर्माण हुआ । इस अध्ययन का निष्कर्ष ठोस आधार पर नहीं निकाला गया है, क्योंकि इसमें धारणा तथा प्रणाली सम्बन्धी गम्भीर भूलें रह गयी हैं । सरकार के सामने ऐसा विश्वास करने के लिए कोई कारण नहीं है कि आलोच्य अवधि के दौरान निवेश में गत्यवरोध रहा है ।

(ग) सरकार केन्द्रीय बजट और अन्य नीतियों के माध्यम से उद्योग को उचित प्रोत्साहन दे रही है ताकि उत्पादक निवेशों के लिए अधिक धन जुटाया जा सके । इनमें शामिल है:––निवेश छूट के क्षेत्र को व्यापक बनाना ताकि इसके अन्तर्गत लगभग सभी उद्योग आ सकें, अल्पजनधारित औद्योगिक कम्पनियों को लाभांश के वितरण की अनिवार्यता से छूट देना, पूंजी-लाभ कर के ढांचे को युक्ति संगत बनाना, औद्योगिक लाइसेंस देने की नीतियों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाना और कच्चे माल के आयात को अधिक उदार बनाना आदि ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटकों के लिए होटलों में स्थान

5056. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के वर्तमान होटलों में पर्यटकों की आवश्यकतानुसार पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या है;

(ख) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत निकट भविष्य में वहां कुछ नए होटल खोलने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिक संख्या में पर्यटकों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में फिलहाल कोई होटल नहीं है ।

(ख) पोर्ट ब्लेयर के निकट कार्बिन्सकोव में ट्रेवल कारपोरेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक 32-कमरों वाले होटल के निर्माण का प्रस्ताव है । हालांकि यह होटल एक प्राइवेट पार्टी द्वारा बनाया जा रहा है, इसके लिए कर्मचारियों की व्यवस्था तथा इसका प्रबन्ध होटल कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा किया जाएगा जोकि एयर इंडिया की एक अनुषंगी (Subsidiary) संस्था है ।

पोर्ट ब्लेयर में प्राइवेट सेक्टर में एक होटल के निर्माण के लिए एक और प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह फिलहाल "प्रतिबन्धित" क्षेत्र है ।

सामान्य बीमा कम्पनियों से इंजीनियरिंग स्नातकों की नियुक्ति

5057. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों की बड़े पैमानेपर बेरोजगारी को देखते हुये विभिन्न सामान्य बीमा कम्पनियों में प्राइवेट असेसरों/क्लेम इन्सपेक्टरों को हटा दिया जाएगा और उनकी पूर्ति बेरोजगार इंजीनियरों द्वारा की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). साधारणबीमा कम्पनियों मोटर-गाड़ियों सम्बन्धी दावों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए 100 से अधिक इंजीनियरी डिप्लोमा-धारी भर्ती करने के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रही है और आशा कि भर्ती का काम 1978 के दौरान पूरा हो जायेगा । लेकिन समुद्री और अग्रिम बीमें के मामले में जब स्वतन्त्र विशेषज्ञ की राय जानना अनिवार्य समझा जाए या ऐसे क्षेत्रों में जहां पूर्णकालिक सर्वेक्षक की नियुक्ति न्यायोचित न हो वहां पर सरकारी सर्वेक्षकों से बिल्कुल काम न लेना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम के लिये और समुद्र तटीय ग्रीष्म विश्राम स्थल बनाने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता के लिये प्रस्ताव

5058. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **पर्यटन और नगर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने (एक) गोलकुण्डा में ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम की व्यवस्था करने (दो) आंगोल में पर्यटक बंगला बनाने और (तीन) भीमुनिपटनम में समुद्र तटीय ग्रीष्म विश्राम स्थल का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता देने के लिए सरकार सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग). ये तीनों प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त पर्यटन विकास विषयक पर्स्पेक्टिव प्लान में सम्मिलित हैं । इन पर अगली पंचवर्षीय योजना (1978—83) में साधनों के उपलब्ध होने की स्थिति में, केन्द्र तथा राज्य क्षेत्रों में ली जाने वाली स्कीमों के निर्धारण करने के लिए राज्य पर्यटन विभाग के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा ।

हैदराबाद तथा भीमुनिपटनम में शिविर-स्थलों के विकास के लिये सहायता हेतु आंध्र प्रदेश सरकार का अनुरोध

5059. श्री पी० राजगोपाल नायडू: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हैदराबाद में मिन आलम तालाब स्थित जूलोजिकल पार्क में और भीमुनिपटनम में शिविर-स्थलों (कैंपिंग साइट स्) के विकास के लिए सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके लिए स्वीकृति दे दी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). हालांकि हैदराबाद में मिन आलम तालाब पर एक शिविर स्थल के विकास का प्रस्ताव था परन्तु सीमित वित्तीय साधनों के कारण इसका निर्माण-कार्य स्थगित कर देना पड़ा है ।

दालों के लिये सरकारी क्षेत्र का निगम

5060. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों के व्यापार के लिए सरकारी क्षेत्र में निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) निगम को चलाने के लिए कितनी पूंजी लगाई जायेगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) :(क) जी नहीं ।

(ख) व (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

एफ० टी० एस० प्रणाली के विस्तारण के लिये एयर इंडिया के प्रबन्धकों का अभ्यावेदन

5061. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के प्रबन्धकों ने अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के लिये भी एफ० टी० एस० प्रणाली के विस्तारण के लिये मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन का क्या परिणाम निकाला ; और

(ग) क्या एफ० टी० एस० की राशि को 100 डालर से बढ़ा कर 500 डालर करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क). जी, हां । एयर इंडिया ने पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय को यह सुझाव देते हुए अप्रैल, 1976 में लिखा था कि सभी हवाई कम्पनियों को विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत ले आया जाए ।

(ख) और (ग). सभी बातों पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने हाल में विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत जारी की जाने वाली विदेशी मुद्रा को 100 डालर से बढ़ा कर 500 डालर करने का निर्णय किया है चाहे यात्रा किसी भी हवाई कम्पनी के माध्यम से की जाए ।

श्रमिकों को बोनस का भुगतान करने के लिए उद्योग पतियों को आसान शर्तों पर ऋण देना

5062. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन उद्योगपतियों को लगभग 250 करोड़ रुपये का आसान शर्तों पर ऋण देना स्वीकार किया है जो नये अध्यादेश के अनुसार श्रमिकों को 8.33 प्रतिशत बोनस का भुगतान करने पर सहमत हो गये हैं और यदि हां, तो इस प्रकार का ऋण मंजूर किये जाने की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग). ऐसे औद्योगिक एककों ने जो इस समय वित्तीय संकट में हैं और नकदी या नकदी जैसी सम्पत्ति (लिक्विडिटी) की कमी के कारण अपनी न्यूनतम बोनस अदायगी के दायित्व को पूरा करने में अक्षम हैं, अपने कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के लिये बैंकों से वित्तीय सहायता के लिये आवेदन किया है क्योंकि ऐसे एककों के कर्मचारियों को बोनस की गैर-अदायगी से औद्योगिक अव्यवस्था फैलने की सम्भावना है, सरकार ने

बैंकों को निम्नलिखित एककों को, न्यूनतम बोनस दायित्वों को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता देने पर विचार करने की सलाह दी है ;

(i) ऐसे एकक जिन्हें बैंकों से विशेष सहायता की आवश्यकता है चाहे वे अर्थ क्षम ही क्यों न हों ; और

(ii) ऐसे एकक जिन्हें आधुनिकीकरण आदि के लिये सहायता देकर अर्थक्षम बनाया जा सकता है ।

बैंकों से वित्तीय सहायता का अनुरोध करने वाले एककों को अपनी अर्थक्षमता/संभावित अर्थक्षमता के बारे में बैंकों को संतुष्ट करना पड़ेगा ।

ऐसे ऋणों की शर्तें और निबन्धन सम्बन्धित बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच तय किये जायेंगे ।

गैर अर्थक्षम सूती कपड़ा मिलों के बारे में बैंकों ने केन्द्रीय/राज्य सरकारों की गारंटी मांगी है । सूती कपड़ा मिलों के लिए महाराष्ट्र और गुजरात सरकारें गैर अर्थक्षम मिलों को दी गई वित्तीय सहायता के 50 प्रतिशत तक गारण्टी देने को सहमत हो गई हैं और केन्द्रीय सरकार स्वयं शेष 50 प्रतिशत की जिम्मेदारी लेती है । बैंक इस आधार पर ऐसी मिलों को वित्तीय सहायता देने के मामलों पर कार्यवाई करते रहे हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहकों के बिना निपटाये गये दावे

5063. श्री के० राममूर्तिः क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग कम्पनी अधिनियम, 1881 में नाम निर्देश का प्रावधान न होने से राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और उसकी सहायक बैंकों में ग्राहकों के कितने दावों का अब तक निपटान नहीं किया जा सका है; और

(ख) 31 मार्च, 1977 तक अनिर्णीत पड़े दावों का बैंक वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंकों में ग्राहकों के ऐसे दावों की संख्या से संबंधित सूचना, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में नामन (नामीनेशन) का उपबंध न होने के कारण अभी तक तय नहीं किये जा सके हैं उनके पास उपलब्ध नहीं है । फिरभी, दिसम्बर, 1975 के अन्त की स्थिति के अनुसार इनबैंकों के पास अदावाकृत (अनक्लेम्ड) जमाराशियों का ब्यौरा (ताजा से ताजा उपलब्ध) बैंक समूह वार नीचे दिया गया है :—

बैंक समूह	(राशि करोड़ रुपयों में)
1. भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंक	4.60
2. राष्ट्रीयकृत बैंक	5.77
जोड़	10.37

विदेशी मुद्रा रक्षित कोष

5064. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 नवम्बर, 1977 के स्टेटसमैन में "एमबेरेसिंग राइज इन फोरेन रिजर्व" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के वर्तमान आकार को देखते हुए सरकार की यह नीति है कि प्रारक्षित निधि का कुछ हिस्सा इन कामों के लिए इस्तेमाल में लिया जाए

(1) देश में उपलब्ध उत्पादन क्षमता को उपयोग के अनुरुप अर्थ-व्यवस्था की आयातित कच्चेमाल, संघटकों, अतिरिक्त पुर्जों और उपस्करों सभी आवश्यकताओं को पूरा करना ;

(2) देश में कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के लिए खपत की कमी वाली अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात करने की व्यवस्था करना ; और

(3) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में ऐसी चुनी हुई परियोजनाओं और कार्यक्रमों में, जिनके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है, जल्दी से पूंजी लगाकर अर्थ व्यवस्था में विकास की प्रक्रिया को तेज करना ।

फिर भी, अन्ततोगत्वा विदेशी मुद्रा प्राक्षित निधि द्वारा विदेशी से आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की बड़े पैमाने पर खपत आर्थिक क्रियाकलापों और अर्थव्यवस्था में निवेश की गति पर निर्भर करती है। आशा है कि छठी पंचवर्षीय आयोजना, से जिसे जल्दी ही अन्तिम रूप दिया जाने वाला है, अर्थ व्यवस्था को इस दिशा में आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा ।

'डिले इन पर्मिटस हेम्पर्स एडीबल आयल इम्पोर्टस' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

5065. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22नवम्बर, 1977 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में "डिले इन पर्मिटस हेम्पर्स एडीबल आयल इम्पोर्टस"शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लौह अयस्क के मूल्य

5066. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह अयस्क का निर्यात करने वाले अन्य देशों की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के लौह अयस्क का मूल्य बहुत कम है ;

(ख) यदि नहीं, तो विश्व बाजार में प्रति टन तुलनात्मक मूल्य क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऊंचे मूल्य प्राप्त करने के लिए उसके निर्यात का पुनर्गठन करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ): भारतीय लौह अयस्क के लिए प्राप्त कीमतें लौह अयस्क की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरुप हैं । जिन कीमतों पर निर्यात किए जाते हैं वे गंतव्य स्थान के लिए अलग अलग होती हैं जो इन बातों पर निर्भर हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति क्या है, आयात करने वाले देश में भारतीय लौह अयस्क को कितनी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और कितना समुद्री भाड़ा बैठता है आदि । निर्यात कीमतें बताना देश के वाणिज्यिक हित में नही होगा ।

पर्यटकों की संख्या

5067. **श्री के० लकप्पा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर और नवम्बर, 1977 में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिसम्बर, 1977 में भी यह कमी हुई है;

(ग) क्या गत वर्ष की तुलना में पर्यटकों की यह संख्या काफी कम है ;

(घ) यदि हां, तो कितनी, और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क), (ख) और (ग) जी नहीं (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हरिजनों को दिये गये ऋण तथा अग्रिम राशियां

5068. श्री के० लकप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को हरिजनों को ऋण और अग्रिम राशियां देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय गृह मंत्री ने भी कहा है कि इन राष्ट्रीयकृत बैंकों को हरिजनों को अग्रिम राशियां देने के लिए 40 करोड़ रुपए रखने के लिए कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों ने हरिजनों को ऋण देने आरम्भ कर दिया हैं ;

(घ) कितने हरिजनों को अग्रिम राशियां दी गई हैं और कहां-कहां दी गई हैं;

(ङ) क्या ये अग्रिम राशियां वर्तमान नियमों के अन्तर्गत दी गई हैं अथवा उनके लिए नियमों को उदार बनाया गया है; और

(घ) नई योजना के अन्तर्गत अब तक हरिजनों को ऋण की कुल कितनी राशि दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल). (क) सरकार की यह स्वीकृत नीति है कि हरिजनों सहित समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अधिकाधिक ऋण प्रदान किया जाये । सरकार के विभेदी ब्याज दर योजना विशिष्टत: इसीलिये बनाई है कि हरिजनों सहित समाज के सबसे कमजोर वर्गों के पात्र ऋणकर्ताओं को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज-दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाये। सरकार ने हाल ही में इस योजना के कार्य क्षेत्र और व्याप्ति को सारे देश में लागू कर दिया है ।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से बैंकों को इस संशोधित योजना के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत उनके ऋणों का कम से कम 1/3 भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मिलने लगे । ऐसा प्रतीत होता है कि गृह मंत्री महोदय ने इसी संदर्भ में एक व्यान दिया है ।

(ग) से (च). सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक और गैर-सरकारी क्षेत्र के तीन बैंक जिन पर लीड जिला दायित्व है, इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ऐच्छिक आधार पर इस योजना को कार्यान्वित करें । जून, 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋणकर्त्ता खातों की संख्या और बकाया ऋणों का राज्यवार ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है ।

आंकड़ा-सूचना की वर्तमान प्रणाली में केवल हरिजनों को दिए गए बैंक-ऋणों के बारे में अलग से आंकड़े इकटठे करने की व्यवस्था नहीं है ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	ऋणकर्त्ता खातों की संख्या	ऋणों की बकाया राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,01,602	435.97
2.	आसाम	13,441	57.21
3.	विहार	82,263	316.05
4.	गुजरात	56,743	301.91
5.	हरयाणा	23,367	245.82
6.	हिमाचल प्रदेश	24,910	131.33
7.	जम्मू और काश्मीर	11,457	66.50
8.	कर्नाटक	1,52,406	708.37
9.	केरल	88,270	264.62
10.	मध्य प्रदेश	70,236	332.54
11.	महाराष्ट्र	80,525	345.52
12.	मणिपुर	233	1.19
13.	मेघालय	944	4.01
14.	नागालैण्ड	428	1.60
15.	उड़ीसा	32,037	99.63
16.	पंजाब	46,053	335.24
17.	राजस्थान	31,356	195.57
18.	तमिलनाडू	1,23,824	598.74
19.	त्रिपुरा	3,132	17.33
20.	उत्तरप्रदेश	1,30,765	539.61
21.	पश्चिम बंगाल	48,261	180.29
22.	सिक्किम	44	0.30
संघ-राज्य क्षेत्र			
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	226	1.21
24.	अरुणाचल प्रदेश	77	0.41
25.	चण्डीगढ़	74	0.41

1		2	3
26.	दिल्ली . .	1,513	9.61
27.	दादरा और नागर हवेली . .	567	1.64
28.	गोआ, दमण और दीव . .	23,10	12.28
29.	लक्षद्वीप . . .	37	0.15
30.	मिजोरम . . .	57	0.44
31.	पांडीचेरी . .	4,651	20.70
	जोड़ .	11,36,869	5275.91

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

उद्योगों के विकास के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश

5069. श्री के० लक प्पा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने हेतु नये निदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीयकृत बैंक नई सरकार के सुझावों के अनुसार प्रस्तावित परिवर्तन करने पर सहमत हो गये हैं ;

(ग) कौन-से परिवर्तन करने का प्रस्ताव है और वे गरीब जनता के लिए कहां तक सहायक सिद्ध होंगे;

(घ) क्या सरकार कुछ और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने पर भी विचार कर रही है क्योंकि उनका काम भारत के हितों के विरुद्ध जाता है; और

(ङ) राष्ट्रीयकृत बैंक उनको जारी किए गए निदेशों को कब क्रियान्वित करेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क),(ख) और (ग). देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा दीर्घावधिक पूंजी निवेश को मजबूत करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 1977 में वाणिज्यिक बैंकों को उद्योग विषयक सार्वधिक ऋणों पर 12.5 प्रतिशत से अधिक दर पर ब्याज न लेने की सलाह दी थी । साथ ही छोटे पैमाने के उद्योगों में निवेश की स्थिति मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने, हाल ही में 12 दिसम्बर, 1977 को बैंकों को सलाह दी है कि वे निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले एककों को दिये गए कम से

कम तीन वर्ष की परिपक्वता वाले सांविधिक ऋणों पर ब्याज दर 11 प्रतिशत से अधिक न लें :—

(1) ऐसे छोटे पैमाने के एकक जो ऋण गारन्टी योजना के अन्तर्गत आते हैं/तथा ऐसे एकक जो विशेष गारन्टी योजना द्वारा व्याप्त तकनीकी उद्यमकर्ताओं द्वारा प्रावर्तित हों।

(2) छोटे सड़क परिवहन संचालक, और

(3) विशिष्ट पिछड़े हुये जिलों/क्षेत्रों में आने वाले लघु एकक ।

(घ) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ङ) छोटे पैमाने के क्षेत्रों को दिए गए सांवधिक ऋणों पर ली जाने वाली नयी दरें 1 जनवरी, 1978 के बाद दिये गये ताजे ऋणों पर लागू होंगी ।

Persons sent to U. K. for Training by Bureau of Public enterprises under the Colombo Plan

5070. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of persons sent to U. K. for training by the Bureau of Public Enterprises under the Colombo Plan;

(b) the names of the Ministries to which these persons belonged and the present posts held by them; and

(c) the foreign exchange incurred on their training abroad?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) & (c): The Government of India and the Government of United Kingdom have agreed to Management Training Project for the training of officers of the Central Government Enterprises and the Bureau of Public Enterprises. This is financed under the Colombo Plan assistance extended to India by the U.K. and as such, there is no expenditure in foreign exchange incurred by the Government of India on the training of officers deputed under this programme. The number of persons deputed under this programme in the last three years was as follows:—

Year	No. of persons deputed for training in U.K. by Bureau of Public Enterprises under Colombo Plan.
1975	7
1976	27
1977	15

(b) Information in regard to those deputed for training during 1975, 1976 and 1977 is given in the Annexure.

Statement

Name of Public Enterprise/ Organisation from which trainee was deputed	Post held at the time of deputation
1	2
1975	
1. India Tourism Dev. Corpn.	Project Coordinator.
2. Bharat Heavy Electricals Ltd.	Director (Personnel)
3. Indian Oil Corporation	General Manager.
4. Hindustan Machine Tools Ltd.	General Systems Manager.
5. Indian Telephone Industries Ltd.	Works Manager.
6. Shipping Corpn. of India Ltd.	Joint Manager.
7. Bureau of Public Enterprises	Deputy Adviser.
1976	
1. Bureau of Public Enterprises	Joint Director.
2. Indian Airlines	Finance Manager.
3. Steel Authority of India Ltd.	Senior Manager.
4. Bhilai Steel Plant	Chief Superintendent.
5. Bharat Earth Movers Ltd.	Director (Finance).
6. Engineering Projects (I) Ltd.	General Manager.
7. India Tourism Dev. Corpn.	Manager.
8. Indian Airlines	Deputy Training Manager.
9. National Mineral Dev. Corpn.	Superintendent of Training.
10. Bhilai Steel Plant	Deputy Training Manager.
11. Bharat Heavy Electricals Ltd.	Senior Manager (Training).
12. Heavy Engineering Corpn.	Manager (Training).
13. Fertiliser Corpn. of India	Manager (Training).
14. Hindustan Aeronautics Ltd. Staff College	Principal.
15. Indian Oil Corporation	Training Manager.
16. Madras Fertilizers Ltd..	Training Officer.
17. Coal India Ltd.	Manager (M.D.)
18. State Trading Corporation	Chief Personnel Manager.

1	2
19. Food Corporation of India	Deputy Manager (Training).
20. Hindustan Aeronautics Ltd.	Senior Production Engineer.
21. Madras Fertilisers Ltd..	Plant Engineer.
22. Indo-Burma Petroleum Co. Ltd.	Regional Manager.
23. Fertiliser Corpn. of India Ltd.	Training Officer.
24. Engineering Projects (I) Ltd.	General Resident Manager.
25. Minerals & Metals Trading Corporation	Chief Finance Manager.
26. Bureau of Public Enterprises	Deputy Adviser.
27. Bureau of Public Enterprises	Joint Director.
1977	
1. Minerals & Metals Trading Corporation	Joint Divisional Manager.
2. Bharat Earth Movers Ltd.	Technical Adviser.
3. Fertilieer Corpn. of India Ltd.	Commercial Manager & Mining Engineer.
4. Hindustan Copper Ltd.	Manager (Corporate Planning).
5. Bharat Heavy Plates & Vessels Ltd.	Deputy Chief Engineer.
6. Central Mine Planning & Design Institute	Regional Director.
7. Coal India Ltd.	Chief of Sales.
8. Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.	Chief Marketing Manager.
9. Madras Fertilisers Ltd..	Industrial Relations Officer.
10. National Mineral Dev. Corpn.	Deputy Mining Engineer.
11. Indian Oil Corporation	Asstt. Operations Manager.
12. India Tourism Development Corporation	Deputy Secretary.
13. India Tourism Development Corporation	Marketing Manager.
14. SAIL (International) Ltd.	Marketing Manager.
15. Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.	Senior Development Engineer.

Recommendations of High Level Committee Regarding Problem of Import Substitution

5071. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the recommendations of high level Committee on the basis of the study conducted by them regarding the problem of import substitution;

(b) whether Government have implemented all the recommendations of the Committee; and

(c) if not, the reasons for delay?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a), (b) & (c). A High Level Committee on Import Substitution was constituted on the 31st March 1969. No fixed terms of reference for this Committee were specified as this was construed as a Standing Committee and no report as such was submitted by the Committee to the Government. The Committee last met on the 27th November, 1970, and has since ceased to exist. Discussions in the Committee resulted in significant progress in the import substitution programmes. Some of the measures adopted to pursue import substitution are as follows:—

(i) Substitution of imported raw materials, components and spare parts with indigenously manufactured materials and components of same specifictions or of comparable specification and according priority to their rapid development;

(ii) reduction in the consumption of imported raw materials and components per unit of production;

(iii) change-over or production of chemicals and chemical products from intermediates to their production from basic raw materials;

(iv) substitution of imported raw materials or components by suitable alternatives with consequential changes in the specification of the end products; and

(v) acceleration of the phased manufacturing programmes to achieve greater indigenous content in the shortest possible time.

Study Regarding Productivity Trend in Public Sector Fertilizer Units.

5072. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Bureau of Public Enterprises in the Ministry has completed their studies regarding productivity trend in public sector fertilizer units; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) Yes Sir.

(b) The objective of the study was to develop, for internal use, broad indices to measure productivity in different areas of operation; in the light of which the relative performance of the fertilizer units could be assessed over a period of years.

The study considered the operations of 11 fertilizer units under the Central Government over the period 1970-71 through 1974-75. The broad conclusion that emerged was that there was an improving trend in the productivity of these units in terms of utilization of men, machines, materials and capital. The results of this study are being used for internal purposes such as inter-unit comparison of productivity, scrutiny of investment proposals etc.

Payment of Pensions Through Banks to Retired Employees

5073. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of the Ministries/Offices of the Central Government which have started paying pensions to their retired employees through the banks; and

(b) the steps taken by Government to introduce this scheme in all the States?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) The scheme for payment of pensions through Public Sector Banks applies all over India to all the Central Government civil pensioners. At selected cities, Railways and Defence pensioners have also the option to draw their pensions through banks.

(b) The scheme introduced by Central Government has been circulated to all the State Governments requesting them to introduce similar schemes in consultation with concerned Accountants General and Reserve Bank of India. Ten States have introduced such a scheme.

खाद्य तेल के आयात के लिये जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या

5074. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात व्यापार नियंत्रण विभाग द्वारा अप्रैल, 77 से अक्तूबर, 77 की अवधि के दौरान खाद्य तेलों के आयात के लिए कितने लाइसेंस जारी किये गये और प्रत्येक मामले में अन्तर्ग्रस्त मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है ;

(ख) आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन करने की तारीख क्या है और प्रत्येक मामले में आयात लाइसेंस जारी करने की तारीख क्या है ;

(ग) क्या कुछ मामलों में लाइसेंस जारी करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) अप्रैल, 1977 से सितम्बर, 1977 तक की अवधि के लिये खाद्य तेलों के आयात के लिये जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या तथा उनके मूल्य निम्नोक्त प्रकार हैं :—

	संख्या	मूल्य (करोड़ रु० में)
(i) राज्य व्यापार निगम . .	4	139
(ii) गैर-सरकारी पक्षकार : .	3310	363
योग .	3314	502

आयात लाइसेंस आंकड़े केवल मूल्य के आधार पर रखे जाते हैं, मात्रा के आधार पर नहीं ।

(ख) जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से 3,310 अलग-अलग फाइलों को देखना तथा साथ ही विस्तृत विवरण तैयार करना आवश्यक होगा । आदरणीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि अन्तर्ग्रस्त समय तथा श्रम उन परिणामों के अनुरूप नहीं होगा, जिनके प्राप्त होने की संभावना है ।

(ग) तथा (घ). यह सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक प्रयास किये गये हैं कि खाद्य तेलों के आयात के लिये लाइसस जल्दी से जारी हों सामान्य क्रम में ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जहां प्रक्रिया सम्बन्धी कमियों के कारण लाइसस जारी करने में विलम्ब हुआ हो अथवा जिनमें लाइसेंस जारी करने से पहले कुछ नीति सम्बन्धी पहलू तय किये जाने थे, लेकिन सामान्यतः लाइसेंसिंग प्राधिकारियों ने पिछले 6–8 महीनों में खाद्य तेलों के आयात के लिये लाइसस देने के काम को उच्च प्राथमिकता दी है ।

जैम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल को वित्तीय सहायता

5075. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जैम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता देती है तथा इसके वित्तीय कार्यकलापों पर कोई नियंत्रण रखती है ;

(ख) क्या सरकार ने काउंसिल की राशि हड़पने के समाचार के बारे में कोई जांच की है, यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या कुछ समय पूर्व काउंसिल के किसी एकाउंटैंट को नौकरी छोड़ने के लिये विवश किया गया था क्योंकि उसने काउंसिल में वित्तीय कुप्रबन्ध की ओर ध्यान दिलाने का साहस किया था और क्या किसी समिति ने पहले काउंसिल में अधिक कठोर वित्तीय नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया था

(घ) क्या काउंसिल के वर्ष 1976-77 के लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षकों ने कुछ आपत्तियां उठाई थीं;

(ङ) क्या काउंसिल की धनराशि के बारे में कुछ प्रज्ञेय अपराध किये जाने के समाचार हैं तथा काउंसिल के अधिकारियों ने पुलिस को सूचना न देकर इस मामले को दबाना अधिक अच्छा समझा ; और

(च) क्या काउंसिल के सेक्रेटरी ने अचानक त्यागपत्र दे दिया और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सरकार, रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् को प्रशासनिक तथा निर्यात विकास कार्यों पर खर्च पूरा करने के लिये प्रतिशतता आधार पर सहायता अनुदान देती है । इस उद्देश्य के लिये निर्यात संवर्धन परिषद् अपनी प्रस्थापनाएं भेजती है जिनकी प्रशासनिक अनुभाग द्वारा जांच की जाती है तथा उसके बाद उन्हें वित्तीय विकास सहायता समिति को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जाता है । अनुमोदित अनुमानों के आधार पर "लेखागत" अनुदान रोज मर्रा के खर्च को पूरा करने के लिये रिलीज किया जाता है। वर्षकी समाप्ति के पश्चात किसी चार्टर्ड अकाउन्टैंट द्वारा समुचित रूप से लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे मंत्रालय में प्राप्त होते हैं तथा शेष देय अनुदान रिलीज किया जाता है ।

(ख) से (च). सरकार ने परिषद् से रिपोर्ट प्राप्त की है । इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

नाइलोन यार्न के आयात के लिये जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या

5076. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले अगस्त में नाइलोन यार्न की उदारीकृत आयात नीति की घोषणा के बाद से नाइलोन यार्न के आयात के लिये कितने लाईसेंस लिए जारी किए गए और ये लाइसेंस कितनी मात्रा में तथा कितनी कीमत के नाइलोन यार्न के लिए जारी किये गये हैं ;

(ख) सरकार के पास कितने आवेदनपत्र अनिर्णीत पड़े हैं और प्रत्येक मामले में आवेदनपत्र की तारीख क्या है ; और

(ग) इन आवेदन पत्रों में से प्रत्येक आवेदन पत्र के लिए लाइसेन्स जारी करने मे विलम्ब के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) जारी किये गये लाइससों के ब्यौरे "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज, इम्पोर्ट लाइसेंसिज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंस" में प्रकाशित किये जाते हैं जिनकी प्रतियां नियमित रूप से संसद् पुस्तकालय में भेजी जाती हैं ।

(ख) तथा (ग). आयात लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र पूरे भारत में क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं । इन प्राधिकरणों से जानकारी एकत्र करने में काफी काम करना होगा जो उससे निकलने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के बीच विमान सेवा

5077. **श्री एस० एल० सोमानी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेगिस्तानको देखने में सब से बड़ी बाधा यह है कि राजस्थान में यातायात के तेजी से चलने वाले और सुविधापूर्ण साधन नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जो पर्यटक रेगिस्तान को यह जानने के लिए देखने के इच्छुक होते हैं कि वह कैसा होता है उनके लिए रेगिस्तान में मुक्त रूप से जाना कहीं इतना आसान नहीं है जितना राजस्थान में है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर के बीच शटल या हापिंग विमान सेवा शुरू करने का है ताकि विदेशी पर्यटक जोधपुर जाकर ही न रुक जायें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक). (क), (ख) और (ग). सरकार को रेगिस्तान देखने आने वाले पर्यटकों की यात्रा सम्बन्धी समस्या की जानकारी है । विदेशी यात्रा परिचालकों ने राजस्थान के लिये पर्यटक भेजने में रुचि दिखायी है जिसमें जैसलमेर और बीकानेर

भी शामिल हैं। तथापि विमान अड्डे की तंग स्थिति के कारण, इंडियन एयरलाइन्स उक्त प्रकार की सेवा उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। जब कभी "थर्ड लैवल फीडर" सेवा शुरू की जाएगी तो इस आवश्यकता पर भी विचार किया जा सकेगा।

विदेशी पर्यटकों की जैसलमेर की यात्रा

5078. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसलमेर, अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान के जैसलमेर और अन्य ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने पर्यटन-स्थलों के विकास के लिए और वहां सस्ता आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से, कोई राशि मंजूर की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). राजस्थान में जैसलमेर तथा अन्य ऐतिहासिक स्थानों के पर्यटक आकर्षण सुप्रसिद्ध हैं। तथापि केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों के केन्द्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते और इसलिए जैसलमेर की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता ।

(ग) राजस्थान में केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने निम्नलिखित सस्ते आवास का निर्माण किया है :—

(1) जैसलमेर में पर्यटक बंगला . 7,24,300/- रुपए

(2) जयपुर में युवा होस्टल . . 3,58,600/- रुपए

राजस्थान में पर्यटक स्थलों के सुधार के लिये तथा विभिन्न प्रकार के आवास की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गयी धनराशि को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना

क्रम सं०	स्कीम का नाम	किया गया व्यय
	भाग I	रुपये
1.	भरतपुर में टूरिस्ट ब्यूरो	7,047
2.	चित्तौड़गढ़ में टूरिस्टब्यूरो	6,811
3.	उदयपुर में टूरिस्टब्यूरो	13,202
4.	जोधपुर में टूरिस्ट ब्यूरो	5,294

क्रम सं०	स्कीम का नाम	किया गया व्यय
5.	बुन्दी और माउन्ट आबू में टूरिस्ट ब्यूरो	10,021
6.	अजमेर में टूरिस्ट ब्यूरो	6,429
7.	सिलीसेर में विश्राम गृह का सुधार	60,000
	भाग II	
1.	माउन्ट आबू में एल०आई०जी० विश्राम गृह	25,000
2.	जयपुर और उदयपुर में एल०आई०जी० विश्राम गृह	1,50,000
	योग :	2,83,814

तीसरी पंच वर्षीय योजना

भाग—I

1.	उदयपुर में फतेहसांगर लेक में द्वीप को सुन्दर बनाने	3,21,814
2.	उदयपुर में सस्बाहू मंदिर को जाने वाले मार्ग का निर्माण	1,05,000

भाग—II

1.	जयपुर में पर्यटक बंगला	35,000
2.	सरिस्का में विश्राम गृह तथा गेम सेन्चरी का विकास	25,000
3.	अम्बर में कैंटिन	10,000
4.	चित्तौड़गढ़ फोर्ट में कैंटिन	30,117
5.	माउन्ट आबू में पर्यटक बंगला	2,75,000

वार्षिक योजना 1966–67

1.	उदयपुर में फतेह सागर लेक को सुन्दर बनाना	8,000
2.	उदयपुर में सस्बाहू मन्दिर का मार्ग	17,000

वार्षिक योजना 1967–68

1.	जयपुर में पर्यटक बंगले का विस्तार	5,000
2.	भरतपुर में बर्ड सेन्चरी में सड़क का सुधार	1,00,000

क्रम सं०	स्कीम का नाम	किया गया व्यय
	वार्षिक योजना 1968–69	
1.	भरतपुर केबर्ड सेन्चरी में सड़क का सुधार	91,000
2.	सरिस्का में पर्यटक बंगला	92,000
	चौथी पंचवर्षीय योजना	
1.	भरतपुर में विश्राम गृह	7,78,000
2.	सरिस्का गेम सेंचरी में बिजली का लगाना	3,17,905
3.	जयपुर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	4,19,000
4.	भरतपुर सेंचरी मेंएकमिनी बस की व्यवस्था	41,000
5.	सरिस्का गेम सेंचरी में दो मिनी बसों की व्यवस्था	82,000
6.	सरिस्का गेम सेंचरी का स्थल-दृश्य-निर्माण	5,000
7.	रानकपुर में बिजली लगाना	85,000
8.	यू०पी० होटलसएन्ड रेस्टोरेन्ट लि०, जयपुर को कर्ज	60,00,000
9.	रंथम्बोरगेम सेंचरी में मिनी बस की व्यवस्था	41,000
	योग	77,68,905
	आई० टी० डी० सी०	
1.	उदयपुर में लक्ष्मी विलास होटल का विस्तार	28,30,000
2.	जयपुर में परिवहन यूनिट	4,59,000
	पांचवीं पंच वर्षीय योजना	
	1974–75	
1.	भरतपुर में विश्राम गृह	5,00,000
2.	जयपुर में स्वागत केन्द्र	5,52,000
	1975–76	
1.	भरतपुर में विश्राम गृह	3,00,000
2.	जयपुर में स्वागत केन्द्र	80,000

क्रम सं०	स्कीम का नाम	किया गया व्यय
	1976-77	
1.	हल्दीघाटी को सुन्दर बनाना	1,00,000
2.	जयगढ़ फोर्ट से नाहरगढ़ फोर्ट तक की वर्तमान सड़क का सुधार/चौड़ा करना	4,94,455
	1977-78	
1.	डीग में टूरिस्ट बंगले का विस्तार	1,21,000

आई० टी० डी० सी०

	1974-75	
1.	जयपुर में स्वागत सेन्टर-कम-होटल	28,000
	1976-77	
1.	जयपुर में स्वागत सेन्टर-कम-होटल . .	37,00,000

* भाग—I योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था संपूर्णतः राज्य सरकार द्वारा की गयी ।

** भाग—II योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा 50: 50 के आधार पर की गयी ।

Demand for Indian Leather Products in Foreign Countries

5079. **Shri Ishwar Chaudhry**: Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether demand for Indian leather products is also increasing abroad;

(b) if so, the names of such products indicating names of the countries in which these are in demand; and

(c) the steps being taken by Government for giving incentives to leather industry in the country?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) Yes, Sir.

(b) *Finished Leather*—USA, EEC, USSR and other East European Countries.
Leather footwear—USA, Canada, USSR, UK France and Netherlands.

Shoe Uppers—GDR, Hungary, USA and UK.
Leather Goods—W. Germany, USA GDR, Hungary.

(c) Government has set up Bharat Leather Corporation under the Ministry of Industrial Development as an apex body responsible for the overall development of the leather industry in the country. A number of state governments have also set up State Leather Development Corporations for the development of leather industry in their respective states. Incentives are available for exports of finished leather and leather products including footwear. The State Trading Corpora-

tion has also created a Leather Development Fund out of service charges, collected on canalised semi-finished leather exports for assisting in infrastructure development.

Scheme for Development of Buddhist and Jain Pilgrimage Places

5080. **Shri Ugrasen**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether any scheme has been formulated for the development of Buddhist and Jain pilgrimage places such as Kushinagar, Pawa Nagar, Sravasti, Sarnath and Bodh Gaya to provide facilities to the tourists;

(b) if so, when will it be implemented and the expenditure to be incurred thereon by the Central Government as well as the State Government;

(c) whether any scheme has also been fomulated for the development of Pipawah (the ancient Kapil Vastu) in Basti district of Uttar Pradesh; and

(d) the names of the foreign countries which have promised contribution in this regard?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) and (b). Master Plans (land-use-plans) of Kushinagar, Sarnath and Sravasti have been prepared. Preparation of the master plan of Bodh Gaya will be taken up during the current financial year (1977-78). The detailed planning of the area proposed for development at Kushinagar and Sravasti has yet to be undertaken, and the financial implications of the schemes to be taken up in the Central and State sectors are yet to be worked out.

(c) No, Sir.

(d) No foreign country has promised any contribution towards the development of the above places, nor any financial assistance in this regard has been sought by the Government.

अहमदाबाद का गुजरात के अन्य बड़े नगरों से हवाई सम्पर्क

5081. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों से विमान सेवाएं आरम्भ करके और या 'सघरी' जैसी विमान सेवाओं से अहमदाबाद का गुजरात के अन्य बड़े नगरों के साथ सीधा हवाई सम्पर्क स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कैसे और कब तथा इस पर कितना खर्च आयेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नगर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कपड़े से बने माल का निर्यात

5082. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975, 1976 और 1977 में विभिन्न प्रकार के तथा किस्म के कपड़े के सामान का निर्यात किया गया ;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है तथा उक्त माल किन देशों को निर्यात किया गया और भिन्न-भिन्न विदेशी मुद्राओं में कितनी आय हुई ;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी वर्ष इस सम्बन्ध में निर्यात के ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान वस्त्र मालों के निर्यात दर्शाने वाला विवरण

(मूल्य लाख रु० में)

क्रमांक	निर्यात की गई वस्तु का नाम	1974–75	1975–76	1976–77
1.	सूती थान	158,91	161,24	253,96
2.	नकली रेशम के वस्त्र तथा संश्लिष्ट रेशे और स्पन ग्लाश . . .	18,44	15,39	28,87
3.	रेशमी वस्त्र (हथकरघा) .	6,41	7,43	8,12
4.	ऊनी वस्त्र . . .	1,69	1,47	1,67
5.	सूती धागा . . .	18,28	6,43	31,00
6.	मशीन से बनी कालीन . .	2,93	3,57	3,17
7.	सूती परिधान तथा अन्य सूती उत्पाद .	148,00	196,44	318,22
8.	विभिन्न वस्त्र उत्पाद . .	19,85	20,81	40,56
	उपरोक्त का योग : .	374,51	412,78	685,57

जिन मुख्य देशों को वस्त्रों के निर्यात किये जाते हैं, वे इस प्रकार हैं :

1. ब्रिटेन	11. दुबाई	21. कुवैत	31. पूर्वी जर्मनी
2. फ्रांस	12. इटली	22. मारीसस	32. ईरान
3. सोवियत संघ	13. डेनमार्क	23. नार्वे	33. इंडोनेशिया
4. सं०रा० अमरीका	14. प० जर्मनी	24. सऊदी अरब	34. आबु धाबी
5. आस्ट्रेलिया	15. नीदरलैंड	25. सूडान	
6. जापान	16. बेल्जियम	26. ईराक	
7. मलयेशिया	17. बहरीनद्वीप	27. कीनिया	
8. नेपाल	18. कनाडा	28. पोलैंड	
9. सिंगापुर	19. साइप्रेस	29. तन्जानिया गणराज्य	
10. न्यूजीलैंड	20. हांगकांग	30. नाइजीरिया	

बैंकों से चैक द्वारा धन निकालने की सुविधा

5083. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्याज दर को घटाने तथा इस प्रकार अनेक बैंकों के बचत खातों के संबंध में ग्राहकों को चैक सुविधा का प्रयोग न करने के लिए बाध्य करने से समूचे देश में हजारों बचत खाताधारियों को असुविधा और कठिनाई हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस स्थिति का पुनर्विलोकन करने और चैक द्वारा धन निकालने की पहले दी जा रही सुविधा तथा ब्याज की ऊंची दर पुनः उपलब्ध कराने का है ;

(ग) यदि हां, तो कैसे और कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ). चैक सुविधाओं वाले बचत बैंक खातों और बिना बैंक सुविधा वाले बचत जमा खातों को अलग-अलग करने और पहले प्रकार के खातों पर 3 प्रतिशत तथा दूसरे प्रकार के खातों पर 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की शर्त लगाने का उद्देश्य यह है कि बैंकों में अस्थायी रूप में रखे गये कारोबारी रुपये और वास्तविक बचत में भेद किया जा सके तथा पहले प्रकार के खाते को दूसरे प्रकार के खाते से कम ब्याज देकर क्षति पूर्ति की जाये और बचत की प्रवृत्ति को पुरस्कार दिया जाये। इसके साथ ही साथ, जमाकर्ता को यह भी छूट दी गयी है कि वह दोनों

ही खाते खोल सकता है—परिचालन सुविधा के लिये बचत बैंक खाता और वास्तविक बचतों के लिये बचत जमा खाता। अलबत्ता, 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पाने वाले बचत जमा खाते वालों को सीमित चैक सुविधा प्रदान करने के प्रश्न की जांच, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही है।

One point sales tax system

†5084. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had decided that tax would be imposed on production and sales of various commodities in accordance with one point sales tax system; and

(b) if so, the action taken in this regard?

The minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

Export of Handicrafts from Rajasthan State

5085. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the names of handicrafts and other articles exported to foreign countries from Rajasthan; and

(b) the amount of foreign exchange earned by Government thereby and full details in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) Data on Statewise exports are not compiled in respect of handicrafts.

(b) Does not arise.

दण्डाकारण्य परियोजना क्षेत्रों में कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

5086. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट (उड़ीसा) एम० पी० के दंडाकारण्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे विभिन्न विभागों के कर्मचरियों को परियोजना भत्ता मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन विभागों के नाम क्या हैं और सरकार ने परियोजना भत्ता किन तारीखों से मंजूर किया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) दंडाकारण्य परियोजना क्षेत्र में काम करने वाले कुछ विभागों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को परियोजना भत्ता मिल रहा है जो फिलहाल 28-2-1978 तक के लिए मंजूर किया हुआ है। उन विभागों के बारे में जिनके कर्मचारियों

को परियोजना भत्ता मिल रहा है, और इनकर्मचारियों को परियोजना भत्ते की स्वीकृति की तारीखों के संबंध में विस्तृत सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । उपलब्ध सूचना से यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित विभागों के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता मिल रहा है :—

विभाग का नाम	तारीखें, जिनसे भत्ता स्वीकृत किया गया है
पुनर्वास मंत्रालय	1—8—1958
डाक और तार विभाग	1—10—1966
भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग	11—1—1961

डाक और तार कर्मचारियों के मामले में, डाक और तार विभाग ने अपने संबंधित कार्यालयों से कुछ सूचना प्राप्त न होने के कारण, इस भत्ते की स्वीकृति 28—2—1977 के बाद नहीं दी है ।

एग्रो एक्सपो 77 में हिन्दी की उपेक्षा

5087. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी साहित्य सम्मेलन, दिल्ली राज्य की कार्यकारिणी समिति ने एग्रो-एक्सपो-77 प्रदर्शनी में हिन्दी की उपेक्षा करने पर अपना क्षोभ प्रकट किया है ;

(ख) क्या इस प्रदर्शनी से प्रचार सामग्री जो मुख्यतया किसानों के लिए तैयार की गई है, अंग्रेजी में प्रकाशित की गई है, और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रचारसामग्री हिन्दी, अंग्रेजी तथा साथ ही कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित की गई हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य व्यापार निगम के मार्केटिंग मैनेजर द्वारा आत्म हत्या

5088. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के एक मार्केटिंग मैनेजर ने राज्य व्यापार निगम के चन्द्रलोक भवन की पांचवीं मंजिल से कूद कर आत्म हत्या कर ली थी तथा उसने आत्म हत्या करने से पूर्व लिखे नोट में क्या लिखा था ;

(ख) क्या इस दुखद घटना के पश्चात् आपात स्थिति लागू हो गई थी ;

(ग) क्या सम्बन्धित मार्केटिंग मैनेजर की पत्नी को राज्य व्यापार निगम में नौकरी देकर और आत्महत्या के इस मामले सम्बन्धी कार्यवाही करने वाले विभिन्न अधिकारियों पर प्रभाव/दबाव डाल कर इस मामले को रफा दफा कर दिया गया था ;

(घ) क्या उक्त मार्केटिंग मैनेजरनेअपनी सेवा पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम के प्रबन्धकों द्वारा ज्यादती करने के कारण आत्महत्या की थी ; और

(ङ) उपरोक्त आत्महत्याके मामले और राज्य व्यापार निगम के कर्मचारियों की अन्य उचित शिकायतों पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य व्यापार निगम के प्रबन्धकों/सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) यह सत्य है कि राज्य व्यापार निगम के एक विपणन प्रबन्धक ने आत्महत्या की थी, फिर भी, यह निश्चित नहीं किया जा सका कि वह किस मंजिल से कूदा था। आत्महत्या से पूर्व लिखे नोट में बताया गया है "मेरी प्रिय पत्नी इसके लिये उत्तरदायी नहीं है"।

(ख) सम्बन्धित अधिकारी की मृत्यु आपात स्थिति से पूर्व 3 मई, 1975 को हुई थी।

(ग) जी नहीं। मामले को दबाया नहीं गया था। पुलिस ने मामले की जांच की है। सम्बन्धित विपणन प्रबन्धक की पत्नी को राज्य व्यापार निगम में अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी गई थी क्योंकि जो कर्मचारी/अधिकारी सेवा काल में मरता है उसके परिवार को पुनः स्थापित करना इस निगम की प्रथा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) मामला पहले ही संतोषपूर्ण ढंग से तय कर लिया गया है।

भारत पर्यटन विकास निगम में नियुक्तियां और पदोन्नतियां

5089. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों ने बिना विज्ञापन दिये निम्नलिखित पदो पर नियुक्ति की ;

(एक) डिवीजनल मैनेजर (प्लानिंग), (दो) ज्वाइंट डिवीजनल मैनेजर (प्लानिंग), (तीन) डिप्टी डिवीजनल मैनेजर (पर्सनिल), (चार) मैनेजर्स (मार्केटिंग), (पांच) असिस्टेंट पर्सनिल मैनेजर, (छः) सेक्रेटरी, (सात) डिप्टी सेक्रेटरी, (आठ) स्टेटिस्टिकल आफिसर, (नौ) ज्वाइंट डिवीजनल मैनेजर (वित्त), (दस) डिप्टी डिवीजनल मैनेजर (वित्त), (ग्यारह) चीफ इंटरनल आडिटर, (बारह) डिप्टी डिवीजनल मैनेजर (उत्पादन तथा प्रचार), (तेरह) डिप्टी कन्ट्रोलर (स्टोर्स एण्ड परचेज), (चौदह) डिप्टी परचेज मैनेजर (अशोक होटल, जनपथ), (पन्द्रह)

स्टोर्ज प्रचेज आफिसर्स (सोलह) असिस्टेंट कन्ट्रोलर आफ स्टोर्ज एण्ड परचेज, (सत्रह) डिप्टी डिवीजनल मैनेजर (प्लानिंग), (अठारह) रीजनल मैनेजर्ज (परिवहन), (उन्नीस) मैनेजर (मैटीरियल्स प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट), (बीस) जनरल मैनेजर्स (होटल्स) और (इक्कीस) मैनेजर (श्रम शक्ति, योजना तथा प्रशिक्षण);

(ख) क्या निम्नलिखित अधिकारियों को मध्यवर्ती वेतनमान की उपेक्षा करके (एक) लेखा अधिकारी से डी० डी० एम० (एफ) (दो) लेखा अधिकारी से सी० आई० ए० (तीन) उत्पादन अधिकारी से डी० डी० एम० (पीएण्डपी), (चार) परिवहन अधिकारी से रीजनल ट्रांसपोर्ट मैनेजर, (पांच) कार्मिक अधिकारी से डी० डी० एम० (पी०) और (छः) कार्मिक अधिकारी से डी० डी० एम० (पी०), के पद पर पदोन्नतियां दी गई थीं;

(ग) उनके तथ्य क्या हैं और उपरोक्त अधिकारियों के उनकी नियुक्ति से पूर्व और पश्चात् वेतन क्या हैं;

(घ) क्या ऐसी नियुक्तियां/पदोन्नतियां अनियमित तथा भ्रष्ट प्रक्रियाओं की परिचायक हैं; और

(ङ) अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम में खाली पद भर्ती के निम्नलिखित तरीकों में से कोईएक अपनाकर भरे जाते हैं, अर्थात् विज्ञापन, प्रतिनियुक्ति, आंतरिक तबादले, विभागीय पदोन्नति तथा वरिष्ठता-व-योग्यता के आधार पर चयन आदि के द्वारा। कारपोरेशन के "कर्मचारी-नियमों के अनुसार हर रिक्ति को विज्ञापित करना अनिवार्य नहीं है। (21 वर्गों के अंतर्गत) 24 पदों में से इस समय 7 पद खाली हैं, अर्थात् सांख्यिकीय अधिकारी, उप प्रभागीय प्रबंधक (कार्मिक), महा प्रबंधक (होटल), सहायक कार्मिक प्रबंधक (मुख्यालय), संयुक्त प्रभागीय प्रबंधक (योजना) तथा मार्केटिंग प्रबंधकों के 2 पद। शेष 17 पदों की भर्ती करने के लिये अपनाये गये तरीके नीचे दिये गये हैं :—

विभागीय पदोन्नति तथा वरिष्ठता-व-योग्यता के आधार पर चयन द्वारा	8
विज्ञापन द्वारा	3
प्रतिनियुक्ति द्वारा . .	2
आंतरिक तबादलों द्वारा . . .	3
भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा होटल में तबादील करने के लिये यू० एस० ए आई डी भवनको अपने कब्जे में ले लेने पर यू० एस० ए आई डी द्वारा छटनी किये गये कमचरियों में से चयन द्वारा . . .	1
	17

(ख) और (ग). अधिकारियों के उनकी पदोन्नति से पहले के पदनाम ठीक नहीं दिये गये हैं। तथ्यात्मक स्थिति अनुबंध 'क" तथा 'ख" में दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1456/77] ।

(घ) और (ङ). मामले की जांच की जा रही है ।

बंगलौर स्थित होटल अशोक में बिना विज्ञापन दिये भर्ती

5090. **डा० वसन्त कुमार पण्डित:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर स्थित होटल अशोक में कर्मचारियों के लिये पदों पर भर्ती कोई विज्ञापन दिये बिना तथा रोजगार कार्यालयों से नाम मंगाये बिना ही की जाती है ;

(ख) इसके विशेष कारण क्या हैं तथा नये कर्मचारियों की अर्हतायें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उस होटल में वरिष्ठ तथा वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियोंकी पदोन्नति न करने के कारण कर्मचारियों में बहुत असन्तोष व्याप्त है ; और

(घ) क्या इस होटल में भर्ती की पद्धति की जांच कराने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) खाली पद भर्ती के निम्न-लिखित तरीकों में से कोई एक तरीका अपनाकर भरे जाते हैं, अर्थात् विज्ञापन, केटरिंग इंस्टीट्यूट से "केम्पस भर्ती" प्रतिनियुक्ति, आंतरिक तबादले, विभागीय पदोन्नति तथा वरिष्ठता-व-योग्यता के आधार पर चयन आदि के द्वारा। प्रत्येक रिक्ति का विज्ञापन करना अनिवार्य नहीं है। अधिकांश रिक्तियों को रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किया जाता है ।

(ख) क्योंकि नये कर्मचारियों के नाम तथा उनकी भर्ती की तारीखें नहीं दी गयी हैं इसलिये इस प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

(ग) और (घ). कर्मचारियों का एक भाग केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की मांग कर रहा है। एक वाणिज्यक तथा प्रतियोगी उद्यम में सर्वथा वरिष्ठता के ही आधार पर पदोन्नति करना न तो उपयुक्त है और न वांछनीय ही। इसके इलावा केवल वरिष्ठता के ही आधार पर पदोन्नति की मांग योग्यता की मान्यता प्रदान करने की नीति के विरुद्ध है । जहां तक भी संभव होता है विभागीय उम्मीदवारों को उचित प्राथमिकता दी जाती है ।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

5091. **श्री पी० के० डिव** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय लौह अयस्क के जापानी आयातकर्त्ताओं से मूल्य में 4 डालर प्रति टन की वृद्धि के बारे में बातचीत की थी ;

(ख) क्या जापानी इस्पात मिलों ने मूल्य में वृद्धि करना स्वीकार नहीं किया है ;

(ग) क्या उन्होंने भारत से इस वस्तु का आयात कम करने का निर्णय किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ङ) क्या इस स्थिति को देखते हुए सरकार देश में ही सम्पूर्ण लौह अयस्क का उपयोग करने के लिए नये इस्पात संयंत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ङ). संभवतः माननीय सदस्य का संकेत, जापान को वर्ष 1977–78 के दौरान लौह अयस्क के निर्यात से संबंधित भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० और जापान स्टील मिल्स के बीच अभी हाल ही में हुई वार्त्ताओं की ओर है । खनिज तथा धातु व्यापार निगम से जापान को किये जाने वाले निर्यातों में तीन अलग-अलग संविदाएं है, जिन में से प्रत्येक में खरीदारों द्वारा उनकी पसन्द के अनुसार आयात की जाने वाली मात्राओं की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा का उल्लेख किया गया है । जापानी इस्पात उत्पादन में मंदी के कारण खरीदारों ने इन संविदाओं में उल्लिखित न्यूनतम मात्राओं में आयात करने के विकल्प का प्रयोग किया है । इस के बावजूद भी खनिज तथा धातु व्यापार निगम से जापान को पिछले वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में 36.24 प्रतिशत अधिक निर्यात होने की आशा है ।

इन में से एक संविदा में, अर्थात् जो बैलाडिला अयस्क के लिए है, खनिज तथा धातु व्यापार निगम मूल संविदाकृत कीमत में बढ़ोतरी कराने का प्रयास करता रहा है । इस विषय में बातचीत अभी जारी है और इन वार्ताओं के ब्यौरे बताना निगम के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा ।

भारत-जर्मन संघीय गणराज्य संयुक्त कमीशन

5092. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच कोई संयुक्त कमीशन है ;

(ख) इस संयुक्त कमीशन के क्षेत्राधिकार में क्या क्षेत्र अथवा विषय हैं ;

(ग) इस कमीशन के लिये प्रत्येक देश द्वारा नामांकित चेयरमैन का स्तर क्या है ; और

(घ) इस कमीशन की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं तथा इस आयोग की अगली बैठक कब और कहां होगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) भारत तथा जर्मन संघीय गणराज्य के बीच दिनांक 31–3–1955 के व्यापार करार के संबंध में दिनांक 30–10–59 के संलेख में उस समझौतों का प्रभावी कार्यान्वयन प्राप्त करने के उद्देश्य से परस्पर परामर्श करने हेतु एक आयोग की व्यवस्था है, जो संलेख में निर्दिष्ट किया गया है ।

(ख) आयोग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों अथवा विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार विस्तार औद्योगिक तथा तकनीकी सहयोग आदि शामिल है ।

(ग) संलेख के अनुसार, आयोग में दोनों सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे । दोनों में किसी भी पक्ष के अध्यक्ष का स्तर नहीं बनाया गया है ।

(घ) अक्तूबर, 1959 में बातचीत के उपरान्त आयोग की दो बैठकें क्रमशः 1960 तथा 1963 में हुई थीं । फिलहाल आयोग की अगली बैठक के बारे में कोई प्रस्तापना नहीं है ।

ऋतु विज्ञान विभाग द्वारा समुद्री तूफान के बारे में दी गई चेतावनी

5093. **श्री बी० सी० काम्बले :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री निम्नलिखित को सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :—

(क) तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा आदि के भिन्न भिन्न तटवर्ती भागों में आये समुद्री तूफान के दौरान, उससे पहले और बाद में ऋतु विज्ञान विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनियों के पाठ की प्रति

(ख) केन्द्रीय सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या तरीके अपनाये थे कि ये चेतावनियां वास्तव में भिन्न-भिन्न गांवों और वहां के अन्तर्गत उन छोटे-छोटे गांवों तक पहुंच जायें । जहां उसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी ; और

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों सहित किन्हीं अन्य ऐजेंसी द्वारा उपरोक्त प्रयोजन के लिये क्या अन्य तरीके अपनाये ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क), (ख) और (ग) नवम्बर 1977 में आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु के तटवर्ती भाग समुद्री तूफान (साइक्लोन) आये वे ये थे : (i) वह तूफान जो 12 नवम्बर, व तमिलनाडु के तटवर्ती भाग में आया, (ii) वह तूफान जो 20 नवंबर को द्वीप के ऊपर से गुजरा तथा हुआ 22 नवम्बर, को कर्नाटक के तट से टकराव और (iii) वह तूफान जिसने 19 नवम्बर, को आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भागों में लीला मचायी । भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा समुद्री तूफानों (साइक्लोनों) के बारे में सूचना का प्रसारण प्राथमिकता प्राप्त "परम आवश्यक" तारों द्वारा संचारणों और आकाशवाणी द्वारा बार-बार प्रसारणों के माध्यम से किया जाता है ।

जन साधारण के लिये चेतावनियां आकाशवाणी तथा भारत मौसम विज्ञान के पास पंजीकृत विभिन्न ऐसे प्राधिकारियों के माध्यम से प्रसारित की जाती है, जैसे राज्य सरकारों के अधिकारी, पोर्टस और फिशरीज़ विभाग के अधिकारी इत्यादि कुल मिला कर 3000 से भी अधिक चेतावनियां जारी की गयीं । सभी चेतावनी-संदेशों को यदि यथावत् उद्धृत किया जाय तो एक विपुलकाय संग्रह खड़ा हो जायेगा नमूने के तौर पर कुछ चेतावनियां उद्धृत करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय यह बताने की स्थिति में नहीं है कि उक्त प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों तथा दूसरे अभिकरणों द्वारा क्या तरीके अपनायें जाते हैं ।

विवरण

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की गई कुछ नमूना स्वरूप चेतावनियां के मूल पाठ को दिखाने वाला विवरण ।

1. 10–11–77 को 0 435 बजे प्रसारण के लिये आकाशवाणी मद्रास को जारी किया गया टैलेक्स :

Kindly broadcast following special storm bulletin number FOUR issued by Area cyclone warning Centre, Madras at 0430 hours IST 11th November once or twise. Cyclonic storm in Bay of Bangal lies centred at 2330 hours IST tenth about 470 kms southeast of Madras. Likely intensify further and move in a westnorthwesterly direction. Under its influence scattered heavy to very heavy rain accompanied by squally weather likely in Thanjavur South. Arcot, changalpattu district and in Madras city during the next 48 hours. Isolated heavy rain also likely in rest Tamilnadu during the same period. Gales wind speed exceeding 80 km per hour likely commence along and off coast above districts from Friday 11th evening."

2. मसूलीपत्तनम् में पोर्ट अधिकारियों को 18–11–77 को 2245 बजे भेजा गया तार :

"Severe cyclonic storm with a core of hurricance winds in west central Bay with estimated central pressure 940 MBS lies centred at 2030 hrs IST 18th near latitude 13.6 degrees noth longitude 82.0 degrees east about 190 Kms. eastnortheast of Madras aaa likely continue move in a northwest-early direction and cross coast between Madras and Masulipatnam tomorrow morning the 19th aaa Replace present signal by Great Danger singal number eight repeat eight.

3. नीलोर, ओंगोले, गुनटूर कृष्णा तथा एल्यूरू के कलैक्टरों को 18–11–77 को 2320 बजे भेजा गया तार ।

"Severe cyclonic storm with a core of hurricane winds lies in Bay of Bengal centred at 2030 hours IST 18th about 190 Kms. eastnortheast of Madras aaa likely continue to move in a northwestarly direction and cross coast between Madras and Masuli patanam tomorrow morning the 19th aaa Under its influence widespread rain with heavy to very heavy falls likely at a number of places your district next 24 hours aaa Gale winds speed reaching 140 kmsph likely along and off coastal areas of your district next 18 hours aaa

Tidal wave height reaching 3 metres above normal tide level likely inundate low lying coastal areas your district at the time of storm crossing the coast aaa

Kindly alert your organisation for taking all precautionary measures as per recommendations of CDMC aaa For subsequent warning on the cyclone you are advised to listen to the broadcast of local AIR stations aaa."

M/s Jain Metals and wire works
Question

5094. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether M/s Jain Metals and Wire Works have defrauded lakhs of rupees in the large scale import of superiod quality steel;

(b) whether the Delhi Small Scale Industries Development Corporation paid lakhs of rupees to this firm; and

(c) the action proposed to be taken by Government against this firm?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a), (b) and (c). The case is under investigation by the Central Bureau of Investigation. It will not be in the public interest to furnish any information at this stage.

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

उत्तर प्रदेश और बिहार के हाल ही के उपचुनावों में हरिजनों और अन्य मतदाताओं को संरक्षण देने और चुनावों में बड़े पैमाने पर की गई हेराफेरी को रोकने में सरकार की कथित असफलता

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे श्री बयालार रवि से निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है:—

> "मतदाताओं, विशेषकर हरिजनों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को स्वतन्त्रता-पूर्वक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सरक्षण प्रदान करने में सरकार की असफलता तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के उपचुनावों में, जहां दो मुख्य मंत्री अपने अपने राज्य से चुनाव लड़ रहे थे, सत्तारूढ़ दल द्वारा बड़े पैमाने पर की गई हेराफेरी ।"

मैं नियम 56 के अधीन स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए अपनी सहमति देता हूं । श्री बयालार रवि अब प्रस्ताव पेश करने के लिए सभी कीअनुमति प्राप्त कर सकते हैं ।

Shri Gauri Shankar Rai (Ghazipur): Does this adjournment motion refer to the failure of the state Government or Central Government or Election Commission Can this House discuss the failure of the state governments?

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) सदन और पीठासीन अधिकारी संविधान और नियमों के प्रति वचनबद्ध है । इस स्थगन प्रस्ताव का विषय स्पष्टतः संघ के प्रशासन से सम्बन्धित है । इसका चुनावों के प्रशासन से भी सम्बन्ध हैं । लेकिन ये मामले इस सदन के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं ।

मैं नहीं जानता कि क्या पीठासीन अधिकारी किसी प्रस्ताव को केवल सदस्यों की संख्या के आधार पर ही स्वीकार कर सकता है । यदि स्थगन प्रस्ताव इसी आधार पर स्वीकृत किया जाना है कि अमुक पार्टी या दल की सदस्य संख्या 50 है तो इससे गलत पूर्वोदाहरण स्थापित होगा । इस तरह की संख्या को दृष्टि में रखकर पीठसीन अधिकारी को कोई स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करना चाहिये । पीठासीन अधिकारी को मामले के संवैधानिक एवं प्रशासनिक सभी पहलुओं पर विचार करना होगा । अतः पीठासीन अधिकारी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये कि क्या वह अमान्य प्रस्ताव नहीं है जिसे कि हम सदन में अनुमति नहीं मिलनी चाहिये और इसीलिए पीठासीन अधिकारी को सदस्य की अनुमति लेने का निदेश देने से पहले इस पर विचार करना होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके सभी पहलुओं पर अध्यक्ष महोदयने विचार कर लिया है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : (बडागरा) मतदाताओं, विशेषकर, हरिजनों, आदिवासियों और समाज के अन्य पिछड़े व निर्बल वर्गों को मतदान के अधिकार का उपयोग करने में उनकी सुरक्षा करने मेंसरकार असफल रही है । इस मूलभूत संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा करना केन्द्रीय सरकार काकर्तव्य है । वह इस अधिकार की सुरक्षा करने में असमर्थ रही है । इन दोनों चुनाव क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर गोलमाल हुआ है । अतः हम महत्वपूर्ण और गम्भीर मामले पर चर्चा करना इस सदन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): This adjournment motion is defective It does not relate to any definate matter. Two issues have been raised in this motion. One relates to the failure of Government to give protection to the votes and the other to the large scale rigging of elections by the ruling party. Besides, it does not pertain to a specific matter of recent occurrence. The Hon'ble Member should have raised this issue on the day following the date of announcement of the election results. This matter cannot be raised after so many days.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और मतदाताओं को सुरक्षा प्रदान करने में सरकार की असफलता कानून और व्यवस्था का मामला है और यह राज्य का विषय है । 1972 में जब पश्चिम बंगाल में चुनावों में बहुत भारी गोलमाल हुआ था तो मैंने यह मामला यहां उठाने का प्रयास किया था । लेकिन मैं नहीं उठा सका । राजनीतिक और संवैधानिक रूप से हम पूर्णतः इस के विरुद्ध हैं कि राज्य सरकार से सम्बन्धित कोई मामला यहां उठाया जाये । यदि आप इसकी अनुमति देंगे तो हम इसे नहीं मानेंगे . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री बसन्त साठे (अकोला) : यह एक नई बात है जिसका पता चला है ।

उपाध्यक्ष महोदय :श्री बसु, नहीं माननेका कोई प्रश्न नहीं है कुछ राज्य के मामले होते हैं . . .(**व्यवधान**) . . . . मैं अभी बोल रहा हूं ।

श्री उग्रसेन :**

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक पीठासीन अधिकारी का सम्बन्ध है, यदि कुछ मामले केवल राज्य से ही सम्बन्धित हैं तो उन पर सभा में चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती । मैं आपको यह आश्वासन देता हूं और यह हमारे प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध है । इस मामले में मतदाताओं को संरक्षण देने में सरकार की असफलता की ओर ध्यान दिलाया गया है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: किस सरकार की ?

उपाध्यक्ष महोदय :मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार की । इसका अर्थ है मतदाताओं, हरिजनों और अन्य कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान करना ।

**कार्यवाही को वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : संविधान के अनुच्छेद 324(6) में किए गए उपबन्ध के अनुसार निर्वाचन आयोग को स्टाफ उसकी प्रार्थना पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। अतः इस मामले में राज्य सरकार के आने का प्रश्न ही नहीं उठता। चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह उत्तरदायी है। उसके पास अपना स्टाफ, अधिकारी आदि होते हैं। अतः राज्य सरकार पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं कर सकते। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस प्रस्ताव की सूचना देने वाले लोगों ने अपने इस तर्क के समर्थन में कोई सबूत दिया है कि इस मामले में केन्द्रीय सरकार का हाथ है? यदि केन्द्रीय सरकार का हाथ है तो आप निश्चयही इस बारे में बात कर सकते हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का सीधे कोई हाथ नहीं है। चुनाव कराने का एकमात्र उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग का है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक निर्वाचन आयोग का सम्बन्ध है, इसके लिए उत्तरदायी सरकार एकमात्र केन्द्रीय सरकार है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : इस सम्बन्ध में सरकार की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। संसद् के एक अधिनियम के अनुसार भारत का एक निर्वाचन आयोग स्थापित किया गया जिसका कार्य चुनाव कराना है। यदि स्थगन प्रस्ताव में लगाये गये आरोपों में कुछ भी सच्चाई है तो इन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों को अवैध घोषित करना निर्वाचन आयोग का काम है। वास्तव में ऐसा कई चुनावों में किया गया है। ऐसे मामलों में जिनमें मतदान केन्द्रों पर जबरदस्ती कब्जा किया गया था जहा मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया वहां निर्वाचन आयोग ने चुनाव रद्द कर दिए और फिर बाद में वहां पुनः चुनाव कराये। प्रस्ताव में सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है और यदि मान भी लिया जाए कि इसका तात्पर्य केन्द्रीय सरकार से है तो केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि यह न तो केन्द्रीय सरकार से और न ही राज्य सरकार से सम्बन्धित है। इस मामले में सम्बन्धित प्राधिकारी निर्वाचन आयोग है। अब यह निर्णय करना पीठासीन अधिकारी का काम है।

श्री बी० (शंकरानन्द चिकोडी) : हम माननीय मंत्री द्वारा लगाये गये इन आरोपों का खंडन करते हैं कि हम यह मामला केवल पब्लिसिटी के लिए उठा रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : स्थगन प्रस्तावों के बारे में निर्धारित प्रक्रिया नियमों का पालन किया जाना चहिये। दो स्थितियां हैं: एक, अध्यक्ष इस बात पर विचार करें कि क्या प्रस्ताव को प्रत्यक्षतया गृहीत किया जा सकता है। इस मामले में अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हैं कि प्रत्यक्षतया स्थगन प्रस्ताव गृहीत किया जा सकता है। अध्यक्ष ने निर्णय दिया है कि इसे गृहीत किया जा सकता है।

यहां पर दो प्रकार की प्रक्रियायें निर्धारित की गई हैं। एक तो यह जिसमें अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया हो कि यह गृहीत किया जा सकता है। दूसरा यह है जिसमें अध्यक्ष यह निर्णय देता है कि यह गृहीत नहीं किया जा सकता। इस पर सम्बन्धित पार्टी अध्यक्ष को उसके चेम्बर में मिल कर मामले पर चर्चा करसकती है और लिखित अभ्यावेदन दे सकती है और वह इस निर्णय को बदल सकते हैं।

[श्री सी० एम० स्टीफन]

एक बार यह निर्णय हो जाने पर कि इसे गृहीत किया जा सकता है तो यह सभा की सम्पत्ति बन जाता है । सभा इसके लिए अनुमति दे या न दे इसका निर्णय ले सकती है ।

क्या किसी राज्य मामले पर चर्चा कीजा सकती है, इस सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी द्वारा नियम बनाया जाना चाहिए । यह स्थगन प्रस्तावों पर ही लागू नहीं होता अपितु अन्य प्रस्तावों, चर्चाओं पर भी लागू होता है । जिन बातों पर यहां चर्चा नहीं की जानी चाहिये उनके लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी जायेगी । अगली स्टेज सभा की अनुमति लेना है ।

अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया है कि स्थगन प्रस्ताव गृहीत किया जा सकता है । अतः यह सभा की सम्पत्ति बन गया है । आप कृपया सदन से पूछें कि अनुमति दी जाये या नहीं। य दि सभा अनुमति दे देती है तो हम मामले पर आगे चर्चा करेंगे ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं अपना स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगत हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों को, जो अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं, अपने स्थानों पर खड़ा होने के लिए कहता हूं ।

50 से अधिक मदस्य अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं । अतः अनुमति दी जाती है । स्थगन प्रस्ताव पर मध्याह्न-पश्चात् 4 बजे चर्चा आरम्भ होगी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

'आँर्गनाइजर' के एक समाचार के सम्बन्ध में वक्तव्य

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं श्री जगजीवन राम की ओर से 27 जून, 1977 के आरगनाइजर (दिल्ली) मेंप्रकाशित "आपात स्थिति के दौरान मिग विमानों के लिए घटिया इंजनों को स्वीकृति""(सब-स्टैण्डर्ड मिग इंजन्स क्लीयर्ड ड्यूरिग दी एमरजेंसी)" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी, संसद् सदस्य द्वारा उठाये गये मामले के बारे में 29 जुलाई, 1977 को दिये गये अपने आश्वासन के अनुसरण में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 1459/77]

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि० की वर्ष 1976-77 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीजनेश्वर मिश्र) : मैं श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) हिन्तुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**–1460/77]

समीक्षाएं, वार्षिक प्रतिवेदन और विवरण

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद् की नियमावली तथा नियमों के नियम 44(घ) के साथ पठित नियम 45 के अन्तर्गत भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, तत्सम्बन्धी प्रमाणित लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उक्त दस्तावेजको सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**––1461/77]

(2) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) उपरोक्त (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**–1462/77]

(3) (एक) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1976-77के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1976–77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) उपरोक्त (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।**[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**–1463/77]

(4) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1464/77]**

(5) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकारद्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1465/77]**

(6) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1466/77]**

(7) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) भारतीय प्रबन्धसंस्थान, कलकत्ताके वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1467/77]**

टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया की वर्ष 1975—76 की समीक्षा, और वार्षिक प्रतिवेदन तथा पत्रों के सभा पटल पर रखने में देरी के कारण बताने वाला विवरण

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजीसंस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर, के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रन्थालयमें रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–1468/77]**

Shri Ugra Sen (Deoria): We want that Hon. Minister should let us know the main features of the statement regarding Industrial Policy on the Table.

Mr. Deputy Speaker: It has not been laid on the Table.

Shri Yamuna Prasad Shastri (Rewa): An elaborate statement should be given on the floor of the House regarding Industrial Policy.

Mr. Deputy Speaker: As I have already said, it has not been laid on the Table. It will be laid later on.

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण नियम, 1977 और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की वर्ष 1976-77 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : श्री पी० रामचन्द्रन की ओरसे मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 4ख की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो 10 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 1962 में प्रकाशित हुए थे **[ग्रन्थालयमें रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–1469/77]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षितलेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० —1470/77]**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या 342/77–सी० ई० जो दिनांक 15 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) अधिसूचना संख्या 343/77-सी० ई० से 358/77-सी० ई० जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुईथीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०--1471/77]**

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 256/77-कस्टम्स और 257/77-कस्टम्स (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुईथीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०--1472/77]**

(3) चीनी पर उत्पाद-शुल्क के बारे में सर्वश्री पी० के० कोडियन तथा श्री सी० के० चन्द्रप्पन के अतारांकित प्रश्न संख्या 4241 के 16 दिसम्बर 1977 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--1473/77]**

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, सूती वस्त्र (निर्यात नियंत्रण) निरसन आदेश, 1977 तथा प्रोजेक्टस एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की वर्ष 1976-77 की समीक्षा और प्रतिवेदन

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(1) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1474/77]**

(2) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 1976-77 के प्रमाणितलेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1475/77]**

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (निर्यात नियंत्रण) निरसन आदेश, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 20 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 1597 में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1476/77]**

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:--

(एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–1477/77]**

समीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): मैं श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी कीओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:––

(1) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तरी क्षेत्र) चण्डीगढ़ के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तरी क्षेत्र), चण्डीगढ़ के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–1478/77]**

(2) (एक) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–1479/77]**

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउन्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलार्जी, रांची के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउन्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलोजी, रांची के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–1480/77]**

(4) (एक) स्कूल आफ प्लानिंग ऐड आर्किटैक्चर, नई दिल्ली, के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति ।

(दो) स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–1481/77]**

(5) (एक) नेशनल इस्टीट्यूट आफ ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बम्बई के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति ।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बम्बई के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–1482/77]**

(6) नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बम्बई के वर्ष 1976-77 के लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–1483/77]**

(7) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र), भोपाल के वर्ष 1976–77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र), भोपाल के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–1484/77]**

मोटरयान अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा पत्र सभा पटल में देरी का कारण बताने वाला विवरण

नौवहन और परिवहन के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हू :

(1) मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एकप्रति : – –

(एक) दिल्ली मोटरयान (चौथा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 1 सितम्बर, 1977 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सख्या एसईर्स ोई.3(58)/76टीपीटी/10854 में प्रकाशित हुए थे तथा एक त्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) दिल्ली मोटरयान (चौथा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1977 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईर्स ोई.3(98)/76–टीर्प ोटी/11729 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) अधिसूचना संख्या एसईसीई.3(98)/76-टीर्प ोटी/16195–16206 जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1977 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 21 सितम्बर, 1977 की अधिसूचना सख्या एसईर्स ोई.3(98)/76–टीपीर्ट ो/11729 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (27)(एक) तथा (दो) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी–1485/77]**

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (मतदाताओं का पंजीयन) (संशोधन) नियम, 1977

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 39 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (मतदाताओं का पंजीयन) (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 दिसम्बर, 1977 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सख्या एफ० 16(8)/77 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी –1486/77]**

हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लि०, पिम्परी की 1976-77 की समीक्षा और प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–1487/77]**

समीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–1488/77]**

(ख) (एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–1489/77]**

(ग) (एक) खनिजखोज निगम लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) खनिज खोज निगम लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–1490/77]**

(घ) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, गोरगाम (कर्नाटक राज्य) के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, गोरकाम (कर्नाटक राज्य) का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–1491/77]**

(ङ) (एक) स्टील एथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) स्टील एथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखपरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।**[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–1492/77]**

(2) उपर्युक्त मद संख्या (31) (क) (दो) तथा (ङ) (दो) में उल्लिखित पत्रों के हिन्दी संस्करण के साथ-साथ सभा पटल पर रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रन्थालयमें रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–1492/77]**

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1977, जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1634 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) पांचवां संशोधन विनियम, 1977, जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1655 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालयमें रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**–1493/77]

वार्षिक प्रतिवेदन और विवरण

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(34) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :––

(क) (एक) प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है ।

(ख) (एक) प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी**–1494/77]

(ग) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) यह बताने वाला विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**–1495/77]

(घ) (एक) भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**–1496/77]

(ङ) (एक) गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, गोआ का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन' लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**—1497/77]

(च) (एक) मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिए कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है । [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—1498/77]

उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : मैं (एक) गन्ने की बकाया राशि के बारे में डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय के अतारांकित प्रश्न संख्या 2661 के 5 दिसम्बर, 1977 को दिए गए उत्तर म शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 1499/77]

भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का भारत के समाचार पत्र सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 2)

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह): मैं भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का भारत के समाचार पत्र, 1975 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 2) (हिन्दी तथा अंग्रेजी) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 1500/77]

राष्ट्रीय न्यायिक रक्षा, समान न्याय सामाजिक न्याय (भगवती समिति का प्रतिवेदन) प्रतिवेदन

विधि, न्याय, और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री नरसिंहयादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय न्यायिक रक्षा, समान न्याय -समाजिक न्याय संबंधी प्रतिवेदन (भगवती समिति प्रतिवेदन) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1501/77]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण का 1976 का समेकित प्रतिवेदन, नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1975-76 का अनुपूरक प्रतिवेदन और यूनाइटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि०, मद्रास का 1976 का प्रतिवेदन और विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्ला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31 दिसबम्र, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण के समेकित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–1502/77]**

(2) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1975-76 के अनुपूरक प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–1503/77]**

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिए कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–1504/77]**

सदस्यों की अनुपस्थिति समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

(कार्यवाही का सारांश)

श्री नटवरलाल बी० परमार (ढंढुका): मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति 16 नवम्बर तथा 15 दिसम्बर, 1977 को हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

कार्यवाही सारांश

श्री उग्रसेन (देवरिया) : मैं याचिका समिति की पहली से चौदहवीं बैठक, के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

कार्यवाही सारांश

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र की छठी से दसवीं बैठकों का कार्य विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

अध्ययन दलों का प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) समिति के अध्ययन दल-I के सितम्बर, 1977 में श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर और चण्डीगढ़ के अध्ययन दौरे पर प्रतिवेदन।

(दो) समिति के अध्ययन दल–II के सितम्बर, 1977 में मद्रास, कोचीन, ऊटाकमंड और कोयम्बटूर के अध्ययन दौरे पर प्रतिवेदन।

(तीन) समिति के अध्ययन-दल–III के सितम्बर, 1977 में पूणे, बम्बई, दमन और गोआ के अध्ययन दौरे पर प्रतिवेदन।

(चार) समिति (1973–76) की 44वीं से 48वीं और 50वीं से 53वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(पांच) समिति (1976–77) की पहली से बाइसवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा 22 दिसम्बर, 1977 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 12 दिसम्बर, 1977 को पास किये गये बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1977 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

प्रतिवेदन

श्री० एम० स्टीफन (इदक्की) : : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) सरकारी विभागों में कम्पूटरों के लगाये जाने के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 221वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 26वां प्रतिवेदन ।

(2) चीनी छूट योजना के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 155वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 30वां प्रतिवेदन ।

(3) चलचित्र प्रभाग के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 182वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 40वां प्रतिवेदन ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (डाक और तार) में सम्मिलित देय राशि और उपकरण सम्बन्धी पैराग्राफ 8, 9, 11, 21, 23 और 26 पर 43वां प्रतिवेदन ।

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवायें) के पैराग्राफ 28 और 53 पर 48वां प्रतिवेदन ।

(6) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के दिल्ली के तीन सरकारी अस्पतालों सम्बन्धी पैराग्राफ 30 पर 49वां प्रतिवेदन ।

(7) निगम कर के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 187वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 51वां प्रतिवेदन ।

(8) नियंत्रित कपड़ा योजना के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 223वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 52वां प्रतिवेदन ।

(9) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के 1974 और 1975 में चीनी के निर्यात सम्बन्धी पैराग्राफ 27 पर 53वां प्रतिवेदन ।

(10) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां, खण्ड 1, अप्रत्यक्ष कर के संघ उत्पाद-शुल्कों सम्बन्धी पैराग्राफ 33, 42, 43, 45 और 50 पर 55वां प्रतिवेदन ।

(11) सीमा-शुल्क प्राप्तियों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 219वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 56वां प्रतिवेदन ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

पहले से आठवां प्रतिवेदन

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : मैं प्राक्कलन समिति में निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(1) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग—विदेशों में भारतीय विशेषज्ञों तथा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोक सभा) के 88वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पहला प्रतिवेदन ।

(2) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग—वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन पर प्राक्कलन समिति पांचवीं लोक सभा) के 98वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में दूसरा प्रतिवेदन ।

(3) गृह मंत्रालय—अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र पर प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोक सभा) के 87वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में तीसरा प्रतिवेदन ।

(4) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय (पर्यटन विभाग)—पर्यटन पर प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोक सभा) के 100वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चौथा प्रतिवेदन ।

(5) नौवहन और परिवहन मंत्रालय—सीमावर्ती सड़कों पर प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोक सभा) 101वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पांचवां प्रतिवेदन ।

(6) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पर प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोक सभा) के 102वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में छठा प्रतिवेदन ।

(7) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग—अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती, प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण पर प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोक सभा) के 89वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सातवां प्रतिवेदन ।

(8) गृह मंत्रालय-चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोक सभा) के 99वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में आठवां प्रतिवेदन ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

तीसरा और ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(एक) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग)—भारतीय प्रबन्ध संस्थानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये प्रवेश और अन्य सुविधाओं पर तीसरा प्रतिवेदन ।

(दो) गृह मंत्रालय—दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण तथा उनके नियोजन पर 11वां प्रतिवेदन ।

अलीबाग, महाराष्ट्र के तट पर उर्वरक पेट्रो-रसायन के प्रस्तावित कारखाने के बारे में याचिका

याचिका का प्रस्तुत किया जाना

PETITION RE. PROPOSED FERTILIZER AND PETRO-CHEMICAL COMPLEX ON THE COAST OF ALIBAGH, MAHARASHTRA

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा): मैं महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में अलीबाग तट परप्रस्तावित उर्वरक तथा पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह के बारे में श्री डी० एन० पाटिल और अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT ON INDUSTRIAL POLICY

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस): समाचारपत्रों और जनता में औद्योगिक नीति के पेश किए जाने की आशा लगी है। अतः मैं ऐसा करते समय उसकी मुख्य बातें सभा के सम्मुख पेश कर रहा हूं।

प्रस्तावना :

विगत 20 वर्षों से उद्योग के क्षेत्र में सरकारी नीति औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 से शासित होती रही है। यद्यपि उस संकल्प की कुछ बातें औद्योगिक विकास के वांछनीय स्वरूप के संबंध में तो आज भी मान्य है, किन्तु औद्योगिक क्षेत्र में इन्हीं नीतियों का जो वास्तविक परिणाम निकला वह आशा के अनुरूप अथवा घोषित उद्देश्यों के अनुसार नहीं रहा है। विगत 10 वर्षों में प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय में लगभग 1.5% वार्षिक वृद्धि हुई है जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पष्ट ही अपर्याप्त है। बेरोजगारी बढ़ गयी है, गांवों और शहरों के बीच असमानताएं बढ़ी है तथा वास्तविक निवेश दर में रुकावट उत्पन्न होगयी है। विगत दस वर्षों में औद्योगिक उत्पादन के संबंध में औसतन 3 या 4 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि नहीं हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में संकट ग्रस्तता फैली है जिससे कुछ प्रमुख उद्योगों पर तो बड़ा ही बुरा असर पड़ा है। औद्योगिक लागत तथा मूल्यों का स्वरूप विश्रंखलित हुआ है तथा उद्योगों को बड़े-बड़े शहरों से हटाकर उन्हें फैलाने की गति बहुत ही धीमी रही है।

2. अतः अतीतकाल में हुई विश्रंखलाओं को दूर करने की दिशा में नयी औद्योगिक नीति को एक मोड़ देना है ताकि लोगों की आर्थिक विकास की स्वाभाविक आकांक्षाओं को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंदर पूरा किया जा सके।

3. अर्थव्यवस्था में कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के और अधिक परस्पर संबंधों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अधिकांश औद्योगिक उत्पादन कृषीय कच्ची सामग्री पर आधारित है। इसी प्रकार आधुनिक तकनीक को अनुकूलित करके तथा हमारी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप कृषि प्रणालियों को अपनाकर कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश औद्योगिक क्षेत्र से ही मिलते हैं। विद्युतशक्ति के प्रजनन और पारेषण (ट्रांसमीशन) को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे हाल के अनुभव यह बताते हैं कि पर्याप्त विद्युत शक्ति का न मिलना कृषि तथा उद्योग के विकास में एक बड़ी भारी बाधा बन गई है। इसी प्रकार हमारी सिंचाई की परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए आवश्यक सीमेंट तथा इस्पात, हल चलाने व जमीन तैयार करने के उपकरण, ऊंची किस्म के बीजों का परिष्करण करने के उपकरण, उर्वरक, कीटनाशी पदार्थ, तेल, बिजली जैसे सभी औद्योगिक उत्पाद हमारे कृषीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए अत्यधिक जरूरी हैं। गांवों में कृषि तथा अन्य संबंधित वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि का आधार लेकर समृद्धि तथा आय के वितरण का जो स्वरुप बनेगा उससे खपत की वस्तुओं का उत्पादन करने की आधारभूत मांग की बात सामने आती है। अतएव कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र की इसी अंतर-क्रिया की प्रणाली से गांवों के उन बहुसंख्यक लोगों को जो कृषि के क्षेत्र में खपाये नहीं जा सकते हैं, रोजगार किया जा सकता है।

4. आज खाद्यान्न तथा संचित विदेशी मुद्रा के रूप में हमारे पास पर्याप्त परिसम्पत्तियां हैं, परंतु और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के काम करने के उत्सुक लोग, बहुत बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिक, इंजीनियर तथा तकनीशियन जो आज के विश्व के कार्यकुशल लोगों का

तीसरा बड़ा दल है, हमारी सबसे अधिक बहुमूल्य परिसम्पत्तियां हैं। अब हमारे सामने बड़े बड़े अवसर हैं और भारी चुनौतियां हैं किन्तु इनका लाभ कार्यरतापूर्ण तथा बेमन से बनायी गई नीतियों के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता। हमारे राष्ट्रीय जीवन के अनेक क्षेत्रों में एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस नए दृष्टिकोण का असर न केवल हमारे विपुल साधनों तथा सम्पन्नता में ही प्रतिबिम्बित होना चाहिए अपितु हमारे बहुसंख्यक लोगों के जीवन की रहन-सहन की स्थितियों में सुधार करने के लिए भी इन साधनों तथा सम्पन्न स्थिति का उपयोग विशेष रूप से दिखाई देना चाहिए। इसके पश्चात् योजना तथा परियोजनाओं और स्कीमों के कार्यान्वयन में अब मनुष्य को नयी औद्योगिक नीति केन्द्र बिन्दु प्रदान करेगी।

लघु उद्योग :

5. औद्योगिक नीति के संबंध में अभी तक मुख्य रूप से बड़े उद्योगों पर ही बल दिया जाता रहा है, कुटीर उद्योग की पूर्णतः उपेक्षा की गयी है और लघु उद्योगों को नगण्य स्थान दिया जाता रहा है। मौजूदा सरकार की निती इस प्रकार की धारणा को बदल देने की है।

6. अतएव नयी औद्योगिक नीति की प्रमुख भूमिका सभी ओर फैले हुए कुटीर तथा लघु उद्योगों का ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे छोटे नगरों में प्रभावशील संवर्धन करना होगी। सरकार की यह नीति है कि जिस वस्तु का उत्पादन लघु तथा कुटीर उद्योगों में किया जा सकता है, वह किया ही जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उन वस्तुओं का पता लगाने के लिए जिन्हें लघु उद्योग क्षेत्र में स्थापित किया अथवा उनका विस्तार किया जा सकता है, औद्योगिक उत्पादों का विशद विश्लेषण किया गया है। केवल लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ही आरक्षित किए जाने वाले उद्योगों की सूची में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी है जिसमें अब पहले की लगभग 180 वस्तुओं की अपेक्षा 500 से अधिक वस्तुएं शामिल की जायेगी। यह सूची भी सभा पटल पर रखी जाती है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में किया गया उत्पादन किफायती तथा स्वीकार्य कोटि का होता है। लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची की निरंतर समीक्षा की जाती रहेगी ताकि अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक क्षमता उत्पन्न करने में देर न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योगों के लिए किया गया आरक्षण कुशलतापूर्वक कार्य करता है, नए उत्पादों के रूप में उसका निरंतर विस्तार होता जाता है तथा लघु क्षेत्र में निर्माण की जा रही नई प्रक्रियाओं का पता लगाया जाता है, आरक्षित उद्योगों की समीक्षा प्रतिवर्ष की जायेगी।

बहुत छोटा क्षेत्र :

7. लघु उद्योग क्षेत्र की विद्यमान परिभाषा तो बनी रहेगी लघु क्षेत्र के अंतर्गत बहुत छोटे क्षेत्र यथा, जिनमें मशीनों और उपकरणों पर किया गया विनियोजन 1 लाख रुपए तक है और जो 1971 की गणना के आंकड़ों के अनुसार 50,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों और गांवों में स्थापित किए गए हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता रहेगा। लघु क्षेत्र के बहुत छोटे एककों के साथ ही कुटीर तथा घरेलू उद्योगों के लिए सीमांत धन की व्यवथा करने की योजनाएं भी बनायी जायेंगी।

कुटीर उद्योगों के लिए विधान :

8. लघु क्षेत्र के लिए आरक्षण तो रहा है, कुटीर तथा घरेलू उद्योग क्षेत्र के लिए कोई विशेष संरक्षण नहीं दिया जाता रहा है। सरकार कुटीर तथा घरेलू उद्योगों

के हितों को संरक्षण देने हेतु विशेष विधान बनाने पर विचार करेगी जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे औद्योगिक विकास में इन गतिविधियों को जो बहुसंख्यक लोगों के लिए स्वयं रोजगार में लगने की व्यवस्था करती हैं यथोचित मान्यता मिल जाती है।

9. **संबर्धनात्मक अभ्युपाय** : पहले ऐसी योजनाओं, अभिकरणों तथा संगठनों की वृद्धि करनेकी प्रवृति रही है जिनसे औसत कर्जे के लघु तथा ग्रामीण क्षेत्रके उद्यमी को प्रोत्साहन तथा सहायता मिलने की अपेक्षा वह और भी भ्रम में पड़ जाया करता था। अब लघु क्षेत्र एवं कुटीर विकास केन्द्रों को बड़ शहरों व राज्य की राजधानियों से हटाकर जिले के मुख्यालयों में ले जाने का विचार किया गया है। लघु तथा ग्रामोद्योगों की सभी आवश्यकताओं के बारे में कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक जिले में एक अभिकरण होगा। इसे जिला उदयोग केन्द्र कहा जायेगा। केवल एक ही जिला उदयोग केन्द्र से लघु तथा ग्रामीण उद्यमियों के लिए अपेक्षित सभी सेवाएं तथा समर्थन देने की व्यवस्था की जायेगी। इनमें जिलों में उपलब्ध कच्चे माल तथा अन्य साधनों का आर्थिक अन्वेषण करना, मशीनों तथा उपकरणों की सप्लाई करना, कच्चे माल की व्यवस्था करना, उधार देने की सुविधाओं की व्यवस्था करना, प्रभावी विपणन व्यवस्था करना, किस्म नियंत्रण, अनुसंधान तथा विस्तार के लिए एक प्रकोष्ठ की स्थापना करना शामिल होंगे। लघु उद्योगों से भिन्न कुटीर तथा घरेलू उद्योगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र में एक अलग स्कन्ध होगा। एक ओर केन्द्र विकास खंडों से घनिष्ठ संपर्क रखेगा तथा दूसरी और विशिष्ट संस्थानों जैसे लघु उद्योग सेवा संस्थानों से भी सम्बद्ध रहेगा। सरकार का विचार आगामी चार वर्षों के दौरान सभी जिलों में इस महत्वपूर्ण संस्थागत नमूने का विस्तार करने का है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों को उपयुक्त वित्त तथा संगठन संबंधी सहायता दी जायेगी। ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु तथा कुटीर उद्योगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता आगमी चार वर्षों के अंदर देश के सभी जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी।

10. लघु ग्रामीण तथा कुटीर उदयोगों के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने केवल इस क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को निपटाने के लिए एक अलग स्कन्ध की स्थापना करने हेतु कदम उठाये हैं। लघु तथा कुटीर क्षेत्र के लिए अन्य संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली ऋण संबंधी समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में यह स्कन्ध समन्वय, मार्ग दर्शक तथा अनुश्रोता का कार्य करेगा जिसके लिये इन संस्थाओं विशेष रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों में अलग स्कन्धों की स्थापना की जाएगी। बैंकों से यह आशा भी की जाएगी कि वे कुल दी जाने वाली अग्रिम राशियों में से एक विशिष्ट अनुपात में राशि लघु, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सुरक्षित रखें। सरकार की नीति यह है कि ऋण की कमी की वजह से लघु तथा ग्रामोद्योग की कोई उपयोगी योजना छोड़ न दी जाए।

11. लघु तथा कुटीर उद्योग क्षेत्रों के उत्पादों की संतोषजनक विपणन व्यवस्था न होने की वजह से ही मुख्य रूप से इन क्षेत्रों के विकास की गति मन्द रही है। इसलिए इन क्षेत्रों की वस्तुओं के विपणन तथा इसके सहयोगी उत्पादों के मानकीकरण, किस्म के नियंत्रण, विपणन सर्वेक्षण आदि पर विशेष ध्यान देना पड़गा। सरकार इन कार्यकलापों को

प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम समर्थन प्रदान करेगी। इन उत्पादों के विपणन को समर्थन देने के लिए सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खरीद के लिये प्राथमिकता देने तथा केवल इन्हीं से खरीद करने के लिये आरक्षण करने संबंधी उपाय किए जाऐंगे ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग :

12. इस समय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्य क्षेत्र में 22 ग्रामीण उद्योग हैं। इस क्षेत्र में सम्वर्धनात्मक कार्य में रूकावट आई है तथा प्रगति धीमी हुई है। आधुनिक प्रबन्ध तकनीक अपनाकर इन ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए खादी एवं ग्रामीदयोग आयोग विस्तृत योजनाएं तैयार करेगा। जूतों तथा साबुन के उत्पादन के लिए विशेषकार्यक्रम बनाए जाएंगे ताकि देश में इन वस्तुओं के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती रहे और कुल उत्पादन में इनका अंश बढ़ाया जा सके। आयोग के कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय आने वाली मदों की सूची का काफी विस्तार किया जायेगा तथा आयोग के संगठन में राज्य एवं राष्ट्रीयस्तर पर सुधार किया जायेगा ताकि इसे सौंपा गया कार्य अधिक प्रभावशाली ढंग से पूरा किया जा सके।

13. ग्रामोद्योग विकास कार्यक्रम में खादी संवर्धन का महत्वपूर्ण स्थान है। सूती रेशों के साथ पोलिएस्टर रेशों की कताई और बुनाई करके खादी के क्षेत्र में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। अब तक किए गए प्रारम्भिक कार्य से पोलिएस्टर खादी के लिए एक विस्तृत बाजार विकसित होने तथा उत्पादकता में सुधार होने और खादी बुनकरों और कताई करने वालों की आय में वृद्धि होने की आशा बंधी है। "नई खादी" में कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। सरकार खादी कार्यक्रम के संबर्धन के लिए आवश्यक अधिकतम वित्तीय और विपणन सहायता देने के लिए वचनबद्ध है ।

14. खादी के साथ-साथ जन-साधारण की वस्त्र संबंधी आवश्यकता हथकरघा क्षेत्र के विकास द्वारा तेजी से पूरी की जा सकती है जो कि वस्त्र निर्माण में लगे बहुत अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। सरकार संगठित मिल तथा विद्युत करघा क्षेत्र में बुनने की क्षमता में किसी प्रकार के विस्तार की अनुमति नहीं देगी। हथकरघा क्षेत्र के लिए धागे की पर्याप्त सप्लाई प्रदान करने के लिए सरकार इस बात का सुनिश्चय करेगी कि संगठित क्षेत्र में धागे लपेटने के कार्य के लिए हथकरघा क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाये। यदि कोई कमी होती है तो सरकार बुनाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने का सुनिश्चय करेगी। इसके अलावा हथकरघा उत्पादों के लिए तैयार बाजार के लिए इस बात का सुनिश्चय किया जाएगा कि संगठित मिल क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र में अनुचित प्रतियोगिता न होने पाये। कुछ वस्त्रों का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र के लिए पहले से ही आरक्षित हैं। फिर भी यह आरक्षण अधिक प्रभावशाली नहीं रहा है। सरकार विद्यमान आरक्षण को लागू करेगी तथा अन्य मदों को भी इसके अन्तर्गत ले आयेगी।

समुपयुक्त प्रौद्योगिकी :

15. हमारी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अनुरूप विकास तथा तकनीक को लागू करने की तरफ अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इसके पश्चात् यह नीति का एक अभिन्न अंग होगा तथा सरकार यह सुनिश्चय करेगी कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाये। लघु तथा ग्रामीण उद्योगों में लगे कर्मचारियों की उत्पादकता और अर्जन क्षमता में सुधार करने के लिए उपयुक्त छोटे तथा साधारण किस्म की मशीनों और उपकरणों का विकास तथा ज्यादा प्रयोग करने हेतु प्रभावी और समन्वित व्यवस्था सुनिश्चित करने का विशेष प्रबंध किया जाएगा। इसके अलावा सरकार उत्पादन की इस प्रकार की तकनीकों को सर्वांगीण ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के साथ समन्वय करने का प्रयास भी करेगी।

बड़े उद्योगों की भूमिका :

16. भारत में छोटे और ग्रामीण उद्योगों के अलावा बड़े उदयोगों की भी एक स्पष्ट भूमिका है। फिरभी, सरकार जटिल प्रकार की कुशलताओं के मात्र प्रदर्शन के लिए अथवा बड़े उद्योगों को असंगत विदेशी प्रौद्योगिकी के स्मारकों के रूप में स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। बड़े उद्योगों की भूमिका लघु और ग्रोमोद्योगों के व्यापक प्रसार और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करके जनता की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यक्रमों के साथ जुड़ी होगी। लघु तथा ग्रामोद्योगों को दूर-दूर तक फैला करतथा कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाकर बड़े उद्योग जनता की बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के कार्यक्रम में हाथ बटा सकते हैं। सामान्यरूप से बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए ये क्षेत्र होंगे:--(क) आधारभूत उद्योग जो अवस्थापना संबंधी तथा छोटे और ग्रामोदयोग जैसे इस्पात, अलौह धातुएं, सीमेंट तेल शोधन कारखानों जैसे उद्योगों का विकास करने के लिए जरूरी है, (ख) बुनियादी उद्योगों के साथ-साथ लघु उद्योगों को मशीनों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पूंजीगत वस्तु उद्योग,(ग) उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की आवश्यकता होती है तथा जो कृषि और लघु स्तर के औद्योगिक विकास जैसे खाद, कीटाणुनाशक दवाइयां तथा पैट्रो रसायन आदि से संबंधित हैं, तथा (घ) लघुक्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की सूची से बाहर रखे गए अन्य उद्योग और जिन्हें अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए जरूरी समझा जाता है जैसे मशीनो औजार, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन उद्योग।

बड़े औद्योगिक गृह :

17. पिछले अनुभव से पता चलता है कि सरकार की नीतियों को बड़े औद्योगिक गृहों की अनुपात से अधिक वृद्धि पर नियंत्रण रखने में सफलता नहीं मिली है। मौजूदा उद्यमों की कुछ सीमा तक वृद्धि होना अपरिहार्यहै तथा इन उद्यमों का निरंतरलाभपर चलते रहना भी आवश्यक है। बड़े औद्योगिक गृहों का विकास उनके द्वारा उत्पन्न आन्तरिक साधनों के अनुपात से अधिक रहा है और यह वृद्धि मुख्य रूप से बैंकों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से उधार ली गई निधियों पर ही आधारित है। इस प्रक्रिया को अवश्य बदला जाना चाहिए।

18. भविष्य में बड़े औद्योगिक गृहों का विस्तार निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा:-

(क) विद्यमान उपक्रमों का विस्तार तथा नए उपक्रमों की स्थापना एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाता रहेगा । प्रभावशाली उपक्रमों के उपबंधों सहित इस अधिनियम के उपबन्धों पर कारगर ढंग से अमल किया जायेगा ।

(ख) जो उद्योग इस समय क्षमता की स्वतः वृद्धि करने के योग्य है उनके अलावा विद्यमान उपक्रमों द्वारा नई वस्तुओं का उत्पादन करने तथा बड़े गृहों द्वारा नए उपक्रमों की स्थापना करने के लिए सरकार के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।

(ग) बड़े औद्योगिक गृहों की अपनी नई या विस्तार संबंधी परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करने के लिए अपने यहां उत्पन्न किए गए साधनों पर निर्भर रहना होगा । कुछ उद्योगों जैसे–उर्वरक, कागज, सीमेंट, जहाजरानी तथा पैट्रो-रसायन जैसे उद्योगों के मामले में जो पूंजीप्रधान हैं, उपयुक्त ऋण इक्विटी के लिए अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि ऋण एवं इक्विटी में अनुपात कम पूंजी प्रधान वाले उद्योगों अथवा कम सूक्ष्म उदयोगों के बीच इस प्रकार निर्धारित किया जाय कि बड़े गृहों द्वारा उत्पन्न किए गए साधनों का अधिकाधिक उपाय हो सके ।

19. अपनी लाइसेंसिंग नीति में सरकार बड़े औद्योगिक गृह के कार्यकलापों को, देश के सामाजिकों आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप लाने के लिये नियंत्रित करेगी । जहां बड़े एकक हैं भले ही वे बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित हो या, नहीं, यदि वे पहले से ही छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिये आरक्षित वस्तुओं के बनाने में लगे हैं तो उनकी क्षमता में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर इन उपक्रमों को इन वस्तुओं के लिये कुल क्षमता में अंशदान को लगातार कम किया जायेगा जबकि लघु व कुटीर क्षेत्र का विस्तार किया जायेगा । बड़े उदयोगों, विशेषरूप से बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित एककों के लिये लाइसेंस देने में सरकार इन एककों द्वारा इन वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन के विद्यमान अंशदान की ओर पूरा ध्यान देगी । सरकार की यह सुनिश्चित करने की नीति होगी कि किसी भी एकक अथवा व्यापारी वर्ग का बाजार में प्रभुत्व अथवा एकाधिकार न होने पाये । बड़े औद्योगिक गृहों के वर्तमान औद्योगिक कार्यकलापों की जांच पड़ताल की जायेगी ताकि निर्माण संबंधी आंतरिक सम्बन्धों से उत्पन्न अनुचित तरीकों को रोका जा सके ।

20. समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का सुनिश्चय करने के लिये बड़े उदयोगों की स्थापना तथा उन्हे चलाने के लिये महत्वपूर्ण समर्थन देने वाले वित्तीय संस्थानों से ऐसे उपक्रमों के कार्य कलापों की देखभाल करने में और अधिक कारगर भूमिका निभाने की आशा की जायेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रबन्ध को अधिकाधिक उद्यमपरक बनाया जाता है तथा वह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होता है ।

सार्वजनिक क्षेत्र :

21. भारत में सरकारी क्षेत्र काफी समय से कार्य करता रहा है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करने के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र बड़े औद्योगिक गृहों की वृद्धि करने तथा गैर सरकारी क्षेत्र के बीच एक सन्तुलनकारी शक्ति रहा है । अनेक क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका निभानी होगी । इस क्षेत्र में न केवल बुनियादी किस्म की महत्वपूर्ण वस्तुओं का ही उत्पादन किया जायेगा अपितु इसका उपयोग जन साधारण के लिये आवश्यक वस्तुओं का संभरण बनाये रखने के लिये एक स्थायी शक्ति के रूप में भी कारगर ढंग से किया जायेगा। विविध प्रकार के

सहायक उदयोगों के विकास को प्रोत्साहन देने का दायित्व भी सरकारी क्षेत्र का होगा और अलग अलग इकाइयों के कार्य निष्पादन का निश्चय लघु, छोटे और ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों के सवर्धन में उनकी भूमिका के संदर्भ में किया जायेगा। सरकारी क्षेत्र से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह लघु और ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों के समर्थन कार्यक्रमों के लिए प्रौदयोगिकी और प्रबन्ध व्यवस्था की अपनी विशेषज्ञता प्रदान करके विकेन्द्रित उत्पादन की वृद्धि करने में योगदान करे। सरकार की यह भी कोशिश होगी कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को लाभ पर चलाया जाए और उनका कुशल संचालन किया जाये ताकि इन उद्योगों में किए गए निवेश से समाज को पर्याप्त लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा सके सरकार सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों, का एक व्यावसायिक संवर्ग बनाने को उच्च प्राथमिकता देती है, उन्हे आवश्यक स्वायत्तता प्रदान की जायेगी तथा इस प्रकार के उपक्रमों को दक्ष और गतिशील प्रबन्ध व्यवस्था प्रदान करने का दायित्व उनका होगा।

देशी और विदेशी प्रौद्योगिकी :

22. देश में वैज्ञानिक संस्थानों का सुविकसित ढांचा है। भविष्य में भारतीय उद्योगों का विकास जहां तक सम्भव हो सके देशी प्रौद्योगिकी पर निर्भर होना चाहिए। यद्यपि देशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए व्यापक क्षेत्र प्रदान किया जायेगा फिर भी यह आवश्यक है भारतीय प्रौद्योगिकी का विकास उच्च और कुशल उत्पादन के उद्देश्यों के अनुरूप हो और यह अपने आप में समाज के लिए तत्काल जरूरी वस्तुओं का उत्पादन करने में विलम्ब का कारण न बने। हमारी विशाल जनता के जीवन स्तर के सुधार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान होना चाहिए।

23. प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार जटिल और उच्च प्रार्थमिकता वाले क्षेत्रों में जिनमें भारतीय कौशल और प्रौद्योगिकीय का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, देश में प्रौद्योगिकी के निरन्तर अपनाये जाने की आवश्यकता समझती है। ऐसे क्षेत्रों में सरकार उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को सीधे खरीद लेने को प्राथमिकता देगी और तब देश की आवश्यकता के अनुरूप ऐसी प्रौद्योगिकी को अनुकुलित करेगी। जिन भारतीय कम्पनियों को विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति दी जाती है उनके लिए यह आवश्यक होगा कि उपयुक्त मामलों में वे पर्याप्त अनुसंधान एवं विकास सुविधाधाएं स्थापित करें ताकि आयातित प्रौद्योगिकी को ठीक प्रकार से अनुकूलित किया जा सके तथा उसे आत्मसात किया जा सके। सरकार विदेशी विनियोजनबोर्ड के सचिवालय में विदेशी सहयोग की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री की भी स्थापना करेगी ताकि इन प्रयत्नों को जारी रखा जा सके।

24. **विदेशी विनियोजन** : सरकार भारतीय औद्योगिक विकास में विदेशी निवेश और विदेशी कंपनियों की सहभागिता संबंधी नीति को भी स्पष्ट करना चाहेगी जहां तक विद्यमान विदेशी कंपनियों का संबंध है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जायेगा। इस अधिनियम के अधीन विदेशी इक्विटी के कम करने की प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने के बाद 40 0।0 से अधिक प्रत्यक्ष अन्यत्रवासी निवेश न रखने वाली कंपनियों को विशेष रूप से अधिसूचित मामलों को छोड़कर भारतीय कंपनियों के समान समझा जायेगा और उनका भावी विस्तार उन्हीं सिद्धन्तों से विनियमित होगा जो भारतीय कंपनियों पर लागू है।

25. भारत के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण करने की केवल उन्हीं शर्तों पर अनुमति दी जायेगी जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रहित में निश्चित

की गई ह । जिन क्षेत्रों में विदेशी प्रौदयोगिकीय जानकारी की आवश्यकता नहीं है विद्यमान सहयोग करारों का पुनर्नवीकरण नहीं किया जायेगा और ऐसे क्षेत्रों में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के ढांचे के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने रूप और कार्यकलाप में संशोधन करना होगा । उद्यमियों का मार्गदर्शन करने के लिए सरकार उन उद्योगों की एक संशोधित सूची जारी करेगी जिनमें देशी प्रौद्योगिकी पूर्ण रूप से विकसित हो जाने के कारण विदेशी सहयोग-वित्तीय अथवा तकनीकी सहयोग आवश्यक नहीं है ।

26. सभी स्वीकृत विदेशी निवेशों के लिए लाभों, रायल्टियों **लाभांशों** तथा पूंजी के स्वदेश प्रत्यावर्तन /प्रेषण की पूर्ण स्वतंत्रता सभी पर लागू नियमों और विनियमों के अनुसार होगी । नियमानुसार, स्वामित्व में बहुलांश और प्रभावी नियन्त्र भारतीय हाथ में होना चाहिए हालांकि उच्च निर्यात परक और/अथवा जटिल प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में सरकार अन्यथा भी कर सकती है । शत प्रतिशत निर्यात वाले मामलों में सरकार पूर्ण विदेशी स्वामित्व वाली कंपनीपरभीविचार कर सकती है।

विदेशोंमें संयुक्त उपक्रम :

27. भारतीय उद्यमियों द्वारा अनेक विकासमान देशों में स्थानीय सहयोगियों की सहायता से कई संयुक्त उपक्रम स्थापित किए गए हैं। देश के औद्योगिक विकास की विद्यमान स्थिति में, भारत से पर्याप्त पूंजी निर्यात न तो सम्भव होगा और न उचित ही । अतः भारतीय उद्यमकर्त्ताओं का विदेशों में संयुक्त उपक्रमों में योगदान मुख्य रूप से संयंत्र और उपकरणों, ढांचों तथा तकनीकी जानकारी एवं प्रबन्ध विशेषज्ञता के रूप में दिया जा सकेगा । जिन मामलों में इसके अलावा कुछ नकद विनियोजन आवश्यक समझा जायेगा, सरकार इस उद्देश्यों के लिए ऐसे विनियोजनों पर निर्धारित न्यूनतम सीमा तक गुणावगुण के आधार पर विचार करने को तैयार होगी ।

आयात उदारीकरण :

28. देश की औदयोगिक और आर्थिक नीति का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति बना रहना चाहिए। हाल में अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में घटी घटनाओं से यह प्रकट हुआ है कि विदेशी झटकों और परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के समायोजन का मुख्य बोझ देश को स्वयं बर्दास्त करना पड़ता है । अतः हमारी औद्योगिक नीति एक औद्योगिक आधार तैयार करने के उद्देश्य के अनुरूप पर्याप्त विविधता वाली तथा अधिक सुदृढ़ होनी चाहिए ताकि वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और सहायता संबंधी कूटनीतियों में अडिगबनी रह सके । एक सुदृढ़ और विविधीकृत औद्योगिक व्यवस्था स्थापित करने का यह आशय नहीं है कि देश को औद्योगिक वस्तुओं के आयातकर्ता / निर्यातकर्ता दोनों ही रूपों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग नहीं लेना चाहिए अथवा लेने की आवश्यकता नहीं है यह हमें करते रहना होगा । वास्तव में हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति में जो अनुकूल परिवर्तनहुए हैंतथाऔद्योगिक क्षेत्र में जो प्रगति हमने की है उससे हमें प्रशुल्का के माध्यम से प्राप्त संरक्षण को बनाये रखते हुए अब आयात के कोटों से और मात्रा संबंधी प्रतिबंधों से चयनात्मक आधार पर मुक्त होने में समर्थ होना चाहिए किन्तु मात्रा संबंधी आयात नियन्त्रण में ढील हमारी समग्र योजना प्राथमिकताओं के अनुरूप होनी चाहिए । ऐसी छूट उन क्षेत्रोंमें होगी जहां विद्यमान मात्रा संबंधी प्रतिबन्ध उच्चप्राथमिकता वाले उद्योगों की भावी विकास में सहायता करने की बजाय हानि कर रहे है उदाहरण स्वरूप महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनावश्यक विलम्ब करके अथवा जहां देशी उद्योग इस प्रकार के प्रतिबन्धों का लाभ लागत और मूल्य में अनुचितवृद्धि करके उठा रहे हैं । भारतीय उदयोग को निःसन्देह अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए

सभी सहायता प्रदान की जायेगी। आज अनेक भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने की सफल स्थिति में हैं और अब उन्हें कोटा द्वारा संरक्षण प्राप्त करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

29. **उत्पादों का निर्यात**: उत्पादों का निर्यात हमारे निर्यात व्यापार का एक प्रमुख और विकासशील तत्व हैं। सरकार निर्यातपरक उत्पादों की क्षमता ऐसे क्षेत्रों में स्थापित करने के प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी जिनमें अप्रत्यक्षकरधान के ढांचे में राहत देने के लिए सीमाशुल्क और उत्पादन शुल्क प्रभारों और इसी प्रकार की अन्य लेवी की व्यवस्था करने के बाद ऐसा विनियोजन अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के योग्य हो। पूर्णतः निर्यातपरक गतिविधियों के प्रकरण में सरकार उन निवेशों पर सीमशुल्क / उत्पादन शुल्क में राहत देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए भी तैयार होगी बशर्तेकि निर्यात उत्पादों के शुद्ध मूल्य में पर्याप्त वृद्धि हो रही हो। तथा साथ ही ऐसे उत्पादन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के और अधिक अवसर बढ़ने की सम्भावना हो।

30. **अनिवार्य निर्यात** : परियोजनाओं द्वारा अपेक्षित कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए भुगतान भावी निर्यात के माध्यम से करना सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर नई औद्योगिक क्षमता स्थापित करने के लिए स्वीकृति देते समय अनेक मामलों में अनिवार्य निर्यात दायित्व लगाये गए हैं। मात्र परियोजना की विदेशी मुद्रा राशि को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य निर्यात दायित्व पर अब जोर नहीं डाला जायेगा। साथ ही, भविष्य में, 5 वर्ष की सीमित अवधि के लिए निर्यात वचनबद्धधता को औद्योगिक लाइसेंस नीति में ढील देने के लिए पहले जैसा महत्व नहीं दिया जायेगा। फिर भी, जिन मामलों में विशेष रूप से निर्यात को ध्यान में रखकर औद्योगिक नीति में ढील दी गई है, उनमें अनिवार्य निर्यात दायित्व पर्याप्त लम्बी अवधि तक लगे रहेंगे। विगत समय में जहां दायित्व लगाये गए थे इस बात को सुनिश्चित करने की ओर कि वचनबद्धता को वस्तुतः पूरा किया जाता है अथवा नहीं, बराबर ध्यान नहीं दिया जाता था। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अनिवार्य निर्यात दायित्वों को वस्तुतः पूरा किया जाता है पर्यवेक्षण और निगरानी करने वाले तन्त्र को सुदृढ़ बनाने का विचार है।

31. **उद्योगों का स्थापना स्थल**: सरकार देश में संतुलित क्षेत्रीय विकसा को बहुत अधिक महत्व देती है ताकि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच विकास स्तर की असमानताओं को प्रगामी रूप से कम किया जा सके। सरकार ने इस तथ्य को काफी चिन्तापूर्वक देखा है कि हमारे देश में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हुआ अधिकतर औद्योगिक विकास महानगरीय क्षेत्रों और बड़े शहरों के आसपास ही सीमित रहा है। इसके फलस्वरूप लोगोंकी विशेष करके बड़े शहरों में काम करने वाले वर्ग की रहन-सहन की स्थिति में तथा स्लमों और वातावरण प्रदूषण आदि की उपस्थित स्थित में तेजी से गिरावट आई है। सरकार ने निश्चय किया है कि 1971 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले बड़े महानगरों की कुछ निश्चित सीमाओं और 5 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरी क्षेत्रों

में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए और अधिक लाइसेंस जारी नहीं किए जाने चाहिए। राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानोंसे भीइन क्षेत्रोंमें उन नये उद्योगों को जिन्हे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती स्थापित करने में समर्थन न देने का अनुरोध किया जायेगा। भारत सरकार घनी अबादी वाले महानगरों से स्वीकृत पिछड़े क्षेत्रों में अपना उद्योग स्थानान्तरित करने के इच्छुक विद्यमान बड़े उद्योगों की सहायता देने पर भी विचार करेगी।

32. **मूल्य निर्धारित नीति** : एक दृढ़ नीति का उद्देश्य मूल्यों में उचित अंशों तक स्थिरता रखना और कृषि तथा औद्योगिक उत्पादोंके बीच उचित समता बनाये रखनाहोताहै। औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों का विनयिमन इस प्रकार करने की प्रवृति रही है कि विकास की जरुरत वाले उत्पादों के मूल्य इस ढंग से निर्धारितकिये जाते रहे हैं कि सम्पन्न वर्ग की आवश्यकता पूरी करने वाली वस्तुओं के निर्माण की उपेक्षा जरुरत वाली वस्तुओं का उत्पादन कम आकर्षक हो गया। यह सुनिश्चित करना सरकार की नीति होगी कि जिन प्रकरणों में मूल्य नियंत्रण होगा नियंत्रित मूल्य में निवेशकर्ता को पर्याप्त लाभप्राप्तहो सके। यह भी प्रावधान है कि जो उद्योग अपनी क्षमता का काफी अधिक उपयोग कर रहे हैं तथा प्रौद्योगिकीय दृष्टि से प्राप्तव्य प्रतिमानों के अनुसारहै, उन्हे पर्याप्त लाभ कमाने की अनुमति होगी, ताकि वे अंशधारियों को समुचित लाभांश दे सकें और आधुनिकीकरण और वृद्धि के लिए पुर्ननियोजन हेतु राशि अर्जित कर सकें। उसके साथ ही सरकार उन उद्योगों को काफी लाभ कमाने की अनुमति नहीं देगी जो अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं अथवा जो एकक एकाधिकारी परिवेश में काम कर रहे हैं।

33. **कर्मचारियोंकी सहभागिता**: किसी देश का अत्यन्त महत्वपूर्ण एक मात्र स्त्रोत उसकी जनता की कुशलता और परिश्रमहै। हमारेभारत वर्ष मे परिश्रम का सभंरण पर्याप्त है जो शीघ्र ही नवीन प्रवीणता प्राप्त करने में सक्षम है तथा तकनीकी और प्रबन्धकीय कार्मिकों का भंडार हैं। इन स्त्रोतों का ऐसे परिवेश में सप्रभावी रूपसे उपयोग किया जा सकता है जिसमेंकारीगरों और प्रबन्धकों में उपक्रम के काम में अपनेपन की भावना हो। व्यापार पर परिवारों का नियंत्रण विशेष रूप से बड़े पैमाने के उद्योगो में एक कालदोष है, सरकार की यह नीति रहेगी कि वह प्रबन्ध में व्यवसायिकता पर जोर देगी साथ ही सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कारीगर अपने एकक को कुशलतापूर्वक चलाने में पूर्ण दम लगादें इस भावना का उनमें निर्माण करने के लिए साधन औरउपायढूंढने होंगे। सरकार औद्योगिक एककों को अंशपूजी में (इक्विटी) कारीगरों की सहभागिता की संभावनाओं पर प्रोत्साहनार्थ विचार कर रही है जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिले साथ ही एककों का किसी प्रकार से कोई अहित भी न हो? इस प्रकार से अंशपूजी (इक्विटी) में सहभागिता और कर्मशाला स्तर से बोर्ड स्तर तक कारीगरों का निर्णय करनेमें सहबद्ध होना उद्योग में कारीगरों की सार्थक सहभागिता के लिए एक आवश्यक परिवेश का निर्माण कर सकेगा।

34. **उद्योगों में संकट** : हाल के वर्षों में उद्योगों में औद्योगिक क्षेत्र में बड़े और छोटे दोनों प्रकार के एककों में संकटग्रस्तता की घटनाओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति नजर आई है जो उद्विग्न करने वाली

है। कुछ प्रकरणों में जैसे सूती और जूट वस्त्र या चीनी, उद्योग में तो उद्योग का बहुलांश संकटग्रस्त हुआ है, परिणामतः सरकार को रोजगार की स्थिति सुदृढ़ बनाए रखने के लिए बहुत से ऐसे एककों को अपने हाथ में लेना पड़ा है। सरकार इस प्रकार के विद्यमान रोजगारों की सुरक्षा की आवश्यकता की उपेक्षा नहीं कर सकती है साथ ही ऐसे रोजगारों के बनाये रखने के व्यय को भी नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। अनेक प्रकरणों में तो जनता के रुपये की बड़ी राशि सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए गए संकटग्रस्त एककों में लगानी पड़ी है फिर भी उनमें हानि होती रही है जिसकी पूर्ति सरकारी राजकोष से करनी पड़ती है।

35. भविष्य में सरकार एककों को चयनात्मक आधार पर तथा उन्हे पुनः जीवित करने के लिए आवश्यक कदमों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही अपने हाथ में लेगी। एककों की पुनः स्थापित करने तथा उनका पुनः निर्माण करने के लिए सप्रभावी कदम शीघ्र उठाना तथा ऐसे एककों का निरन्तर आधार पर व्यावसायिक प्रबन्ध निश्चित करना भी सरकार की नीति रहेगी। यदि उद्योग की संकटग्रस्तता का पता प्रारम्भ में ही लग जाये तो किसी उद्योग को संकटग्रस्तता से बचाने की लागत उस हालत में बड़ी ही सुकर हो जाती है। इस हेतु सरकार ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के सहयोग से औद्योगिक एककों की प्रारम्भिक संकटग्रस्तता का पता लगाने के लिए प्रबन्ध किए हैं जिससे कि प्रबन्धकीय या वित्तीय अथवा तकनीकी कमजोरी के पता चलते ही सुधार के उपाय किये जा सकें। सरकार ऐसे अभ्युपायों पर भी विचार कर रही है जिनके द्वारा ऐसे प्रबन्धकों या मालिकों को जो किसी एकक को संकटग्रस्त बनाने के लिए जिम्मेदार हैं अन्य एककों में ऐसी भूमिका अदा करने से रोका जा सके।

36. **प्रक्रिया का सुप्रवाही बनाना**: सरकार के प्रयत्न रहेंगे कि वह औद्योगिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में आने वाली असुविधाएं जो औद्योगिक विकास की बाधाएं हैं उन्हें हटायेगी। क्योंकि इस कार्य में देरी होने का देश को बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है हमारा देश जो स्वयं अपने कार्य में लगने को कटिबद्ध हो रहा है देरी सहन नहीं कर सकता है जल्दी का रास्ता ही हमारा नारा है, प्रशासकीय प्रबन्ध को सुधारने का प्रत्येक उपाय किया जायेगा ताकि मात्र गतिवान और सुव्यवस्थित स्वीकृति प्रक्रिया ही न हो बल्कि आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंसों के परिणाम उत्पादन के रूप में सामने आये। औद्योगिक लाइसेंसकरण तथा आयात निर्यात की प्रक्रिया और नीति तो सुप्रवाही तथा सरल बनाने के लिए सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की है जो अपना प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रस्तुत करेगी।

37. **निष्कर्ष**: औद्योगिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है इसके लिए प्रभावी पारस्परिक कार्यवाहियों और समाज के सभी वर्गों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। यदि नई औद्योगिक नीति में, औद्योगिक वृद्धि की गति को बढ़ाना, रोजगार के स्तर, उत्पादिता और औद्योगिक कारीगरों की आय में शीघ्र वृद्धि के उद्देश्यों को प्राप्त करना है और लघु और ग्रामोद्योगों का विस्तृत छितराव करना है तो औद्योगिक कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों, प्रबन्धकों, उद्यमियों वित्तीय संस्थानों और सहायता योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों का स्वेच्छापूर्ण सहयोग आवश्यक है।

प्रयत्न मुख्यतया प्रबन्धकों और औदयोगिक कर्मचारियों की ओर से किये जाने हैं। वे प्रवीणता और कुशलता की दृष्टि से किसी से कम नहीं हैं। सरकार इन सभी वर्गों से गंभीरतापूर्वक निवेदन करना चाहती है कि वे समर्पण की भावना से एकजुट होकर इस राष्ट्रीय हित के कार्य में लग जायें। अपनी प्रवीणता और अप नेप्रयत्नों से ही हम अपने देश की बहुसंख्यक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

38. 1977 का वर्ष ऐतिहासिक परिवर्तन का वर्ष रहा है। राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में जनता की आशा आकाक्षांएं महान है। देश की औद्योगिक नीति को जो नवीन दिशा प्रदान की गई है इससे आशा की जाती है कि एक ऐसे निष्पक्ष और समान समाज का निर्माण करने में मदद करेगा जिसमें औद्योगिक विकास के लाभ समस्त जनता को प्राप्त हो सकें।

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

लघु उद्योग क्षेत्र में ही विकसित किए जा सकने वाले आरक्षित उद्योगों की सूची जो 23 दिसम्बर को प्रभावी थी तथा जिसके बारे में औद्योगिक नीति पर सम्भाषण में निर्देश दिया गया है।

1. अब्जार्वेण्ट काटन
2. मोटर गाड़ियों के रेडिएटर (गुण-दोष आधार पर विस्तार को छोड़कर)
3. कांटेदार तार
4. तौल-कांटे
5. बाइक्रोमैट्स (निर्यात के अलावा)
6. काबले और ढ़िबरियां (उच्च तनाव वाले तथा विशेष प्रकार के)
7. कण्ड्यूट पाइप-घात्विक
8. घरेलू बिजली का सामान तथा सह साधन

(1) कुकिंग रेंजस	4 किलोवाट तक की और 4 हाट प्लेट तक की। बेकिंग ओवन/हाट केस के समेत या रहित बायलर
(2) संचालक पानी तापक गीज़र्स	(क) 100 लिटर की क्षमता वाले (ख) 3 किलोवाट तक के
(3) स्पिन ड्रायर्स के समेत या रहित धुलाई मशीन	(क) 8 पाउण्ड (सूखे) की क्षमता वाले (3.63 कि० ग्रा०) (ख) 3 किलोवाट तक के
(4) हाट प्लेट/बायलर प्लेट	(क) तीन प्लेटों तक की (ख) 4 कि० वा० तक की

(5)	डबलरोटी केटोस्ट सेकलवालेसाधारण/स्वचालित/अर्द्धस्वचालित	6 स्वचालित का क्षमता तक के
(6)	हीट केसंज	4 घनफुट तक की क्षमता वाले (113.2 लिटर)
(7)	बिजली की इस्तरियां/साधारण/स्वचालित-भाप चालित	8 पाउण्डवजनतककी (3.63 कि० ग्रा०) 2 कि० वा० तक की
(8)	गर्म हवा की धौंकर्नी/हीट कन्डक्टर	(क) 1026 सैमी० के पंखे की भाप की (ख) 8 25 ब्यास (20 सैं०मी० 6 सैं० मी० तक के माप के बलोअर वाले
(9)	मिक्सर/ग्राइंडर मीट मिंसर एक्सप्रेस्सो काफी बनाने के यंत्र, अपकेन्द्री जसर, सिट्स फलों का रस निकालने वाली मशीन	(क) 1 लिटर अधिकतम क्षमता का जार (ख) 30 मिनट की रेटिंग वाला तथा 500 वाट तक की मोटर
(10)	आइसक्रीम मशीन	1 लिटर की क्षमता वाला (घरेलू रेफ्री-जरेटरों में उपयोग हेतु)
(11)	रूम हीटर	3 कि० वा० तक के
(12)	अण्डा उबालने की मशीन	आधा दर्जन अण्डे की क्षमता वाला
(13)	एक्सप्रेस्सो पर्कोलिटर	
(14)	वाटरबायलर	100 लि० की क्षमता वाले
(15)	एक्सप्रैस्सों काफी बनाने का यंत्र	1.60 लि० की क्षमता वाले
(16)	काफी पर्कोलेटर	1.70 लिटर की क्षमता वाले
(17)	बिजली की कैतली-(सोंसपैन/रिंग टाइप)	1.70 लि० की क्षमता वाले
(18)	बिजली के स्टौव	3 कि० बा० तक के
(19)	इमर्थन वाटर हीटर	3 कि० वा० तक के
(20)	हेयर ड्रायर	सभी प्रकार के
(21)	खाना गर्म रखने की थाली	500 वाट तक
(22)	बैकिंग ओवन जिसमें रोस्टिंग/ग्रीलिंग की व्यवस्थाहो या उसके बिना	56.6 लि० तथा 1 कि० वा० तक के

(23) बिजली के स्वचालित तंदूर

9. रंग (डाइ)
   (1) एनो डाई (डायरेक्ट तथा अम्लीय)
   (2) बेसिक डाई
10. बिजली की रोशनी के लिए फिटिंग (जिनमें चौक, स्टार्टर रिफिलेक्टर आदि हों)
11. धातु की जालियां
12. अतिशबाजी
13. फार्मुलटेड इम्प्रफुलेना कम्पाडन्ड
14. पूरे फीव ी ० सी० की पादुकाएं (चप्पल, संडिल तथा शू) प्रमुख रूप से निर्यान्तोन्मुख क खाना द्वारा निर्यात के अलावा
15. अर्द्ध स्वचालित प्रक्रिया द्वारा बनाए कांच के बर्तन
16. गनमैटल के ब्रुश
17. दस्ती नम्बरिंग मशीन
18. लालटेन
19. हाइपोडर्मिक सुइयां
20. कीट नाशक छिड़कने नथा स्प्रे करने का यंत्र (दस्ती)
21. धुलाई का साबुन
22. चमड़ेकी पादुकाएं (विद्यमान कारखानों के विस्तार तथा निर्यात हेतु कारखानों को छोड़ कर)
23. मशीन शाप की बार्फे
24. धातू चढ़ी स्विचें (30 एम्पा० तक)
25. मशीन के पेच (साके ट हैंडऔर विशे ष किस्मों को छोड़कर)
26. छोटे बल्व (डाकतार के विशेष बल्वों, माइनर्स कैप लैम्प, इलैक्ट्रो मैडीकल एवं प्री फोकस आटोमोबाइल्स को छोड़कर)
   (क) छोटे निर्वात बल्व
   (ख) टार्च के बल्व
   (ग) रेडियो पेनल के बल्व
   (घ) साइकिल या डायनमो के बल्व
   (ण) सजावट के बल्व

27. पेंट और वार्निश–सूखे डिस्टेम्पर, रेड लीड, रैड आक्साइड, अल्यूमीनियम के रोगन, आई०एस०/स्पेशीफिकेशन के विटूमेन-पेंटस, वैगन ब्लैक, ग्रेफाइड पेंट सभी पेस्टपेंट

28. पाम रोजा तेल

29. कागज से बनी वस्तुयें :

(1) नालीदार कागज और गत्ता

(2) कागज और गत्ता: डिब्बे

(3) कागज के थैले

(4) कागज के लिफाफे

(5) कागज की नैपकिन्स/रूमाल

(6) कागज के कप

(7) कागज की प्लेटें

(8) पीने के पाइप/स्ट्रा

(9) कागज की ट्यूब और कोन

(10) नालीदार गत्ते के डिब्बे

(11) गोंददार फीता

(12) मोमिया कागज

(13) नीले नक्शे वाले कागज–सभी प्रकार के

(14) टेलीप्रिंटर के रोल

(15) स्टेंसिल का कागज

(16) टेली-टेप-रोल

(17) कागज का रोल और शीटों में कटाई

(18) पूरे डिब्बे

(19) सेनिटरी टावल

(20) कागज की मंजू, रस्सी, मोटा रस्सा

(21) कागज के फीते

(22) सजावट के कागज

(23) कापियां, फाइल कवर, रजिस्टर आदि

(24) ट्रांसफर के लेबल

(25) बिटुमन चढ़े जलरोधी कागज

(26) गोंद लगे कागज के स्टिकर, लेबल आदि

(27) ट्रेसिंग कागज (उपकरित)

(28) कागज के कोन

(29) कारबन का कागज

30. देवदारु का तेल [संमिश्र (कम्पोट) योजनाओं को छोड़कर]

31. प्लास्टर के बोर्ड

32. **प्लास्टिक से तैयार की हुई चीजें :—**

(1) बोतल ढक्कन, बटन, लैम्पशेड आदि, जो कि कम्प्रसन मोल्डिंग-तकनीक द्वारा बनाये गए हों ।

(2) प्लास्टिक की चादरों, रोडों या गटयूबों से संरचना-तकनीक द्वारा बनायी प्लास्टिक की चीजें (वक्यूम-फॉर्मिंग-तकनीक द्वारा बनाई जाने वाली चीजों को छोड़कर)

(3) पोलीथिलेन फिल्में (10 मि० मी० की मोटाई से कम की फिल्में) और फिल्म से बनने वाली चीजें जैसे कि रंगीन प्रिंटिड फिल्म और थैले ।

(4) ब्लो मोल्डेड कन्टेनर तथा ब्लो मोल्डिंग तकनीक द्वारा बनाई गयी इसी तरह की अन्य चीजें (कुछ बधें बंधायें कार्यों में इस्तेमाल किये जाने वाले पी० वी० सी० कन्टेनरों के स्थान पर प्रयुक्त किये जाने वाले प्लास्टिक के कन्टेनरों को छोड़कर)

(5) संरचना तकनीक या इन्जेक्शन मोल्डिंग द्वारा शीट से बनने वाले चश्मों के फ्रेम

(6) बटनों के लिए पोलिस्टर-शीटों का निर्माण तथा बटन बनाने के लिए इन शीटों की प्रोसेसिंग

33. सभी प्रकार की रिबटें (द्विशाखित सिरेमिक की रिबटों को छोड़कर)

34. रोलिंग शटर

35. छत, फर्श के लिए ग्लेज्ड टायल (10 सें० मी० 10 सें०मी० तथा इससे बड़े आकार के प्लास्टिक सिरेमिक टायलों को छोड़कर)

36. माचिस

37. लोहे का बुरादा

38. छात्रों की खुर्दबीनें समादर्शी

39. सर्जीकल-दस्तानें (प्लास्टिक को छोड़कर)

40. दूरदर्शकों (यंत्रों) के एरियल (रेडियो रिसीवरों के लिए)

41. थर्मामीटर (150 सें० तक के)

42. पानी मापी यंत्र

43. वैल्ड किये हुए तालों की जाली (विद्यमान इकाइयों के विस्तार के लिए छोड़कर)

44. तार और रेशे वाले ब्रुश

45. तार की चीजें—तार की बनी सभी चीजें जैसे कि तार के चौबे (नेल), हौव-नेल, पेनल पिनें, घोड़े की नाल की पिनें

46. लकड़ी के पेंच

47. हाथ से चलने वाली स्टेपलिंग मशीन

48. साइकिल के टायर व ट्यूब

49. बिजली के भौंपू (हार्न)
50. हाइड्रालिकजक (30 टन क्षमता से कम) /द्रवचालित जैक
51. टूथपेस्ट
52. दाब ढलाई (4 कि० ग्रा० तक की)
53. ड्रम तथा बैरल (50 लिटर क्षमता तक की)
54. टीन केडिब्बे–बिना छपे (ओ०टी० एस० के अलावा) 18 लिटर की क्षमता वाले डिब्बे
55. फलेश लाईटटार्च के केस (लकड़ी संरचना)
56. ट्रक की बाडी बनाना (लकड़ी की संरचना)
57. बैटरी सेल टैस्टर
58. कम वोल्टता (के पूर्व विसंवाहक वर्ग सें० मी० तक)
59. कमवोल्टता के विसंवाहक
60. ए०ए०तथा ए० सी० एस० आर० कण्डक्टर (19 तारों वाले नर्मढलाईसे बने) के तार
61. विद्युत सम्प्रेषण लाइन का सामान
62. ग्रीज़ निपल तथाग्रीज गन
63. एक्जोस्ट मफलर
64. जिंक आक्साइड
65. मोटर गाड़ी के पटटे कमानी
66. कुट्टी काटने के ब्लैड
67. पी०वी० सी० तथा वी० आई० आर० तार (घरेलू)
68. बाट
69. सोडियम सिलीकेट
70. वस्त्र तथा चमड़े के सामान के धातु का सामान
71. घरेलू बर्तन (स्टेनलस स्टील के इलावा)
72. स्टील के मापने के टेप
73. काजू के शौल का तेल
74. कमरा शीतक
75. मापने के सूती टेप
76. रबड़ चढ़ा कपड़ा
77. घरेलू बुनाई की मशीन
78. पैराडाइकलोर बेंजोन की गोलियां
79. पोटाशियम सिलीकेट

80. केल्शियमसिलीकेट
81. पट्रोल की टंकी के ढ़क्कन
82. फ्यूएल लाइन
83. बोयरिंगके केस
84. पीछे कीबत्ती की असेम्बली
85. लालबत्तीकी असेम्बली
86. पार्श्विक बत्ती की असेम्बलियां
87. स्पोट लैम्प असेम्बली
88. बल्ब होर्न
89. बसों व ट्रकोंकी सीटें
90. सजावटी फिटिंग
91. पीछे देखने का दर्पण
92. धूप रोधी
93. सनबाइजर
94. सामानकेलिए बैरिएर
95. हवा भरने के पम्प–दस्ती तथा पैर से चलाए जाने वाला
96. एस्ट्रे
97. हब कैप
98. सामने के काचकी साफ करने के वाटू पर
99. बिजली के फ्यूज
100. बिजली के फ्यूज बक्से
101. बेटरी के तार तथा फिटिंग
102. ताड़ियां तथा निपल
103. स्टीपरिंग चक्र
104. हार्न के बटन
105. अर्मेचर टैस्टर
106. बेटरीकेटर्मिनल के लिफटर
107. कण्डंसर्स तथा रेसिस्टेंस टैस्टर
108. फीलर मापी
109. फैंडर स्पून तथा हैमर

यरिराटूल्स

111. रोयर फ्लशर्स

112. सभी प्रकार के पुलर

113. स्पार्कप्लग टेस्टर तथा क्लीनर

114. पेच खोलने वाला/पेंच कस

115. टो-इन गेज

116. टायर वाल्व निकालने के औजार

117. स्टड निकालने का यंत्र

118. ट्यूब कटर

119. फ्लांजिर्स

120. वाल्व लिफ्टर

121. वाल्व बदलने तथा फिर से लगाने काऔजार

122. कैम्बर टैस्टिंग उपस्कर

123. रिंग एक्स्पैण्डर

124. रिंग कम्प्रैसर

125. कृषि उपकरण

i–दस्ती औजार तथा उपकरण

ii–पशु चालित उपकरण

126. 15 अ० श० वाले डीजल इंजन

127. क्लोरीम युक्त पैराथीन मोम

128. वाइसाइक्लिक टयूब के वाल्व

129. वोल्टेज स्टेविलाइजर

130. ड्राइंग तथा गणित उपकरण तथा सर्वेक्षण उपकरण-ओडोलाहर को छोड़कर

131. उच्च घनतावालेपोलिथेलिन मोनो फिलामेंट धागे।

132. उन्नत किस्म को छोडकर तोलने की मशीनें

133. इमर्जेंसी लैम्प

134. बुस्टर्स

135. अग्निरोधक पाइप व फिटिंग (केवल घरेलू उपयोग के लिए तथा भा० मा० सं०) के मानदंडानुकूल

136. आई० एफ० ट्रांसफारमर

137. वायुवर्तक व्यावसायोपयोगी

138. ध्वनि विस्तारकों की एसैम्बली

139. श्रवण यंत्र

140. विद्युत फ्लैशगन

141. सार्वजनिक भाषणों तथा मनोरंजनार्थ ध्वनि वितारण

142. ट्रांजिस्टर हैडर

143. अल्प मूल्यरेडियो रिसीवर (200 रुपये से कम)

144. मिथाइल अल्कोहल आधारित डाइमिथाइल सल्फेट

145. तारयुक्त जाली/जाल (100 रुपये से अधिक)

146. पायरोजोलोन

147. अपकेन्द्रकपंप (10से० मी० 10से० मी० आकार)

148. दुकान की पीसने वाली मशीन

149. वाशर

150. भवन निर्माण की लौह सामग्री

151. वलयित तार

152. वाल्वमेंप्रयुक्तहोने वाली मैकेनिज्म

153. जी०आई० बाल्टियां

154. प्रेशर कुकर

155. वैल्टलैंथिंग

156. पैटीबंधक

157. हाथ यापशुचालित वाहनों की फिटिंग

158. कटलरी

159. दरवाजे के हुक

160. टीन काटने वाले यंत्र

161. घरेलू गैस के उपकरण कुकिंगरेंज पानी गरम करने वालेयंत्र, गर्म प्लेट आदि

162. जिपबंधक (धातु व अधातु के)

163. तेल के स्टोव

164. सेनेटेरी पुर्जे (केवल धातु के)

165. छाते की तीलियां व फिटिंग

166. स्नेपबंधक

167. सेफ्टी पिन तथा ऐसी ही अन्य चीजें तथा पपर पिन, हेयर पिन आदि

168. स्टील का फर्नीचर

169. काण्टेक्ट लैंस

170. प्रवलित सीमेंटकंक्रीट पाइप

171. सेनीटरी नैपकिन

172. डुप्लीकेटिंग मशीन (विशेष प्रकार की मशीनों को छोड़कर)

173. सक्रिप्स

174. ग्रैफाइट कीकुढ़ालियां (300 नंबर तक) तथा सिलीकोन कार्बाइड कुठालियां

175. कार्बन के टुकड़े से बने कार्बन ब्रुश

176. लकड़ी के बरूदे से बने तख्ते

177. काली त्रिपचिपी धारा कुचालक/विसवाहक टेप

178. (अ) 10 अ० श० तक (7 5 क) एकान्तर धारा एकल फेज, तीन फेन स्क्वीरल की विद्युत मोटरें तथा निम्नलिखित को छोड़कर कैज इन्डक्शन मोटर

(1) ज्वाला विरोधी मोटर

(2) कार्य विशेष हेतु अभिकर्स्पिल मोटरें

(3) पोल चैंजिंग मोटर के सामानवेरिएबल स्पीड मोटरें

(4) लूम/वस्त्र निर्माण की मोटरें

(5) हरमैटिकल्ली सील्ड तथा अर्द्ध सील्ड सम्पीडित्र

(ब) एक अ० श० सेकम की मोटरें जैसे 1/8 अ० श० से 1 अ० श० तक

एक धारा० एकल फेज/तीन फेज 10/3 स्कवीरल केज इण्डक्शन मोटर जिनमें निम्नलिखित रहीं हैं।

(1) हस्मोटिकल्ली सील्ड तथा अर्द्ध सील्ड सम्पीडियों के लिए मोटर

(2) ज्वाला रोधी मोटर

(3) लूम तथा वस्त्र निर्माण की मोटरें

179. चाय कीपेटियां—प्लाइवुड

180. कैमलबैक (रीड्रेडिंग के काम आने वाला)

प्रयोगशाला के रसायन एवं प्रतिकारक (सी०पी०एल०आर० एवं ए० आर० ग्रेड)

181. एमोनियम सल्फेट

182. एमोनियम फ्ल्यूराइड

183. एमोनियम कार्बोनेट

184. एंटिमोनी पोटासियन टाटेरेट
185. अल्यूमिनियम सल्फेट
186. अमोनिया का घोल
187. कैडमियम ऐसीटट
188. कैडमियम कार्बोनेट
189. कैडमियम क्लोराइड
190. एन्हीड्रस कैलसियम क्लोराइड
191. क्रोमिक अम्ल
192. कोबाल्ट सल्फेट
193. कोबाल्ट नाइट्रेट
194. क्यूपरिक नाइट्रेट
195. क्यूपरिक सल्फेट
196. डाईमिथाइल सल्फेट
197. फैरस सल्फेट
198. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
199. लैड ऐसीटट
200. लैड नाइट्रेट
201. मैग्नीशियम ट्राइसिलीकेट
202. निकल कार्बोनेट
203. निकल फार्मेट
204. नाइट्रिक अम्ल
205. पोटाशियम नाइट्रेट
206. पोटाशियम क्लोराइड
207. पोटाशियम सिट्रेट
208. पोटाशियम आयोडाइड
209. पोटाशियम सल्फेट
210. सोडियम नाइट्रेट
211. सोडियम आक्सोलेट
212. निर्जलीय सोडियम सल्फेट
213. सिलिका जेल
214. रजख नाइट्रेट

215. सल्फयूरिक अम्ल
216. जिंक आक्साइड
217. ऐसीटिक ऐसीट ग्लैसियल
218. एसिटोन
219. पैमानोफोनोल
220. आइसो ऐमिलऐसीटेट
221. ऐमिल एलकोहल
222. बेंजीन
223. ब्यूटिल एलकोहल
224. क्लोरोफार्म
225. डीइथाइलईथर
226. इथाइल एल्कोहल
227. इथाइल ऐसीटेट
228. आइसोऐमिल एल्कोहल (दूध के परीक्षण के लिए)
229. आइसो प्रोपाईल एल्कोहल
230. मथेनोल
231. पैट्रोलियम ईथर (विभिन्न प्रकार के आसवनों के लिए)
232. पैट्रोलियम ईथर (वर्णलेखन के लिए)
233. ट्राल्युईन
234. नीथल सल्फेट
235. फिटकरी
236. निकल लवण/सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, फार्मेट, एवं इलक्ट्रोप्लेटिंग साल्ट
237. कॉपर लवण/सल्फेट, क्लोराइड, आक्सी-क्लोराइड कार्बोनेट एवं नाइट्रेट
238. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल
239. मग्नीशियमट्राईसिलिकेट सल्फेट
240. पोटाशियमआयोडाइट मैटा बाइसल्फेट
241. सोडियम आयोडाइड, सल्फाइड, क्रोमेट, थायोसायनेट एवं थायोसल्फेट
242. अवक्षेपित सिलिका
243. रबड़ के वल्कनीकरण के लिए गंधक का चूर्ण (अविलेय से भिन्न)
244. केल्शियम क्लोराइड
245. डेरियम लवण/सल्फेट, क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट एवं नाइट्रेट

246. कैडमियम लवण/आक्साइड, साइनाइड सल्फाइडस, नाइट्रेट, फासफेट एवं आयोडाइड

247. जिंक लवण/साइनाइड, क्लोराइड, सल्फेट जिसमें माइक्रोन्यूट्रायन्ट एवं नाइट्रेट शामिल है

रंग सामग्री

248. नील

249. नैफ्थाल्स (ए० एस०,ए०एस०-डी, ए०एस०ई०,ए०एस०-जी०,ए०एस०-एल०सी०, ए० एस०-ए०आर०जी, ए०एस०-बी०एस० इत्यादि ।

250. थैलोसायनाइन्स (नीली व हरी)

251. अभिक्रियाशील रंग (सायन्यूरिक क्लोराइड समूह)

252. पक्केरंगों के बेस

253. सफेदी लाने वाले एजेंट (सूती वस्त्रोंके लिए)

आर्गेनिक रसायन औषधियां एवं औषधियों के अन्तर्वर्ती पदार्थ

254. गिलसरो-फास्फेटस एवं ग्लिसेरोफास्फारिक अम्ल

255. निर्जलीय लैनोलिन

256. पैरा-एमिनो फिनोल

257. पैरासिटेमोल

258. जैन्थेटस

259. थैलेटस डीओ०पी०,डी० बी० पी० डीएमपी०, डीईपी

260. साइट्रेटस एवं नाइट्रेटस टाटरेटस

261. बैंजील क्लोराइड

262. बैंजील बैंजोएट

263. डाइक्लोरोफिनोल

264. एल्किड रेजिन्स

265. फ्यूमेरिक अम्ल

266. टार्टेरिक अम्ल (मेलिक एन्हाइड्राइड से)

267. पोलिस्टर रेजिन्स

268. रोगन ड्रायर्स (नैफथिट्स, ओक्टेट्स, लायनोलोट्स इत्यादि, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक, कैल्शियम इत्यादि के ।)

प्राकृतिक गन्ध तेल

269. समस्त प्राकृतिक सूगंध तेल जिनमें यूकेलिप्टस तेल भी शामिल है ।

प्लास्टिक के उत्पाद

270. प्लास्टिक के रेन कं ोट एवं इसी प्रकार के अन्य सभो वेलडिंग उत्पाद
271. पौली प्रोपलीन की गोबा फिल्म, विधु रीनुमा के अलावा
272. फाइबर-ग्लास प्रबलित प्लास्टिक के उत्पाद
273. पौलीथीन की परत वाले और कागज के उत्पाद–सीधे और सैन्डविचड
274. इन्जीनियरिंग प्लास्टिक की औद्योगिक वस्तुयें
275. दांतों के ब्रुश
276. फाउन्टेन पैन, बाल पाइन्ट पैन और उनके संघटक धातु से बने टिपों के अलावा
277. प्लास्टिक की दबने वाली नली
278. प्लास्टिक के कंघे
279. पी वी सी के पाइप व फिटिंगस जिनमें कंडयूट भी शामिल–100 मी मी व्यास तक के
280. एक्रिलिक शीट
281. पी० बी० सी० यौगिक
282 पौलीप्रोपलीन बाक्स स्ट्रापिंगस
283. पौलीथीलीन एवं पी० बी० सी० के लचीले होज
284. पौलीप्रोफीलीन के मोनो फिलामैंट
285. पौलीस्ट्रीनफोम एवं उस के उत्पाद
286. पोलीरेथेन फोम एवं उसके उत्पाद
287. यू एफ एवं एफ खड र के दबाव से ढाले जाने वाले उत्पाद

रबड़ एवं सम्बन्धित उत्पाद

288. चिपचिपे रबड़ ग्लेटेक्स, की एफ, यू एफ एवं पीवीए पर आधारित
289. रबड़की नली
290. टायर रिट्रीडिंग
291. रबड़ के धागे
292. लटेक्स के उत्पाद गुब बारे शल्यचिकित्सा में काम आने वाले
293. रबड़ ब्लोइंग एजेन्ट-हैक्समीन पर आधारित
294. रबड़ के बने हुए होज एवं रबड़ चढ़े हुए होज पाइप
295. गर्म पानी के थैले और बर्फ की थैलियां
296. माइको सल्यूलर शीट
297. कठोर रबड़ की बैट्री कन्टेनर्स
298. आयल सील्स एवं ओरिन्गस

299. रबड़कीढाल ोहुई वस्तुयें

300. धातु-आबद्ध पुर्जों को रबर

301. पौधों के दूध के झाग और उनसे बनी चीजें

(10). खाद्य और संबद्ध उद्योग

302. मिष्ठान भंडार

303. आइसक्रीम

304. खाद्य-तेल (विलायक-आर्क-तेलों को छोड़कर)

305. सिरका

306. काजूओं से बने स्वादिष्ट पदार्थ

307. अचार और चटनियां

308. पिसे हुए मत्था तैयारशुदा मसाले

309. ग्वाल का गोंद

310. मुर्गा दाना

311. चावल और दाल मिलें

312. बेकरी उत्पाद (बिस कुट /ब्रेड)

(11) फुटविअर, चमड़ा और खेलकूद का सामान

313. वनस्पतियों से पकाई हुई खालें और चर्म (अर्द्ध तैयार)

314. क्रोम, पकी हुई खालें और चर्म (अर्द्ध तैयार)

315. पिकिंगबैंड तलैदर

316. परतदार-चमड़ा

317. साज-चमड़ा (हार्नेस लैदर)

318. खेलकूदों का सामान---जैसे कि क्रिकेट और हाकी की गेंदे, हाकियां और बैडमिंटन की चिड़ियां ।

319. फुटबाल, वालीबाल और बास्केट बालों के कवर

320. चमड़े के पर्स और हैंड बैग

321. चमड़े की फैन्सी चीजें तथा अन्य अनूठी वस्तुएं

322. चमड़े के औद्योगिक दस्ताने

323. चमड़े के सूटकेस तथा अन्य सफरी चीजें

324. छालों से पका हुआ तलों का चमड़ा

325. कटाई और बुनवर चमड़ा
326. भेड़ और बकरी की पतली खालों का लाइनिंग चमड़ा
327. चमड़े के वाशर और फीते
328. चमड़े के बीजक यंत्र (पिकर) तथा अन्य टेक्सटाइल एसेसरीज़
329. खेलों के लिए सुरक्षात्मक-उपस्कर जैसे कि पैड, दस्ताने आदि (मुलायम चमड़े का सामान)
330. चमड़े के केस तथा सभी प्रकार के कवर
331. चमड़े की पौशाकें
332. चमड़े व फोम के जूते

(12). **कागज और लेखन-सामग्री की चीजें**

333. टाइपराइटरों के रिबन
334. स्टाम्प पेपर सहित गोंददार कागज

(13) **हौजरी की चीजें**

335. सूती पट्टियां (काटनवेल्ट्स)
336. बुने हुए सूती और ऊनी शाल
337. कनवास के मोजे (हौज)
338. सूती हौजरी
339. सिले-सिलाए कपड़े
340. खेलों के सभी तरह के नैट
341. ऊनी हौजरी

(14) **कांच और मिट्टी के बर्तन (सिरेमिक्स)**

342. कांच की नलिकाएं (ट्यूब्स)
343. कांच के मनका
344. पत्थर के मर्तबान और चकुंडियां
345. साल्ट ग्लेज्ड सीवर पाइप
346. कमिकल-पोर्सिलेन
347. मुंह से फूंक मारी जाने वाली कांच की चीजें
348. वैज्ञानिक प्रयोग शालाओं के काम आने वाली कांच की चीजें
349. माइक्रो कवर-ग्लास तथा सूक्ष्मदर्शी संयंत्रों की स्लाइडें
350. स्टैन्डर्ड किस्म और आकार की आग्नेय ईंटें और ब्लाक

351. कांच की चूड़ियां

352. पैरिस का प्लास्टर

353. मिट्टी के लोटे (मग) और कटोरे

354. दबाये हुए कांच की चीजें

355. कांच के कलश

356. कांच की छोटी शीशियां (इतर आदि के लिए)

विविध चीजें

357. मोमबतियां

358. सोल करने का वर्तिका (सीलिंग वैक्स)

359. चाक (दर्जी और नक्काशी के काम आने वाले चाकों सहित)

360. मेपथालने की गेंदें

361. कलाकार के रंग (तेल, पानी और मोम पर आधारित)

362. सभी प्रकार के बुश

363. फाउन्टेनपैनों की स्याही

364. फर्श की पालिशें

365. स्टार्च, गोंद और डैक्टरिन पर आधारित चिपकने वाली चीजें

366. बालों के तेल

367. गम पेस्ट

368. जूतों की पालिश

369. लकड़ी की पालिश/फ्रेंच पालिश

370. धातु-पालिश

371. पैन्सिलें

372. दंतमंजन (टूथ पाउडर)

373 सरेस

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

374. घरेलू हाथ से चलने वाले तथा परम्परागत ढंग की सिलाई मशीनें

375. 300 मि० मीटर व्यास तक के बेंच ग्राइन्डर

376: बिजलोक आटा मशीन (यांत्रिक) बलेड का आकार 300 मि० मी०

377. खराद, सूराख करने, चूड़ी डालने की छोटी मशीनें (छोटी, एकल या बहु-संचलन-डिवाइसें)

378. 2000 मि०मी० बैडलैन्थ तक की कोन-पुली से चलन वाली साधारण लेथ मशीन

379. साइकिल के फालतू हिस्से-पुर्जे, फ्री-व्हील के सिवाये सभी हिस्से-पुर्जे

380. बैंड-सा-ब्लेड (लकड़ी के लट्ठों को काटने के लिए)

381. घड़ियां, पेंडलुमदार दीवार घड़ियां—दोनों प्रकार की—स्वतः चलने वाली चाबी द्वारा चलने वाली (लीवरदार घड़ियों को छोड़कर)

382. किंग पिन/शैकल-पिन (आटोमोबाइल-उपयोग)

383. तेल पेरने के कोल्हू (आयल क्रशर) और इसके फालतू पुर्जे

384. कृषि के काम आने वाली मशीनों जैसे कि क्रशर, विनोवर, थ्रैसर आदि में इस्तेमाल किये जाने के लिए लो-स्पीड गियर, (ढलवा लोहा/माइल्ड स्टील के बने हुए तथा गैर-ऊष्मा उपचारित)

385. हाथ से चलने वाले हथौड़े, छैनियां, सेंडसी (स्पाइन्सर), ब्रायर कटर तथा हाथ-गढ़ाई, लोहारा बढ़ईगीरी और ढलाई के काम आने वाले इसी तरह के अन्य औजार

386. नर्म लोहे की 'पाइप फिटिंगस (100 मि० मी० व्यास तक के)

387. नर्म लोहे तथा देगचून के फ्लोज

388. सीझी हुई लकड़ी

389. सिलाई मशीनों के लकड़ी के कवर

390. ए०ए०सी० और ए०सी० एस० आर० कन्डक्टरों के लिए केबल-ड्रम

391. ब्राइट-बार

392. भंडारण के लिए लकड़ी का शैल्व और रैकें

393. एअरकंडीशनिंग—वाहिनी, लोवा अर्स, ग्रिल्स तथा एअरकंडीशनिंग का और शीट फैब्रिकेशन

394. रेडिएटर—ग्रिल्स

395. तागें के पुर्जे (व्हील रिंग)

396. चश्मों के कब्जे (हिन्जेज)

397. हब—आयल कप

398. लकड़ी का फर्नीचर तथा फर्नीचर फिक्चर

399. स्टेनलैस स्टील और अल्यूमीनियम के स्टरलाइजर

400. स्टील की कुर्सियों—मेजों, चारपाइयों, अलमारियों, रैकों और के बिनेटों आदि सहित स्टील का फर्नीचर।

401. अलंकारिक एवं कीमती डायलों को छोड़कर घड़ियों के सामान्य डायल

402. जैवीय और एअरकंडीशनिंग कार्य कलापों के लिए परिशुद्ध फिल्टर

403. 30 टनी तक के यांत्रिक जैक

404. घड़ियों के फीते (चमड़े, पी०वी०सी० और धातु के)

405. कार्बाइड–टिप्पड–टूल्स सिंगल पोइन्ट ब्रेज्ड (निर्माताओं से खरीदे गए कार्बाइड बिट)

406. पेन्सिल शार्पनर

407. यांत्रिक चाबीवाली परम्परागत अलार्म घड़ियां ।

408. 35मि० मी० व्यास तक के नम्य धात्विक पाइप (गैर-दबाव के कार्यों में उपयोग किये जाने वाले)

409. पानी–फिटिंग के लिए कार्क और वाल्व

410. ओवर हैड प्रोजेक्टर तथा सभी अन्य प्रोजेक्टर

411. माइल्ड स्टील के हस्त–शावल

412. कफलिंग, टाई-पिन, पोशाकों के लिए धातु की बटन और बक्कल

413. धातु के दरवाजे और हैंडिल

414. 3घन मीटर क्षमता तक की कन्क्रीट मिलाने की मशीन (मिक्सर)

415. बाइसिकल की चैनें

416. गैस–लाइटर, (यांत्रिक)

417. सिगरेट लाइटर

418. बाइसिकल के ट्यूबों के वाल्व

419. तिपहिया साइकिल, बच्चागाड़ी, इनके कम्पोनेंट और एसेसरीज

420. फोटोग्राफिक इनलार्जर, स्लाइडप्रोजेक्टर तथा ओवर हैड प्रोजैक्टर

421. विद्यार्थियों और यांत्रिक उपयोग में आने वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र

422. सभी किस्म के ताले

423. चावल एवं दाल मिलोंकी मशीनरी

424. सैनिट्री पुर्जे (धातु एवं प्लास्टिक के)

425. चिकित्सालय के फर्नीचर जैसे खाट, मेजें, ट्रालियां, ऊंचे-नीचे किए जा सकने वाले बिस्तरे आदि

426. रंगों की कूचियां

427. ताले, दरवाने एवं हत्थे (स्वचालित गाड़ियों के)

428. वायु दाबक (5अं०श० तक के) जो स्प्रे पेंटिंग व मरम्मत की दुकानों के लिए हों।

429. रंग करने के उपकरण जैसे 'स्प्रे गन' इत्यादि

430. मशीनी औजारों के सहायक पुर्जे :

(क) मशीनी जाबक (ख) "डाग प्लेटें"

(ग) स्टेडीज (घ) शीतक पंप आदि

431. डिजाइन बनाने व ड्राइंग कार्यालयों के लिए ड्राफ्टिंग यंत्र
432. पशु चालित वाहन
433. पीतल के प्रवात नियंत्रक
434. लकड़ी के क्रेट
435. लकड़ी के क्रेट कूड़ा दान
436. गमले
437. जी० आई० स्नान के टब
438. बंदूक के खोल
439. सभी प्रकार के हथठेले
440. हत्थे-लकड़ी व बांस के
441. हाथपंप
442. अपंगों के लिए पहिएदार कुर्सियां
443. कुदाली
444. लालटेन के खंभे व ढांचे
445. सिग्नल की बत्तियां
446. बत्तियों के होल्डर
447. मेनहोल के ढक्कन (ढलवां लोहे के)
448. श्रंखलाओं से बांधना (चेन लैशिंग)
449. डाकघर की तुलाएं
450. हाथपंप
451. रेल प्लेटफार्म की पेयजल ट्रालियां
452. उस्तरे
453. इस्पाती ट्रंक
454. सड़क की बत्तियों के पुर्जे
455. इस्पाती खिड़कियां एवं रोशनदान
456. सोगौन के गोल व चौकोर गढ़े टुकड़े
457. टीन की तश्तरियां
458. तंबू स्तम्भ
459. छत्र छतरियां
460. लकड़ी के प्लग
461. पहिएदार हथगाड़ी

462. तारके खिसकाने योग्य पेंच

463. सिग्नल सीढ़ियां

464. लौहार की भटिटयां

465. मुग्दरतथाए 'चेस्ट एक्सपैंडर'

466. नख कर्तक

467. भेड़ की ऊन कर्तक यंत्र

468. अल्यूमीनियम फर्नीचिर

469. चुराई न जा सकने वालीटोपियां (पि लरूफ)

470. काष्ठनौका--ढांचा निर्माण

471. द्रव स्तर नियंत्रक

472. परिक्रमा गणक (यांत्रिक)

473. कुक्कुटशाला के समस्त उपकरण

474. दुग्धशाला उपकरण

475क. दोहरे केन मिश्रक

476ख. सूक्ष्म सम्प्रेषक

477ग. घूमने वाले शोषक यंत्र

478घ. टोकरीनुमा अपकेन्द्रक (मथानी)

ङ. दुग्धशीतक एवं घृत निकासी उपकरण

च. आर्द्रता शोषक लवा.

छ. मक्खनबिलोने वाले यंत्र

ज. दही बिलोने के यंत्र

झ. विलोड़क

ञ. दुग्धशालाओं हेतु स्टोरेज टैंक

475. बोतल साफ करने के यंत्र

476. पाउचों के लिए थैला भरने वाले यंत्र

477. ग्रेफाइट की प्यालियां (500 रुपये क्षमता तक)

478. कृषियंत्र--चावलव गेहूं औसाने के संयंत्र, भूसी अलग करने, बीज शोधक तथा छिलका उतारने के समस्त प्रकार केयंत्र, ग्रेडर, बीज छेदक, फसल सुखाने वाले यंत्र, रूई डिलिंग यंत्र, भूसी अलग करने, फसल काटने के यंत्रादि--5 बी० एच० पी० मोटरों सहित

इलैक्ट्रानिक्स

479. बैटरी अलग करने वाला

480. व्यवसायिक प्रकार को छोड़कर तार आघात प्रतिरोधक

481. दूरदर्शक एन्टीना

482. रेडियो/कार रेडियो (रु० 250 प्रति तक कम कीमत के)

483. इलैक्ट्रानिक सिगरेट लाइटर

484. इलैक्ट्रानिक अलार्म साधन (अग्नि, सेंध तथा गैस बोधक प्रकार के)

485. प्रयोगशालाओं के काम के लिए नियंत्रित डी०सी० पावर सप्लाई (1 प्रतिशत ओ०ओ० तक नियंत्रण)

486. डिजिटल घड़ियां

487. दूरदर्शन खेल

488. दूरदर्शन टर्नर

489. रेडियो व दूरदर्शन कायल

490. इलैक्ट्रानिक पंखा नियंत्रक

491. मंदक तथा संधि-प्रकाश की स्विचें

492. दूरदर्शन बूस्टर परिवर्द्धक

बैद्युत इंजीनियरिंग

493. एक्हास्ट फेन 460एम०एम० आकार तक

494. धातु चढ़ी स्विचें (100 एम्पर्स तक)/लघुकृत सर्किट ब्रेकर

495. टेबुल फेन

496. एयर ब्रेक आफलोड-आइसोलेटर (11 के०वी० तक) गैंग आपरेटिड

497. करेंट तथा शक्तिगर्मित ट्रांस्फार्मर 11 के०वी० (गृहीत खपत के अतिरिक्त)

498. अगरबत्ती

499. रसरहित बनस्पतियां

500. बत्तीवाला स्टोव

501. खिलौने बनाना

502. पेन होल्डर

503. आफिस पेड

504. पेन की निबें

आरक्षण का वर्ष	आरक्षित उद्योगों की संख्या	सूची में क्रमांक संख्या
1967–68	46	1–46
1969–70	5	47–51
1970–71	73	52–124
1973–74	53	124–177
1976–77	3	178–180
13–12–1977	324	181–504
	योग 504	

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सरकार द्वारा आज एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया गया है। आज इस सत्र का अन्तिम दिन है। सभा को इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने का अवसर नहीं है। यद्यपि इस वक्तव्य में कई स्वागत योग्य बातें है, तथापि सभा का यह दायित्व है कि वह इस नीति वक्तव्य पर ध्यानपूर्वक विचार विमर्श करे। अत: हम जानना चाहते हैं कि इस औद्योगिक नीति वक्तव्य पर विचार करने का सभा को कब अवसर मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले सत्र में।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : समूचा मामला यह है कि सरकार ने यह नीति आज निर्धारित की है। हो सकता है कि इस नीति को अन्तरसत्रावधि में क्रियान्वित किया जाये। सभा को इस पर अगले सत्र में चर्चा करने को कहा जायेगा। परन्तु यह संभव है कि सभा में व्यक्त किये गये विचारों से सरकार को लाभ हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि सभा को इस पर विचार करने का शीघ्रतिशीघ्र अवसर दिया जाये और हो सके तो सभा का सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया जाये।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यद्यपि मंत्री जी ने देश के औद्योगिक विकास को नई दिशा दी है परन्तु क्या सरकार के लिये यह उचित है कि इतना महत्वपूर्ण वक्तव्य सत्र के अन्तिम दिन दिया जाये तथा सभा को उस पर विचार विमर्श करने का अवसर न मिले ?

क्या हमारा कार्य केवल मंत्रियों की घोषणाओं को सुनना मात्र है अथवा हम चर्चा में भाग लेकर सरकार की सहायता कर सकते हैं ?

हम सरकारकी घोषणाओं का स्वागत करते हैं परन्तु हमें उन पर विचार विमर्श करने का अवसर मिलना चाहिए।

इसलिए मैं अध्यक्ष पीठ का मार्गदर्शन चाहता हूं कि क्या इस तरह अन्तिम दिन वक्तव्य देना सही है। ये वक्तव्य पहले दिये जाने चाहिये थे, ताकि हम उन पर विचार कर सकते। हम यहां केवल सुनने मात्र के लिए नहीं हैं ?

श्री आर० वेंकटारमन (मद्रास-दक्षिण) : उद्योग मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान भी मैंने यह निवेदन किया था कि औद्योगिक नीति संकल्प दो अथवा तीन दिन की चर्चा के बाद सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। वह किसी दल का नीति वक्तव्य नहीं था, अपितु समूची सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। इसलिए यदि औद्योगिक नीति संकल्प में परिवर्तन करना है तो सभा में एक औद्योगिक नीति संकल्प लाया जाना चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए अन्यथा केवल एक मंत्री द्वारा यह वक्तव्य देने से कि जनता पार्टी की यह औद्योगिकनीति है, नीति संकल्प को रद्द नहीं किया जा सकता जिसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : यह बड़े खेद की बात है कि यह वक्तव्य अन्तिम दिन दिया गया है, जब कि सभा स्थगत होने वाली है और सभा में चर्चा के लिए कोई औद्योगिक नीति संकल्प नहीं लाया गया है। इस तरह से सभा को इस पर विचार करने का अवसर न देना सभा और जनता का अपमान है। सरकार को सभा का विश्वास मेलेना चाहिए था।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह वक्तव्य देश के अति महत्वपूर्ण हितों से सम्बन्धित है। जब लोकतंत्र की रक्षा अथवा उस में अवरोध पैदा करने के लिए कानूनी व्यवस्था का पूरा करने हेतु विशेष सत्र बुलाये जाते हैं, तो इस औद्योगिकनीति संकल्प पर चर्चा करने के लिए भी तीन, चार अथवा सात दिन का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए।

मैंने एक व्यापक प्रस्ताव दिया था, जिसमें औद्योगिक नीति संकल्प भी शामिल है और जिसे अनियत दिन वाले प्रस्तावों के अन्तर्गत गृहीत किया जा चुका है। इसलिए मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप सरकार से कहें कि इस मामले पर विचार करने के लिए अन्तर सत्रावधि में तीन-चार अथवा सात दिन का समय निकाला जाये, क्योंकि अगला सत्र 19 फरवरी से होगा और इस मामले पर विचार करना जरूरी है।

दूसरे मैं अपने माननीय मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज से यह जानना चाहता हूं कि पोलिस्टर खादी में कौन सा कच्चा माल काम में आता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है।

श्री बीजू पटनायक : यदि सभा निर्णय करती है तो सरकार सत्र की अवधि एक अथवा दो दिन के लिए बढ़ाने को तैयार है।

श्री सी०एम० स्टीफन : सरकार की ओर से हर बार श्री बीजू पटनायक बोलते हैं। सभा की यह परम्परा है कि संसदीय कार्य मंत्री अथवा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अथवा प्रधान मंत्री को यह कहना चाहिए कि सत्र को बढ़ाने के लिए सरकार सहमत है, न कि किसी अन्य मंत्री को।

दूसरी बात यह है कि औद्योगिक नीति संकल्प सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। अतः जब तक दूसरा औद्योगिक नीति संकल्प सभा द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, पहले संकल्प को रद्द नहीं किया जा सकता। सभा के समक्ष कोई संकल्प नहीं लाया गया है। सभा के समक्ष संकल्प लाया जाना चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैंने सभा के समक्ष वक्तव्य दिया है तथा उसी के आधार पर संकल्प तैयार किया जा सकता है। यदि सभा चाहती है तो सत्र बढ़ाया जा सकता है। परन्तु यह कहना सही नहीं है कि जब 1956 का संकल्प मौजूद है, तो अन्य नीति सम्बन्धी वक्तव्य नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 1956 और 1976 के बीच औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में अनेक वक्तव्य दिये गये हैं।

अपाध्यक्ष महोदय : मैंने सब माननीय सदस्यों को सुना है। सभा की यह कार्यवाही संसदीय कार्य मंत्री के पास भेजदी जायेगी और हम देखेंगे कि इस पर शीघ्रता शीघ्र चर्चा कैसे हो सकती है। श्री बरनाला

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न हैं। निदेश 2 (चार) के अधीन मैंने दो विशेषाधिकार प्रस्तावों की सूचनायें दी हैं। मैंने यह भी अनुरोध किया था सम्बन्धित नियम को लम्बित किया जाये, ताकि विशेषाधिकार प्रस्तावों को लिया जा सके। एक प्रस्ताव ब्रिटानिया बिस्कुट फैक्टरी के बारे में दिये गये उत्तर से सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस की जानकारी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा दूसरा प्रस्ताव आपात के दौरान सेंसर लागू किये जाने से सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने जो सूचनायें दी है, के विचाराधीन हैं। आप इस मामले में अध्यक्ष के साथ विचार विमर्श करें तो बेहतर होगा। आपकिसी पर आक्षेप न लगायें, आप की सूचनायें विचाराधीन हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : और कोई प्रश्न नहीं। मैंने श्री बरनाला को बोलने को कहा है। श्री स्टीफन और श्री ज्योतिर्मय बसु जो कुछ कहेंगे उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। श्री बरनाला।

श्री ज्योतिर्मय बसु '*'

गन्ना, गुड़ और खाण्डसारी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE* SUGAR-CANE, GUR AND KHANDSARI

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं गन्ना, गुड़ और खाण्डसारी के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।
*Not recorded

[श्री सुरजीत सिंह बरनाला]

भारत में गन्ना एक महत्वपूर्ण कृषि फसल है। सरकार द्वारा विभिन्न उपाय करने के परिणाम-स्वरूप गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ता रहा है। 1977-78 में गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र के सही-सही आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन अब तक उपलब्ध सूचना से विदित होता है कि गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र जोकि 1976-77 में लगभग 29 लाख हैक्टर था, वह बढ़कर 1977-78 में 31.32 लाख हैक्टर तक पहुंच गया है। इसके तदनुरुप गन्ने की पैदावार लगभग 1650 लाख मीटरी टन होने की आश है जबकि 1976-77 में यह पैदावार लगभग 1540 लाख मीटरी टन थी।

2. कुछ सदस्यों ने इस तथ्य का उल्लेख किया था कि सरकार ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य पिछले वर्ष के स्तर पर बनाए रखा अर्थात 8.50% वसूली पर 8.50 रुपये प्रति क्विंटल न्यूतनम मूल्य तो केवल सांकेतिक मूल्य है जोकि निम्नतम निर्धारित मूल्य के रुप में होता है। भारत सरकार ने घोषणा की है कि राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाएगा कि गन्ना उत्पादकों को फैक्ट्रियों द्वारा लगभग पिछले वर्ष के स्तरपर गन्ने का मूल्य दिया जाए। इस संबंध में कार्यवाही की गई है और संबंधित मुख्य मंत्रियों को लिखा गया है। लेकिन व्यवहार, में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में गन्ने का मूल्य फैक्ट्रियों द्वारा पिछले वर्ष दिए गए मूल्य से मामूली अधिक दिया गया है। अन्य राज्यों में, भी पिछले वर्ष में गन्ना उत्पादकों को जो मूल्य दिया गया है उससे कम मूल्य नहीं दिया जाएगा।

3. फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के मूल्य की बकाया राशि के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है। 1976-77 मौसम के लिए गन्ने की कुल देय मूल्य 590.83 करोड़ रुपये था। इस राशि में से 30-9-77 को 14.48 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। पिछले मौसमों की बकाया राशि 30-9-77 को 7.12 करोड़ रुपये थी। पिछले वर्ष की तुलना में, 1976-77 मौसम के दौरान बकायों के बारे में स्थिति बहुत बेहतर है। सरकार बकायों को कम करने में अत्यधिक दिलचस्पी लेती रही है और यह देखने के लिए राज्य सरकारों के साथ बराबर सम्पर्क बनाए हुए है कि बकायों की राशि कम होकर यथासम्भव कम हो जाए। ये प्रयत्न जारी रहेंगे।

4. चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने की पिराई देर से शुरू करने के बारे में मौसम के आरम्भ में कुछ शिकायतें मिली थीं। इस वर्ष की स्थिति की पिछले वर्ष के साथ तुलना करना ठीक नहीं होगा क्योंकि जल्दी पिराई कार्य शुरू करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उत्पादन शुल्क में कुछेक रिबेट देने की दृष्टि में पिछले वर्ष के दौरान, बहुत सी फैक्ट्रियों ने पिराई कार्य शुरू कर दिया था। इस स्थिति की तुलना 1975-76 की स्थिति के साथ करनी होगी जबकि विशेष उत्पादन शुल्क रिबेट योजना लागू नहीं थी। 1977-78 मौसम में 30 नवम्बर को 184 फैक्ट्रियों ने कार्य आरम्भ कर दिया था जबकि 1975-76 में 146 फैक्ट्रियों ने कार्य आरम्भ किया था। 22 दिसम्बर 1977 को पिछले वर्ष की तुलना में स्थिति बहुत अधिक अच्छी है। 1977-78 के दौरान 257 फैक्ट्रियां कार्य कर रही हैं जबकि 1975-76 में 251 फैक्ट्रियां और 1976-77 के दौरान 235 फैक्ट्रियां कार्य कर रही थीं।

5. आम तौर पर, उत्पादित गन्ने का केवल लगभग 35 प्रतिशत ही चीनी फैक्ट्रियों द्वारा चीनी तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ज्यादातर गन्ना गुड़ और खंडसारी के निर्माण में प्रयोग होता है। इस वर्ष गन्ने की अधिक उपलब्धता होने से यह आशा की जाती है कि चीनी फैक्ट्रियों

द्वारा इस पैदावार का अधिकतर भाग प्रयोग करने के बाद भी गुड़ और खंडसारी बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में गन्ना उपलब्ध होगा। गुड़ और खंडसारी की अधिक उपलब्धता के परिणामस्वरूप और सरकार द्वारा निर्मित लेवी चीनी का अधिक वितरण करने के फलस्वरूप गुड़ के मूल्य अनुचित कम स्तर तक गिर रहे है। यह स्थिति खासकर उत्तर प्रदेश में विषम दिखायी देती है। सरकार को मालूम है कि यदि गुड़ के लिए उपयुक्त दाम सुनिश्चित नहीं किए जाते है तो बहुत अधिक संख्या में गन्ना उत्पादक प्रभावित होंग। सरकार गन्ना उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करेगी और यथा-आवश्यक उपयुक्त उपचारी उपाय करेगी।

6. यहभी मांग रही है कि खंडसारी पर उत्पादन शुल्क की दर में कमी की जानी चाहिए। यह दर 17–1/2 प्रतिशत मूल्यानुसार है लेकिन बहुत अधिक संख्या में खंडसारी यूनिट कमपाउन्ड लेवी देते है और जैसाकि खंडसारी उद्योग के अभ्यावेदन में दिया गया है, प्रति क्विंटल औसत भार लगभग 20 रुपये बैठता है। खुले बाजार में सल्फीटेशन खंडसारी के मूल्य लेवी मुक्त चीनी के मूल्यों के साथ सामान्यतया तुलात्मक होते है। उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न मंडियों में सल्फीटेशन खंडसारी के मूल्य 22–12–1977 को 300 रुपये से 350 रुपये के बीच चल रहे है। यह अनुमान लगाया गया है कि सल्फीटेशन खंडसारी और लेवी मुक्त चीनी के मूल्यों के बीच पर्याप्त अन्तर को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त लाभ और 20 रुपये प्रति क्विंटल के उत्पादन शुल्क के औसत भार समेत सल्फीटेशन खंडसारी के उत्पाद की लागत के संदर्भ में 300 रुपये से 325 रुपये प्रति क्विन्टल का बाजार भाव उनके लिए उत्साहवर्धक होगा। इस समय लेवी मुक्त चीनी जिस भाव पर बिक रही है उससे सल्फीटेशन खंडसारी के मूल्य ऊपर लिखित स्तर के आस-पास होने चाहिएं। तथापि, सरकार स्थिति पर निगरानी रखेगी और यदि लेवी मुक्त चीनी के दाम और गिरते हैं और जिससे खंडसारी के दाम इक्नामिक स्तर से नीचे चले जाते हैं, तो सरकार इस मामले पर विचार करेगी और यथाआवश्यक उपाय करेगी।

श्री के० लकप्पा : इसे परिचालित किया जाए।

Dr. L. N. Pandey: Whatever has been stated by the hon. Minister in his statement is not based on facts and is incorrect. The State Governments are not giving even the minimum price to the growers.

श्री के० सूर्यनारायण: यह वक्तव्य परिचालित किया जाना चाहिए, क्योंकि आज इस विषय पर चर्चा होनी है।

काफी बोर्ड के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. COFFEE BOARD

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० बंग) : मैं काफी बोर्ड से सम्बन्धित कतिपय मामलों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। 14 दिसम्बर, 1977 को श्री के० लकप्पा ने काफी बोर्ड से संबंधित मामलों पर कुछ आरोप लगाए थे। इन आरोपों की जांच की गई है और वास्तविक स्थिति इस प्रकार है:—

प्रत्येक फसल मौसम के दौरान काफी के उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। हां काफी का सम्पूर्ण अनुमानित उत्पादन काफी बोर्ड को नहीं दिया जाता।

[श्री आरिफ बेग]

काफी अधिनियम के अन्तर्गत उपजकर्त्ताओं को घरेलू प्रयोग और बीज के लिए काफी की कुछ मात्रा अपने पास रखने की अनुमति है। गैर परम्परागत क्षेत्रों में आसाम जैसे कुछ राज्यों को, जहां काफी की खेती हाल ही में शुरू हुई है, बोर्ड के पूल में काफी देने से छूट मिली हुई है। काफी की ऐसी बहुत सी छोटी जोतों को भी जो संबंधित राज्य सरकारों के पास अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं यह छूट है कि वे पूल के लिए अपनी काफी न दें। इन सब बातों से अनुमानित उत्पादन और पूल के लिए प्राप्त काफी की वास्तविक मात्रा के बीच प्रत्येक वर्ष कुछ अन्तर रह जाता है। यह अन्तर आम तौर पर फसल मौसम में दो हजार में टन के लगभग रहता है।

1974-75 में अन्तिम रूप से अनुमानित काफी का उत्पादन 92506 मे० टन था । अन्तिम लेखे के अनुसार पूल के लिए वास्तविक प्राप्ति 91330 मे० टन हुई। पूल के लिए प्राप्त सम्पूर्ण मात्रा का काफी बोर्ड द्वारा अच्छी तरह से हिसाब लगा लिया गया है तथा प्राप्त हुई और निपटायी गयी मात्रा का मिलान कर लिया गया है और उस साल के लेखे आडिट द्वारा विधिवत् रूप में देखे जाने के बाद आवश्यक प्रमाणीकरण के लिए उनको भेज दिये गये हैं। पूल में प्राप्त काफी के संबंध से चोरी की कोई संभावना नहीं है क्योंकि उसे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों की भी देख-रेख में माल गोदामों में रखा जाता है। इसके अलावा, जो हजारों उपजकर्त्ता हर साल पूल के लिए अपनी काफी देते हैं उन्हें भुगतान कर दिया गया है और कोई भी दावा लम्बित नहीं है। अतः इस प्रकार के आरोप के लिये कोई आधार नहीं है कि काफी की कुछ मात्रा निकाल दी गई थी।

जहां तक बंगलौर स्थित डिपों में से एक डिपो के बारे में आरोप का संबंध है, काफी बोर्ड ने स्वयं 1974-75 को समाप्त होने वाले 4 वर्षों के डिपों के लेखों में कतिपय अनियमितताएं देखी थीं। अन्तर्ग्रस्त वास्तविक मात्रा, यदि कोई है, तथा अनियमितता की प्रकृति जांच पूरी होने के बाद जिसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है निश्चित की जाएगी।

काफी बोर्ड सेवा शर्तों, जिनमें भर्ती तथा पदोन्नति नीतियां शामिल हैं, भारत सरकार की नीति तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की गई है। वास्तव में, काफी बोर्ड केन्द्रीय सरकार के नियमों एवं विनियमों का कठोरता से अनुसरण करता है।

काफी बोर्ड के विपणन संबंधी कार्यकलाप घरेलू वितरण तथा निर्यात दोनों के लिए बिल्कुल सुस्थापित है। कीमत संबंधी नीतियां ठीक तरह से तैयार की गई हैं। तथा उनकी समीक्षा बराबर कानूनी तथा अन्य विशेष समितियों द्वारा की जाती है जिनमें उत्पादकों की प्रधानता रहती है निर्यात योग्य अधिशेष की बिक्री सरकारी निर्यात नीलामियों के जरिए की जाती है जहां प्रचलित निर्यात कीमतें निर्धारित होती हैं। बोर्ड द्वारा सीधे निर्यात की जाने वाली काफी की कीमतें निर्यात नीलामियों में निर्धारित कीमतों पर आधारित होती हैं। अतः जो कीमतें पूल को प्राप्त होती हैं, वे पुर्णतः सुस्थापित क्रियविधियों द्वारा संरक्षित तथा सुरक्षित है और निर्यात एवं आयात सदनों के साथ किसी प्रकार के गठजोड़ की संभावना नहीं है, जैसा कि आरोप है।

काफी बोर्ड के कार्यों का प्रबन्ध एक कानूनी निकाय तथा उसकी कानूनी समितियों द्वारा किया जाता है जिनमें संसद् के दोनों सहित सभी संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि होते हैं। बोर्ड अच्छा कार्य कर रहा है जिससे सभी सम्बद्ध हित सन्तुष्ट हैं तथा इसने भविष्य में काफी उद्योग के समुचित विकास के लिए भी पर्याप्त कदम उठाये हैं।

निदेश 115 के अधीन वक्तव्य

STATEMENT UNDER DIRECTION 115

केरल को वित्तीय सहायता

श्री सी० एम० स्टीफन: 24 नवम्बर को कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह ने लोक सभा में एक वक्तव्य दिया था कि केवल सरकार ने केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है। मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य निम्न कारणों से गलत है :—

(1) केरल के गृहमंत्री 21 नवम्बर को मध्याह्नपश्चात् 2 बजे प्रधान मंत्री से मिले थे और केरल में तूफान की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय सहायता के लिए विशिष्ट अनुरोध किया था।

(2) 23 नवम्बर को तार द्वारा सन्देश भेजा गया जो शाम के 4 बजे प्रधान मंत्री सचिवालय में प्राप्त हुआ था जिसमें यह उल्लेख था कि केरल में तूफान से लगभग 10 करोड़ रुपय की क्षति होने का अनुमान लगाया गया था और उसके तत्काल वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया गया था।

(3) प्रधान मंत्री को भेजे गए तार की प्रति, जो 23-11-1977 को टेलीप्रिन्टर सन्देश के द्वारा नई दिल्ली स्थित केरल निवास में प्राप्त हुई थी प्रधान मंत्री सचिवालय में भेजी गई थी। उपरोक्त सन्देश केरल के मुख्य मंत्री द्वारा भारत के प्रधान मंत्री को भेजे गये थे। [ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी०—1507/77]

दक्षिण के राज्यों के कई तटीय क्षेत्रों में हाल में आये समुद्री तूफान सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केरल की वित्तीय सहायता के बारे में वक्तव्य

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : मेरे आदरणीय मित्र, श्री सी० एम० स्टीफन ने कहा है कि दक्षिण में हाल ही में आये हुए समुद्री तूफान के सम्बन्ध में 24 नवम्बर, 1977 को इस सदन में विचार-विमर्श करते हुए मैंने यह कहा था कि केरल सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। श्री स्टीफन ने सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यह विवरण वास्तविकता पर आधारित नहीं था। अपने कथन की पुष्टि में उन्होंने यह बताया है कि 21 नवम्बर, 1977 को दोपहर 2 बजे केरल के उस समय के गृह मंत्री, प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने उनसे वित्तीय सहायता के लिए विशेष प्रार्थना की थी। इससे आगे उन्होंने यह कहा है कि 23 नवम्बर, 1977 को बेतार संदेश के द्वारा तुरन्त वित्तीय सहायता दिये जाने के लिये एक विशेष प्रार्थना की गयी थी, जोकि प्रधान मंत्री को 23 नवम्बर, 1977 को मिल चुकी है और उसी दिन एक टेलीप्रिन्टर संदेश, जो कि प्रधान मंत्री को भेजे गये बेतार संदेश की यथार्थ प्रति थी, प्रधान मंत्री के कार्यालय को भेजा गया था।

[श्री भानु प्रताप सिंह]

महोदय,

जब श्री स्टीफन ने विशेषाधिकार उल्लघंन का आपको इस आधार पर एक नोटिस दिया कि मैंने इस सदन को उक्त वर्णित वक्तव्य द्वारा जानबूझ कर भ्रम में डालने की कोशिश की, तब मेरे मंत्रालय ने उन परिस्थितियों के बारे में एक विस्तृत स्पष्टीकरण दिया, जिनमें मैंने उक्त वक्तव्य दिया था उस वक्तव्य के देते समय मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि उस समय तक उस राज्य सरकार से मेरे मंत्रालय में किसी केन्द्रीय सहायता के लिए विशेषरूप से प्रार्थना करते हुए कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ था मैं केरल सरकार के विशेष सचिव (राजस्व विभाग) द्वारा 22-11-77 को टेलिप्रिंटर संदेश की प्रति, जो केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्रालय के अपर सचिव को भेजी गई थी और केरल के मुख्य मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को 23-11-77 को उस टेलिप्रिंटर संदेश की प्रति सदन में रख रहा हूं जो दिल्ली में केरल सरकार के विशेष प्रतिनिधि के कार्यालय मे हमें भेजी गई थी ।

कुछ भ्रम पैदा हो गया है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि केरल के मुख्य मंत्री ने 23-11-77 के अपने बेतार संदेश में, जिसकी प्रतिटेलिप्रिंटर पर भी की गयी. प्लान से पृथक तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सहायता मांगी थी तथा दिल्ली में स्थित केरल हाउस के विशेष प्रतिनिधि के कार्यालय से इस मंत्रालय को भेजे गये टेलिप्रिंटर संदेश की प्रति में केन्द्रीय सहायता की मांग वाले अन्तिम पैरा के स्थान पर यह वाक्य लिखा था कि "इस राज्य सरकार को इस विषय पर अब तक कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गयी है।" 23-11-77 केटेलेक्स संदेशकी एकप्रतिभी, जो प्रधान मंत्री के कार्यालय से 26-11-77 को प्राप्त हुईथी अर्थात् मेरे उक्त वक्तव्य देने के बाद, सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

अध्यक्ष जी ने नई दिल्ली में केरल सरकार के विशेष प्रतिनिधि से हमें प्राप्त उस संदेश की प्रति में, जोकि मुख्य मंत्री से प्रधान मंत्री को भेजा गया था और जो प्रति प्रधान मंत्री के कार्यालय से प्राप्त हुई है, इनदोनों में महत्वपूर्ण अन्तर देखने की कृपाकी थी । इससे यह पता चलता है कि 24-11-77 को जब मैंने उक्त वक्तव्य दिया था, उस समय तक केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रार्थना मेरे या मेरे मंत्रालय के नोटिस में नहीं आयी थी । अभी तक यह मेरे लिए एक रहस्य की बात बनी हुई है कि नई दिल्ली स्थित केरल सरकार के विशेष प्रतिनिधि ने एक ही टेलीप्रिंटर संदेश के दो पृथक रूपान्तर, एक मेरे मंत्रालय को और दूसरा प्रधान मंत्री के कार्यालय को क्यों भेजे थे । महोदय, उक्त आधार पर और न्यायमूर्ति के रूप में अपने ज्ञान और अनुभव की पृष्ठभूमि के आधार पर 7-12-1977 को आदरणीय सदस्य को लोक-सभा में कार्यविधि के नियमों और कार्य संचालन (Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha) के नियम 222 के अन्तर्गत इस सदन में विशेषाधिकार के उल्लंघन सम्बन्धी प्रश्न उठाने के लिए अपनी अनुमति न देने की कृपा की थी ।

जहां तक 21-11-1977 को केरल के गृह मंत्री और प्रधान मंत्री की बैठक का सम्बन्ध है, अभी तक इस बैठक के बारे में या उनके विचार विमर्श में क्या निर्णय लिए गये, उनकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन : कृषि राज्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । यह मामला केरल सरकार और भारत सरकार के बीच है । इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं है ।निर्णय स्पष्ट है । फिर भी मंत्री महोदय ने सदन और देश को यह जानकारी दी है कि केरल सरकार ने भारत सरकार से वित्तीय सहायता की मांग नहीं की जबकि केरल के मुख्य मंत्री

ने प्रधान मंत्री को लिखा था जिसे केरल सरकार की ओर से भारत सरकार को पत्र व्यवहार समझा जाना चाहिये जिसमें वित्तीय सहायता के लिए विशेष अनुरोध किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या केरल सरकार ने विशेष अनुरोध के द्वारा और प्रधान मंत्री को तार द्वारा केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिए अनुरोध किया था।

नियम 115 के अधीन नोटिस दिए जाने के बाद क्या सम्बद्ध मंत्री का यह कर्त्तव्य नहीं हो जाता है कि वह प्रधान मंत्री से इसकी जांच करे कि क्या तथ्यों का वक्तव्य सही है या नहीं? वैयक्तिक अभ्यावेदन और पत्र द्वारा मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से यह अनुरोध किया था?

श्री भानु प्रताप सिंह : जैसाकि मैंने पहले भी स्पष्ट किया है और मैं अब फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि प्रधान मंत्री को केरल के मुख्य मंत्री द्वारा भेजा गया वायरलैस सन्देश प्राप्त हुआ। उसी सन्देश की एक टेलीप्रिंटर प्रति प्रधान मंत्री के कार्यालय तथा मेरे मंत्रालय को भेजी गई लेकिन दोनों प्रतियों में काफी अन्तर था। यदि जांच की आवश्यकता पड़ी तो इस बात की अवश्य जांच की जानी चाहिए कि केरल सरकार के विशेष प्रतिनिधि ने दो पृथक रूपान्तर एक मेरे मंत्रालय को और दूसरा प्रधान मंत्री के कार्यालय को क्यों भेजे। शायद इसीलिए प्रधान मंत्री के कार्यालय ने यह सूचना मुझे भेजनी आवश्यक नहीं समझी क्योंकि उन्हें पता था कि यह सन्देश मेरे मंत्रालय को भी दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः इस सम्बन्ध में हम नियम 115 के अन्तर्गत चर्चा नहीं कर सकते।

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : श्री यशपाल कपूर ने मेरे विरुद्ध कुछ निराधार आरोप लगाए हैं इसलिए मैं नियम 357 के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे रहा हूं।

मैंने श्री यशपाल कपूर के बारे में आय कर सम्बन्धी रिपोर्ट की प्रतिलिपि सभा सटल पर रखी है। श्री यशपाल कपूर ने राज्य सभा में कुछ निराधार आरोप लगाए हैं। उन्होंने दिल्ली की नागरिक परिषद् के विरुद्ध भी आरोप लगाए हैं जिसका कि मैं प्रधान हूं।

मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि नागरिक परिषद् गैर-राजनीतिक संगठन नहीं है और यह गत 15 वर्षों से 'रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज' अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है। इसके हिसाब का लेखापरीक्षण हर वर्ष किया जाता है। गत 12 वर्षों से परिषद् प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर को सरदार पटेल जयन्ती मनाने के लिए एक समिति को नियुक्त करती है। विभिन्न वर्षों में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महामहिम राष्ट्रपति करते रहे हैं। इस वर्ष इसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की और इस समारोह को लालकिले में मनाया गया। इस समारोह समिति के संयोजक स्वर्गीय श्री प्रकाशवीर शास्त्री थे और पश्चिमी बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल श्री धर्मवीर इसके अध्यक्ष थे। श्री यशपाल कपूर का यह आरोप भी गलत है कि परिषद् पंजीकृत नहीं है। यह भी गलत है कि परिषद् ने हाल ही में विज्ञापनों द्वारा 2 लाख रुपया एकत्रित किया है। जो भी राशि इकट्ठी की गई थी वह अधिक नहीं थी।

[श्री कंवर लाल गुप्त]

मैं गत 35 वर्षों से आयकर दे रहा हूं और कोई बेनामी मकान और सम्पत्ति मेरे ..म से नहीं है। मैंने अपनी आय के सारे साधन आयकर विभाग को बता दिए हैं।

मेरी जानकारी के अनुसार पिछली सरकार ने मेरे और नागरिक परिषद् के विरुद्ध जांच करवाई थी। उन्हें कुछ भी आपत्तिजनक प्राप्त नहीं हुआ। मैं अपने विरुद्ध कोई भी जांच हो उसका स्वागत करूंगा। यदि श्री कपूर में कोई साहस है तो यह सब आरोप सदन से बाहर मेरे विरुद्ध लगायें ताकि उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

CODEOF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर): मैं नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको नियम 377 के अन्तर्गत कोई भी मामला उठाने की अनुमति दी गई है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने तीन दिन पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी। अध्यक्ष महोदय ने मुझे उसे पढ़ने की अनुमति दी है। वह बाद में इस पर विचार करेंगे। मैं आपकी अनुमति से इसे पढ़ रहा हूं।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया नियम 222 देखिए. . . (**व्यवधान**) इस नियम के अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् सम्बद्ध सदस्य विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में छोटा सा वक्तव्य देता है। अतः वक्तव्य तभी दिया जा सकता है जबकि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें और वह अवस्था अभी आई नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह वक्तव्य नहीं दे रहे वह तो केवल मामला उठा रहे हैं।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली): निश्चय ही इस मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि भविष्य में भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। आप यह निर्णय दें कि भविष्य में भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैंने गृह मंत्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया था। अध्यक्ष महोदय ने मुझे अपने कक्ष में बुलाकर कहा जब तक मैं अनुमति न दूं आप यह मामला सभा में उठा नहीं सकते। मैं सहमत हो गया। अब श्री कंवर लाल यह मामला कैसे उठा रहे हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल): मैं श्री चरण सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दंड संहिता प्रक्रिया 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ:—

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री चन्द्रप्पन आप इसका विरोध कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन का सूची में पहला नाम है ।....(व्यवधान)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानौर): मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं। जनता पार्टी आंसुका के उपबन्धों को दण्ड प्रक्रिया संहिता में रखना चाहती है। जब हम कह रहे हैं कि हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं तो आप यों कहिए कि हम आंसुका के निरसन का विरोध कर रहे हैं... (**व्यवधान**) जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लोगों को कहा था कि वे लोगों के मन से भय दूर कर देंगे । प्रधान मंत्री ने यह बात कई बार कही है। आप दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के नाम पर वही उपबन्ध रखे जा रहे हैं जो कि आंसुका में थे।... (**व्यवधान**) जनता पार्टी ने आंसुका को समाप्त करने का बचन भी दिया था। खंड 2 के अन्तर्गत इस संशोधी विधेयक में यह भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक को बिना मुकद्दमा चलाए जेल में डाला जा सकता है। आंसुका में भी यही उपबन्ध था। देसवासियों तथा विश्व को पता चलना चाहिए कि जो कानून पहले थे जनता सरकार वही कुछ अप्रत्यक्ष रूप से कर रही हैं। इससे जनता पार्टी का सही रूप सामने आता है। आप लोगों को मुकद्दमा चलाए बिना जेलों में डालना चाहते हैं;

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :अभी तो इसे पुरःस्थापित किया जा रहा है। चर्चा करने की तो कोई बात ही नहीं है।

श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला (खंडवा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि प्रस्तावित विधेयक संसद् की विधायी क्षमता के बाहर है केवल तभी इसका विरोध किया जा सकता है। इस समय लम्बे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्री चरण सिंह को यहां उपस्थित होना चाहिए था।

श्री बीजू पटनायक : सरकार के प्रतिनिधि यहां हैं ।...(**व्यवधान**)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: यह कठोर कानून सूची में उनके नाम पर है। मुझे आशा है कि इस देश की लोकतांत्रिक भावना इस प्रकार के कठोर विधान का विरोध करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें इस पर चर्चा आरम्भ करनी चाहिए। श्री ज्योतिर्मय बसु अपना भाषण करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैंने इसकी सूचना कल दे दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है मैं सूची में लिखित नामों के अनुसार बुलाऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह गैर कानूनी कानून पेश करके गृह मंत्री ने देश की जनता के साथ न्याय नहीं किया। जिस कानून से छुटकारा पाने के लिए देस-

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

वासियों ने अथक प्रयास किया तथा तानाशाही से लड़े आज उसी तहर का कानून पेश किया गया है । सरकार ऐसा करके लोगों का विश्वास खो रही है । उन्होंने लोगों को जो वचन दिए थे, उनसे वे पीछे हट रहे हैं। उनका एक वायदा आंसुका को समाप्त करना था। सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा करना था तथा काले कानूनों को समाप्त करना था। किन्तु अब वे अप्रत्यक्ष रूप से वही बातें दंड प्रक्रिया संहिता में रख रहे हैं ।

1947 से देश में नजरबन्द कानून चल रहा था किन्तु गरीबीहटानेके नाम पर श्रीमती इन्दिरा गांधी सता में आई और उन्होंने नागरिक स्वतन्त्रता छीन ली । तथा कई प्रकार के काले कानून बानए।

अनिवार्य नजरबन्दी कानून विधिके विरुद्ध है । यह सरकार भी पुराने और निरर्थक तर्क देकर यह कह रही है कि उन्होंने विधि तथा व्यवस्था को स्थापित करना है और मूल्य वृद्धि को रोकना है ।

उनका प्रशासन इतना कमजोर है तथा देश के कानून इतने निष्प्रभावी हैं कि वह मूल्य वृद्धि को नहीं रोक स के हैं। अब वे एक काले कानून को दंड प्रक्रिया संहिता में घुसेड़ रहे हैं । इस विधयक के कुछ खंड तो आंसुका से भी अधिक कठोर हैं। सरकार लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है यही हमारी आपत्ति है। हमारी आपत्ति सिद्धान्त की है ।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : इस विधेयक के दो भाग हैं । इस विधेयक का बड़ा भाग आंसुका के निरसन के बारे में है और इसके लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने देशवासियों तथा इस संदन को दिए गए वचन को पूरा किया है। विपक्ष के लोगों का विचार है कि इस विधेयक के दूसरे भाग में गम्भीर भ्रांतियां हैं । जनता पार्टी के पास तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देने का समुचित समय नहीं था । अर्थात् क्या बाकी के उपबन्ध आवश्यक हैं, क्या उस घृणित विधान से, जिसका हम निरसन करना चाहते हैं कम आपत्तिजनक है और क्या उपबन्धों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है ?

यदि गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री यह आश्वासन देंगे कि इस समय इस विधेयक का विरोध न रोका जाये और बाद में इस पर विस्तृत रूप से विचार किया जायेगा, केवल तभी हम इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध नहीं करेंगे । अन्यथा हम इसका कड़ा विरोध करेंगे ।

श्री एन० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : यह विधेयक, जिसका उद्देश्य आंसुका का निरसन करना है, उससे भी अधिक कठोर है। वास्तव में इसे एक नए अध्याय के रूप में दंड प्रक्रिया संहितामेंस्थायी रूप से रखा जा रहा है। आप यह कहने का साहस क्यों नहीं करते कि आंसुका आवश्यक है। यदि आप आंसुका का प्रयोग करके देश में शासन चलाना चाहते हैं तो फिर ऐसा कहिए । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ऐसा ही किया था किन्तु वह असफल रहीं । आप जानते हैं कि आंसुका तथा आपात स्थिति का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया था । जनता ने आपको अपना समर्थन इसलिए नहीं दिया है कि आप श्रीमती इन्दिरा गांधी की बातों को दोहरायें । इसलिए आप इस तरह का कठोर विधान पेश न करें ।

श्री ओ० वी० अलगेशन (अर्कोनम) : समझ में नहीं आता कि सचिवालय द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाईजा रही है। जबनिश्चित समयावधि के लिए आपको सभी नाम दिए गए हैं तो फिर आप को किसी प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक सदस्यों के पुकारने का सम्बन्ध है, इस बारे में मैं सही प्रक्रिया अपना रहा हूं। तिथियों के कारण श्री सोमनाथ चटर्जी के बारे में गलती हो गई। अन्यथा आपको शिकायत करने का कोई कारण नहीं है। जो सदस्य अपना नाम देते हैं, उन्हें बुलाने में मैं पूर्ण उदारता दिखाता हूं । इस तरह की शिकायतें नहीं की जानी चाहिए ।

श्री ओ० वी० अलगेशन: चुनावों के समय जनता पार्टी ने लोगों को आश्वासन दिया था कि यदि वे सत्ता में आ गए तो वे आंसुका का निरसन कर देंगे। किन्तु यह विधान पेश करके वे जनता का विश्वास खो रहे हैं। इतना ही नहीं अप्रैल से अक्तूबर के दौरान उन्होंने पांच सौ से अधिक लोगों को आंसुका के अन्तर्गत नजरबन्द किया है। यह बात दूसरे सदन में एक प्रश्न के उत्तर में कही गई है। अतः उन्होंने आंसुका को समाप्त करने की बजाये उसी का उपयोग करके लोगों की स्वतंत्रता को छीना है।

दूसरी बात यह है कि नजरबन्द निवारक विधान 1950 में अधिनियमित किया गया था और इसका उपयोग असाधारण मामलों को निपटाने के लिए किया जाता था। किन्तु जनता सरकार इसे सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता का एक भाग बना रही है ।

हम इस विधान का विरोध करते हैं। इसमें आंसुका को समाप्त करने का उपबन्ध है किन्तु ऐसाकरते हुएइस विधेयक में उन्हीं बातों या उपबन्धों की व्यवस्था की जा रही है। इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के पीछे मेरी यही मुख्य आपत्ति है ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का कट्टर विरोध करता हूं। उन्होंने जनता को वचन दिया था कि आंसुका का निरसन कर दिया जायेगा किन्तु वे तो इसे जारी रखरहेहैं। वेइस विधेयक के द्वारा यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किन्तु वास्तव में वे आंसुका को दूसरूपे में पेश कर रहे हैं। यह विधान अधिक खतरनाक तथा हानिकारक है। क्योंकि इसमें जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस आयुक्त को शक्ति दी गई है कि वह भारत की सुरक्षा के विरुद्ध कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो यह जनता तथा लोकतंत्र के हितों के विरुद्ध होगा। कोई भी लोकतांत्रिक आन्दोलन सत्ता को पलटने की कार्यवाही समझा जा सकता है। इससे हमारे देश की नागरिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा।

इस मूल सिद्धान्त पर हम इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कानून न हो जिसके अन्तर्गत बिना मुकदमा चलाए किसी को नजरबन्द कर दिया जाये। यह एक काला कानून है। आशा है कि जनता पार्टी के सदस्य भी इसका विरोध करेंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: (सीरमपुर): मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का कड़ा विरोध करता हूं। जो कुछ पूर्व वक्ताओं ने कहा है, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता। ऐसा विधेयक पेश

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

किया जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाए बिना उसे नजरबन्द नहीं किया जाना चाहिए । यह विधेयक गैर-लोकतांत्रिक तथा राष्ट्र-विरोधी है और जनता पार्टी ने लोगों को जो आश्वासन दिए हैं, उनके विरुद्ध है । वे जनता को दिए गए वचनों के विरुद्ध जा रहे हैं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : मुझे आशा नहीं थी कि इस तरह का विधान पेश किया जायेगा ।

जनता सरकार में मेरा जो विश्वास था, वह आज कुछ कम हो गया है क्योंकि एक ओर तो वे कह रहे हैं कि आंसुका का निरसन किया जायेगा और दूसरी ओर वे इस तरह का विधान पेश कर रहे हैं । हम आंसुका का पूरी तरह विरोध करते हैं । यह विधेयक आंसुका से भी अधिक कठोर है । आप आंसुका तथा आपात स्थिति के उपबन्धों को संरक्षण देना चाहते हैं, जिनका कि हम सबने आपात स्थिति के दौरान विरोध किया था । मैं इसका विरोध करता हूं। दिखने में यह विधेयक साधारण सा लगता है। मेरा जनता सरकार से अनुरोध है कि वह इस पर पुनर्विचार करे। नहीं तो लोग समझेंगे कि जनता सरकार अपने वचनों को नहीं निभा रही है । आप यह मत भूलिए कि नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ही जनता ने आप लोगों को सत्तारूढ़ किया है. . . (**व्यवधान**) कांग्रेस के सदस्यों को जो कुछ कहते हैं तथा करते हैं, करने दीजिए। हम सदैव से कठोर विधानों का विरोध करते आये हैं ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । गृह मंत्री ने कहा है कि इसका उद्देश्य आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करना है। इस तरह का विधेयक में एक भी उपबन्ध है । इसका उद्देश्य कार्मिक संघों के नेताओं तथा प्रत्येक औचित्यपूर्ण राजनीतिक आन्दोलन को दबाना है । वही भाषा है, वही शब्दावली है । केवल 10 सप्ताहों के स्थान पर 8 सप्ताह किया गया है । खण्ड 3 तक तो वही बातें हैं । हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है--(**व्यवधान**)

श्री एस० डी० पाटिल : विधेयक का विरोध करने वाले माननीय सदस्यों को जो भ्रांति हुई है, मैं उसे समझ सकता हूं । हम जानते हैं कि आंसुका एक काला कानून है। और हम इसका निरसन करके अपना वचन निभा रहे हैं । हमने आंसुका का निरसन कर दिया है । --(**व्यवधान**) मैं इस विधेयक की विशेषताएं बताता हूं और यह भी बताता हूं कि आंसुका तथा इसमें कितना अन्तर है ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

दसवां प्रतिवेदन

श्री के० मायातेवर : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 10वें प्रतिवेदन से, जो 22 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया

था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:—"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 10वें प्रतिवेदन से, जो 22 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अर्थ व्यवस्था में सुधार करने और आय की असमानतायें दूर करने आदि के लिये कदम उठाने के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE*: STEPS TO IMPROVE ECONOMY AND TO REDUCE INEQUALITIES OF INCOME, ETC.

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री कंवर लाल गुप्त के संकल्प पर, जो उन्होंने 9 दिसम्बर, 1977 को पेश किया था, चर्चा होगी । श्री गुप्त ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Contd.): Sir, my motion is not confined to the idology of any political party or group but it is a motion for solving a major problem of the country—a problem in which whole of the country is involved. So I think no Member will oppose this motion.

Senior Members of this House will recall that it was as back as in September, 1963 when Mr. Lohia claimed on the floor of this very House that the average daily income of 21 crore people in India is three and half annas. To day 62 crore people of this country are not earning more than 25 paisa per day. There are such people in the country who are not the Member of any Union or who by no way come under the category of organised labour. Who will raise the voice of such people. There is lot of poverty in our country. Leaving aside the posh hotels of big cities, a glimpse of which may for a short while give an impression of India's prosperity there are states like Mizoram, Nagaland and Madhya Pradesh where people do not get clothes even to cover their body.

[श्री धीरेन्द्र बसु पीठासीन हुए]

[SHRI DHIRENDRA BOSU *in the Chair*]

There have no houses to live, no clothes to wear. It is correct that our Constitution provides for political equality but alongwith this political equality we will have to bring in economic equality also. So long economic equality is not brought in the country, the stability of democracy will be in danger. I am not in favour of strikes but so long economic disparity is there, these will continue. It should be ensured that essential commodities will be made available to the 40 crore people of the country within next 4 or 5 years.

[Shri Kanwar Lal Gupta]

On several occasions it has been stated by the Government that adequate provision is being made for making drinking water available to these people, several rationing shops are being opened but the people for whom I am raising this voice are least benefited by these measures. These are actually the people who are not highlighted even by newspapers. They die of starvation but nobody knows about them.

I do not want to bring in any politics on this issue I disagree that Janata Party cannot tender any satisfactory explanation because it came into power just 9 months back. The main responsibility for this lies with the Government which ruled the country for 30 years without any interruption. So I do not want to have an explanation from Janta Party but I simply want to know from them what they are to do? What are the plans of the Government for the uplift of poverty sticken, residents of tribal and hilly areas? I do not mind if Government comes forward with a comprehensive plan for uplifting the living standard of such people and for that purpose more taxes are levied by the Government. The country already had Five Year Plans. A sum of Rs. 25 crores has already been spent on these plans but the fact remains that poor is becoming poorer and rich is becoming richer. So inview of the past experience, my submission is that that Janta Government should re-examine the whole issue and draw fresh plans. Some positive steps should be taken for uplifting the down-trodden.

The Janata Government is committed for providing employment to the unemployed people in the country. My submission is that phase-wise programme should be made for the same. Our Minister of Industries has come forward with a dynamic industrial policy for which he deserves congratulations. I wish this policy should be properly implemented. The Janata Government is also committed for removal of disparities in the country. The party is also committed for the removal of right to property. So until and unless this is done, there cannot be any substantial improvement in the plight of 20 crore people.

At the outset I stated that my motion is not confined to any political party or any particular Government. It is my strong conviction that until and unless the people themselves are vigilant, until and unless the traders and industrialists realise the sufferings of their fellow human beings, nothing can be achieved. So we will have to create proper atmosphere in the country for this purpose. More and more voluntary organisations should be involved in this work. A provision for special taxes for the uplift of these people should be made. If we put an end to disparities in the country, the dreams of Gandhiji will come true. We must put an end to disparities for stability of the democracy.

सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ: "कि यह सभा देश की अर्थ व्यवस्था में सुधार करने, आय, धन तथा व्यक्तिगत खर्च की असमानताओं को कम करने के लिए सरकार से कारगर कदम उठाने के लिए आग्रह करती है ।"

कुछ संशोधन प्रस्तुत किए जाने हैं ।

श्री श्याम सुन्दर दास : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री गौरी शंकर राय : मैं अपना संशोधन संख्या प्रस्तुत करता हूं ।

Shri S. S. Dass (Sitamarhi): Sir, I support the sentiments expressed by Shri Gupta and there cannot be any two opinions about his motion. But by my amendment I simply want to bring to light the reasons for which previous Government could not do anything for the down-trodden people despite its four Five Year Plans. The main reason is that our planning was defective. The poor became poorer and the rich became richer. So our planning must be at par with our requirements for which we must have proper priorities. India is a country of villages and agriculture is its backbone. So appropriate steps must be taken for the uplift of agricultural labourers and farmers. A balance should be maintained between the price of agricultural commodities and manufactured articles. The Government should make all these things clear in its industrial policy which is yet to be declared. The price of agricultural commodities is always on decrease with increase in production which the prices of other commodities is on increase The agricultural labour has been divided into two groups. It has been the approach of the ruling party to exploit the poor labourers in the country for their own selfish ends. They adopted the policy of divide and rule. There has been a dominance of urban people on the politics in the country. The urban people have always tried to exploit the poor agriculturists. But now the time has come when the Government will have to give all possible facilities for the development of cottage and after industries. So my submission is that this motion is a right step in the right direction and it should be accepted with amendments.

Shri Gauri Shankar Rai (Ghazipur): Sir, I want to add a very minor amendment to the motion tabled by Shri Gupta. I simply want that inplace of last words, wealth and personal consumption" the words "pay, wealth and fix a ceiling on the expenditure" be added. I am not going to raise any fundamental questions into it. Without indulging into the main principles of socialism, I simply want to add that a sincere effort must be made to decrease the difference between income and wages. The vast disparity between the wages and income must be brought down to the minimum. While providing any more facilities to higher affairs or Members of Parliament, we must take into consideration the poor people also so that disparity between the rich and poor may not increase. The Government should spell out a clear national wage policy and the maximum and minimum wages should also be determined. We often talk of ceiling the income but I am at a loss to understand the logic behind the idea of putting a ceiling on expenditure. Our Finance Minister is a very experienced man but can he spell out any mechanism with which ceiling can be experienced on expenditure?

It has been stated time and again in the House that the industrial houses in the country have increased in the last 30 years. How the questions before this Government should be how to check the operations of these Houses. I think there is need for changing their entire way of functioning.

Lastly I may once again submit that all these things should be looked afresh. We must develop a scientific approach towards them and there must be a national policy along with clear relation between maximum and minimum wages.

Shri Harikesh Bahadur (Gorakhpur): I fully support the motion tabled by Shri Gupta. There is lot of disparity between the income and expenditure in our country. It is strange that poor is becoming poorer and rich is turning richer in the country. There are crores of people who fail to make both ends meet and live much below the poverty line. So long as such a state of affairs continues in the country there cannot be peace and nor there can be stability.

[Shri Harikesh Bahadur]

I am of the view that equal opportunities must be provided to all. There must be a ceiling on expenditure as well as on income. With these words, I support the motion of Shri Gupta.

वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : श्रीमान जी प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार देश की अर्थ-व्यवस्था सुधारने, आय की असमानता को कम करने तथा निजी प्रयोग के लिए धन के उपयोग की सीमा निर्धारित करे । मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके बारे में सदन का कोई भी सदस्य असहमत नहीं हो सकता । जहां तक देश की अर्थ-व्यवस्था का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि हमें देश की अर्थ-व्यवस्था का विकास कुछ इस ढंग से करना चाहिए जिससे कि इन सभी उद्देश्यों को पूरा किया जा सके ।

मैं इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो भी कदम उठाये गए हैं, उनमें उसे काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है । परन्तु देश के समक्ष जो गरीबी की जटिल समस्या है उसका शीघ्र ही समाधान कर पाना सम्भव नहीं है । यह समस्या देश में गत दो दशकों से निरन्तर पनपती आ रही है तथा इसे कारगर ढंग से हल करने के लिए कुछ समय तो लगेगा ही । हम देश में हो रहे विकास की ओर पहले से कहीं अधिक ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इसका मुख्य दारोमदार इसी पर है । हमने प्राथमिकताओं का निर्धारण पुनः करना आरम्भ कर दिया है । यद्यपि 1978 से 1983 तक की पांचवीं योजना योजना आयोग का पुनर्गठन करके तैयार की जा रही है । यह एक सर्वविदित सत्य है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था बहुत ही गलत ढंग से चलती रही है । हमने योजना आयोग को नये निदेश दे दिए हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

वर्ष 1978–79 की सभी राज्य योजनाओं को इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के कार्य को शीघ्र करना होगा । हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होते रहेंगे । गरीबी को समाप्त करने के लिए हमे लोगों को उपयुक्त रोजगार उपलब्ध करवाना होगा । उत्पादन कार्य म अधिक से अधिक लोगों को लगान से इस दिशा में काफी सफलता प्राप्त हो सकती है ..... सिंचाई के महत्व को समझते हुये इस पर अधिक धन व्यय किया जा रहा है । कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है । आगामी पांच वर्षों में और 170 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने का प्रस्ताव है । आय तथा मजूरी पर विचार करने केलिए हमने एक अध्ययन दल नियुक्त किया है ताकि राष्ट्रीय वेतन नीति तय की जा सके । इस सम्बन्ध में असंगतियों को समाप्त करना होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अन्य कार्य लेंगे ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि अर्थ-व्यवस्था को सुधारने तथा आय आदिकी असमानता को कम करने के लिए कार्यवाही के बारे में संकल्प पर जो श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा 9 दिसम्बर, 1977 को पेश किया गया था, पर आगे चर्चा अगले सत्र में गैर-सरकारी

सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत अगले दिन के लिए स्थगित की जाये और नियम 30 के उपनियम (1) के उपबन्धों और नियम 29 के परन्तुक को, जहां तक वे इस संकल्प पर लागू होते हैं, निलम्बित किया जाये जिससे कि संकल्प कार्य-सूची में बिना बैलट के पहली मद के रूप में रखा जा सके।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अर्थ-व्यवस्था को सुधारने तथा आय आदि की असमानता को कम करने के लिए कार्यवाही के बारे में संकल्प पर जो श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा 9 दिसम्बर, 1977 को पेश किया गया था, पर आगे चर्चा अगले सत्र में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत अगले दिन के लिये स्थगित की जाये और नियम 30 के उपनियम (1) के उपबन्धों और नियम 29 के परन्तुक को, जहां तक वे इस संकल्प पर लागू होते हैं, निलम्बित किया जाये जिससे कि संकल्प कार्य-सूची में बिना बैलट के पहली मद के रूप में रखा जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान निरसन (42वां संशोधन) अधिनियम का निरसन और 'मीसा' के वापस लिये जाने के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE*: REPEAL OF CONSTITUTION (FORTY-SECOND AMENDMENT) ACT AND WITHDRAWAL OF MISA.

श्री समर गुह (कन्टाई): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम का, जो संसद् द्वारा आपातस्थिति के दौरान वस्तुतः परवशता की दयनीय स्थिति में पास किया गया था और जिसका उद्देश्य भारत के लोगों की प्रजातांत्रिक स्वतन्त्रता को षड़यंत्रकारी ढंग से पंगु बनाना और भारत के संविधान के मूल उद्देश्यों का खुला उल्लंघन करके देश में अर्द्ध-निरंकुश शासन कायम करने के अपवित्र प्रयास द्वारा कानून की सर्वोच्चताके आधारभूत सिद्धान्त को खंडित करना था, तुरन्त निरसन करके गत लोक सभा चुनाव के ऐतिहासिक अवसर पर जनता से की गई अपनी पावन प्रतिज्ञा पूरी करे और यह भी सिफारिश करती है कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम को तुरन्त वापस लिया जाए, जिसका हमारे प्रजातन्त्र के उपरोक्त काले दिनों के दौरान जनता की सर्वोच्च इच्छा की अवज्ञा करके भूतपूर्व प्रधान मंत्री की वैयक्तिक तानाशाही की रक्षा करने के प्रयोजन से लोगों का दमन करने और उन्हें कुचलने के मुख्य हथियार के रूप में अत्याचारपूर्ण ढंग से प्रयोग किया गया था ।"

स्थगन प्रस्ताव–जारी

ADJOURNMENT MOTION—*contd.*

उत्तर प्रदेश और बिहार के हाल ही के उपचुनावों में हरिजनोंऔर अन्य मतदाताओं को संरक्षण देने और चुनावों में बड़े पैमाने पर की गईहेराफेरी को रोकनेमें सरकार की कथित असफलता—जारी

श्री बालायर रवि (चिरयिंकील): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा अब स्थगित हो ।"

इस देश में लोकतन्त्र की भावना को समाप्त करने के प्रयास आरम्भ हो चुके हैं । मताधिकार का प्रयोग देश के नागरिकों का मूल अधिकार है । अधिकारियों से संरक्षण प्राप्त कर कुछ व्यक्ति यदि लोगों को मतदान करने से रोकते हैं तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए भयावह और दुःख की बात है। यह बात उन दो निर्वाचन क्षेत्रों में हुई है जहां दो मुख्य मंत्री चुनाव लड़ रहे थे ।

सरकार लोगों को और विशेष रूप से हरिजनों, आदिवासियों और दुर्बल वर्ग को जो मतदान करना चाहते थे संरक्षण देने में असफल रही है । और भी दुखपूर्ण बात यह है कि लोगों के एक ग्रुप ने एकत्र होकर कुछ मतदान केन्द्रों पर कब्जा कर लिया । यह ठीक है कि जनता पार्टी का भाग्य इन दो उपचुनावों पर टिका हुआ था । इसलिए उन्हें हर कीमत पर इन्हें जीतना था । उन्होंने लोकतन्त्र की परवाह नहीं की और उन्होंने दिखा दिया कि वे कैसे जीत सकते हैं ।

फूलपरास निर्वाचन क्षेत्र में 1,10,000 मतदाता हैं । इस चुनाव में 94,000 मत पड़े जो कि एक रिकार्ड है । मुख्य मंत्री 62,000 मतों से विजयी हुए । जून, 1977 चुनाव के में भी यादव वहां से 62 प्रतिशत मत प्राप्त करके 54,000 मतों से जीते थे । लोक सभा चुनाव और उसके 3 माह बाद हुए विधान सभा चुनाव में पड़े मतों की तुलना में यह दिलचस्प है । लोक सभा चुनावों के दौरान बिहार में कुल 60 प्रतिशत लोगों ने मत डाले और विधान सभा चुनाव में 50.27 प्रतिशत लोगों ने इस अधिकार का प्रयोग किया । लोक सभा के लिए जनता पार्टी अपने व्यापक प्रचार के बावजूद 65 प्रतिशत मत प्राप्त कर सकी । विधान सभा के चुनाव में तो उसे केवल 42 प्रतिशत मत ही मिले। इस तरह स्थिति बड़ी स्पष्ट है ।

प्रमुख समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि जनता पार्टी के विधायक निर्वाचन क्षेत्र में रहे । समूची राज्य सरकार अपने मुख्य मंत्री को जिताने में लगी थी । सभी मंत्री वहां थे, जिससे अनुमान लगा सकते हैं कि अधिकारी कितने आतंकित रहे होंगे ।

हमारे कांग्रेसी नेताओं, भूतपूर्व विधायकों आदि को मतदान केन्द्रों के निकट नहीं आने दिया गया । सरकारी मोटर गाड़ियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया ।

हमने चुनाव आयोग के प्रतिनिधि को वहां भेजने की मांग रखी परन्तु यह मांग मानी नहीं गई । इस प्रकार चुनाव आयोग ने अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं निभाया ।

सरकार की नीति यह है कि हरिजनों और कमजोर वर्गों को दबाया जाये । बिहार के बेलछी स्थान पर जो कुछ हुआ, हरिजन उसे कभी नहीं भूल सकते । इन लोगों को अब मतदान में भाग नहीं लेने दिया गया ।

इस सम्बन्ध में जो अखबारों में छपा है, उसे मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं आपके द्वारा जनता पार्टी के नेताओं, विशेषकर गृह मंत्री, से अपील करता हूं कि वे इन बातों की जांच हेतु एक संसदीय समिति का गठन क रें। उन्हें संसदीय समिति द्वारा जांच का भय क्यों है ?

चुनाव में इस प्रकार की निर्लज्ज गड़बड़ी का यह पहला अवसर है। प्रजातन्त्र की हत्या की गयी है। यदि ऐसा कुछ चलता रहा तो यह प्रजातंत्र के लिये घातक है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थगन प्रस्ताव पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा अब स्थगित होती है ।"

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : प्रस्तावक ने कहा है कि फूलपरास निर्वाचन क्षेत्र में 92 प्रतिशत मतदान हुआ। उन्होंने यह बात तब नहीं कही जब आठ या नौ राज्यों में उनका सफाया हो गया। क्या किसी अन्य देश में ऐसा हुआ है जैसा कि बिहार में हुआ। 54 स्थानों में से उन्हें एक भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के 85 स्थानों में से उन्होंने एक स्थान में भी सफलता प्राप्त नहीं की। देश में उन्होंने जो भी अत्याचार किए और लोगों को दबाया इसके फलस्वरूप उनका यह परिणाम हुआ ।

शायद ही किसी देश में ऐसा हुआ हो कि देश का प्रधान मंत्री इस बु री तरह से हारा हो। उनके समस्त साथी हार गये। क्या जनता की इससे अधिक विजय हो सकती थी ?

श्री कर्पूरी ठाकुर, जो अब 60,000 से अधिक मतों से जीते हैं, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से कभी नहीं पराजित हुये। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उनकी जाति के लोगों की संख्या कुछ सौ से अधिक नहीं। फिर भी श्री ठाकुर हमेशा विजयी रहे। जातिवाद और उस समय की सरकार की सभी शक्तियों के विरुद्ध वह सदैव जीते हैं ।

क्या इस बात को सब स्वीकार नहीं करते कि श्री राम नरेश यादव के व्यक्तित्व में हमें असंदिग्ध निष्ठावान व्यक्ति मिला है। कांग्रेस को यह भी हैरानी थी कि पिछड़ी जाति का व्यक्ति देश के सब से बड़े राज्य का मुख्य मंत्री बना है। वह दो बार शानदार बहुमत से जीते हैं। अबकी बार तो उन्हें 32,000 का अच्छा बहुमत मिला। कांग्रेस तो जातिवाद और साम्प्रदायिकता को भी उभार रही थी। जो उन्होंने श्री यादव के निर्वाचन क्षेत्र में किया है उन्हें उस के लिये अपने कार्यों पर शर्म आनी चहि ये। फिर भी लोगों को बधाई है कि उन्होंने जिन बुरी शक्तियों को उभारा था, उन की हार हो गई है ।

कहा गया है कि फूलपरास तथा अन्य क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों पर कब्जा किया गया। निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित किया था कि चुनावों के दौरान किसी भी अधिकारी का तबादला न हो। यह भी उन्होंने सुनिश्चित किया कि न केवल राज्य सरकार बल्कि निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक भी इन निर्वाचन क्षेत्रों में हों ।

पिछले चुनावों के बाद मैं ने सभा को बताया था कि कैसे तत्कालीन सरकार ने लोक सभा चुनावों के दौरान उनके क्षेत्र में 100 केन्द्रों पर कब्जा करवाया था। फिर भी मैं विजयी रहा ।

[श्री श्याम नन्दन मिश्र]

सोन्पुर के एक क्षेत्र बेगासराय में चार बन्दूकधारी डिउटी पर थे। फिर भी बदमाश वहां से बक्सें उठा कर ले गये। इन बदमाशों को तत्कालीन सरकार ने ही रखा था ऐसा हमारे शासनकाल के दौरान नहीं हुआ।

1975 में विभिन्न दलोंने एकमत से चुनाव सुधारों की बात कही थी उस समय कांग्रेस उनसे सहमत क्यों नहीं हुई ? हम सुधार चाहते थे ताकि बिल्कुल भी हेरा-फेरी न हो सके।

मेरे विचार से कांग्रेस जनों में न्यायालय में जाने का साहस नहीं है। वही उचित स्थान है जहां फैसला हो सकता है। चुनाव कराने के बारे में सभा ने कई अधिनियम पास किये हैं। यदि उनका उल्लंघन हुआ तो उन्हें न्यायालय में जाना चाहिये अन्यथा उन्होंने आज जो कहा है भविष्य में उसके लिये उन्हें पछताना होगा क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पिछले 28 या 30 वर्षों में ऐसा अस्वस्थ कार्य नहीं किया गया।

मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इसका अधिक विरोध करने की जरूरत भी नहीं वह तो पहले ही अधिक समर्थन नहीं प्राप्त कर सका।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव का उद्देश्य उन बातों का उल्लेख करना है जिनके बारे में दोनों ओर के लोकतंत्र प्रिय लोगों को बैठ कर चर्चा करनी चाहिये।

जब जोर-शोर से यह शिकायत हो कि चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं तो जिम्मेदार दल विशेषकर सत्ताधारी दल को उसओर ध्यान देना चाहिये। हम में से कोई भी चुनाव क्षेत्र में मौजूद न था। अतः मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह सकता कि गड़बड़ी हुई है। मैं तो केवल स्थिति सम्बन्धी तथ्यों का पता लगाकर और वहां की सम्भावना का अनुमान लगाकर ही आरोप की सत्यता का पता चला सकता हूं।

श्री मिश्र ने कहा कि उनके चुनाव के दौरान गड़बड़ी हुई थी कि जिसका अर्थ हुआ कि गड़बड़ी हो सकती है। पश्चिम बंगाल से कुछ मित्रों ने भी बताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में हेरा-फेरी हुई थी। यदि हेरा-फेरी सम्भव है और ऐसे आरोप लगाए गए हैं तो यह भारतीय संसद के सामने प्रश्न पैदा होता है कि क्या देश में लोकतंत्र सुरक्षित है।

यदि लोक सभा चुनावों से तुलना की जाये तो पता लगेगा कि जनता पार्टी के लिए कुल मतदाताओं की संख्या घट कर 60 प्रतिशत रह गई। लोक सभा के लिए उन्हें 65 प्रतिशत मत मिले और बिहार की विधान सभा के लिए उन्हें केवल 42 प्रतिशत मत ही मिल पाये। उत्तर प्रदेश में भी लोक सभा के लिए 68 प्रतिशत मतों के मुकाबले उन्हें विधान सभा के लिए 48 प्रतिशत मत मिले। उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में 20 प्रतिशत और बिहार के सम्बन्ध में 23 प्रतिशत मतों की कमी हुई। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एक निर्वाचित क्षेत्र में 91 प्रतिशत तक मत पड़े। ऐसे मामलों में तो हम वहां के वातावरण को ही प्रमाण मान सकते हैं। आरोप को देखते हुए और यह देख कर कि हेरा-फेरी सम्भव है सरकार को जांच करानी चाहिये कि ऐसा हुआ है या नहीं।

हरिजनों और पिछड़े लोगों को पता है कि उन्हें मतदान करने से रोका जाता है और रोका गया है। यदि यही धारणा रही तो लोकतंत्र के लिए यह उचित नहीं। अतः सरकार को जांच करानी चाहिये।

स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य पवित्र है। यह केवल राजनीतिक दांव नहीं। इसका उद्देश्य तो उन बातों की ओर सभा का ध्यान दिलाना है जो निराशाजनक हैं, उन घटनाओं की ओर आकर्षित करना है जिनके प्रति हम लोकतन्त्र प्रिय लोग को सचेत रहना हैं। क्योंकि विपक्ष ने और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ वर्गों ने आरोप लगाए हैं इसलिए सरकार को जांच करानी चाहिएकि क्या ये आरोप सत्य हैं? यदि ऐसा न किया गया तो यह तर्क दिया जा सकता है कि आरोप सत्य है। हम सभी को लोकतन्त्र की रक्षा के लिए एकजूट होकर प्रयास करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी(जादवपुर) : इस स्थगनप्रस्ताव का उद्देश्य वह नहीं है जिस काम के लिए यह लाया गया है, वरन इसका उद्देश्य लोगों की नजरों से गिरने को रोकना है। इन लोगों को हेरा फेरी की शिकायत करने का कोई नैतिक अथवा राजनीतिक अधिकार नहीं है। 1972 के चुनावों में पश्चिम बंगाल में इस देश में लोकतंत्र का हत्या करने का सबसे बड़ा षड़यंत्र किया गया। उस चुनाव के दौरान श्री ज्योति बसुके निर्वाचन क्षेत्र में यह कह कर सभी मतदान केन्द्र बन्द कर दिए गए कि तीन घंटे में ही शत प्रतिशत मतदान हो चुका है। श्री ज्योति बसु ने किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से अब तक कोई चुनाव नहीं हारा था तथा उनकी जीत निश्चित थी। श्रीमती गांधी की सरकार कीहेरा-फेरी की यह एकबड़ी उपलब्धि थी। उस समय इन लोगों ने एक भी शब्द नहीं कहा। यह मिथ्याचार के अलावा और कुछ नहीं है।

लोगों ने अपना फैसला देदिया है। कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया गया है। आशा है दक्षिणी राज्यों के हमारे भाईयों ने जो दुर्भाग्यपूर्ण भूल की थी उसे शीघ्र ही सुधारेंगे और कांग्रेस का निशान इस देश के मानचित्र से मिट जाएगा क्योंकि वे अत्याचार और सभी प्रकार की बुराईयों के कारण है।

जहां तक चुनावों में हेरा-फेरी की सम्भावना की बात है श्री जगन्नाथराव निर्वाचन सुधार समिति के चैयरमैन थे, जिसमें सभी दलों के सदस्य थे। अनेकों निर्वाचन विधियों के सम्बन्ध में सर्वसम्मत से सिफारिशें की गई थीं। परन्तु समिति के प्रतिवेदन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और अब वे निर्वाचन नियमों में सुधार की मांग करते हैं।

यदि देश में किसी निर्वाचन क्षेत्र के किसी एकव्यक्ति को भी स्वतन्त्रता से मतदान करने से रोका जाता है तो निर्वाचन आयोग इसकी छान बीन करे। चुनाव याचिका के मामले पर निर्णय देने के लिए अन्य संस्थायें हैं।इ स स्थगन प्रस्ताव में न तो कोई तथ्य है और न कोई औचित्य। यह एक राजनीतिक चाल है।

Shri Gauri Shankar Rai (Ghazipur): I am happy to note that my hon. friends opposite including Shri Stephen have come down on the ground and are now

[Shri Gauri Shankar Rai]

talking of facts, although it amount to the devil quoting scriptures . In the beginning it appeared that a bombshell is coming and grave charges would be brought up but it has petered out to be not even a small cracker.

I am surprised at their charge of rigging at the polls when in the State like U.P. and Bihar, a non-Brahmin and persons other than high castes have been elected and that too with big margin. To top it all they did not belong to the Congress who was never humbled at the polls in these areas so far.

I would like to tell the Leader of the Opposition here that for the first time in thirty Years Ministers fought and won the elections on their own, without the crutches of Government funds and machinery. He also knows that today our Prime Minister and other Ministers do not go out with that fanfare which was part and parcel of their way of daily life. They should have appreciated it in the right spirit.

Morality, integrity and truth have emerged in our public life today in the present changed circumstances. This very awakeing has allowed this adjournment motion to be accepted but I am sorry to say that this privilege has been grossly misused. Let the Congress Party form a committee of their own and go to Phulparas and other constituencies where Scheduled Castes people have been allegedly denied to caste their votes and see the condition for themselves.

I have no doubt that the House will reject this motion as it deserves.

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : लोगों के मन में यह चिन्ता है कि कहीं न कहीं कुछ कमी अवश्य है । जिन राज्यों में सत्तारुढ़ दल शासन कर रहा है, वहां किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले चुनाव में उस दल द्वारा गड़बड़ी किए जाने की पूरी संभावना है ।

अक्तूबर के महीने में केरल में काजकुट्टम निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हुआ, जहां कि वर्तमान मुख्य मंत्री ने चुनाव लड़ा । वहां प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक भेजे गए ताकि चुनाव निष्पक्ष तथा स्वतंत्र रूप से हो । इस तरह वहां चुनाव सही ढंग से हुआ और किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई । जिन राज्यों में यह सरकार राज्य कर रही है कम से कम वहां यह उनका नैतिक, वैधानिक और राजनीतिक कर्त्तव्य है कि चुनावों में कोई शिकायत न हो । यह सुनिश्चिति करना सरकार का कर्त्तव्य है कि वास्तविक मतदाता निर्भीकता से मतदान कर सकें । अपनी राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक सत्ता के बल पर वे विशाल बहुमत बना सकें । जहां सत्ताधारी दल के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हों, वहा इस प्रकार के अनुचित तरीकों को अपनाने के लिए कोई स्थान नहीं है। यह कोई तर्क नहीं है कि यदि पहले हेरा फेरी हुई है तो उसे अब भी सहन किया जा सकता है । निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव देश तथा लोकतंत्र के लिए लाभदायक होता है ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : इस स्थगन प्रस्ताव में चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग तथा हेराफेरी की बात उठाई गई है । जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वे चुनावों में हेराफेरी कर सकते है । सत्ता में ऐसे आदमियों के होने पर और क्या आशा की जा सकती है, जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में कभी भी हरिजनों को मतदान न करने दिया गया हो । ऐसे लोगों के रहते हुए और क्या उम्मीद की जा सकती है ।

हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड, कलकत्ता, के दिनांक 26 जनवरी, 1968 के अंक में समाचार है कि श्री चरणसिंह के विरुद्ध श्री राज नारायण ने आरोप लगाया है । मैं इसे पढ़ कर सुनाता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल स्थगन प्रस्ताव पर ही बोलिए ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

(MR. SPEAKER *in the Chair.*)

श्री दशोर अहमद (फतेहपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री साठे समाचार पत्र के उद्धरण को पढ़कर श्री चरण सिंह के बारे में कह रहे हैं । उन्हें स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं करना चाहिए ।

The Health and Family Welfare Minister (Shri Raj Narain): I rise on a point of order. Can Mr. Sathe read out certain extracts from the news-papers about myself here in the House? (*Interruption*) I seek your ruling. Until and unless the truthfulness of the news is established, it cannot be quoted here—(*Interruption*), whatever has been published in the newspaper is totally wrong.

श्री वसन्त साठे : जब तक आपके बीच श्री चरणसिंह तथा श्री राज नारायण जैसे व्यक्ति हैं, तब तक चुनावों में गड़बड़ी तथा हेराफेरी होती रहेगी। मैं पुनः उद्धरण देता हूं। इस में कहा गया है कि श्री राज नारायण ने आरोप लगाया कि मुख्य मंत्री श्री चरणसिंह ने बहुत सा पैसा जमा किया, जो उन्होंने सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया ।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी भी समाचार पत्र का उद्धरण नहीं दे सकते हैं ।

श्री वसन्त साठे : श्री राज नारायण के कहे अनुसार जब तक श्री चरणसिंह जैसे भ्रष्ट व्यक्ति है .....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह बात रिकार्ड में मत रखिये .....(**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे नियम 380 के अन्तर्गत रिकार्ड से निकाला जा सकता है, यदि वह बात असंगत या गैर-संसदीय है । अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत मुझे बोलने का अधिकार है .....(**व्यवधान**)

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): On a point of order can any member can read out any extracts from newspaper in the House about member or Minister without giving prior notice.

श्री वसंत साठे : मैं आपके सामने नया उदाहरण दे सकता हूं ... (**व्यवधान**) आज मुझे एक तार मिला है कि गोरखपुर जेल में अध्यापकों पर घातक लाठी जार्ज किया गया ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इन बातों का स्थगन प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Raj Narain: They are trying to give publicity to themselves by such propoganda.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

श्री वसन्त साठे: उत्तर प्रदेश में इस तरह के हजारों उदाहरण हुए है । अध्यापकों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है । लोगों को आतंकित किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में चुनाव निष्पक्ष तथा स्वतंत्र रूप से कैसे हो सकते हैं ।

श्री राम जेठामलानी : समूचा भाषण नियम 353 का उल्लंघन है । इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए ।

श्री वसन्त साठे : चौधरी चरण सिंह ने देश में इतना आतंक फैला रखा है कि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सम्भव ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय कोई अपराध रोपक आरोप नहीं लगया जा सकता ।
श्री वसन्त साठे ** **

अध्यक्ष महोदय : किसी सदस्य के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक आरोप नहीं लगाया जायेगा। मैं इस की अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल रहा हूं ।

श्री वयालार रवि : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब हम किसी मंत्री की आलोचना करते है, हम सरकार की आलोचना करते है । इसलिए आप यह कहकर आलोचना करने से मना नहीं कर सकते कि वे सभा के सदस्य हैं । हम मंत्रियों की आलोचना कर रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री भी इस सभा के सदस्य हैं। मैं व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं देता ।

श्री राम जेठामलानी : मैं आप का ध्यान नियम 353 की ओर दिलाना चाहता हूं । नियम 353 इस प्रकार है :—

> 'किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक स्वरूप आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके ।"

अध्यक्ष महोदय: यही मैं ने कहा था । मैं किसी मानहानिकारक या अपराधरोपक वक्तव्य की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

Shri Ugrapen: Sir, I want to know your ruling on the point of order raised by Shri Jethmalani.

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन की बात स्वीकार कर ली है। मैंने इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल करने की अनुमति नहीं दी है ।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

श्री वसन्त माठे : महोदय, उस दिन को याद कीजिए, जब इसी सभा में भूतपूर्व प्रधान मंत्री के विरूद्धबड़ा गहन आरोप लगाया गया था कि वहलोगों कोजेल मैं गोली से उड़ाना चाहती थी। क्या आपने उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला था ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री वसन्त साठे : तबआपइसेकैसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल सकते हैं **(व्यवधान)** मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं । 'परेड नामक साप्ताहिक में यह प्रकाशित हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : समाचार पत्र का समाचार सभा की कार्यवाही का अंग नहीं होता ।

श्री वसन्त साठे : : मैं अपनी बात जारी रखूंगा। आप एक पक्षीय ढंग से कार्यवाही कर रहे हैं । आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? * * **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये । **(व्यवधान)** यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मुझे सभा को स्थगित करना पड़ेगा **(व्यवधान)**.... सभा 6.30 म० प० तक स्थगित की जाती है । हम 6.30 बजे म० प० पुनः समवेत होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों की बातें सुन रहा हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफन: श्री बीजू पटनायक अध्यक्ष महोदय के पास पहुंच गये है और उन को निदेशदे रहे है ।उन्हें ऐसा करने का क्या अधिकारहै ? सदस्य को अपने स्थान से बोलना चाहिए तथा अध्यक्षपीठ तक नहीं जाना चाहिए ।

श्री बीजू पटनायक : चूंकि आप इतना अधिक शोर मचा रहे थे कि मेरी बात सुनाईनहीं दे रही थी ।

श्री सी० एम० स्टीफन : श्री बीजू पटनायक आप को इस घोषणा के बाद आप के पास गये कि सभा 6.30 म० प० तक स्थगित की जाती है । उन का यह अधिकार नहीं है ।हम अध्यक्ष पीठ, के सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं । क्या जो कुछहुआ है,उसकी आप अनुमति देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : सभा में हर सदस्य को बोलने का अधिकार हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या आप इसकी अनुमति देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्री सी० एम० स्टीफन: फिर हम भी ऐसा ही करते हैं ।

(तब **श्री सी० एम० स्टीफन**, श्री मोहम्मद शफी कुरेशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अध्यक्ष पीठ के समीप गये और कुछ टिप्पणियां की) ।

(At this stage Shri C. M. Stephen, Shri Mohd. Shafi Qureshi and some other hon. Members went near the Speaker's Chair and made some remarks).

व्यवधान जारी रहे

(Continued Interruptions)

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार सभा के कार्यवाही वृत्तान्तमें शामिल नहीं किया गया ।

(Continued Interruptions)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्: महोदय, आपने सभा स्थगित कर दी थी । हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने सभा पुनः समवेत कर दी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? आप अपने ढंग से कार्य नहीं कर सकते । आपको संविधान तथा नियमों के अनुसार करना होता है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी तरह संविधान तथा नियम माननीय सदस्यों पर भी लागू होते हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : महोदय, आपने सभा को 6 30 बजे म० प० तक स्थगित कर दिया है । आप अभी तक क्यों बैठे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पुनः कार्यवाही आरम्भ कर दी है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय: अब कोई आरोपरोपक बात कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी ।

श्री सी० एम० स्टीफन: आपकी अन्तिम घोषणा यह है कि सभा स्थगित की जाती है । आपकी घोषणा थी कि सभा 6. 30 म० प० तक स्थगित की जाती है । आप ने पुनः कार्यवाही कैसे आरम्भ कर दी ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना आदेश वापस ले लिया है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण: महोदय, आपके निर्णय से सभा में आज असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है । माननीय सदस्य किसी पत्र का उद्धरण दे रहे थे तथा उन्हें ऐसा करने का अधिकार है । आपने अपना निर्णय देकर उन का बोलना बन्द कर दिया, यह असाधारण बात है ।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 352 (दो) देखिए । मैंने अपना आदेश दे दिया है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : नियम 353 में व्यक्ति का उल्लेख है, सदस्य का नहीं । कोई व्यक्ति सभा में अपनी सफाई पेश नहीं कर सकता, परन्तु सदस्य अपना स्पष्टीकरण दे सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य भी व्यक्ति होता है । मैं समझता हूं कि सदस्य भी व्यक्ति होता है, पशु नहीं । इस लिए वह भी इस परिभाषा में आ जाता है । आप नियम 352 (दो) देखिये ।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह वैयक्तिक आरोप नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह वैयक्तिक आरोप है ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अन्नतनाग): समूचे झगड़े की जड़ यह है कि दूसरे पक्ष के सदस्यों ने कांग्रेस पर व्यक्ति पूजा का आरोप लगाया था । श्री साठे को उसके उत्तर में यह कहना पड़ा कि अब भी व्यक्ति पूजा को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (वडाला) : आप इस तरह संसदीय जीवन में व्यवधान पैदा नहीं कर सकते ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हरसदस्य को चाहे वह किसी भी दल का हो समाचारपत्रों के समाचारों सहित दस्तावेजों तथा प्रतिवेदनों के उद्धरण पेश करने का अधिकार है । आपने केवल तीन बातों को देखना होता है कि वह उद्धरण संगत है अथवा असंगत, संसदीय भाषा में है अथवा असंसदीय भाषा में तथा गाली गलोच की भाषा में तो नहीं है । यदि वह असंसदीय तथा गाली गलोच की भाषा में नहीं है, तो आप उसे रोक नहीं सकते । उस आलोचना का उत्तर देना तथा उसे गलत सिद्ध करना सरकार का कार्य है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समाचारपत्रों के उद्धरण को मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि आरोपरोपक भाषा का प्रयोग न किया जाये । आपने मुझे गलत समझा है ।

श्री वसन्त साठे : मैं कोई वैयक्तिक आरोप नहीं लगा रहा हूं । मैं तो जो कुछ समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है, उसका उल्लेख कर रहा हूं ।

श्री जेठमलानी : श्री मावलंकर ने कहा है कि सदस्य सभा में समाचारपत्रों का उद्धरण देने में स्वतंत्र हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में समाचारपत्रों का उद्धरण नहीं दिया जा सकता । आप नियम 349(1) देखिये ।

अध्यक्ष महोदय : नियम 349(1) इस प्रकार है :

> "जब सभा की बैठक हो रही हो, तो कोई सदस्य ऐसी पुस्तक, समाचारपत्र या पत्र नहीं पढ़ेगा जिसका सभा की कार्यवाही से सम्बन्ध न हो ।"

श्री जेठमलानी : क्या 1968 के समाचारपत्र का इन चुनावों से कोई सम्बन्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : यह नियम यहां लागू नहीं होता ।

श्री वसन्त साठे : मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री इन आरोपों के बारे में उचित कार्यवाही करेंगे । मेरा अगला प्रश्न यह है कि क्या ये चुनाव निष्पक्ष थे ? क्या इनमें धांधली नहीं हुई ? हमें बताया गया है कि कुछ मतदान केन्द्रों में 110 प्रतिशत मतदान हुआ है । यह कैसे हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिये ।

[श्री वसन्त साठे]

चौधरी चरणसिंह के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लोगों को ट्रकों में भर कर लाया जा रहा है । यह क्या तमाशा है ? क्या ऐसे तमाशे में न्याय हो सकता है ?

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): Mr. Speaker. Sir, I have heard the speeches of my hon. friends very patiently. My hon. friend Shri Stephen has made a balanced speech. He has made certain allegations but has miserably failed to substantiate the allegations. The whole case fails and fails miserably. Your whole case depends upon doubt and suspicion and nothing else. The allegations are nothing.

It is not correct to say that Congress party has been defeated because of rigging. Their defeat is only attributable to their own failings, their unpopularity and dislike by the public of their candidates. They have been defeated by public and their own partymen. He should not get disturbed. I am quoting the candidate who was defeated. He says that he had been defeated by Shri Zail Singh who is the P.C.C. President. If it is inconvenient, I may not quote.

The elections have proved only one thing that public is still with the Janta Party.

Allegation have been made about rigging in elections. But I have nowhere found in newspapers any complaint regarding that rigging in elections. Even the newspapers correspondents have said that polling was quite peaceful and order. So there is no substance in this motion and it has been brought with a motive of making political propaganda against the ruling party.

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह आरोप लगाया गया है कि किसी एक मतदान केन्द्र पर 110 प्रतिशत तक का भारी मतदान हुआ । यदि ऐसा है तो यह बहुत गम्भीर मामला है क्योंकि उस अवस्था में मतदान दुबारा होता । आपको कागज-पत्र मंगाने होंगे और मामले की छानबीन करनी होगी । और यदि वह आरोप गलत है तो आपको वह अंश कार्यवाही से निकालना होगा । अन्यथा यह निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध एक गम्भीर आरोप होगा । वह अपना बचाव करने के लिए यहां उपस्थित नहीं है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्: हमारे पास इस सम्बन्ध में सबूत मौजूद हैं । आप हमें अपनी बात कहने से नहीं रोक सकते ।

अध्यक्ष महोदय: इस प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है। समय पूरा हो गया है। अब हम अगली मद को लेते हैं ।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य: *

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में शामिल मत कीजिए ।

(व्यवधान)

इस समय कुछ माननीय सदस्य अध्यक्ष पीठ के निकट आ गये ।

At this stage, some hon. Members came near the Speaker's Chair.

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा चाहती है कि समय बढ़ाया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : हां

अध्यक्ष महोदय : समय बढ़ाया जाता है । अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : विरोधी दल के नेताओं द्वारा सबसे पहले दोनों मुख्य मंत्रियों की भारी मतों से हुई विजय पर आश्चर्य प्रकट किया गया। यह पहला अवसर नहीं कि आश्चर्य हुए हैं। पहले भी लोग आश्चर्य से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने गलत निष्कर्ष निकाले हैं। उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि सम्भव कारणों के अतिरिक्त और क्या कारण हो सकते हैं। जिनके कारण यह निष्कर्ष निकले हैं। कांग्रेस के इतनी बुरी तरह हारने पर आश्चर्य शायद इस कारण हुआ क्योंकि 1952, 1957 और 1971 में कांग्रेस की बड़ी भारी जीत हुई थी। परन्तु यदि वे देश की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें और अब जो रहस्योद्घाटन किए जा रहे हैं उन पर विचार करें और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति की ओर ध्यान दें तो वे पायेंगे कि इस भारत में साधारण व्यक्ति, जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है असमंजस की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस मतदाताओं से और क्या आशा कर सकती है ? परन्तु एक आश्चर्य यह है कि अब भी निघौली कलां में 18,000 और फूलपरास में 12,000 लोगों ने कांग्रेस को मत दिए ।

यह कहा गया है कि फूलपारस में 92 प्रतिशत और निघौली कलां में भारी मतदान क्यों हुआ। सबसे पहले तो 92 प्रतिशत का आंकड़ा ही गलत है। केवल 85 प्रतिशत मतदान हुआ। दूसरे पहले भी हमेशा ऐसा हुआ है जबकि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री ने एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा है तो उस निर्वाचन क्षेत्र ने स्वयं को सम्मानित अनुभव किया है और वहां मतदान अन्य निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में अधिक हुआ है ।

भारत की जनता इतनी उत्सुक है कि वह आपातस्थिति में जो कुछ हुआ उसके संबंध में एक प्रतिशत जोखिम भी नहीं उठाना चाहती । जब तक कांग्रेस में आमूल सुधार नहीं हो जाता मतदाता कांग्रेस को मत नहीं देंगे ।

यह कहा गया है कि सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था न करने के कारण इन उप चुनावों में व्यापक स्तर पर हेराफेरी हुई है। यदि चुनावों में जैसा कि विपक्षी नेताओं ने कहा इतनी बड़ी मात्रा में हेरा फेरी हो सकती है तो हम इस और न बैठे होते। छोटी-मोटी गलतियों के होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि किसी को सन्देह है तो इसके लिए उचित स्थान अदालतें हैं।

इन निर्वाचन क्षेत्रों पर निर्वाचन आयोग ने भी पूरी-पूरी निगाह रखी। निर्वाचन आयोग ने बहुत पहले दोनों राज्यों को यह प्रपत्र भेज दिया था कि चुनाव के दौरान किसी अधिकारी का स्थानान्तरण न किया जाए। निर्वाचन आयोग ने इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में प्रेक्षक नियुक्त किए थे। इन सभी प्रेक्षकों ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए हैं।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : इन उपचुनावों में मतदान का प्रतिशत सबसे ज्यादा था। पिछले चुनाव में श्री एन्थनी के चुनाव में सर्वाधिक मतदान 73 प्रतिशत था। 5 बजे के बाद भी प्रत्येक मतदान केन्द्र पर लम्बी-लम्बी कतारें थीं। जब चुनाव ठीक प्रकार कराये जायें तो 83

[श्री वयालार रवि]

से 86 प्रतिशत तक लोग मत डाल सकते हैं। क्या मंत्री महोदय का कहना यह है कि इतना मतदान दोपहर से पहले ही हो सकता है? फूलपारस और निघौली कलां जैसे स्थानों पर 86 प्रतिशत लोगों का मत डालना असम्भव है। उन क्षेत्रों की मौलिक स्थिति और पिछले अनुभव के आधार पर इतना अधिक मतदान केवल हेराफेरी से ही हो सकता है, अन्य किसी प्रकार नहीं।

मतदान केन्द्र संख्या 74 बरसी, 75 बरसी, 76 बरसी और 77 बरसी में कुल मतदाता 3,541 हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 3,541 है जबकि डाले गये मतों की संख्या 3689 थी। मतदान केन्द्र संख्या 67 घिरमसी और 68 घिरमसी में कुल मतदाता 1950 थे जबकि वहां 2110 मत पड़े। इस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की गई। ऐसे लोगों के मत डाले गए जो मर गये थे।

यह कहा गया है कि चुनाव होने तक किसी अधिकारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया परन्तु तथ्य यह है कि चुनाव सम्बन्धी अधिसूचना जारी होने के बाद विशेषकर निघौली कलां में अनेक अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया। श्री सतपाल, एस० एच० ओ०, मरहरा का स्थानान्तरण किया गया।

श्री शान्ति भूषण : निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह लिखा कि आमतौर पर किसी अधिकारी का स्थानान्तरण न किया जाये। कुछ पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण पहले ही किया गया था। अत : उनका स्थानान्तरण निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को अन्तिम रूप देने के बाद किया गया।

श्री वयालार रवि : अधिसूचनके जारी होने से पहले ऐसा किया गया था। निघौली कलां एस० एच० ओ० का स्थानान्तरण किया गया।पुलिस के सर्किल इन्सपेक्टर, अलीगंज और कासगंज का स्थानान्तरण किया गया। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक तथा 23 अन्य अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया। ऐसे कई व्यक्तियों के नाम से वोट डाले गए जो मर चुके थे।

इस स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य लोकतंत्र का उचित रूप से बचाव करना है। लोकतंत्र तब तक नहीं पनप सकता जब तक लोगों को अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से मत न डालने दिये जाय। अब तक उन्हें डराया गया है और स्वतंत्र रूप से मतदान नहीं करने दिया गया। लोकतंत्र के लिये यह बहुत बड़ा खतरा है। रिकार्डों से यह सिद्ध हो गया है कि जनता पार्टी में संकट दूर करने के लिए चुनावों में गोलमाल करने का यह स्पष्ट मामला है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए यह अत्यन्त घातक है। यदि हरिजनों, आदिवासियों और समाज के कमजोर वर्गों को अपनी इच्छा के अनुसार मतदान नहीं करने दिया जाता तो यह लोकतंत्र का अन्त है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was nagatived

[Shri Ramapati Singh]

Our Government is following the same sugar policy as was followed by the previous Government. This must change. If proper price is not ensured to cane growers they will switch over to production of foodgrains. This will destroy the sugar industry. The Government should take all steps to ensure proper price to cane growers for their produce.

श्री के० सूर्य नारायण (एलुरू) : भूतपूर्व सरकार ने यह निर्णय किया था कि प्राइवेट पार्टियों को चीनी के कारखानों के लिए नए लाइसेंस नहीं दिए जायेंगे । नए लाइसेंस केवल उत्पादकों द्वारा गठित उनकी सहकारी समितियों को दिए जायेंगे लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि उत्पादकों के वास्तविक हित में सरकार ने अपनी नीति नहीं बदली हैं ।

भूतपूर्व सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की नियुक्ति की थी और आयोग ने यह सिफारिश भी की कि 1976–77 के दौरान चीनी कारखानों द्वारा दिए जाने वाले गन्ने के मूल्य को 8 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 4 रुपये प्रति किलों कर दिया जाये । लेकिन भूतपूर्व सरकार ने भी इस सिफारिश पर विचार नहीं किया और न ही वर्तमान सरकार में इतना साहस है कि वह इस पर विचार करे । हम सोचते थे कि सरकार में परिवर्तन के साथ कुछ हालात बदलेंगे, गन्ना उत्पादकों का हित होगा लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ ।

महाराष्ट्र और अन्य राज्यों जैसे तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में वैज्ञानिक तरीका अपनाने के कारण गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हुई है । लेकिन आर्थिक उत्पादन के परिणाम स्वरूप मूल्यों में कमी हुई है । उपभोक्ताओं को देश भर में चीनी 2 रुपये 15 पैसे प्रति किलो की दर से दी जा रही है । लेकिन कारखानों और गन्ना उत्पादकों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है ।

भूतपूर्व सरकार ने और जनता सरकार ने चीनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है । इस चीनी मूल्य नीति के कारण कारखानों को भी हानि हो रही है । उत्पादकों को भी लाभ नहीं हो रहा है और सारा लाभ शहर के उपभोक्ताओं को हो रहा है । शहरी उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने हेतु उद्योग और उत्पादकों के हितों की बलि नहीं दी जानी चाहिए । जहां कहीं किसानों ने अधिक गन्ने का उत्पादन किया है अथवा कारखाने में अधिक चीनी बनी है, उन्हे इसके लिए कम मूल्य प्राप्त हुआ है। सरकार अमीर गरीब दोनों को ही एक मूल्य पर चीनी दे रही है । सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी नीति पर पुर्नविचार करना चाहिए ।

Shri Ugrasen (Deoria): The cane grower is being exploited from the very beginning by the mill owners as also by the Government. The cane growers are not in a position to settle the price of sugar cane with the mill owners. It is done by the bureaucratic administration ignoring his interests.

The procurement price of sugarcane is very low. It is not at all remunerative to the cane growers. If the government really wants to safeguard their interests, the price of sugarcane should not be less than Rs. 15 per quintal. It is also not understand why orders for export of gur has been withdrawn by the Government.

The sugar mill owners have made huge profits in this trade. But they have not invested this money for the development of the mills as a result of which the machinery etc. of these mills has turned into scrap. They are not even paying proper wages to the workers.

Government should look into this matter. The Govt. has given them rebate in excise duty to the extent of Rs. 85 crores, while no rebate is given to the cane growers. It is unfair.

Shrimati Chandrawati (Bhiwani): Government should amend their policy to end the double price system. For any commodity, there should not be two prices prevailing in the market. At the same time it has to be ensured that producers get reasonable price for their produce. We must fulfill the commitments made to farmers.

Sugar should not be produced through big sugar mills. We should produce Khandsari and sugar through small mills. The Central Government should undertake a review every two or three months whether the State Governments have fulfilled their obligations of developing the industry. Government should change their policy altogether and should take steps to end red-tapism. They should allow export of gur, if it is surplus, so that higher price can be given to farmers. Government should also initiate measures to end the exploitation of producers as well as consumers.

Shri Ram Naresh Kushwaha (Salempur): During the last 30 years the Congress Government has been playing with the lives of the farmers and did nothing to improve their lot. It is regrettable that even the new Janata Government has proved no better. One fails to understand why the dual policy is being continued. Nothing will be lost if this policy is given up. All that it will mean is that the rate of sugar will go up to Rs. 3 per kg. But even that price rise will be in the interest of the majority of people living in the rural areas for whom the control had been introduced but who have actually not been benefited by it. Not only that, the farmers will also get more price for the sugarcane.

It is high time that the policy of giving concessions to the mill magnets in excise duty and taxing the poor is given up because it is no longer going to be tolerated. The farmers may not indulge in strikes, lockouts and gheraos but they are quite conscious of their rights. No Government can remain in power if it ignors them.

Shri Phirangi Prasad (Bansgaon): All that the farmers growing sugarcane want is a fair price. They should get a price which after meeting the cost of production also give them a marginal profit. But it is regrettable that we have not yet been able to ensure this fair price to them and continue to follow the old policy of benefiting the mill magnates. The cane grower whose entire family is engaged in the agricultural operation does not get adequate price. The result is that he is languishing. It is high time Government come forward to help him.

In Punjab the cane price is Rs. 15 per quintal. But in eastern Uttar Pradesh and Bihar the price is less. The farmers would be satisfied if they get a price of at least Rs. 15 per quintal. The Minister should seriously consider the matter.

Shri Brij Bhushan Tiwari (Khalilabad): According to the Minister's statement, during 1977-78, sugarcane has been grown in 32 lakh hectare of land. In such a situation if the farmers are not given proper price, the consequences can be very well realised.

If one goes into the figures of the prices of sugarcane and sugar during the last 30 years, it will be found that the price of sugarcane has always been less and that of sugar has always been more. Therefore, it is very necessary that the price of sugarcane is raised. Keeping in view the increased cost of production, Rs. 15 per quintal will be the proper price of sugarcane as the Agricultural Prices Commission had admitted.

The Minister admitted that the gur prices are falling. But merely expressing anxiety and giving an assurance will not help. Something concrete will have to be done to increase its exports.

The sugar mill owners have taken big loans from the banks in the name of modernisation of mills but have spent the same in starting other ventures. An inquiry should be made in this regard and a clear policy should be announced in regard to modernisation of mills.

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): One fails to understand why the Janata Government is continuing the dual policy in regard to sugar which was followed by the previous Congress Government. The argument advanced is that if control is lifted, prices will go up. But the question is who are the people who get the controlled sugar. Only a handful of people living in cities are the beneficiaries whereas the majority of people living in villages are deprived of it. Economic justice demands that this dual policy should be given up. It is high time Government should pay attention to it. It is a question of the life of the people; if it is neglected, the people will reject us.

The new industrial policy was announced in the House today in which it is said that we will encourage small and cottage industries. Then how is it that a concession of Rs. 80 crores has been given to the sugar magnates while the export of khandsari and gur has been stopped? Is this the way of encouraging small industries? This matter requires careful consideration.

Shri Ram Murti (Bareilly): The Sugarcane growers are not organised and so they are being exploited. Therefore, the rate of sugarcane must be fixed at Rs. 15 per quintal. It has been the declared policy of Janata Party to adopt all such measures as will help in improving the economic condition of small farmers.

It is high time to give serious thought to the development of Khandsari Industry. Rebate should, therefore, be allowed in excise on Khandsari. Then, steps should also be taken to step up the export of Gur. All these measures taken together will go a long way in mitigating the hardships faced by small growers.

Shri Bharat Bhushan (Nainital): It is due to Central Government's sugarcane price policy and the sugar control-policy that the grower is today not getting a remunerative price for his produce. Fifty per cent of sugarcane grown today is being purchased by sugar mill owners, with whom the farmers have to struggle for obtaining payment. The remaining fifty per cent has to be sold in the market even at half the price under the compulsion of circumstances. In order to obtain

fair price for this 50 per cent of his produce of sugarcane to the grower, the excise duty on Khandsari and Gur have to be withdrawn. If this relief is not given, it will cause a good deal of loss to sugarcane growers. The Ministry of Agriculture should revise their old policy and introduce radical changes. They should give protection to the Khandsari and Gur industry with a view to developing them.

The policy of double price in regard to sugar should be given up and a uniform policy for the entire country should be adopted so that economic justice is done with the farmers.

Shri Yuvraj (Katihar): The problem of sugarcane prices is a problem concerning about 25 to 30 crores of sugarcane growers in the various States like U.P., Bihar, Maharashtra, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The Agricultural Prices Commission had suggested that the price of sugarcane could be determined keeping in view the labour and the expenditure as cost of production incurred by the sugarcane grower.

The sugarcane crop is a cash crop and it earns a substantial amount of foreign exchange. Due to devastation caused by recent cyclone in Andhra Pradesh and Tamil Nadu, the production of sugarcane and consequently the production of sugar will be lesser this year. On the one hand, the price of sugarcane has been fixed so low that it is not remunerative to growers. But, on the other, a substantial relief has been allowed to sugar-mill-owners whereas no relief has been given to sugarcane growers. Government should, therefore, consider over the whole issue in a proper perspective. The minimum price of sugarcane should not be fixed less than Rs. 15 per quintal.

Our export policy is also affected by sugarcane price. If the farmer is not given a remunerative price for his produce, it may adversely affect our export.

The dual-price system in respect of sugar should be abolished and there should be only one uniform price for it.

Shri Chandan Singh (Kairana): The sugarcane grower should at least be given a price at the rate of 1 paisa per rupee of the cost of production. He has to use different types of manures and provision should be made to procure them at a lower price so as to reduce the cost of production. In this case, he will be ready to sell sugarcane even at Rs. 5 per quintal. Today, he is hardly able to save anything because his cost of production is so high. The sugarcane grower is today in great dilemma because he cannot take to cultivation of any other crop.

Government may fix the price of sugarcane even at Rs. 5 per quintal but they must ensure that the grower gets a profitable price for his produce.

Shri Balwant Singh Ramuwalia (Faridkot): The policy being adopted by the Government with regard to gur and sugar is not in the interest of primary producers.

The cost of production of sugarcane has gone very high. But the price of sugarcane has not increased accordingly. The price of sugarcane, which the sugarcane grower is today getting, is quite unremunerative. Therefore, the cane-grower must at least be given a price of Rs. 15 per quintal for the sugarcane in order to boost its production.

[Shri Balwant Singh Ramuwalia]

The market price of gur in the country has today fallen below Rs. 105 per quintal. There is great demand of gur in foreign market. Why then Government should not allow export of gur? The estimated production of gur this year is likely to be to the tune of about 80 lakh tonnes. This will further lead to reduction in the market price of gur in the country.

It is necessary to give rebate in excise duty on khandsari also. It is strange that rebate in excise duty is given to sugar mills while khandsari units are ignored.

Shri Mahi Lal (Bijnor): The cane-growers are not getting a fair price for the sugarcane. Therefore, there is need to fix the procurement price of sugarcane at least at Rs. 15 per quintal to make it remunerative for them.

There is sufficient stock of sugar in the country. Why then there is a ban on the export of sugar? This ban should be removed immediately in the interest of gur producers.

The sugar mills have been granted a rebate of Rs. 82 crores in excise duty but no rebate on khandsari is given. It is necessary that a rebate of Rs. 14 crores is given on khandsari.

Shri Kalyan Jain (Indore): The interests of sugarcane growers are not being safeguarded. The price of sugarcane being given today to sugarcane growers is not at all remunerative to them. Keeping in view the high cost of agricultural inputs, they should be given a price of at least Rs. 15 per quintal. Even after allowing them a price of Rs. 15 per quintal for sugarcane, the people throughout the country can get sugar at Rs. 3 per kilo.

It is painful to see that while a rebate of Rs. 82 crores in excise duty has been given to sugar mills, no rebate has been given in the case of khandsari. In fact, there should be no excise duty on khandsari.

There is need to start export of gur. It will also be advisable to abolish dual price policy of sugar. People throughout the country should get sugar at Rs. 3 per kilo.

Shri Shrikrishna Singh (Monghyr): The present Government appears to be more concerned about the interest of sugar mill owners than about those of the poor farmers. A rebate in excise duty to the extent of Rs. 85 crores to sugar mills is a proof of it. In fact, there is need to give rebate of Rs. 15 crores to khandsari units and start export of gur.

There is need to abolish dual pricing policy with regard to sugar. There should be a uniform policy about sugar throughout the country. The people in the entire country should get sugar at Rs. 2.85 per kilo. The dual pricing policy is also responsible for much corruption in the distribution of sugar.

The price of sugarcane should be fixed at least at Rs. 15 per quintal. Secondly the export of gur should be allowed and excise duty on khandsari may be scrapped. There is lot of corruption in the distribution of sugar at all levels. So it is no use of keeping dual price policy. The farmers should be given their due.

Shri Sushil Kumar Dhara (Tamluk): Mr. Speaker Sir, I fully support two points which have been referred to during the discussion. First thing is that we should raise sugarcane price to Rs. 15 per quintal and secondly we must abolish the excise duty on khandsari.

We have been told that India is producing about 50 lakh tons of sugar. It means that we are producing 500 lakh tons of sugar cane. Sometime back the rate of bonus to industrial workers was raised to 8.33 per cent. When the Minister was asked as to why this was being done. He told that it was on election commitment. Now I ask the Minister, whether we had not made a commitment to the farmers. If it had been done, why we are not fulfilling it. It is high time that the Government increases the price not only of cane but also of wheat and rice. If this is not done, it will act as a disincentive to farmers.

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): I am thankful to all the Members who took part in the discussion. A number of points have been raised and reference was made to sugarcane production. It is not our intention that cane production should come down. We want that cane-growers should also get proper price.

It has been suggested that dual policy in regard to sugar should be scrapped. If this matter is considered cooly those who pleaded for scrapping the dual policy may change their mind.

The Minister of State has said something while on tour and it is reported in the press. Therefore some people got a hint that the Government may end the dual policy. After the news report many deputations started coming to him. People from khandsari industry and gur industry came and the cane-growers also met me. It was discussed with them as to what will be the effect of scrapping the dual policy. It was estimated that if this policy is given up price of sugar in the open market might come to about Rs. 3 per kg. It was then represented that this price would hit hard the khandsari industry as well as gur industry and a large number of people will be rendered jobless.

Cane growers are of the view that they get some price for their sugarcane because of competition between sugar mills and khandsari mills for purchase of sugarcane. If khandsari mills begin to close they will not be able to get whatever price they are getting at present for their produce. The matter of dual policy had been under discussion for about 1½ months and after considering pros and cons of the matter the present decision was taken.

There are certain states where quota of sugar is the same for urban and rural people. Gujarat, Haryana, Punjab and Kerala are such states. Earlier there were complaints that people in rural areas did not get sugar. It has now been decided to give same quantity of sugar in urban and rural areas. Ration quota

has also been increased. Earlier 2,56,000 tonnes of levy sugar used to be issued. For December 2,71,000 tonnes has been released. It has been decided that at least 425 grammes of sugar should be issued to all consumers. This decision will increase consumption of sugar within the country.

We want to export sugar and for that quota of more than 7 lakh tonnes has been fixed. At present international price is very low and if we export even 1¼ or 1½ tonnes we will incur a loss of Rs. 15 crores. Anyway as has been said by certain Members we should export sugar because we have to be in the international market.

It has been said that two prices has been retained because sugar lobby is operating. There might be one in the past, but now there is no sugar lobby. After the Janata Party came into power no donations has been taken for the party.

Reference was made to price of sugar. We forget the sugar price which prevailed last year. Last year the price was above Rs. 5. After Janata Party came into power sugar price has been ranging between Rs. 4.20 to Rs. 4.40. Our effort is that price of sugar should be around Rs. 4.00.

Sugarcane growers will be able to get proper price for their produce if there are miils in their areas. Also we have to see that mills do not exploit growers. We want to create an atmosphere in which exploitation is not possible. There is need for some competition so that producer get proper price. But we have also to see that mills do not close down.

We are receiving demands from various areas for starting sugar mills. The present crushing capacity of mills is sufficient to meet our requirements. We are giving permission to start a mill only when it is very necessary. We want to encourage cooperatives.

It is said that there should be uniform price of sugar throughout the country. Price of levy sugar cannot be uniform, because production and technique of production varies from region to region.

It has been said that relief in excise duty has been given to sugar mills. This has been done because price of sugar has come down, while price of sugarcane has been kept at the level of last year. It is gratifying that in certain states cane price has been increased somewhat.

It is said that if price of sugar falls further what will khandsari industry do? If price of sugar falls below Rs. 4, we shall consider as to what relief can be given in excise duty on khandsari.

As regards export of gur, the matter is under consideration. Price of gur has gone down. It will hit hard the growers. We are making an effor to remedy the situation.

(*Interruptions*)

It is gratifying that the cause of farmers is so forcefully pleaded. We have to see to it that interests of farmers are protected. We have to see how cost of inputs can be decreased. For example we have reduced the rates of power and seeds are being supplied at subsidised rates.

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनसे सरकार को 183 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और एक पैसा भी उपभोक्ताओं को नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

GMGIPND—L—322 2LS—24-2-78—200

P.L.S. 48. IX. 25. 77 (N)
200

©1977 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

© 1977 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (SIXTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD